



वार्षिक प्रतिवेदन

2015-2016



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने,
नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16



पौधा किलम और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
एनएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012
www.plantauthority.gov.in

विषय–सूची

| क्र. सं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|-------------|---|-----------|
| | आमुख | i |
| | आभार ज्ञापन | iii |
| | विशिष्ट सारांश | iv |
| 1 | सामान्य पृष्ठ भूमि | 1 |
| 2 | पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति | 4 |
| 3 | डीयूएस परीक्षण केन्द्र | 10 |
| 4 | डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास | 56 |
| 5 | किसानों से संबंधित क्रियाकलाप | 65 |
| 6 | भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर और प्राधिकरण के प्रकाशन | 68 |
| 7 | डेटाबेसों, इंडस, एनओआरवी और वैबसाइट का विकास | 69 |
| 8 | विधायी कोष्ठ तथा आरटीआई संबंधी मामले | 71 |
| 9 | प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम | 73 |
| 10 | प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप | 85 |
| 11 | अंतरराष्ट्रीय सहयोग | 101 |
| 12 | प्राधिकरण के वित्तीय विवरण 2015–16 | 104 |
| 13 | नागरिक आचार संहिता | 108 |
| | अनुबंध | |
| अनुबंध—I | पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2016 को) | 110 |
| अनुबंध—II | पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण मानव संसाधनों का विवरण | 111 |
| अनुबंध—III | वर्ष 2015–16 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को जारी की गई निधियों का विवरण | 112 |
| अनुबंध—IV | वर्ष 2015–16 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई निधियों का विवरण | 115 |
| अनुबंध—V | वर्ष 2015–16 के दौरान फील्ड जीन बैंकों/जीन बैंकों को जारी की गई निधियों का विवरण | 118 |
| अनुबंध—VI | वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न संगठनों के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दी गई वित्तीय सहायता | 119 |
| अनुबंध—VII | वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त कृषक किस्मों की सूची | 123 |
| अनुबंध—VIII | पंजीकरण अधीन फसल प्रजातियां | 125 |
| अनुबंध—IX | वर्ष 2015–16 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्र | 129 |
| अनुबंध—X | संक्षिप्तियां | 142 |



डॉ. आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
नई दिल्ली

आमुख

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। प्राधिकरण का अधिदेश उन पादप प्रजनकों, कृषकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान करना है जिन्होंने नई और विद्यमान किस्में विकसित की हैं। किस्म के पंजीकरण से प्रजनकों को अपनी किस्मों को पंजीकरण कराने के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त होता है। यह एकमात्र ऐसा बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी विधान है जो दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात् किस्म को सुरक्षा के साथ—साथ प्रजनन द्वारा उस किस्म को दिए गए नाम को भी इससे सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार सु. जेनेरिस प्रणाली पर पौधा किस्म सुरक्षा संबंधी नियम लागू किया है। यह अधिनियम आईटीपीजीआरएफए की मूल भावना में निहित प्रतिबद्धताओं के साथ—साथ विश्व व्यापार संगठन के व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) में निर्धारित किए गए अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करता है।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की स्थाना को लगभग एक दशक पूरा हो चुका है। प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए प्रभावी प्रणाली को यथोचित लागू करने के साथ—साथ वैधानिक ढांचा स्थापित करने में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। प्राधिकरण ने पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान पौधा किस्म रजिस्ट्री, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, विद्यमान किस्मों, सामान्य ज्ञान की किस्मों (वीसीके) और पंजीकृत किस्मों के लिए डेटाबेस सृजित करने के साथ—साथ परीक्षण के लिए डीयूएस का नेटवर्क स्थापित किया। इनसे संबंधित पैम्फलेट, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा अन्य प्रचार सामग्री इससे किसानों, वैज्ञानिकों और प्रजनकों के बीच उनकी किस्मों के पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित होती है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने अपने पंजीकरण के क्षेत्र को 92 से बढ़ाकर 102 फसल प्रजातियों तक विस्तृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को कुल 2174 आवेदन प्राप्त हुए तथा कुल 419 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये हैं। प्राधिकरण अनेक प्रकाशन भी निकालता है जैसे भारतीय पौधा किस्म जरनल, तकनीकी बुलेटिन, विभिन्न विषण—पत्र आदि।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की चार बैठकें आयाजित हुईं। यह एक चिर—प्रतीक्षित महत्वपूर्ण घटना है जो पीपीवी और एफआर नियमावली तथा विनियमों में सुधार के लिए रिपोर्टधीन अवधि के दौरान आयोजित की गई। इन संशोधनों में कृषकों के लिए वार्षिक शुल्क घटाकर प्रतिवर्ष 10 प्रति किस्म किया गया और किसानों द्वारा अदा किया जाने वाला नवीकरण शुल्क को शून्य कर दिया गया। इन संशोधनों से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को विद्यमान किस्मों के पंजीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सभी स्वरूपों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया और शुल्क को यथोचित बढ़ाया भी गया। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना तथा संशोधनों का प्रकाशन प्राधिकरण की एक महान उपलब्धि है और इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की भूमिका भी सराहनीय रही है।

मैं श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण की वृद्धि व विकास के लिए किए गए मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं श्री एस.के. पटनायक, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग तथा डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व व निरंतर सहायता के लिए ऋणी हूं। मैं श्री राजेश कुमार सिंह, सयुक्त सचिव (बीज) का आभारी हूं कि उन्होंने प्राधिकरण की गतिविधियों में गहन रूचि लेने के साथ-साथ इसे मूल्यवान समर्थन प्रदान किया है। मैं प्राधिकरण के माननीय सदस्यों तथा उन अधिकारियों के योगदानों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने समर्पण के भाव से विभिन्न समितियों/कार्यबलों में कार्य किया है तथा प्राधिकरण को नई ऊंचाइयां छूने में अपनी अमूल्य सहायता प्रदान की है।

मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) व भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को प्राधिकरण द्वारा इसके लक्ष्य प्राप्त किए जाने में अथक व निःस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करने व निरंतर समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अत्यंत आभार के साथ मैं कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आईसीएआर, आईसीएफआरई, सीएसआईआर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समय-समय पर सहायता प्रदान करने व मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली व राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, (एनबीपीजीआर) या इनके प्रभावों को प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए विभिन्न उत्तरदायित्वों का भार सफलतापूर्वक उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने प्रतिष्ठित बैंकरों नामतः भारतीय स्टेट बैंक और सिडिकेट बैंक का भी वित्तीय सेवाएं व समर्थन देने के लिए आभारी हूं। मैं सीएजी को समय पर समर्थन मार्गदर्शन व दिशानिर्देश देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर प्रकाशित करने के लिए प्रभावी समन्वयन के लिए इसके सम्पादन दल की सराहना करता हूं।

(आर.आर. हिंगनाल)

आभार ज्ञापन

प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन २०१५-१६ तैयार करने में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल के द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता, प्रेरणा, उत्साह तथा व्यापक विचारों के लिए आभार व्यक्त करने हेतु मेरे पास शब्द नहीं हैं।

मैं श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार; श्री डी.एस. राजगणेश, विधिक सलाहकार और सुश्री कृतिका अनबाजागन, तकनीकी परीक्षक द्वारा इस प्रतिवेदन के लेखन, संकलन व पाण्डुलिपि तैयार करने के प्रयासों हेतु उन्हें विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक की प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम आकार देने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रूफ वाचन व समन्वयन के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

मैं डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार का यह वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में उपलब्ध कराई गई आवश्यक सहायता के लिए आभारी हूँ। मैं प्राधिकरण के अन्य सभी अधिकारियों जैसे श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, रांची; श्री रवि रमन प्रधान, विधिक परामर्शक; डॉ. डी.एस. पिला निया, तकनीकी सहायक, श्रीमती शिप्रा माथुर, श्री श्याम नारायण, श्री संजय गुप्ता और श्री अरविंद कुमार राय, कम्प्यूटर सहायकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं श्री बी.के. बंसल और श्रीमती मनीषा गौतम, तकनीकी परीक्षक का उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं विशेष रूप से श्रीमती रितु यादव और श्री संतोष सिंह बिष्ट, कार्यालय सहायकों को प्राधिकरण के वर्ष २०१५-१६ के प्रतिवेदन के टंकण, फार्मेटिंग और सुंदर आकृति देने में की गई उत्कृष्ट सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके इस क्षेत्र में किए गए अथक प्रयासों से यह प्रतिवेदन समय पर प्रकाशित हो सका। प्राधिकरण कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से प्राप्त होने वाले समर्थन एवं सहयोग के लिए भी हार्दिक धन्यवाद देता है।

हम पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा आईसीएफआरई के विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों पर डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के साथ इस अवधि के दौरान बने सम्पर्क को सराहते हैं तथा इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में समय पर दिए गए उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

विशिष्ट सारांश

भारत विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स) के सदस्यों में से एक है। ट्रिप्स के अनुच्छेद 27(3)(ख) में यह कहा गया है कि सदस्यों को सूक्ष्मजीवों के अतिरिक्त पौधों और पशुओं व गैर-जीव विज्ञानी और सूक्ष्म जीवविज्ञानी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त पौधों या प्राणियों के उत्पादन के लिए अनिवार्य जीवविज्ञानी क्रियाओं को अपनाने की स्वतंत्रता है और इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। तथापि, ये सदस्य या तो पेटेंट द्वारा या प्रभावी सु जेनेरिस प्रणाली द्वारा अथवा इन दोनों के माध्यम से पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए प्रावधान उपलब्ध कराएंगे। भारत ने 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम (2001 का 53) को सु जेनेरिस प्रणाली अपनाकर लागू किया। पीपीवी और एफआर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पौधा किस्मों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। यह एक अनूठा अधिनियम है जिसमें जहां एक ओर खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि की भावना को पूरा किया गया है, वहीं दूसरी ओर उपोव, 1978 के समझौते के प्रावधानों को भी पूरा किया गया है। इसमें राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार प्रजनकों तथा कृषकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन रखा गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य से 11 नवम्बर 2005 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की स्थापना हुई। प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, राष्ट्रीय जीन बैंक आदि सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कीं।

अब तक भारत सरकार ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु 102 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है। रिपोर्टार्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 10 वंश प्रजातियों को अधिसूचित किया है। ये फसल प्रजातियां पुष्पों, फलों जिनमें सूखे फल व मेवे, सजियां, बीज मसाले, अनाज, पेय तथा वानिकी किस्में शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्राधिकरण ने चार श्रेणियों अर्थात् कृषक (1629), नई (331), विद्यमान (211) और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (3) के अंतर्गत कुल 2174 आवेदन प्राप्त किए। सर्वाधिक आवेदन कृषक श्रेणी (1629) के अंतर्गत प्राप्त हुए जिसमें कृषक द्वारा प्रस्तुत तीन नई किस्में भी शामिल हैं जिसके बाद क्रमशः निजी (440) और सार्वजनिक (102) श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का स्थान था। सर्वाधिक आवेदन चावल (726, के मामले में प्राप्त किए गए जिसके पश्चात् क्रमशः मिर्च (190), भारतीय बेर (165), मक्का (149), आम (101), भारतीय सरसों (43), हल्दी (40), बैंगन (37), अरहर (34), चना (32), बाजरा (32), टमाटर (31), खीरा (30),

कंगनी (29), ज्वार (29), लहसुन (27), जौ (26), उड़द (26), गेहूं (26), अदरक (23), करेला (20), धनिया (20), मसूर (20) तथा अन्य फसलों (कुल318) का स्थान था।

ईआरसीवी ने बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अदि असूचित विद्यमान किस्म की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से 32 आवेदनों को अनुशसित किया है। इन 32 किस्मों में से 30 सार्वजनिक क्षेत्र के और 2 निजी क्षेत्र के थे। जन सामान्य की सूचना के लिए अनुशसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल (पीवीजे) में प्रकाशित किए गए ताकि प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दाखिल किया जा सके।

वर्ष 2015–16 में कुल 419 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनमें से 238 कृषक किस्मों के, 127 निजी संगठनों के तथा 54 सार्वजनिक संगठनों के थे। कृषक किस्मों को छोड़कर 70 नई किस्मों, 63 विद्यमान वीसीके और 48 विद्यमान (अधिसूचित) किस्में पंजीकृत की गई। सर्वाधिक प्रमाण-पत्र चावल के मामले में जारी किए गए (256) जिसके पश्चात् क्रमशः मक्का (48), बाजरा (21), ज्वार (17), चतुर्गुणित कपास (17), सोयाबीन (9), सूरजमुखी (8), भिण्डी (7), भारतीय सरसों (5), टमाटर (5), प्याज (4), बैंगन (3), मटर (2), मूँगफली (2), अरहर (2), आलू (2), गेहूं (2), लौकी (1), अरण्ड (1), फूलगोभी (1), चना (1), द्विगुणित कपास (1), लहसुन (1), मूँग (1), सेम (1) तथा गन्ना (1) का स्थान था।

प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जा रहा है तथा इसकी एक प्रति गुवहाटी और रांची स्थित शाखा कार्यालयों में ही है। विद्यमान, नई तथा कृषक श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत सभी किस्मों को कथित रजिस्टर में उचित रूप से प्रलेखित किया गया।

प्राधिकरण ने डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डेटाबेस विकसित किए हैं और भारतीय सूचना प्रणाली (इंडस) का अनुरक्षण किया है। इसने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों के डेटाबेस का अनुरक्षण भी किया है (एनओआरवी) तथा यह अधिकांश इसी प्रकार की संदर्भ किस्मों के चयन के लिए इन डेटाबेसों का अनुरक्षण कर रहा है। प्राधिकरण अपने पोर्टल के विकास पर नजर रखे हुए है जिसमें विषय-वस्तु प्रबंध प्रणाली के सभी क्रियाकलाप उपलब्ध होंगे ताकि रोल आधारित पहुंच के साथ त्वरित ढंग से वैब साइट का अनुरक्षण किया जा सके।

रिपोर्टार्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की चार बैठकें हुई जिनमें तकनीकी-विधिक और प्रशासनिक मामलों पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें पंजीकरण के लिए विद्यमान अदि

असूचित किस्मों को स्वीकृति प्रदान करना, प्राधिकरण के वार्षिक लेखे का अनुमोदन तथा पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, 2013–14 प्रदान करने से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

प्राधिकरण के विधिक कोष्ठ ने विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों की पैरवी की। रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 34 मुकदमे लंबित थे जिनमें से 6 का निपटा। रा किया गया और शेष मुकदमे लंबित हैं। भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित हुई जिसमें 10 वंशों/प्रजातियों (चमेली, रजनीगंधा, पपीता, चाइना एस्टर, आडू, जापानी आलूबुखारा, स्ट्राबरी, मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका, रागी और कंगनी) को पंजीयन करण के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया।

सूचना के अधिकार (आर टी आई) प्रकोष्ठ ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य विभागों द्वारा हस्तांतरित होकर आए 28 आवेदन प्राप्त किए। मांगी गई सूचना निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराई गई।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कृषक कोष्ठ ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषकों के अधिकारों को कार्यान्वयन किया तथा देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं, डीयूएस केन्द्रों, जैडपीडी, कृषि विज्ञान केन्द्रों और स्टेक होल्डरों को धनराशि उपलब्ध कराई। प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों, कृषि मेलों में भाग लिया, ताकि विभिन्न पण्डाचियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों, किस्मों के पंजीकरण जिसमें कृषक किस्में भी शामिल हैं, से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सके। भू-प्रजातियों सहित परंपरागत और कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए किसानों को

प्रेरित करने हेतु उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। भा.कृ.अ.प. नेटवर्क की कृषि विज्ञान केन्द्र प्रणाली को सहायता प्रदान की गई। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2013–14 के लिए पात्र आवेदनों को अंतिम रूप दिया गया। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न तकनीकी मामलों में प्राधिकरण से परामर्श लिया जिसमें द्विपक्षीय सहयोग, आईटीपीजीआरएफए, सीबीडी, उपोव, डब्ल्यूआईपीओ से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मामले तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते/करार भी शामिल हैं।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने शासकीय बैठकों के संबंध में जर्मनी तथा मध्य एशिया का दौरा किया। एक जर्मन प्रतिनिधि मंडल भारत आया और उसने पौधा किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के साथ एक बैठक आयोजित की।

प्राधिकरण ने 2015–16 के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से अनुदान सहायता के रूप में 1585.44 लाख रुपये प्राप्त किए जिनमें से 1592.62 लाख रुपयों का 31 मार्च 2016 तक उपयोग हुआ और पिछले वर्ष गैर खर्च हुए 14.56 लाख रुपये को समायोजित करते हुए 7.38 लाख रुपये शेष हैं।

प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा गया। प्राधिकरण के वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया गया और उनकी निर्धारित समय—सीमा में लेखा परीक्षा किए जाने के पश्चात् उन्हें वैधानिक समय—सीमा के अंतर्गत सदन के दोनों पटलों पर रखा गया।

अध्याय 1 : सामान्य पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा पौधा किस्मों, कृषकों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सु जेनेरिस प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) में लागू किया।

आर्थिक पौधों की उपयुक्त किस्में उत्पन्न करने में पादप प्रजनकों और कृषक समुदायों द्वारा पादप प्रजनन में नवोन्मेष की कानूनी सुरक्षा को लागू करने, अनुसंधान के लिए निवेश उपलब्ध कराने, व्यापार को बढ़ावा देने तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग को नियमित करने के लिए कानूनी सुरक्षा दिलाना आवश्यक है। पादप प्रजनकों के अधिकारों को लागू करके पौधा किस्मों की सुरक्षा का मुद्दा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। भारत ने डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) संबंधी समझौते की पुष्टि की है। अतः इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह पौधा किस्मों की सुरक्षा से संबंधित कथित समझौते के अनुच्छेद 27(3) (ख) से संबंधित प्रावधानों को लागू करे। पीपीवी और एफआर नियम 12 सितम्बर 2003 को अधिसूचित किए गए और उसके पश्चात् समय—समय पर संशोधित किए गए। परिणामस्वरूप अधिनियम के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1588(ई) के द्वारा 11 नवम्बर 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा

प्रदान करना।

- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक स्थू जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या ला. इसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयत और निर्यात का एकमात्र अदिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज / रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भवी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायों/कृषकों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2016 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं।

1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु 102 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अनाज, दालें, मटे अनाज, तिलहन, मसाले, सब्जियां, पुष्प, औषधीय व सगंधीय पौधे तथा रेशा फसलें शामिल हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टधीन वर्ष 2015-16 के दौरान पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 419 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और अधिक आवेदकों को आकर्षिक करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआरए द्वारा आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों के सत्यापन, प्रजनन अनुरक्षण, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित संदर्भ/उदाहरण किस्मों/किस्मों के अनुरक्षण, प्रजनन व प्रगुणन संबंधी आवेदकों के दावों की पुष्टि के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों का डेटाबेस सूजित करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय जीन बैंक तथा देशभर में फील्ड जीन बैंक स्थापित किए हैं। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

1.5 पादप प्रजनकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगमी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं। तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अधिनियम के अंतर्गत नई किस्मों की नवीनता के लिए पौधा किस्म सुरक्षा में डीयूएस की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रणाली के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के भी के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

- **नई किस्म** अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टकृत ऐसे गण या प्रजातियां
- **विद्यमान किस्म**,

 - बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित,
 - सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके)

- **कृषक किस्म**
- किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
- ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
- अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ई डी वी)

नई किस्म या सामान्य ज्ञान की किस्मों और कृषक किस्मों के पंजीकरण की तिथि से वृक्षों और लताओं के मामले में सुरक्षा की अवधि 18 वर्ष जबकि फसलों के मामले में 15 वर्ष है। विद्यमान अधिसूचित किस्मों के लिए बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 (1966 का 54) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उस किस्म की अधिसूचना की तिथि से सुरक्षा की अवधि को 15 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

1.6 कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं:

- **बीज का अधिकार :** अपनी फसल से अपने बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, पुनः बुआई, आदान-प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज की विक्री न करे।
- **अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार :** किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र हैं।
- **क्षतिपूर्ति का अधिकार :** यदि पंजीकृत किस्म स्वामी/प्रजनक द्वारा किए गए दावों को पूरा नहीं करती है तो उसे इस कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है।

- **पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार :** जो किसानपादप आनुवंशिक संसाधनों के चयन और परिशेषण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के सुधार के साथ भू-प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में रत हैं, उन्हें पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है।
- **लाभ में भागीदारी का अधिकार :** नई पौधा किस्मों के प्रजनन के लिए कृषक किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में।
- **अज्ञानता में हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा**
- **शुल्क से छूट**

1.7 किस्मों का पंजीकरण

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है :

- **नई किस्म :** यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यीकृत की गई है तो यह नई किस्म है।
- **विद्यमान किस्म :** इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं :
 - **बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :** बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र हैं।
 - **कृषक किस्म :** कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबंधीया भू-प्रजातियां या किस्में भी शामिल हैं जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
 - **सामाज्य ज्ञान की किस्म :** जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यीकृत शृंखला में है।
 - **सार्वजनिक क्षेत्र की किस्म :** ये पंजीकरण की पात्र नहीं हैं क्योंकि ये पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।
- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म :** वह किस्म जो मुख्यतः आरंभिक किस्म से विकसित की गई हो, नई या विद्यमान किस्म के अंतर्गत आती है।

1.8 किस्मों के फील्ड परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और

आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

- **नई किस्में :** दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष
- **कृषक किस्म और वी सी के :** दो स्थानों पर एक फसल मौसम
- **बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :** डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।
- **ई डी वी :** डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद आवेदन पर फिर कार्रवाई की जाती है और यदि दावा किए गए गुण तथा डीयूएस परीक्षण में ज्ञात किए गए गुण समान होते हैं तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है। यदि दावा किए गए गुण और डीयूएस परीक्षण द्वारा निर्धारित गुण भिन्न होते हैं तो आवेदक को आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है।

आवेदन को भारतीय पौधा किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई विराध दाखिल नहीं होती है या यदि दाखिल किया गया विरोध अस्वीकार कर लिया जाता है तो किस्म के पंजीकरण की कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है :

1.9 सुरक्षा अवधि तथा फसलें

वर्तमान में कुल 102 फसलें/प्रजातियां सुरक्षा की पात्र हैं (अनुबंध-टप्प)। खेत फसलों की सुरक्षा की अवधि 15 वर्ष है जबकि वृक्षों और लताओं के लिए यह अवधि 18 वर्ष है। अधिसूचित विद्यमान किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचिता की तिथि से 15 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

1.10 प्रजनक को दिए गए अधिकार

पंजीकरण से किसी किस्म को उसके नाम के साथउत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, आयात-निर्यात करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार कृषकों के इस अधिकार से जुड़ा है कि किसान किसी भी ब्रांडहीन लेकिन पंजीकृत किस्म के बीजों का उपयोग कर सकता है।

अध्याय 2 : पौधा किस्म पंजीकरण की प्रगति

2.1 फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिषानिर्देशों का प्रकाष्ठन

केन्द्र सरकार ने प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित फसल प्रजातियों तथा उनके डीयूएस परीक्षण दिषानिर्देशों को अधिसूचित और भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किया है (तालिका 1)। ये फसल प्रजातियों सब्जियों, फलों, शोभाकारी किस्मों, वन्य फसलों और औषधीय पौधों की हैं। ऐसी अपेक्षा है कि इन फसलों के पंजीकरण से कृषि के विविधीकरण के लिए अवसर उपलब्ध होंगे तथा महत्वपूर्ण पौधों की वैधानिक सुरक्षा के अतिरिक्त इन फसलों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

तालिका 1 : वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न वंश/प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिषानिर्देश

| क्र.सं. | अंग्रेजी नाम | सामान्य नाम | वानस्पतिक नाम | पीढ़ीजे अंक |
|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | Vegetable Amaranth | सब्जी चौलाई | एमेरेंथस ट्राइकलर एल. | अगस्त 2015 |
| 2 | Ridge gourd | तोरई | लूफा एक्यूटैगुला (एल.) रॉक्सब | |
| 3 | Spinach beet | पालक | बीटा बल्नोरिस किस्म बैंगालेसिस रॉक्सब | |
| 4 | Carnation | गुलनार | डाइएंथस कैरियोफिलस एल. | |
| 5 | Orchid | ऑर्किड | पेफियोपेडिलम पीफिट्ज | |
| 6 | Indian Mulberry | नोनी | मोरिंडा सिट्रिफोलिया एल. | अक्टूबर 2015 |
| 7 | Nutmeg | जायफल | माइरिस्टिका फैगररेंस होउट | नवम्बर 2015 |
| 8 | Bael | बेल | एइगले मार्मेलोस कोरी | |
| 9 | Black plum | जामुन | साइजीगियम क्यूमिनी स्कील्स | |
| 10 | Custard Apple | सीताफल | एनोना स्क्वैमोसा एल. | जनवरी 2016 |
| 11 | Arabian Jasmine | मोंगरा | जैसमिनम सैम्बैक एल. | |
| 12 | King of Bitters | कालमेघ | एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा एल. | |
| 13 | Indian gooseberry | आंवला | इम्बिलीका ऑफिसिनेलिस गेइर्टन | फरवरी 2016 |
| 14 | Neem | नीम | एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस | |
| 15 | Karanj | भारतीय बीच वृक्ष / पाउंगम वृक्ष | पॉगेमिया पिन्नाटा (एल.) पीयरे | |

2.2 ग्राप्त आवेदन

वित वर्ष 2015–16 के दौरान प्राधिकरण को कुल 2174 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए (तालिका 2)।

तालिका 2 : वर्ष 2015-16 के दौरान ग्राप्त आवेदनों की स्थिति

| किस्म का प्रकार/आवेदन की श्रेणी | कृषक | निजी | सार्वजनिक | कुल योग |
|------------------------------------|------|------|-----------|---------|
| अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में | 0 | 2 | 1 | 3 |
| विद्यमान किस्में | 0 | 151 | 60 | 211 |
| कृषक किस्में | 1629 | 0 | 0 | 1629 |
| नई किस्में | 3 | 287 | 41 | 331 |
| कुल योग | 1632 | 440 | 102 | 2174 |

इनमें 1629 कृषक किस्में, 331 नई किस्में, 211 विद्यमान (सामान्य ज्ञान की तथा विद्यमान अधिसूचित किस्में) तथा 03 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में शामिल हैं जिनकी अधिनियम के अंतर्गत पादप की सुरक्षा का आवेदन किया गया है (तालिका 2)। वर्ष के दौरान पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों में से 31 विभिन्न पादप कुलों से संबंधित हैं (तालिका 3) और 72 भिन्न किस्मों के हैं जिनके अंतर्गत अनाज, मोटे अनाज, दलहनों, वाणिज्यिक फसलों, औषधीय और शोभाकारी फसलों, तिलहनों, सब्जियों, मसालों और फलों की फसलें शामिल हैं (तालिका 3)।

तालिका 3: उन फसल प्रजातियों और कुलों की सूची जिनके लिए ओवदन प्राप्त हुए हैं

| क्र.सं. | कुल | फसलें |
|---------|---------------|--|
| 1 | एमेराइलिडेसी | लहसुन, प्याज |
| 2 | एनाकार्डिएसी | आम |
| 3 | एपिएसी | धनिया |
| 4 | एरिकेसी | नारियल |
| 5 | एस्ट्रेरेसी | सूरजमुखी, कुसुम, गुलदाउदी |
| 6 | ब्रैसिकेसी | भारतीय सरसों, फूलगोभी |
| 7 | कैनेसी | केली |
| 8 | कैरिकेसी | पपीता |
| 9 | कसुआरिनेसी | कैसुआरीना |
| 10 | कुकरबिटेसी | करेला, लौकी, खीरा, कद्दू, खरबूजा, तरबूज |
| 11 | यूफोर्बिएसी | अरण्ड |
| 12 | इरिडेसी | ग्लेडियोलस |
| 13 | जुगलांडेसी | अखरोट |
| 14 | लेमिनेसी | मेंथोल पुदीना |
| 15 | लैग्यूमिनोसी | चना, अरहर, मूँग, उडद, मसूर, मटर, सेम, मूँगफली, सोयाबीन, मेथी |
| 16 | लिनेसी | अलसी |
| 17 | लाइथ्रेसी | अनार |
| 18 | माल्वेसी | पटसन, कपास, भिण्डी |
| 19 | मस्केसी | केला |
| 20 | माइलटेसी | सफेदा |
| 21 | नाइकटीगिनेसी | बोगेनवीलिया |
| 22 | पेडालिएसी | तिल |
| 23 | पाइपेरेसी | काली मिर्च |
| 24 | प्लांटाजिनेसी | भारतीय पेनिवार्ट, ब्लॉड सिलियम |
| 25 | पोएसी | गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी, कंगनी, जौ |
| 26 | रेम्नेसी | भारतीय बेर |
| 27 | रोजेसी | गुलाब, सेब, खुबानी |
| 28 | रुटेसी | खट्टा, संतरा |
| 29 | सोलेनेसी | आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, पैपरिका |
| 30 | विटेसी | अंगूर |
| 31 | जिंगरबेरेसी | हल्दी, अदरक, छोटी इलायची |

फसलवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आवेदन प्राप्त करने के संदर्भ में चावल (726) इस सूची में सबसे ऊपर है जिसके बाद क्रमशः मिर्च (190), भारतीय बेर (165), मक्का (149), आम

(101), भारतीय सरसों (43), हल्दी (40), बैंगन (37), अरहर (34), चना (32), बाजरा (32), टमाटर (31), खीरा (30), रागी (29), ज्वार (29), लहसुन (27), जौ (26), उड़द (26), गेहूं (26), अदरक (23), करेला (20), धनिया (20), मसूर (20) तथा अन्य फसलों का स्थान है (कुल 318)।

तालिका 4 : पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का फसलवार विवरण

| क्र.सं. | फसल/आवेदन | कृषक | निजी | सार्वजनिक | कुल |
|---------|----------------|------|------|-----------|-----|
| 1 | खट्टा | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | सेब | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | खुबानी | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | केला | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | जौ | 20 | 6 | 0 | 26 |
| 6 | शिमला मिर्च | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | करेला | 19 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | उड़द | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | काली मिर्च | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | लौकी | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | बोगेनवीलिया | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | ब्रह्मी | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | बैंगन | 33 | 4 | 0 | 37 |
| 14 | केली | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | अरण्ड | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | कैसुरीना | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | फूलगोभी | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | चना | 26 | 0 | 6 | 32 |
| 19 | मिर्च | 33 | 154 | 3 | 190 |
| 20 | नारियल | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | धनिया | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 22 | गुलदाउदी | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | खीरा | 6 | 24 | 0 | 30 |
| 24 | द्विगुणित कपास | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 25 | सफेदा | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | मेथी | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | मटर | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 28 | रागी | 19 | 0 | 10 | 29 |
| 29 | कंगनी | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | लहसुन | 22 | 0 | 5 | 27 |
| 31 | अदरक | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 32 | ग्लेडियोलस | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | अंगूर | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 34 | मूँग | 8 | 0 | 2 | 10 |

| क्र.सं. | फसल/आवेदन | कृषक | निजी | सार्वजनिक | कुल |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 35 | मुंगफली | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 36 | भारतीय बेर | 163 | 0 | 2 | 165 |
| 37 | भारतीय सरसों | 36 | 7 | 0 | 43 |
| 38 | ईसबगोल | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | पटसन | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 40 | सेम | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 41 | मसूर | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | अलसी | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 43 | मक्का | 54 | 86 | 9 | 149 |
| 44 | संतरा | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | आम | 100 | 0 | 1 | 101 |
| 46 | मेथोल पुदीना | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | खरबूजा | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | भिंडी | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 49 | प्याज | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 50 | पपीता | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | पैपरिका | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | बाजरा | 7 | 25 | 0 | 32 |
| 53 | अरहर | 33 | 0 | 1 | 34 |
| 54 | अनार | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | आलू | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 56 | कद्दू | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 57 | तोरिया | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | चावल | 670 | 47 | 9 | 726 |
| 59 | गुलाब | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | कुसुम | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | तिल | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 62 | छोटी इलायची | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | ज्वार | 10 | 13 | 6 | 29 |
| 64 | सोयाबीन | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 65 | गन्ना | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 66 | सूरजमुखी | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 67 | चतुर्गुणिक कपास | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 68 | टमाटर | 11 | 17 | 3 | 31 |
| 69 | हल्दी | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 70 | अखरोट | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | तरबूज | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 72 | गेहूं | 18 | 0 | 8 | 26 |
| कुल योग | | 1632 | 440 | 102 | 2174 |

2.3 नई/अनिवार्यतः उत्पन्न किस्मों का पंजीकरण

2.3.1 नई किस्मों का पंजीकरण

वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त कुल 331 नई किस्मों के आवेदनों में से 41 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से, 287 आवेदननिजी क्षेत्र से और 03 आवेदन किसानों की किस्म के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। नई किस्म के अंतर्गत दर्ज आवेदनों की जांच पौधा किस्म पंजीकरण द्वारा की गई और जहां जरूरी था, वहां स्पष्टीकरण मांगे गए। यह पाया गया कि अधिकांश स्पष्टीकरण आमतौर पर किस्मों की बिकी के साक्ष्य, पैतृक सामग्री के कानूनी तौर पर उपार्जन के साक्ष्य, पैतृक सामग्री के स्रोत, तकनीकी प्रश्नावली (समूह/विशिष्ट/अन्य गुण), वंशावली/वंशक्रम, प्रजनन तकनीकों तथा संदर्भ किस्मों के साथ तुलना आदि से संबंधित थे। समयबद्ध रीति में पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए जरूरी विवरण के बारे में प्रजनकों को परिचित कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अनेक स्तरों पर कार्य किया जा रहा है।

अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किस्मों के आवेदकों को पंजीकरण तथा डीयूएस परीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क प्रस्तुत करने तथा प्राधिकरण के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बीज विश्लेषण रिपोर्ट के साथ बीज सामग्री की निर्धारित मात्रा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात बीज नमूनों को संबंधित केन्द्रों को भेजा गया ताकि दो स्थानों पर दो समान फसल मौसमों में डीयूएस परीक्षण किए जा सकें।

2.3.2 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों का पंजीकरण और ईडीवी पर विशेषज्ञ समिति

ईडीवी के पंजीकरण के लिए पूर्व समिति की समयावधि समाप्त होने के पश्चात प्राधिकरण ने ईडीवी के रूप में पंजीकरण हेतु उपयुक्त किस्मों की जांच करने और पंजीकरण हेतु अनुशंसा करने के लिए निम्नलिखित समिति गठित की है।

अध्यक्ष

डॉ. एस.ए.पाटिल, पूर्व निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

सदस्य

डॉ. ए.के. सिंह, कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भ.गलपुर, बिहार

डॉ. सी.जे. डांगरिया, कुलपति, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात

डॉ. टी.आर. शर्मा, परियोजना निदेशक, एनआरसीपीबी, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

डॉ. योगराज, प्रमुख प्रजनक, बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना

डॉ. चंदन रॉय, सहायक प्राध्यापक, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर, बिहार

डॉ. पी.एम. सालीमथ, कुलपति, यूएएस, रायचुर, कर्नाटक

डॉ. ए.के. सिंह, आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली

डॉ. पी.के. चक्रवर्ती, सहायक महानिदेशक (पीपी और बी), फसल विज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

श्री समीर अग्रवाल, कलश सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

सदस्य सचिव

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

ईडीवी समिति ने वर्ष 2015–16 के दौरान दो बैठकें आयोजित की लेकिन ईडीवी श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से किसी भी आवेदन को अनुशंसित नहीं किया। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान ईडीवी श्रेणी में तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से दो आवेदन निजी क्षेत्र से और एक आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। ईडीवी श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की जांच पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा की गई और जहां आवश्यक था, वहां स्पष्टीकरण मांगा गया। यह पाया गया कि अधिकांश स्पष्टीकरण प्रत्याशी किस्म के डीयूएस गुणों तुलनात्मक आंकड़ों से संबंधित थे और इनकी आरंभिक किस्म, किस्मों की विक्री के प्रमाण, घटना की पुष्टि तथा जीन प्रोटीन अभिव्यक्ति के आंकड़ों, जैव दक्षता के तुलनात्मक आंकड़ों, सस्यविज्ञानी तथा कीट संक्रमण, पूर्वज सामग्री की वैधानिक अपेक्षाओं के प्रमाण, तकनीकी प्रश्नावली के विवरण (समूहीकरण, विशिष्ट गुण), वंशावली / जीनविज्ञान, प्रजनन तकनी कों आदि से भी संबंधित थे।

2.3.3 विद्यमान किस्मों का पंजीकरण

विद्यमान किस्में जिनमें बीज अधिनियम, 1966 के अनुच्छेद 5 (1966 का 54) के तहत अधिसूचित किस्में अथवा किसानों द्वारा विकसित की गई किस्में या फिर ऐसी किस्म शामिल होती है जिसके बारे में आमतौर पर जानकारी उपलब्ध रहती है। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान विद्यमान किस्मों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 211 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 46 आवेदन अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत थे। पीपीवी और एफआर विनियम 2006 के विनियम 6 के अनुसार प्राधिकरण ने बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी किस्मों के आवेदनों की जांच के लिए विद्यमान किस्म अनुशंसा

समिति (ईवीआरसी) गठित की है तथा यह किस्म पंजीकरण हेतु इन किस्मों की उपयुक्तता व अन्य तकनीकी मामलों पर पंजीकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करती है।

2.3.3.1 बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्में

विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति

पंजीकरण हेतु उपयुक्त किस्मों की जांच करने और उनकी अनुशंसा करने के लिए प्राधिकरण ने निम्न 10 सदस्यीय विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति गठित की है।

अध्याक्ष

डॉ. ए.आर. पाठक, कुलपति, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात

सदस्य

डॉ. जी.एन. हजारिका, अनुसंधान निदेशक, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट

डॉ. बी. सिंह, निदेशक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

डॉ. रामासामी, सीएमडी, रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिल नाडु

डॉ. किसन ई, लवांडे, पूर्व कुलपति, डॉ. बी.एस.के.वी., डोपेली, महाराष्ट्र

डॉ. बी.सी. विरखमठ, पूर्व परियोजना निदेशक, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, तेलंगाना

श्री प्रकाश गौडा एस. पाटिल, कृषक प्रतिनिधि, बीजापुर, कर्नाटक

डॉ. विलास तोनापी, निदेशक, भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना

डॉ. एच. सिवन्ना, सदस्य, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु

संयुक्त सचिव (बीज), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

सदस्य सचिव

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

ईवीआरसी की वर्ष 2015–16 के दौरान एक बैठक हुई जिसमें 14 फसलों के अंतर्गत आने वाले 34 आवेदनों की समीक्षा की गई

(तालिका 5)। समिति ने बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से 32 आवेदनों को अनुशंसित किया (30 सार्वजनिक क्षेत्र के और 2 निजी क्षेत्र के)।

तालिका 5: इवीआरसी द्वारा पंजीकरण हेतु अनुशंसित किस्मों की संख्या

| क्र.सं. | फसल | प्राप्त आवेदनों की संख्या |
|------------|----------------|---------------------------|
| 1 | चना | 3 |
| 2 | मिर्च | 4 |
| 3 | द्विगुणित कपास | 1 |
| 4 | मटर | 1 |
| 5 | रागी | 5 |
| 6 | लहसुन | 4 |
| 7 | पटसन | 1 |
| 8 | खरबूजा | 1 |
| 9 | भिंडी | 1 |
| 10 | प्याज | 2 |
| 11 | कदू | 1 |
| 12 | चावल | 2 |
| 13 | ज्वार | 1 |
| 14 | सोयाबीन | 7 |
| कुल | | 34 |

हितधारकों की जानकारी के लिए और साथ ही प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति को आमंत्रित करने के लिए सुझाई गई किस्मों का पासपोर्ट डाटा भारतीय पौधा किस्म जरनल (पीवीजे) में प्रकाशित कराया गया ताकि आपत्तियां यदि कोई इह हों तो उन्हें आमंत्रित किया जा सके। इसके उपरान्त, आवेदकों को संरक्षण की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीनबैंक में मध्यम अवधि के भण्डारण के लिए बीज सामग्री की निर्दिष्ट मात्रा जमा कराने के लिए कहा गया।

विद्यमान किस्मों के पंजीकरण को बीज अधिनियम, 1966 जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/अन्य अनुसंधान संगठनों/उद्योगों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के अंतर्गत फसल किस्मों मुख्यतः प्रजाति के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रावृत्ति है, के तहत अधिसूचित किया गया और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत बहु स्थानिक परीक्षणों में जांचा गया। इन किस्मों को कृषि, सहक. अरिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण

मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही केन्द्रीय बीज समिति (सीएससी) द्वारा जारी किया जा चुका है। यह एक प्रकार से मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत पौधा प्रजनकों के अथक लग्न को मान्यता प्रदान करता है और इस प्रावधान को बढ़ाकर, पौधा प्रजनक/संस्थान अपनी किस्मों का कानूनी रूप से संरक्षण कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं और इससे राजस्व/रॉयलटी अर्जित कर सकते हैं जो कि भावी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में मददगार हो सकते हैं।

2.3.4 सामान्य ज्ञान की किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने भारतीय पौधा किस्म जरनल, 03 सितम्बर 2009 में प्रकाशित सामान्य ज्ञान की किस्म को परिभाषित किया है। इसमें कहा गया है कि (i) कोई किस्म जो बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी और अधिसूचित नहीं है लेकिन प्रकाशनों के माध्यम से भली प्रकार प्रलेखित है और किस्म की परिभाषा को संतुष्ट करने में सक्षम है, या (ii) वह प्रत्याशी किस्म जिसे किस्मों के शासकीय रजिस्टर में प्रविष्टि दी गई है या प्रविष्टि दी जाने वाली है, अथवा (iii) वह किस्म जो संदर्भ संकलन में शामिल की गई हो, या किसी प्रकाशन में जिसका सटीक वर्णन हो, या (iv) किसी भी अन्य साधन से किस्म सामान्य ज्ञान की हो गई हो और किस्म की खेती की जा रही हो तथा आवेदन दाखिल किए जाने के समय उसका विपणन हो रहा हो, सामान्य ज्ञान की किस्म के अंतर्गत आती है।

तथापि किस्म को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए :

- पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करते समय किस्म की खेती की जा रही हो या उसका विपणन किया जा रहा हो।
- आवेदन दाखिल करते समय उपलब्ध किस्म का सच्चा प्रतिनिधि बीज हो।
- किस्म आवेदन दाखिल किए जाने की तिथि के एक वर्ष पूर्व भारत में बेची गई हो या उसका किसी अन्य रूप में निपटान किया गया हो या उसे आवेदन दाखिल करने की तिथि के 15 वर्ष पूर्व बेचा गया हो या उसका किसी अन्य प्रकार से निपटान किया गया हो। वृक्षों और लताओं के मामले में यह अवधि आवेदन दाखिल करने की तिथि से 18 वर्ष पूर्व की होनी चाहिए।

विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा भारतीय पौधा किस्म जरनल में स्वीकृति की प्रकाशन की तिथि से छह वर्ष की होगी।

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को वीसीके श्रेणी के अंतर्गत 165 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 16 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र से और 149 आवेदन निजी बीज उद्योग से प्राप्त हुए।

2.4 कृषक किस्मों का पंजीकरण

अधिनियम के अंतर्गत कृषक किस्मों के पंजीकरण का अर्थ है :

वह किस्म जो परंपरा से किसानों द्वारा उनके खेतों में उगाई और विकसित की गई हो, (ii) कोई वह वन्य संबंधी या भू प्रजाति हो जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान हो। अधिनियम किसी भी उस व्यक्ति को किसान मानता है जो :

- खेत जोतकर स्वयं फसलें उगाता है, या
- फसलों को भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उगाता है या उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है, या
- अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ वन्य प्रजातियों अथवा परंपरागत किस्मों को संरक्षित व सुरक्षित करता है, या
- ऐसी वन्य प्रजातियों और परंपरागत किस्मों का चयन के माध्यम से मूल्यवर्धन करता है और उसके उपयोगी गुणों की पहचान करता है।

2.5 किस्मों के पंजीकरण की प्रगति

वर्ष 2015–16 के दौरान प्राधिकरण ने 26 फसल प्रजातियों के लिए 419 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए (तालिका 6, अनुबंध ग)। सबसे अधिक संख्या में प्रमाण-पत्र चावल (256) के मामले में जारी किए गए जिसके पश्चात् क्रमशः मक्का (48), बाजरा (21), ज्वार (17), चतुर्गुणित कपास (17), सोयाबीन (9), सूरजमुखी (8), भिण्डी (7), भारतीय सरसों (5), टमाटर (5), प्याज (4), बैंगन (1), मटर (2), मूंगफली (2), अरहर (2), आलू (2), गेहूं (2), लौकी (1), अरण्ड (1), फूलगोभी (1), चना (1), द्विगुणित कपास (1), लहसुन (1), मूंग (1), सेम (1) और गन्ना (1) का स्थान था।

नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 70 फसलों के लिए 419 पंजीकरण प्रमाण-पत्र वर्ष 2015–16 के दौरान जारी किए जिनमें से 48 विद्यमान अधिसूचित, 63 विद्यमान (वीसीके) और 238 कृषक श्रेणी के अंतर्गत थे। किसानों को कुल 238 पंजीकरण प्रमाण-पत्र, निजी क्षेत्र को 127 पंजीकरण प्रमाण-पत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को 54 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

तालिका 6: पंजीकरण हेतु जारी किए गए फसलवार प्रमाण-पत्रों का विवरण

| क्र.सं. | फसल | प्रमाण-पत्रों की संख्या |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 1 | लौकी | 1 |
| 2 | बैंगन | 3 |
| 3 | अरण्ड | 1 |
| 4 | फूलगोभी | 1 |
| 5 | चना | 1 |
| 6 | द्विगुणित कपास | 1 |
| 7 | मटर | 2 |
| 8 | लहसुन | 1 |
| 9 | मूंग | 1 |
| 10 | मूंगफली | 2 |
| 11 | भारतीय सरसों | 5 |
| 12 | सेम | 1 |
| 13 | मक्का | 48 |
| 14. | भिण्डी | 7 |
| 15. | प्याज | 4 |
| 16. | बाजरा | 21 |
| 17. | अरहर | 2 |
| 18. | आलू | 2 |
| 19. | चावल | 256 |
| 20. | ज्वार | 17 |
| 22. | गन्ना | 1 |
| 23. | सूरजमुखी | 8 |
| 24. | चतुर्गुणित कपास | 17 |
| 25. | टमाटर | 5 |
| 26. | गेहूं | 2 |
| कुल | | 419 |

2.5.1 अस्वीकृति, दद्दीकरण या आहरण

प्राप्त कुल 2174 आवेदनों में से अब तक केवल दो आवेदनों को पंजीकरण हेतु अस्वीकार कर दिया गया है। ये आवेदन बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से सुरक्षा की 15 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के कारण समाप्त कर दिए गए हैं।

अध्याय 3: डीयूएस परीक्षण केन्द्र

3.1 डीयूएस केब्र

3.1.1 भा.कृ.अ.प. - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद



भा.कृ.अ.प. — भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल की किसमों के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। प्रथम मौसम में डीयूएस परीक्षण के लिए 120 संदर्भ किसमों के विरुद्ध चावल की 84 प्रत्याशी किसमों के 7वें सैट का परीक्षण किया गया। इनमें परीक्षण के दूसरे वर्ष में 82 संदर्भ किसमों के विरुद्ध 71 नई किसमें, 12 संदर्भ किसमों के विरुद्ध 9 वीसीके तथा 248 कृषक किसमों की जुड़वां कतारों के परीक्षण किए गए। खरीफ 2015 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 640 कृषक किसमों के डीयूएस लक्षण—वर्णन किए गए।



खरीफ 2015 के दौरान किए गए डीयूएस परीक्षण की निगरानी डॉ. एल.वी. सुब्बाराव, प्रधान वैज्ञानिक तथा नोडल अधिकारी, आईआईआरआर ने की जिसमें गंगा कावेरी; कावेरी सीड़स; नुजीवीडु सीड़स, पायनियर, बायर, लीमा ग्रेन इंडिया; जुआरी एग्री साइंस

लिमिटेड; बिस्को बायोसाइंस तथा आईआईआरआर के अन्य स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। यह निरीक्षण 13, 16 तथा 17 नवम्बर के दौरान किया गया। यह पाया गया कि अनेक कृषक किसमों के बीज उचित नहीं थे और वे अंकुरित नहीं हुए। दिनांक 31 मार्च 2016 तक आईआईआरआर ने पौधा किसमों के पंजीकरण हेतु 152 आवेदन दाखिल किए/अग्रेषित किए जिनमें से 88 को प्रमाण—पत्र प्रदान किए गए।

3.1.2 भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केब्र, करनाल

भा.कृ.अ.प. — भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल उत्तर भारत की स्थितियों के लिए अनुकूल ढाली गई चावल की किसमों के लिए अधिदेशित डीयूएस परीक्षण हेतु सह—नोडल केन्द्र है। चावल की इन किसमों में बासमती किसमें भी शामिल हैं। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 7: डीयूएस परीक्षण सम्पन्न किसमों की संख्या

| फसलें | गई किसमें | | वीसीके | कृषक किसमें | कुल | निगरानी की तिथि | अध्यात्म |
|-------|-----------|--------|--------|----------------|-----|--------------------|---|
| | वर्ष 1 | वर्ष 2 | | | | | |
| चावल | 03 | 07 | - | 27 | 37 | 26 अक्टूबर 2015 | डॉ. वी.के. पण्डिता, अध्यक्ष, भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल |



कुल 18 संदर्भ किसमों के साथ खरीफ 2015 के दौरान 10 नई किसमों के डीयूएस परीक्षण किए गए।

खरीफ 2015 के दौरान कुल 27 कृषक किसमों के डीयूएस परीक्षण हुए। इसके अतिरिक्त 15 संदर्भ किसमों का किस्मगत अनुरक्षण भी किया गया।

3.1.3 तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय का बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 'भा.कृ.अ.प. व राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणालियों के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के माध्यम से पीवीपी विधान के कार्यान्वयन' पर भारत सरकार— डीयूएस योजना को लागू कर रहा है तथा यह

दक्षिण भारत में चावल और सूरजमुखी के लिए मुख्य सह-नोडल केन्द्रों में से एक है।

तालिका 8 : वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्याशी किल्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

| फसलें | नई | | कृषक किल्में | निगरानी की तिथि |
|----------|--------|--------|--------------|-----------------|
| | वर्ष 1 | वर्ष 2 | | |
| चावल | 9 | 3 | 47 | 13.12.2015 |
| सूरजमुखी | 17 | 18 | - | - |

3.1.4 असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट



यह भारत के उत्तर-पूर्वी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में चावल के डीयूएस परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में विविध प्रकार के कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों के कारण चावल की उल्लेखनीय जैवविविधता है। वर्ष के दौरान यहां उत्तर पूर्व की स्थितियों से संबंधित 15 किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को चलाया गया।

इस केन्द्र द्वारा कुल 137 कृषक किस्मों के बीज प्राप्त किए गए। तथापि, जब उन्हें खेत में बोया गया तो उनमें से 15 किस्मों के बीज अंकुरित नहीं हुए। कुल 3 किस्मों के मामले में फसल की रोपण के बाद घटिया स्थापना के कारण परीक्षण हेतु पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। अंततः कुल 119 किस्मों का परीक्षण किया गया। सभी 62 गुणों के डीयूएस गुणों पर पर्यवेक्षण निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए। दो नई किस्मों नामतः एसएआरएस-1 तथा एसएआरएस-6 का धान की संदर्भ किस्मों नामतः सीआर धान 70 और पानिंद्र के साथ डीयूएस गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया।

तालिका 9 : डीयूएस परीक्षण की गई किस्मों की संख्या

| फसलें | प्रत्याशी किस्म | कृषक किल्में |
|-------|-----------------|--------------|
| चावल | 2 | 137 |

3.1.5 आईजीकेवी, रायपुर

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण से 369 कृषक किस्मों के बीज प्राप्त हुए। तथापि, इनमें से 327 किस्मों के बीज उचित रूप से अंकुरित हुए जिन्हें तकनीकी प्लॉट विवरण व जुड़वां परीक्षण विधि के अनुसार 41 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध केन्द्र में जांचा गया।

जुड़वां कतार परीक्षण विधि

- प्रत्येक कृषक किस्म को 2 प्रतिकृतियों में 2 जुड़वां कतारों में रोपा गया जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कृषक किस्म को कुल 160 टीलों के रूप में दर्शाया गया था।
- संदर्भ किस्मों को गुणों, समूहीकरण, अर्थात् आधार पत्ती आच्छद का रंग, पौधे की ऊंचाई, 50 प्रतिशत पुष्टन की संख्या, दाना प्रकार आदि के अनुसार जोड़ा जा सकता है।
- डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बेतरतीब चुने गए 10 पौधों पर प्रत्येक प्रतिकृति में आंकड़े रिकॉर्ड किए जाएंगे।

संदर्भ किस्मों को तभी शामिल किया जा सकता है जब पौधे की ऊंचाई, 50 प्रतिशत पुष्टन के दिन, दाने के प्रकार, उगने के मौसम, उचित पारिस्थितिक आदि के बारे में सूचना ज्ञात हो। अतः कृषक किस्मों के लिए उपरोक्त उल्लिखित गुणों के बारे में किसी सूचना के बिना यह परामर्श दिया जाता है कि इन किस्मों का सर्वप्रथम लक्षण-वर्णन किया जाए ताकि हमारी रुचि के गुणों पर आंकड़े सूजित किए जा सकें और अगले मौसम में उचित आरसीवी के साथ वास्तविक डीयूएस परीक्षण किया जा सकता है। कृषक किस्मों के बारे में मौलिक सूचना के बिना इन्हें आरसीवी में शामिल करना बहुत कठिन है। आईआईआरआर में 8-9 मई 2015 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सह-नोडल वैज्ञानिकों तथा पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। तुलना के लिए निम्नलिखित संदर्भ किस्मों का उपयोग किया गया :

तालिका 10. कृषक किल्मों के परीक्षण में प्रयुक्त संदर्भ किस्मों की सूची

चंद्रहासिनी, सामलेश्वरी, कर्मा महसुरी, श्यामला, एमटीयू-1001, भद्रा, रेम्या, रेवती, जूही, इंदिरा सुगंधित 1, जलदुबी, दांतेश्वरी, आईजीकेवी आर1, आईजीकेवी आर2, पंचमी, 3048, बकाल, पूर्णिमा, स्वर्ण, बामलेश्वरी, महामाया, एमटीयू-1010, हर्दीघाटी, परिज. पम, रेंझानि, मासूरी, सफारी-17, इंदिरा बरणी-1, आदित्य, इंदिरा महेश्वरी, प्रत्याशा, आशा, आंदा, इंदिरा सोना, कार्तिका, कृष्णा अर्जुन, कानकोमा, करिश्मा, अरुणा, रेमानिका, उमा।

3.1.6 आ.कृ.अ.प. - उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, नागालैंड

मुख्य स्कीम फार्म पर दो वीसीके के साथ दो संदर्भ किस्मों

सहित नीचे बताई गई 12 कृषक किस्में जुड़वां कतार प्रणाली के अंतर्गत दो प्रतिकृतियों में उगाई गई। यह परीक्षण मुख्य स्कीम फार्म, भा.कृ.अ.प. उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर, नागालैंड केन्द्र, झारनापानी में 2015-16 के दौरान किया गया।

तालिका 11. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, नागालैंड में परीक्षित किस्मों की सूची

| पावती सं. | नाम |
|-----------------|---|
| प्रत्याशी किस्म | बीयूएच सकाई, आईडीएडब्ल्यू-2, केबीए एलडे. ब्ल्यूएआई, केबीए, बीएच, बांका, मोटसो, सोमपोउ. रो इफियोजुत्सोक, मान्या, डोलकोसी, काह लाही, बोगी बाड, एसएआरएस-1, एसएआरएस-6 |
| संदर्भ किस्म | आरसीएम-5, सीएयू आर |

प्राप्त की गई इन किस्मों में से एक किस्म (आईईजी/2014/2885: बांका) अंकुरित होने में असफल रही।



डीयूएस परीक्षण का नर्सरी प्लॉट



प्रतिरोपित डीयूएस परीक्षण प्लॉट



निराई गुडाई के कार्य



डीयूएस परीक्षण प्लॉट का सामान्य दृश्य

3.1.7 भा.कृ.अ.प. - भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल

भा.कृ.अ.प. — भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, गेहूं तथा जौ के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन की प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 12. भा.कृ.अ.प. - भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में किस्मों का अनुरक्षण व लक्षण-वर्णन

| फसलें | गई | | वीक्षीके | कृषक किस्मों |
|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | प्रथम वर्ष की प्रतिस्थितियां | द्वितीय वर्ष की प्रतिस्थितियां | | |
| गेहूं | डीबीडब्ल्यू 88, अजीत 349, ईगल 135, एचआई 1563, बीडब्ल्यू 321, डीबीडब्ल्यू 90, ईगल 145 | डॉल्यू ए च 1105 | ----- | 10 (कादर गोआल गेहूं लम्हर्वान गेहूं गेहूं (देसी), गेहूं लाल, देहाती गेहूं ललका, गेहूं देसी-2, नर्मदा-14, खिलोना-बीआर, कठिया देसी गेहूं शेखर-1) |
| जौ | एवीआई, बोयाग, र, इनोवेशन, के. डब्ल्यूएस इरिना | ----- | ट्रेडिशन का. नाई, जानाडू ड्रैपलर | नांगरताकमो, देसी जय-1, देसी जई सुंधावाला, लाल बार्ल, अरुणा बार्ल, रोही लाल, जेरडब्ल्यू 1 |



कुल 35 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 10 कृषक किस्मों, 4 निजी क्षेत्र की तथा 4 सार्वजनिक क्षेत्र की (नई श्रेणी के अंतर्गत) किस्मों सहित कुल 18 किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। फसल अगेती दूधिया अवस्था में थी और डीयूएस परीक्षणों के अंतर्गत अदिकांश प्रत्याशी किस्मों ने निगरानी के समय दावा किए गए गुण प्रदर्शित किए।



जौ की 13 प्रत्याशी किस्मों में 6 कृषक किस्में तथा 07 निजी क्षेत्र की किस्में शामिल थीं जिनका चार परीक्षाओं में 36 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध परीक्षण किया गया। निगरानी दल जिसके अध्यक्ष डॉ. एस. कुंडू (पूर्व प्रधान वैज्ञानिक), आईआईडब्ल्यूबीआ, करनाल थे, ने श्री दीपल रौय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने डॉ. अरुण

गुप्ता, नोडल अधिकारी, डॉ. चरण सिंह, सह नोडल अधिकारी; डॉ. विष्णु कुमार, सह नोडल अधिकारी, आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल की उपस्थिति में 30 मार्च 2016 को फील्ड ट्रायल का निरीक्षण किया। दल समूहीकरण गुणों, विभिन्न डीयूएस गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने की दृष्टि से परीक्षण सम्पन्न करने तथा संदर्भ किस्मों के चयन के मामले में संतुष्ट थी। तथापि, निम्न कृषक किस्मों में विभिन्न डीयूएस गुणों में भिन्नता देखी गई : अथिया देसी गेहूं लाम्हर्वन गेहूं देहाती गेहूं ललका, गेहूं देसी-2, नर्मदा 14।

3.1.8 भा.कृ.अ.प. - भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर



निम्नलिखित विवरणों के लिए भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र ने किए गए डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए : प्रांकुरचोल का रंग, पौधे का वृद्धि स्तरभाव, पताका पत्ती कर्णपालि की रंजकता, पताका पत्ती कर्णपालि की रोमिलता, पत्तियों का रंग, पताका पत्ती की प्रवृत्ति, बाली निकलने का समय, बाली पर मोमियापन, पत्राच्छद पर मोमियापन, पत्रदल का मोमिया. पन, पुष्पवृत्त का मोमियापन, बाहरी तुष की रोमिलता, निचले तुष स्कंध की चौड़ाई, निचले स्कंध की आकृति, निचले तुष की चौंच की लंबाई, तुष की नोक की आकृति, बाली का रंग, बाली की आकृति, बाली घनत्व, बाली कोण, शूक का रंग, शूक की प्रवृत्ति, पुष्पवृत्त की प्रवृत्ति, दाने का फिनॉल युक्त रंग, दाने का रंग, दाने की आकृति, दाने की क्रीज, ब्रश रोम की लंबाई, दाना अंकुर की चौड़ाई, शूक की उपस्थिति, मौसमी प्रकार, दाने की कठोरता, पताका पत्ती की लंबाई, पताका पत्ती की चौड़ाई, पौधे की ऊंचाई, बाली की लंबाई, शूक की लंबाई, पुष्पवृत्त की लंबाई, बीज का आकार, शूकी उप पुष्प वंध्यता।

तालिका 13. केन्द्र में अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

| प्रजातियों का नाम | किस्मों का नाम | स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.वि.) |
|-------------------|---|--|
| 130 किस्में | 130 (80 एस्टाइवम, 46 ड्यूरम और 4 डाइकोकम) | आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल द्वारा आपूर्त |

तालिका 14. वर्ष 2015-16 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

| फसल | वर्ष | | वीसीके | कृषक किस्में | गिरणारी की तिथि |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | प्रथम वर्ष की प्रतिस्थिताएं | दूसरे वर्ष की प्रतिस्थिताएं | | | |
| 1 | 7 | - | 07 | 12 | 04/04/16 |
| 2 | 11 | 1 | - | | |
| कुल | | 19 | 19 | | |

तालिका 15. अनुरक्षण अधीन/लक्षण वर्णित किस्में

| फसल | वर्ष 2015-16 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या |
|--------------|--|
| वीसीके | डीबीडब्ल्यू 14, एचयूडब्ल्यू 234, वीएल 829, डीबीडब्ल्यू 16, जीडब्ल्यू 190, एचडी 2733, एचपीडब्ल्यू 42, डब्ल्यूएच 1021, एनडब्ल्यू 2036, जीडब्ल्यू 11, एचयूडब्ल्यू 510, एनडब्ल्यू 1076, डब्ल्यूएच 291, डीपीडब्ल्यू 621-50, पीबीडब्ल्यू 502, एचडी 2428, एचडी 3059, पीबीडब्ल्यू 373, पीबीडब्ल्यू 550, एमएसीएस 2496, एमपी 1203, एमपी 3173, जीडब्ल्यू 496, पी.बीडब्ल्यू 343, एकेडब्ल्यू 1071, डब्ल्यूएच 711, एचडी 2987, एचडी 1941, जे 1-7, के 9351, एचआई 1563, डीबीडब्ल्यू 90, डीबीडब्ल्यू 88, अजीत 349, डब्ल्यूएच 1105, बीडब्ल्यू 321, इंगल 135 |
| कृषक किस्में | देहाती गेहूं ललका, देसी, गेहूं देसी-2, गेहूं देसी, गेहूं लाल, खिलौना बीआर, लम्हर्वन गेहूं नर्मदा 14, कादर गोल गेहूं शेखर-8, भगत-1, पुष्कर प्लस |

3.1.9 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), धारवाड

यह कपास के लिए सह नोडल केन्द्र है तथा इसकी डीयूएस परीक्षण निम्नानुसार है :

तालिका 16. संदर्भ किस्मों तथा प्रत्याशी किस्मों की सूची

| |
|--|
| बंसी लोकल, ईंगल-145, कठिया देसी गेहूं एचआई-8498, एचआई-8663, एमएसीएस-2694, एमएसीएस-2846, राज-6560, डब्ल्यूएचडी-943, ए-28, एकेडब्ल्यू 2997-16, बीएएक्सआर-ई288-18, विजामा येलो, डीडब्ल्यूआर 185, डीडब्ल्यूआर-1006, एचआई-8381, पीबीडब्ल्यू 34, पीडीडब्ल्यू-512, पीडीडब्ल्यू 274, पीडब्ल्यूडी-291 |
|--|

तीन जीनप्ररूपों नामतः बंसी लोकल (परीक्षण के द्वितीय वर्ष के लिए), ईगल-145 तथा कठिया देसी गेहूं (परीक्षण के प्रथम वर्ष के लिए) का डीयूएस गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया। सभी जीन प्ररूपों में देखे गए व दावा किए गए डीयूएस गुणों में कोई भिन्नता नहीं थी।

3.1.10 भा.कृ.अ.प. – भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), नई दिल्ली

पीपीवी विधान के कार्यान्वयन के लिए डीयूएस केन्द्रों को सबल बनाने से संबंधित वर्ष 2015–16 की प्रगति निम्नानुसार है :

- डीयूएस परीक्षण :** खरीफ 2015 के दौरान 25 संदर्भ किस्मों सहित 167 प्रविष्टियों का छह स्थानों नामतः आईआईएमआर, नई दिल्ली; एमपीकेवी, कोल्हापुर; वीपीकेएएस, अल्मोड़ा; एरयू काकराज्ञार (गोसाइगांव), एमपीयूए और टी, बांसवाड़ा; तथा एसआरटीसी, हैदराबाद में परीक्षण किया गया।

तालिका 17. प्रति उथल 167 प्रत्याशी किस्मों का विवरण

| dsUnz | नई | | वीसीके | | कृषक (कृषक किस्मों) | संदर्भ विस्तृत | कुल प्रविष्टियाँ* |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | अंतर प्रजनित | संकर | ओपीवी | अंतर प्रजनित | संकर | | |
| आईआईएमआर, नई दिल्ली | 34 | 62 | 3 | 4 | 6 | - | 25 134 |
| एसआरटीसी, हैदराबाद | 34 | 62 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 150 |
| वीपीकेएएस, अल्मोड़ा | - | - | - | - | - | 5 | 3 8 |
| एमपीयूए और टी, बांसवाड़ा | - | - | - | - | - | 15 | 4 19 |
| एमपीकेवी, कोल्हापुर | - | - | - | - | - | 21 | 4 25 |
| एरयू कोक. राज्ञार | - | - | - | - | - | 7 | 3 10 |
| कुल | 34 | 62 | 3 | 4 | 6 | 33 | 25 167 |

'प्रत्येक प्रविष्टि का पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 स्थानों पर परीक्षण किया गया।

- किस्म पंजीकरण :** रिपोर्टधीन अवधि के दौरान दाखिल किए गए आवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 18. पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदन

| क्र.सं. | संकर | केब्र का नाम | दाखिल किए जाने की तिथि | पावती संख्या |
|---------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | डीएचएम 121 | पी जेटी एसएप्यू हैदराबाद | 22/07/2015 | REG/2015/1445 |
| 2 | विवेक मेज हाइब्रिड 47 | भा.कृ.अ.प. – वीपीकेएएस, अल्मोड़ा | | REG/2015/1444 |
| 3 | विवेक मेज हाइब्रिड 53 | | | REG/2015/1443 |
| 4 | विवेक मेज हाइब्रिड 51 | | | REG/2015/1442 |
| 5 | सीओएच (एम) 7 | | 30/12/2015 | REG/2015/2090 |
| 6 | सीओएच (एम) 8 | टीएनएप्यू कोयम्बतूर | | REG/2015/2091 |
| 7 | सीओएच (एम) 9 | | | REG/2015/2089 |
| 8 | सीओएच (एम) 10 | | | |


- पंजीकृत संकर/किस्मों :** दो स्थानों पर दो वर्ष तक डीयूएस परीक्षण पूरे होने के पश्चात् पीपीवी एवं एफआर अधिनियम 2001 की नई श्रेणी के अंतर्गत 2 संकर तथा 3 ओपीवी पंजीकृत किए गए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 19. पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत दाखिल किए गए पांच संकरों से संबंधित आवेदन

| क्र.सं. | नाम | प्रजनन केब्र | सुरक्षा की अवधि (वर्ष) |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|
| संकर | | | |
| 1. | डीएचएम 117 | अंगारु, हैदराबाद | 8 अप्रैल 2015 से 7 अप्रैल 2030 (15 वर्ष) |
| 2. | पीएमएच 4 | पीएप्यू लुधियाना | 27 अप्रैल 2015 से 26 अप्रैल 2030 तक (15 वर्ष) |
| आपीवी | | | |
| 3. | बजौरा मक्का 1 | सीएसके एचपी केवी, बजूरा | 22 जनवरी 2015 से 21 जनवरी 2030 (15 वर्ष) |
| 4. | विवेक संकुल मक्का 31 | वीपीकेएएस, अल्मोड़ा | 30 मार्च 2015 से 29 मार्च 2030 (15 वर्ष) |
| 5. | विवेक संकुल मक्का 37 | वीपीकेएएस, अल्मोड़ा | 7 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2030 (15 वर्ष) |

- बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रबंध का अनुदर्शन :** आज की तिथि तक पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत मक्का की 83 किस्में पंजीकृत की गई हैं। इनमें से 23

पंजीकृत किस्मों ने 2015–16 के दौरान अधिसूचना के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कुल 50 किस्मों में से सात का वार्षिक पंजीकरण शुल्क उनके बौद्धिक सम्पदा अधिकारों व अनुरक्षण के लिए अदा कर दिया गया है और शेष के मामले में यह प्रक्रियाधीन है।



तालिका 20. निगरानी का विवरण (खरीफ 2015)

| केब्ड | प्रतिक्रियां की प्रकृति | निगरानी |
|-------------------------|---|-----------------|
| आईआईएमआर, दिल्ली | संकर, ओपीवी, अंतःप्र. जनित वंशक्रम | 15 सितम्बर 2015 |
| एसआरटीसी, हैदा. राबाद | संकर, ओपीवी, अंतःप्र. जनित वंशक्रम तथा कृषक किस्में | 17 अक्टूबर 2015 |
| पीवीकेएस, अल्मोड़ा | | 3 अक्टूबर 2015 |
| एमपीकेवी, कोल्हापुर | | 25 सितम्बर 2015 |
| एमपीयूए और टी, बासवाड़ा | | 28 सितम्बर 2015 |
| एरयू, गोसाईगांव | | 7 सितम्बर 2015 |

3.1.11 पीजेटीएसएयू, हैदराबाद

निगरानी का फसलवार विवरण निम्नानुसार है :

मक्का

- अधिकांश प्रविष्टियों के वे गुण अभिव्यक्त हुए जिनका संबंधित प्रजनक ने दागा किया था तथापि, ओपीवी के मामले में उच्च स्तर की विविधता देखी गई।
- पर्याप्त वर्षा की कमी तथा सिंचाई की उचित सुविधा न होने के कारण विभिन्न परीक्षणों में बुवाई विभिन्न तिथियों में की गई।
- निगरानी दल ने पाया कि द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां वानस्पतिक अवस्था में थीं जिनमें 7 से 10 दिनों की अवधि में पुष्ट लग सकते हैं।
- कुल 14 कृषक किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया है। अधिकांश में पुष्टा की कमी थी तथा उनके पौधे बड़ी संख्या

में गिरे हुए थे। कृषक किस्म राम मक्का का अंकुरन नहीं हुआ।

उड्ड तथा मूँग

- परीक्षण डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए।
- उड्ड की 14 प्रविष्टियों तथा मूँग की 6 प्रविष्टियों का डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण किया गया।
- परीक्षणों को उचित रूप से रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश मामलों में गुणों की अभिव्यक्ति संबंधित प्रजनकों द्वारा किए गए दावे के अनुरूप थी। उड्ड की कृषक किस्मों नामतः तु दाजू पूरन उड्ड तथा करिया उड्ड में पुष्टन नहीं देखा गया।
- जहां कहीं पुष्टन देखा गया वहां दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

तालिका 21. केब्ड में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

| फलालें | बाई | | संदर्भ किस्में | वीसीके | कृषक किस्म | निगरानी की तिथि |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------|-----------------|
| | प्रथम वर्ष की प्रविष्टि | द्वितीय वर्ष की प्रविष्टि | | | | |
| मक्का | 8 | 16 | 10 | 3 | 14 | 17 अक्टूबर 2015 |
| | संकर | 45 | 27 | 14 | | |
| मूँग | 6 | . | 6 | 0 | | |
| उड्ड | 14 | . | 6 | 0 | | |

3.1.12 भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान (पूर्व में डीएसआर), हैदराबाद

भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद ज्वार के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। इस केन्द्र में नीची दी गई सूची के अनुसार 115 संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश किस्में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों की हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं।

तालिका 22. केब्ड में संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण

| फसल | वर्ष | मौसम | निगरानी की तिथि | निगरानी दल के अध्यक्ष |
|-------|---------|------|-----------------|--|
| ज्वार | 2015–16 | खरीफ | 23 सितम्बर 2015 | डॉ. सी.एल. लक्ष्मीपत्ती गौड़ा, पूर्व उप महानिदेशक (अनुसंधान), इक्रीसैट |
| | | रवी | 12 फरवरी 2016 | डॉ. विलास ए टोनापी, निदेशक, भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान |

तालिका 23. अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की सूची (फसलवार)

| किस्मों के नाम | |
|--|--|
| 104ए, 104बी, 2077बी, 207बी, 2219ए, 2219बी, 27ए, 27बी, 296ए, 296बी, 38ए, 38बी, 463ए, 463बी, 7ए, 7बी, एकेएमएस 14ए, एकेएमएस 14बी, पीएमएस 28ए, पीएमएस 28बी, एकेआर 150, एकेआर 354, एकेआर 73, एकेएसएसवी 22, एपीके 1, बीपी 53, बीएसआर 1, सी 143, सीओएस 28, सीएस 3541, सीएसवी 10, सीएसवी 13, सीएसवी 14आर, सीएसवी 15, सीएसवी 17, सीएसवी 18, सीएसवी 19एसएस, सीएसवी 20, सीएसवी 216आर, सीएसवी 21एफ, सीएसवी 22, सीएसवी 23, सीएसवी 24एसएस, डीएसवी 1, डीएसवी 3, डीएसवी 4, डीएसवी 6, जीएफएस 4, जीएफएस 5, जीजे 35, जीजे 36, जीजे 37, जीजे 38, जीजे 39, जीजे 40, जीजे 9, एचसी 136, एचसी 171, एचसी 260, एचसी 308, एचजे 513, इंदौर 12, आईसीएसवी 745, आईएमएस 9ए, आईएमएस 9बी, जेजे 1022, जेजे 1041, जेजे 741, जेजे 938, के 11, के 8, एम 148—138, एम 35—1, मैन टी—1, एमआर 750, एनएसवी 13, एनटीजे 3, पी. अमृत पी. चित्रा, पी. दागदी, पी. माउली, पी. रेवती, पी. उत्तरा, पी. वसुधा, पंत चरी—3, पंत चरी—4, पंत चरी—5, पंत चरी—6, पायूर 2, पीसी 23, पीकेवी क्राति (एकेएसवी 13आर), पीएसवी 3, पीएसवी 9, पीएसआर 23, पीएसआर 34, पीएसवी 1, पीएसवी 2, पीवीके 400 (एसपीवी 860), पीवीके 801 (एसपीवी 1333), पीवीके 809 (एसपीवी 1474), पीवीआर 453, आरएस 29, आरएस 585, आरएस 627, आरएस 673, सेल 3, एसपीवी 1430 (प्रताप ज्वार— 1430), एसपीवी 462, एसएसजली 59—3, एसएसवी 74, एसएसवी 84, एसयू 1080 (प्रताप चरी 1080), सूरत 1, स्वाति, यूपी चरी—2 | |

तालिका 24. डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की सूची

| वर्ष | किस्में | कृषक किस्में |
|----------------|---|--|
| खरीफ 2015 | परीक्षण का द्वितीय वर्ष : प्रत्याशी किस्म : नई किस्म—6 (पीएमएस 28ए, पीएमएस 28बी, डीजीजे 027, जीके 4009, सीएसएच 27, सीएसवी 28) | |
| खरीफ 2015 | परीक्षण का प्रथम वर्ष : प्रत्याशी किस्म : नई किस्म —13 (279बी, 279ए, सीएसएच 30, सीबी 33, सीएसवी 27, सीबी 11, 415बी, 415ए, डीजीजे 022, जीके 950, जीके 952, जीके 951, एचटीजे एच 3206) | |
| रबी 2015—16 | परीक्षण का दूसरा वर्ष : प्रत्याशी किस्म : नई किस्म —3 (सीएसवी 26, सीएसवी 29आर, डीजीजे 025) | |
| रबी 2015—16 | परीक्षण का प्रथम वर्ष : प्रत्याशी किस्म : नई किस्म : शून्य | 4 (बगदल पीली ज्वार, मोगल गोल ज्वार, बरसी ज्वार, कोदामुर्का जोला) |



खटीफ 2015: डॉ. सी.एल.एल. गौडा, पूर्व उप महानिदेशक (आर) इक्रीसेट की अध्यक्षता में निगरानी दल ने 23 सितम्बर 2015 को भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदरबाद में खरीफ डीयूएस परीक्षण वाले खेत में किए जा रहे परीक्षणों का दौरा किया। डॉ. इलान गुआन, प्रधान वैज्ञानिक (पीजीआर), तथा प्रधान अन्वेषक, आईपीआर परियोजना; डॉ. दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर ने भी बीज कंपनियों से आए प्रतिनिधियों के साथ इस निगरानी कार्यक्रम में भाग लिया। दल ने परीक्षणों के सकल निष्पादन को देखा तथा निम्न पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए।

- परीक्षणों का लेआउट तथा अनुरक्षण बहुत अच्छा था तथा यह पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के अंतर्गत ज्वार पर निर्धारित किए गए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार था। परीक्षणों में बुवाई समय पर की गई तथा यह क्षेत्र के लिए अनुशंसित बुवाई के समय के अनुसार की गई। पौधों की बढ़वार व संस्था भी उचित रखी गई।
- सकल फसल वृद्धि तथा आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति लगभग सभी प्रत्याशी किस्मों में बहुत अच्छी थी।
- उचित व अनुशंसित सस्यविज्ञानी पैकेज को अपनाते हुए तथा खेतों को खरपतवार मुक्त रखते हुए परीक्षण करने के लिए उचित देखभाल की गई।
- आंकड़े डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए तथा डेटासीटों का रखरखाव उचित रूप से किया जा रहा है। कार्यकीय परिपक्वता की अवस्था तक सभी आंकड़े रिकॉर्ड करके अद्यतन रखे गए।
- चूंकि कृषक किस्में खरीफ प्रकार की नहीं हैं अतः उनका आने वाले रबी मौसम में परीक्षण किया जाना है।
- कृषक किस्मों पर सूचना देने के लिए आवेदकों से कहा जाए कि वे ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते समय करें।

- डेटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए अधिसूचित किस्मों के मामले में संदर्भ किस्मों की पृष्ठभूमि (परीक्षण संख्या) पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।
- पुष्पन पर मौसम (नमी की कमी) का प्रभाव नोट किया जाए तथा कई वर्षों के दौरान राहुरी तथा हैदराबाद में पुष्पन में पाए जाने वाले अंतरों का भी मूल्यांकन किया जाए।
- संदर्भ किस्मों के चयन के लिए पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण द्वारा किस्म के प्रकार के बारे में सूचित किया जाए।
- जैसा कि अन्य आवेदनों में किया जाता है, पूर्वज वंशक्रमों का उल्लेख किया जाए।
- जहां गुणों (गुणात्मक) के मामले में अंतर पाया जाए, वहां दो केन्द्रों के गुण संबंधी स्कोर के औसत रिकॉर्ड किए जाएं

रबी 2015-16



डॉ. विलास ए टोनापी, निदेशक, आईआईएमआर, हैदराबाद की अध्यक्षता में निगरानी दल ने 12 फरवरी 2016 को भा.कृ.अ.प.-भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में रबी डीयूएस परीक्षण प्लाटों का दौरा किया। दल ने निम्नलिखित पर्यवेक्षण किए :

- प्रथम वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत 4 प्रत्याशी किस्में (कृषक किस्में) हैं तथा तीन प्रत्याशी किस्में परीक्षण के दूसरे वर्ष में हैं। ले आउट तथा परीक्षण श्रेष्ठ हैं तथा इन्हें ज्वार पर पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
- परीक्षणों के लिए बुवाई समय पर की गई सभी प्रत्याशी किस्मों में फसल की सकल वृद्धि तथा आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी तथा खेतों को खरपतवार मुक्त रखा गया था।
- कुछ प्रत्याशी किस्मों जैसे डीजीजे 025, मोगल गोल ज्वार तथा बरसी ज्वार के मामले में घटिया अंकुरण के कारण पौधों

की संख्या हल्की सी प्रभावित हुई।

- कार्यकीय परिपक्वता अवस्था तक सभी आंकड़े रिकॉर्ड किए गए तथा उन्हें उद्यतन किया गया। यह देखा गया कि पिछले रबी मौसम की तुलना में पुष्पन की अवधि थोड़ी पहले आ गई।
- पुष्पगुच्छ की आकृति सीएसवी 29आर, सीएसवी 26 और डीजीजे 025 में, जहां कुछ अंतर रिकॉर्ड किए गए थे, वहां अधिकांश पौधों में यह अंतर कटाई के समय देखे गए।

3.1.13 जीबीपीयूएटी, पंतनगर

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीबीपीयूए और टी), पंतनगर चारा ज्वार की किस्मों के अनुरक्षण व डीयूएस परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्रों में से एक है। वर्ष 2015-16 के दौरान केन्द्र में निम्नलिखित किस्मों का रखरखाव तथा लक्षण-वर्णन किया गया:

तालिका 25. अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की सूची

| | |
|------------------------------|---|
| जीबीपीयूए और टी, पंतनगर | यूपी चरी 2, पंत चरी 3, पंत चरी 4, पंत चरी 7, पंत चरी 8, पंत चरी 5, पंत चरी 6, पंत चरी 9 |
| डीएसआर, हैदराबाद | एसपीवी 462, सीएसवी 15, सीएसवी 17, सीएस 3541, एम 35-1, एमएएनटी 1, एसपीवी 1616, 2219बी, सी 43, आ.रएस 29, आरएस 673 |
| आईएआरआई, नई दिल्ली | पूसा चरी 121, पूसा चरी 615, पूसा चरी 1002, पूसा चरी 1001, पूसा चरी 23 |
| पीडीकेवी, अकोला | 104 बी, एकेएमएस 14बी, एकेआर 150 |
| जीएयू, सूरत, गुजरात | जीजे 37, सीएसवी 21एफ, जीएफएस 4, जीएफएस 5, सूरत 1, जीजे 39 |
| एचएयू, हिसार | एचसी 136, एचसी 171, एचसी 260, एचसी 308, एचजे 513, एसएसजी 59-3 |
| जेएनकेवीवी जबलपुर (इंदौर) | जेजे 1041, जेजे 741 |
| इक्रीसेट, हैदराबाद | एमआर 750 |
| मध्य प्रदेश | एमपी चरी |
| एमपीकेवी, राहुरी | एसएसवी 84 |
| आरबीएसकेवीवी, इंदौर | आईएमएस 9बी |
| यूएस, धारवाड | डीएसवी 4 |

| | |
|------------|---|
| वीसीके | ग्वालियर लोकल, राजस्थान लोकल, जालना लोकल, गोल्डन लोकल |
| कृषक किस्म | रामपुर लोकल |

अधिसूचित/ जारी की गई किस्मों की स्थिति, दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

तालिका 27. अधिसूचित/जारी की गई किस्मों की सूची तथा पीव. पीपी पंजीकरणों का विवरण

| फलांग | 1966 से केब्ल द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या | 2001 से केब्ल द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या | दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या | | | जारी किए गए प्रमाण-पत्र | कार्टवाई अधीन आवेदन |
|--------------|---|---|--------------------------------|----|--------|-------------------------|---------------------|
| | | | विद्यमान अधिसूचित | गई | टीटीके | | |
| ज्वार | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - |
| सोयाबीन | 18 | 5 | 4 | - | - | 3 | - |
| चावल | 09 | 09 | 19 | 5 | 7 | 04 | - |
| मक्का | 13 | 03 | - | 1 | - | 03 | 01 |
| गेहूं | 21 | 5 | 7 | - | - | 7 | - |
| दलहन : | 06 | 01 | - | 03 | - | - | - |
| चना | | | | | | | |
| मसूर | 08 | 03 | - | 01 | - | - | - |
| दाल मटर | 04 | 04 | - | 02 | - | 01 | 02 |
| अरहर | 02 | 01 | - | - | - | - | 01 |
| उड्ड | 05 | 02 | - | 01 | - | 01 | - |
| मूंग | 06 | 02 | - | 02 | - | - | - |
| चारा लोबिया | 05 | 07 | - | - | - | - | - |
| चारा जई | 02 | - | - | - | - | - | - |
| बरसीम | 01 | - | - | - | - | - | - |
| गन्ना | 04 | 03 | 02 | 1 | - | - | - |
| तोरिया | 04 | 01 | 01 | - | - | 01 | - |
| पीली सरसों | 01 | 01 | 01 | - | - | 01 | - |
| भारतीय सरसों | 03 | 01 | - | - | - | - | - |
| करन राई | 01 | - | - | - | - | - | - |

3.1.14 एमपीकेपी, राहुरी

यह मध्य अंचल की किस्मों के लिए उपयुक्त कपास में डीयूएस परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्रों में से एक है। केन्द्र में 115 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की जा रही हैं जिसके बीज सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर से प्राप्त हुए थे। डीयूएस परीक्षणों की प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 27. वर्ष 2015-16 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

| Qlysa | नई | | विद्यमान अधिसूचितों की संख्या | विद्यमान अधिसूचितों की संख्या | इंडिकेटर | आईसी | कृषक किलो | आरटीसी | निगरानी की तिथि |
|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------|-----------|-----------------|-----------------|
| | प्रत्याशी वर्ष की परीक्षियां | विद्यमान अधिसूचितों की संख्या | | | | | | | |
| कपास | 36 | 40 | 32 | 16 | 07 | - | 115 | 6-7 नवम्बर 2015 | |

निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण

- कपास पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं। सभी आवंटित किस्में बोई गई हैं और पौधों की पर्याप्त संख्या रखी जा रही है।
- गुले खिलने की अवस्था में फसल की वृद्धि अच्छी है। अब तक सभी गुण रिकॉर्ड किए गए हैं।

तालिका 28. पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में दाखिल किए गए आवेदनों का विवरण

| फलांग | 1966 से केब्ल द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या | 2001 से केब्ल द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या | दाखिल आवेदनों की संख्या | | | जारी किए गए प्रमाण-पत्र | कार्टवाई अधीन आवेदन |
|-------|---|---|-------------------------|----|--------|---|--|
| | | | विद्यमान अधिसूचित | गई | टीटीके | | |
| कपास | 6 | 10 | 4 | 5 | - | 4 (फुले- 492) (फुले- 388) (फुले- 688) (जैएल- 794) | 5 (फुले- 492) (फुले- 388) (फुले- 688) (जैएल- 794) (आरएचच- 0622) (आरएचची- 0717) (आरएचसी- 0111) |

3.1.15 भा.कृ.अ.प. - सीआईसीआर, पीसी इकाई, कोयम्बत्तूर

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर कपास की 4 उगाई गई प्रजातियों (गोसिपियम हिर्स्टटम, गोसिपियम बार्बेंडेस, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम) के डीयूएस परीक्षण के लिए मुख्य नोडल केन्द्र हैं।

तालिका 29. अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन के अंतर्गत किस्मों की संख्या व डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की प्रगति

| प्रजातियों का नाम | किस्मों की सं. | स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा. कृ.अ.प./रा.कृ.वि.) |
|-------------------|----------------|--|
| जी. हिर्स्टम | 65 | भा.कृ.अ.प. / रा.कृ.वि. |
| जी. बार्बेंडेस | 3 | भा.कृ.अ.प. / रा.कृ.वि. |
| जी. आर्बोरियम | 8 | भा.कृ.अ.प. / रा.कृ.वि. |

वर्ष 2015–16 के दौरान 68 नई चतुर्गुणित प्रत्याशी किस्में परीक्षण के दूसरे वर्ष में थी, 48 नई चतुर्गुणित प्रत्याशी किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में थीं, एक नई द्विगुणित प्रत्याशी किस्म परीक्षण के प्रथम वर्ष में थी, 12 चतुर्गुणित सामान्य ज्ञान की किस्में तथा एक कृषक किस्म 60 संदर्भ किस्मों के साथ उगाई गई। अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में तथा उनसे संबंधित किस्में सुरक्षित तथा असुरक्षित, दोनों प्रकार के पर्यावरणों में उगाई गई। कुल 19 ईडीवी तथा आईवी थे जिनके लिए अलग से परीक्षण किया गया।

किस्मों की सूची निम्नानुसार है :एनसीएस.1134 बीजी.प्प एनसीएस.3456 बीजी.प्प एनसीएस.1024 बीजी.प्प पीआरस.पी.एच.752 बीजी.11ए पीआरसीएच.754 बीजी.प्पपीआरसीएच.753 बीजी.प्प पीआरसीएच.1166 ठळप्प पीआरसीएच.737 बीजी.प्प एसीएच 111.2 बीजी.प ;अजीत111 बीजीप्प्ड्वए एसडब्ल्यूसीएच 5017बीजीप्प पीसी—पी38121 बीजी.प्प पीसी—पी38122 बीजी.प्प पीएससीपी 34 बीजी.1ए केसीएल.2ए केसीएल.7ए केसीएल.3ए केसीएल.6ए केसीएल.4ए केसीएल.5ए केसीएल.113 गैर—बीटीए केसीएल.285.2 केसीए गैर—बीटीए केसीएल.8ए केसीएस.189 बीजी.प्प केसीएल.9ए केसीएल.16ए केसीएल.15ए केसीएल.22ए केस.पीएल.10ए केसीएल.13ए केसीएल.12ए केसीएल.21ए केसीएल.17ए केसीएल.23ए केसीएल.11ए केसीएल.18ए केसीएल.20ए केस.पीएल.25ए केसीएल.14ए केसीएल.19ए केसीएल.24ए केसीएल.41ए केसीएस.374 बीजी.प्प आरसी470ए आरसी468ए आरसी469ए आ.रसी467ए टीएमसी 500040ए टीएमसी 500030

बीसीके : चतुर्गुणित कपास किस्में पीसीएच.215ए पीसीएच—135, एनसीएस—88 जीएमएस, एनसीएस—24, फसीएच—519, पीसीएच—22; बिनौला (रेशा सहित), पीसी—पी311, पीसी—पी961 बीटी2, पीसी— पी071 बीटी2, पीएससीपी—03, पीएससीपी—02, एफसी—0707, जेकेसी 611

तालिका 30. डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या

| फसलें | नई | | बीसीके | कृषक किस्म | ईडीवी | आ. ईवी | कुल | निगरानी की तिथि |
|-------|------------|--------------|--------|------------|-------|--------|-----|-----------------|
| | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | | | | | | |
| कपास | 49 | 68 | 12 | 1 | 19 | 19 | 168 | 13.1.2016 |

कृषक किस्म : आरयूआई (सबरूम)



सीआईसीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर में 'भा.कृ.अ.प. – राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली' के अंतर्गत कपास का डीयूएस परीक्षण तथा पीवीपी विधान 2001 का कार्यान्वयन' शीर्षक की परियोजना की निगरानी 13.1.2016 को की गई। इस निगरानी का आयोजन डॉ. के. रथिनावेल, प्रधान वैज्ञानिक तथा नोडल अधिकारी (डीयूएस), सीआईसीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर द्वारा किया गया। अनुसंधान अध्येता सुश्री एच. कविता तथा परियोजना सहायक सुश्री रंगनायकी ने प्रत्येक प्रविष्टि के विभिन्न गुणों के मामले में जिन गुणों का दावा किया था उनका सत्यापन किया और प्रोफार्मा तदनुसार भरे गए। विभिन्न निजी बीज अनुसंधान एवं विकास फर्मों के चार प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया तथा नई प्रत्याशी किस्मों व सामान्य ज्ञान की किस्मों के अंतर्गत आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में अपनी संबंधित किस्मों के गुणों की पुष्टि की।

प्रत्येक किस्म के लिए व्यक्तिगत रूप से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोफार्म के अनुसार यह निग. रानी की गई। आवेदक द्वारा दावा किया गया विशिष्ट गुण, पौधों पर गुणों की अभिव्यक्ति तथा उपलब्ध गुणों पर मौजूद फील्ड रिकॉर्ड को परीक्षण दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराए गए अनिवार्य तथा वैकल्पिक गुणों को ध्यान में रखते हुए परस्पर मिलाया गया। परीक्षण किए गए तथा पर्यवेक्षणों को क्रमशः चतुर्गुणित व द्विगुणित कपास के राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया। भरे गए प्रोफार्मा अध्यक्ष की रिपोर्ट के साथ पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए।

तालिका 31. पौधा किस्म पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन

| फसलें | बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म (1992 ते) | पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदन | जारी किए गए प्रम. गा.पत्र |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| जी. हिसुर्टम | विद्यमान नई | 58 5 | 27 2 |
| जी. आबॉरियम | विद्यमान नई | 23 3 | 13 1 |
| जी. हर्बेसियम | विद्यमान | 3 | 3 |

3.1.16 भा.कृ.अ.प. – सीआईसीआर, नागपुर

सीआईसीआर नागपुर केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र के लिए कपास के डीयूएस परीक्षण हेतु सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईसीआर, नागपुर में डीयूएस परीक्षण के लिए निम्नलिखित चार परीक्षण किए गए। प्रत्येक परीक्षण में प्रयुक्त किस्मों के नाम व उनकी संख्या निम्नानुसार है :

तालिका 32. वर्ष 2015-16 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की सूची

| | |
|----------------------------|---|
| New | एनसीएस-6566 बीजी-II ; पीआरसीएच-731 बीजी-II ; पीआरसीएच-739 बीजी-II; एनसीएस-2244 बीजी-II; जेकेकेसीएच 8906 बीजी II (जेकेसीएच 8906 डबल बीटी); जेकेसीएच 8905 बीजी II (जेकेसीएच 8905 डबल बीटी); एसीजी-17-II (अजीत-17 बीजी-II); एसीजी-जीएमएस-14-II (अजीत-जीएमएस-14-बीजी-II); एसीजी 40-2 बीजी II (अजीत-40 बीजी II); एसीजी 15-2 बीजी II (अजीत 15 बीजी II); एसीजी-27-2 बीजी II (अजीत 27 बीजी II); एसीजी-12-2 बीजी II (अजीत-12-बीजी II); एसीजी-16-II (अजीत 16-II बीजी-II); एसीजी 41-2-बीजी-II (अजीत 41 बीजी II); एसीजी 42-2-बीजी II (अजीत 42 बीं II); एसीजी-जीएमएस-28-II (अजीत-जीएमएस-28 बीजी-II); एसीजी 199-2 बीजी-II (अजीत 199 बीजी II); एसीएच 104-2 बीजी-II (अजीत 104 बीजी II); एसीएच 26-11 (अजीत 26बीजी II); आरसीएचबी-011; आरएचसी 0717; आरएचएच 0622; एनसीएस 6566 बीजी II |
| VCK | पीसी-पी031 बीटी; पीसी-पी501; पीसी-पी601; पीसी-पी 621; पीसी-पी 211; पीआरसीएच-505 बीटी2; महासंग्राम बीजी II; सालर 77 बीजी II; सोलर56 बीजी II; सोलर66 बीजी II; सोलर76 BG II; सरजू; जेकेसी 721 |
| EDV +IVs | पीआरसीएच-31 बीटी और पीआरसीएच-31; पीसी-पी661 बीटी2 और पीसी-P661; एनसी-91 बीजी-II और एनसी-91; एनसीएस-954 बीटी2 और एनसीएस-558; एनसी-5040/1 बीजी-II; एनसी-5040 और पीआरसीएच 504 बीटी 2; रुद्रा और पीएससी-02 बीजी II; पीएससी-02 |
| New | एनसी 1185; बायो 7213-2; एनसीएस 589 बीजी II; एमआरसी 7387 बीजी II; पीआरसीएच 135 बीजी II; पीसी-पी 751 पीसीएस 549; पीआरसीएच 703 बीटी2; आसीएच 653 बीजी II; एनसीएस 853 बीटी 2; एनसीएस - 9011 बीटी 2; जैडसीएच 503, पीसी-पी 8011/1 बीजी II; पीसीएच 409 बीटी; जैडसीएच 504; एनसी 5040; , एच 1098; पीसीएच 404 बीटी; बायो 842-2, आरसीएच 776 सीएचटीएच II; पीआरसीएच -704 बीटी; एनसी 156/1 बीजी II; पीआरसीएच 708 बीटी 2; आरसीएच 386 बीजी II; पीबीसीएच 1539 बीजी II; एनसीएचबी 9901 बीटी 2; पीआरसीएचबी 601 बीटी2; एनसी-1108/1 बीजी II; जैडसीएचबी 550 बीजी II; जेकेसी 2002 बीजी II; जेकेसी 1040 बीजी II; पीसीएच 9604 बीटी 2; पीसीएच 407 बीटी; आरसीएच 773 बीजी II; कंडीसीएचएच516 बीजी II; आरसीएच 779 बीजी II; इन्द्र वज्र डबल बीजी II; पीसीएच 9614; एनसीएच 419; जेमकेसी 728; पीआरसीएच 709 बीटी II ; पीसीएच-9619 बीटी2; पीसीएच-404बीटी2; पीसीएच-9613 बीटी2; पीसीएचबी-9969 बीटी2; एनसीएचबी -9903 बीटी 2; एनसीएचबी -9905 बीटी 2; एनसीएचबी -9904बीटी 2 ; पीसीएच 881 बीटी2; एनसीएस -1915 बीटी; पीसीएच-9602 बीटी 2; पीसी-पी 281; जी. कॉट-20; निर्मल 433 (एनसीएच-433) |
| 2 nd Year trial | |

सीआईसीआर, नागपुर में डीयूएस परीक्षणों की निगरानी 19.11.

2015 को की गई। डॉ. के. रथिनावेल, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर; डॉ. शांति, सह-नोडल अधिकारी, सीआईसीआर, नागपुर तथा निजी बीज कंपनियों नामतः मायको, नुजीवीडु और जेके सीड के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अधिकांश किस्मों में गुणों की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ थी। कृषि विज्ञान केन्द्र, सीआईसीआर, नागपुर द्वारा 3 और 4 मार्च 2016 को दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किसानों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा डॉ. जी. मालवी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, डॉ. पी.डी. के.वी., अकोला; डॉ. (श्रीमती) वी. शांति, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फसल सुधार विभाग, सीआईसीआर, नागपुर और डॉ. एस.एस. पाटिल, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, नागपुर ने व्याख्यान तथा प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर विस्तार ब्रॉशर भी बांटा गया।

किस्म अनुरक्षण एवं प्रगुणन



जी. आर्बोरियम की किस्मों (30) का अनुरक्षण तथा प्रगुणन किया जा रहा है। जी. हिस्टुटम की किस्मों (43) को अनुरक्षण हेतु शुद्ध किया जा रहा है। दोनों प्रजातियों की प्रत्येक किस्म के नाम व संख्या नीचे दिए गए हैं :

तालिका 33. अनुरक्षण तथा प्रगुणन के अंतर्गत द्विगुणित किस्में

जीएके 423,जी कॉट 15, एकेए 7, सी 29, वीना, एचडी 26, आरजी 8, एचसी 110-115, जवाह तात्त्वी, आरजी 18, एकेए 5, एलडी 491, पीए 183, राघवेन्द्र, एकेए 8401, अरविंद, एलडी 327, एचडी 107, एलडी 210, वाई1, जी कॉट 19, जेलए 794, एकेए 8, एलडी 694, एचडी 321, आरजी 18, एकेए 7, एकेए 8, एकेए 8401, पीए 255

तालिका 34. अनुरक्षण के अंतर्गत जी. हिस्टुटम की किस्में

एमसीयू 10, एमसीयू 112, खंडवा 2, खंडवा 3, अभादिता, एमसीयू5, बीटी, प्रतिमा, सुरभि, सुप्रिया, सुमंगला, सहाना, जी कॉट 12, जेलएच 168, एक 1378, एमसीयू 5, एनएच 545, एफ 846, जेके 4, अरोग्या जी कॉट 16, जी कॉट 18, देवी राज, पीकेवी रजत, कंचन, अंजलि, केसी 3, आरएस 810, जी कॉट 20, आरएस 875, एकेए 8828, एफ 1054, बीएन 1, सूरज, आरएस 2013, एफ 1861, एच 1226, गंगानगर अगेती, आरएसटी 9, सीएनएचओ 12, एलआरए 5166, एनएच 615, जी कॉट 10, एचएस 6

3.1.17 सीसीएस हिसार कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

कपास की 54 प्रत्याशी किस्में तथा चने की 7 प्रत्याशी किस्में कपास की 31 संदर्भ किस्मों व चने की 13 संदर्भ किस्मों के साथ

उगाई गई ताकि उनका लक्षण—वर्णन किया जा सके और आंकड़े रिकॉर्ड किए जा सकें।

तालिका 35. रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति

| फसल | नई | | वीसीके | इडीवी और आईवी (यदि कोई हो) | | कुल |
|------|------------|--------------|--------|----------------------------|------|-----|
| | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | | इडीवी | आईवी | |
| कपास | 02 | 19 | 9 | 12 | 12 | 54 |
| चना | 07 | - | - | - | - | 07 |
| कुल | 09 | 19 | 9 | 12 | 12 | 61 |



- कपास:** कपास के डीयूएस परीक्षण के राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए पर्यवेक्षणों में देखा गया कि सकल निष्पादन, फसल की वृद्धि व पर्यवेक्षणों की रिकॉर्डिंग श्रेष्ठ थी। डीयूएस परीक्षण की रिपोर्टधीन अवधि के दौरान हुई प्रगति निम्नानुसार है।

परीक्षण I— नई और वीसीके: इस परीक्षण में कुल 11 प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया। सभी 11 प्रविष्टियां 3 प्रतिकृतियों सहित बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में 11 संदर्भ किस्मों के साथ उगाई गई तथा डीयूएस गुणों पर किए गए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।



परीक्षण II— इडीवी और आईवी : इस परीक्षण में कुल 24 प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया। सभी 12 इडीवी को तीन प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में उनकी आईवी के साथ उगाया गया (सुरक्षित और असुरक्षित दशाओं के अंतर्गत) तथा डीयूएस गुणों के लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

परीक्षण III— द्वितीय वर्ष का परीक्षण : इसके अंतर्गत कुल 19 प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया। 19 प्रविष्टियां संदर्भ किस्मों के साथ 3 प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन आरबीडी में उगाई गई तथा डीयूएस गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

- चना :** इस परीक्षण में आईआईपीआर, कानपुर द्वारा आपूर्त की गई एक नई किस्म के साथ 7 कृषक किस्मों का परीक्षण किया गया। कृषक किस्म के बीज कवक से संक्रमित पाए गए जिसके परिणामस्वरूप उनका अंकुरण घटिया रहा।

3.1.18 पीएयू, क्षेत्रीय केब्ड, अटिंडा

यह डीयूएस केन्द्र जो कपास में उत्तर क्षेत्र की किस्मों के लिए है, लुधियाना से भटिंडा स्थित पीएयू के क्षेत्रीय केन्द्र में हस्तांतरित किया गया।

तालिका 36. केब्ड में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

| प्रथम वर्ष का परीक्षण | द्वितीय वर्ष का परीक्षण | | |
|---|--|--|---|
| प्रत्याशी किस्म | संदर्भ किस्म | प्रत्याशी किस्म | संदर्भ किस्म |
| एनसीएस-904 बीटी, एनसीएस-9002, बीटी2, आरसीएच 602, बीजी-II, एसवीए-371, एसवीए-145, एसवीएजीएमएस-47, केआर-111, एसडब्ल्यूसीएच 4704, बीजीII, बायो 54510, बायो 6165-2, बीजी II | अबाधिता, एल 604, जी.कॉट 12, पीकेबी रजत, जेएलएच 168, एमसीयू 10, एमसीयू 5, एक्टे-7, बीना, जवाहर तापी | एनसी-5065, बीजी-1, 54- एसएस-33 बीजी II, एनसी 5065 बीजी-I | एनएच 545, कंडवा 2, सहाना, सुप्रिया, एनएच 545, कंडवा 2 |
| इडीवी- आईवी परीक्षण | | | |
| इडीवी | | आईवी | |
| पीसीएच-878 बीटी2, पीसी-पी 8011 बीटी2, पीसी-पी 251 बीटी | | पीसीएच-401 बीटी, पीसी-पी 8011 बीटी, पीसी-पी 251 | |

3.1.19 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), धारवाड़

इस केन्द्र का अधिदेश इन फसलों नामतः कपास, सोया, बीन, मूँगफली, तिल व कठिया गेहूं में डीयूस परीक्षण करना है। यह दक्षिणी अंचल के लिए संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण भी कर रहा है। डीयूएस परीक्षण इन प्रजातियों में भी किया जाता है। यह कपास तथा अन्य प्रजातियों के लिए सह-नोडल केन्द्र है तथा यहां अनुरक्षण तथा डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 37 : संदर्भ किस्मों के रूप में उपयोग हेतु अनुरक्षित किस्मों की संख्या

| क्र.सं. | फसलें | अनुरक्षित संदर्भ किस्मों की संख्या |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 1 | कपास | 64 |
| 2 | सोयाबीन | 98 |
| 3 | मूँगफली | 8 |
| 4 | तिल | 3 |
| 5 | ड्यूरम गेहूं | 17 |

तालिका 38. डीयूएस परीक्षण अधीन किस्मों की संख्या

| क्र.सं. | फसल | परीक्षण का नाम | प्रविष्टियों की संख्या | बुवाई की तिथि | अंतराल (सें.मी.) |
|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | कपास | परीक्षण I (द्वितीय वर्ष – प्रत्याशी) | 49 | 02.07.2015 | 90 x 60 |
| | | परीक्षण II (प्रथम वर्ष – प्रत्याशी) | 72 | 03.07.2015 | 90 x 60 |
| | | परीक्षण III (क) (ईडीवी सुरक्षित) | 51 | 30.07.2015 | 90 x 60 |
| | | परीक्षण III (ख) (ईडीवी असुरक्षित) | 51 | 31.07.2015 | 90 x 60 |
| | | परीक्षण IV (वीसीके) | 39 | 04.08.2015 | 90 x 60 |
| | | परीक्षण V (संदर्भ किस्म) | 64 | 31.07.2015 | 90 x 60 |
| | | परीक्षण VI (कृषक किस्म) | 02 | 04.08.2015 | 120 x 60 (जुड़वां कतार) |
| 2 | सोयाबीन | प्रत्याशी किस्म | 01 | 18.06.2015 | 30 x 10 |
| 3 | मूँगफली | कृषक किस्म | 02 | 24.07.2015 | 30 x 10 |
| 4 | तिल | कृषक किस्म | 07 | 27.06.2015 | 45 x 10 |
| 5 | गेहूं | प्रत्याशी किस्म | 03 | 19.11.2015 | 45 x 10 |

तकनीकी प्रगति



- कपास :** कपास में वर्ष 2015–16 में धारवाड केन्द्र में पांच परीक्षणों में डीयूएस परीक्षण किया गया।
 - परीक्षण I :** खरीफ 2015–16 के दौरान यूएस धारवाड में कपास की किस्मों के डीयूएस गुणों का मूल्यांकन किया गया। उन्चालीस (39) नई प्रत्याशी किस्मों का दो वर्ष के लिए मूल्यांकन किया गया।
 - परीक्षण II:** यूएसएस, धारवाड में खरीफ 2015–16 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए कपास के डीयूएस गुणों का मूल्यांकन किया गया। बहतर (72) नई प्रत्याशी किस्मों का मूल्यांकन प्रथम वर्ष के लिए किया गया। तैतीस (33) जीनप्ररूपों में पर्यवेक्षित तथा दावा किए गए एक या कुछ गुणों के मामले में भिन्नता प्रदर्शित हुई।
 - परीक्षण III:** खरीफ 2015–16 के दौरान यूएस, धारवाड में ईडीवी का मूल्यांकन : अनेक ईडीवी का मूल्यांकन किया गया। विभिन्न गुणों के लिए 29 जीनप्ररूप बोए गए सभी ईडीवी के मामले में कपास के गुले के कृमियों के प्रति बीटी कपास के प्रतिरोधी होने का दावा किया गया था। जीन विशिष्ट प्राइमरों का उपयोग करके पीसीआर के साथ सीआरवाई-1 एसी एवं सीआरवाई 2 एवी जीनों की पुष्टि हुई। मात्रात्मक एलाइजा परीक्षण के माध्यम से बीटी प्रोटीन की अभिव्यक्ति का भी आकलन किया गया। दो जीनों की उपस्थिति के मामले में किए गए दावे व वास्तविकता में कोई भिन्नता नहीं पाई गई। इसी प्रकार, एलाइजा परीक्षण के आधार पर क्राई प्रोटीन की अभिव्यक्ति के मामले में दावों में कोई भिन्नता नहीं पाई गई।

तालिका 39. परीक्षण के अंतर्गत अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न/आरंभिक किस्मों की सूची

| |
|---|
| एनसी-99 बीजी-II, एनसी-99, एनसी-102 बीजी-II, एनसी-102, एनसी-1130 बीटी 2, एनसी-1130, एनसीएस-2434 बीजी-II, एफसीएच-519, एनसी-9007 बीजी-II, एफसी-9007, एनसी-5040/2 बीजी-II, एनसी-5040, पीसी-पी 17 बीटी2, पीसी- पी17, पीसी-पी211 बीटी2, पीसी-पी211, पीसी-पी311B बीटी2, पीसी-पी311, पीसी-पी621बीटी, पीसी-पी621बीटी2, पीसी-पी621, पीसी-पी651बीटी2, पीसी-पी651, पीसी-पी1512बीटी, पीसी-पी1512Bt2, पीसी-पी1512, पीसीएच-4599 बीजीII, पीसीएच-235, पीएससीपी-04 बीजी-II, पीएससीपी-04, एनसीएस-867 बीटी2, एनसीएस-1914 बीटी, एनसीएचबी-991 बीटी 2, एनसीएचबी-991 बीटी, पीसी-पी 701 बीटी, पीसी-पी 701, एनसी-201 बीजी-II, एनसी -201, एनसी-1118 बीटी, एनसीएस-145 बीटी2, एनसीएस-145 बीटी, एनसीएच-145, पीसीएच-115 बीटी, पीसीएच-115, एनसीएचबी-992 बीटी, एनसीएस-104, एनसीएस- 857 बीटी2, एनसीएस-865 बीटी2, एनसीएस-1332, पीसी-पी 8011 बीटी |
|---|

ईडीकी परीक्षण तथा विश्लेषण के विभिन्न पहलुओं में शामिल हैं :

- **आण्विक विश्लेषण :** जीन विशिष्ट प्राइमर सीआरवाई1एसी का उपयोग आण्विक विश्लेषण के लिए किया जाता है। सभी बीटी पौधों ने सीआरवाई1एसी जीन के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किया।
- **अभिव्यक्ति विश्लेषण :** अभिव्यक्ति का विश्लेषण एलाइज़ा परीक्षण के माध्यम से किया गया। धारवाड़ केन्द्र में एलाइज़ा परीक्षण फसल बढ़वार की दो अवस्थाओं नामतः 90 दिन और 120 दिन पर सीआरक्राई1एसी व सीआरक्राई2एबी प्रोटीनों के साथ किया गया।
- **प्रभावशीलता विश्लेषण**
- कीट जैव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के लिए हैलिकोवर्पा आर्मीजेरा (हुबनर) को प्रयोगशाला में कृत्रिम आहार पर पाला गया तथा निधारित प्रोटोकॉल अपनाया गया।



- खरीफ 2015–16 के दौरान यूएस, धारवाड़ में सामान्य ज्ञान की किस्म का मूल्यांकन
- कुल 37 जीनप्र: १ डीयूएस गुणों के लिए सामान्य ज्ञान की किस्म की श्रेणी में परीक्षित किए गए।

परीक्षण V: खरीफ 2015-16 के दौरान डीयूएस केन्द्र, धारवाड़ में कृषक किस्मों का मूल्यांकन

डीयूएस गुणों के मूल्यांकन हेतु दो कृषक किस्में बोई गई। एक किस्म नामतः सिंग्मा में घटिया अंकुरण रिकॉर्ड किया गया व पर्यवेक्षण की रिकॉर्डिंग के अंतर्गत पौधों की अपर्याप्त संख्या रिकॉर्ड की गई।

सोयाबीन : सोयाबीन की एनएसओ— 383 किस्म का मूल्यांकन द्वितीय वर्ष के परीक्षण के रूप में डीयूएस गुणों के लिए किया गया। एनएसओ—383 प्रत्याशी जीनप्ररूप के मामले में पर्यवेक्षित तथा दावा किए गए गुणों के बीच कोई भिन्नता नहीं पाई गई।

3.1.20 बाजरा पर एआईसीआरपी, जोधपुर

बाजरा पर एआईसीआरपी, जोधपुर डीयूएस परीक्षण के लिए मुख्य नोडल केन्द्र है और इसकी प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 40: किस्मों की सूची (प्रथम वर्ष का परीक्षण)

86एम84, 86एम35, 86एम14, एम171जी, निर्मल— 4915 (एनपीएच—4915), निर्मल— 4506 (एनपीएच— 4506), एलजी 12.81, एनयू 3214, एमपी 7833, केबीएच 3590, केबीएच 2191, केबीएच 3580, बागदल देशी बाजरा, बीएलपीएमआर 1295, जेकेआर 11568, जेकेआर 4259, जेकेआर 06128, पीएम12पी. 017आर, एमपी 12पी021आर, पीएम12पी018आर, एनपीए— 169, एनपीए—84, जेकेएमएस 401 ए, जेकेएमएस 405ए, पीएमजीपी 100001ए, एमपी 12पी16ए, एमपी 12पी015ए

तालिका 41. किस्मों की सूची (द्वितीय वर्ष का परीक्षण)

डीजीबी—016, डीजीबी—019, एनबीएच 5782, बीपीएम 908, बीपीएम909, बीपीएम910, जीके 1152, जीके 1129, बीपीएम 911, एमपी 7794, रुकमणी, डीजीबी—017, एनबी 98आर, पीपी63, पीपी 71, केबीआर 837, ईएम104 जैड, बायो— एलएम135जैड, बायो 8142, पीएसपी70, पीएसपी 68, केबीएमएस 261

बाजरा की डीयूएस दिशानिर्देश समीक्षा बैठक 29 जुलाई 2015 को चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; 23 सितम्बर 2015 को आईआईएमआर, हैदराबाद तथा 1 अक्टूबर 2015 को बाजरा पर एआईसीआरपी, मंदौर में डॉ. सी.एल. लक्ष्मीपती गौड़ा, पूर्व उप महानिदेशक (अनुसंधान) तथा अध्यक्ष कार्यबल की अध्यक्षता में हुई। विद्यमान दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों को प्रस्तुत किया गया तथा इन बैठकों में सदस्यों के बीच जो चर्चा हुई थी उसे सीसीएस एचएयू हिसार में बाजरा पर आयोजित वार्षिक कार्यशाला के दौरान प्रस्तुत किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों का अंतिम सुधारा गया मरम्मान तैयार किया जा रहा है तथा इसे आगामी समय में प्रस्तुत किया जाएगा। डॉ. सी.एल. लक्ष्मीपती गौड़ा के नेतृत्व

में डीयूएस निगरानी दल ने 1 अक्टूबर 2015 को बाजरा पर एआईसी। आरपी, मंदौर तथा 4 सितम्बर 2015 को डॉ. एच.पी. यादव के नेतृत्व में राहुरी में डीयूएस प्रयोगों को देखा।

3.1.21 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर

चने पर एआईसीआरपी, आईआईपीआर, कानपुर, चने के डीयूएस परीक्षण का मुख्य नोडल केन्द्र है और यहां हुई डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 42. डीयूएस परीक्षण के अधीन किस्मों की सूची

| बई | | वीसीके | कृषक किस्में |
|------------|--------------|--------|---|
| प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | | |
| - | पीकेवी 4 | - | देशी छोला, देसी, साहेब चना, अवधि चना, सदाबहार, रुन चना, छोटा चना, बुती चना, देसी लाल चना, कृष्णा चना, राम चना, भगतराम-1 व बगदल गौरन चना |

तालिका 43. उन किस्मों की सूची जिनके लिए आवेदक प्रस्तुत किए गए/प्रमाण-पत्र जारी किए गए

| फसल | विवं 1996 में नई किस्में | | विवं 1999 में नई किस्में | | दर्खिल किए गए आवेदनों की संख्या | | | जारी किए गए प्रमाण-पत्र | लंबित आवेदन |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | विवं अधिकृत किस्में | विवं नई किस्में | विवं अधिकृत किस्में | विवं नई किस्में | विवं अधिकृत किस्में | विवं नई किस्में | विवं अधिकृत किस्में | | |
| चना | 175 | 68 | 59 | 2 | - | 32 | 27 | | |

तालिका 44. चने की किस्मों का अनुरक्षण

एकेजी 9303-12, एकेजीएस 1, अन्नेगिरि 1, अवरोधी, बीजी 1053, बीजी 1103, पूसा 256, बीजी 261, बीजी 372, बीजीडी 128, बीजीडी 72, पूसा 408, पूसा 413, सी 235, चाफा, सीएसजी 8962, सीएसजेडी 884, सीएसजे 140, सीएसजे 515, सीएसजेके 6, दाहोद घेलो, डीसीपी 92-3, दिविजय, जीसीपी 101, जीसीपी 105, गुजरात जूनागढ़ ग्राम 3, जीएल 769, जीएलके 26155, जीएनजी 1292, जीएनजी146, जीएनजी1488, जीएनजी1499, जीएनजी1581, जीएनजी1958, जीएनजी1969, जीएनजी469, जीपीएफ 2, गुलक 1, हरियाणा चना-1(एच 82-2), एचसी-3, एचसी-5, एचके 1, एचके 2, एचके 05-169, आईसीसीवी 10, आईसीसीवी 2, आईसीसीवी 37, आईपीसीके 02-29, आईपीसीके 04-29, जेकेआई 9218, जेजी 06, जेजी 11, जेजी 130, जेजी 14, जेजी 16, जेजी 218, जेजी 315, जेजीजी 1, जेजीके 1, जेजीके 3, के 850, केएके 2, कंपीजी 59, फुले जी 0517 (कृपा), के. डल्ल्यूआर 108, एल550, पंत जी 114, पीबीजी 1, पीबीजी 5, पीबीजी 04, पीडीजी 3, फुले जी 0027, फुले जी 12, पीकेवी 4, पूसा 1088, पूसा 1105, पूसा 1108, पूसा209, पूसा212, पूसा240, पूसा244, पूसा267, पूसा329, पूसा362, पूसा391, पूसा547, राधे, राजस, आरएयू 52, आरएसजी 02, आ. एरसजी44, आरएसजी807, आरएसजी888, आरएसजी895, आरएसजी896, आरएसजी902, आरएसजी931, आरएसजी945, आरएसजी959, आ. एरसजी963, आरएसजी973, आरएसजी974, आरएसजी991, आरएसजीके6, आरवीजी202, आरवीजी203, राज विजय काबुली ग्राम 101, सदा बहार, विह. र, विकास, विराट, विशाल, विश्वास।

3.1.22 पीडीकेवी, अकोला



केन्द्र के लिए दो अधिदेशित फसलें कुसुम तथा अरहर हैं। इनकी प्रगति निम्नानुसार है :

- **कुसुम :** केवल एक कृषक किस्म (मुगलाई करादी) का 3 संदर्भ किस्मों नामतः ए1, ए2 और ए300 के साथ डीयूएस दिशानिर्देश के अनुसार परीक्षण किया गया। बुवाई 31.10. 2015 को की गई। फसल वृद्धि की अवस्था के दौरान कुसुम की फसल की दशा अच्छी थी। फसल की कटाई मार्च 2016 में की गई। कुसुम के मामले में निम्नलिखित संदर्भ किस्मे डीयूएस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुरक्षित की गई।

तालिका 45. अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की सूची

ए-1, ए-2, ए-300, एकेएस-207, भीमा, जेएसएफ-1, जेएसआई-7, जेएसआई-73, जेएसआई-97, जेएसआई-99, एनएआरआई-6, नीरा, मंगिरा, शारदा, पीबीएनएस-12, जेएलएसएफ-414, पीबीएनएस-40, एनएआरआई-एनएच-1, एनएआरआई-एच-15, डीएसएच-129, सी28295-3ए-6, एमएसवी-10-1-5, जीएमयू-2369, एनएआरआई-38, एसएसएफ-658

- **अरहर :** अकोला केन्द्र में डीयूएस परीक्षण परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान अरहर की 63 किस्में नामतः यूपीएस-120, मानक, पारस एएल-201, एएल-15, पूसा-992, पूसा-855, पूसा-84, पूसा-33, पूसा-991, पूसा-2001, पूसा-2002-02, आईसीपीएल-151, आईसीपीएल-87, सीओआरजी-9701, सीजी-1139, वाम्बन-1, जीटी-100, सीओ-6, जीटी-101, आईसीपीएल-8863, टीटीबी-7, एकेटी-8811, डब्ल्यूआरपी-1, जेकेएम-7, आईसीपीएल-87119, जीटी-1, सी-11, जीएयूटी-110ई, जेए-4, टी-15-15, टीएटी-10, जीएस-1, एलआरजी-38, टीएस-3, आईसीपीएल-85003, बीडीएन-2, एलआरजी-30, बीएसएमआर-736, बीडीएन-708, सीओ-5, एचवाई-3सी, वाम्बन-2, आईसीपीएल-332, टीबी-1, एके-022, एके-101, एमए-6, एमएएल-13, एनडीए-1, पूसा-9, डीए-11, आजाद, अमर, बिरसा अरहर-1, बहार, टी-7, सीओ-7, जेकेएम-189, पीकेवी-तारा; कुसुम की 27 किस्में नामतः ए-1, ए-2, ए-300, एकेएस-207, भीमा, गिरना, जेएसएफ-1, जेएसआई-7, जेएसआई-73, जेएसआई-97, जेएसआई-99, पीबीएनएस-12, जारी-6, नीरा, मंगिरा, शारदा, पीबीएनएस-12, जेएलएसएफ-414, पीबीएनएस-40, नारी-एनएच-1, नारी-एच-15, डीएसएच-129, एमएसएस, सी2829-5-3ए-6, एमएसवी-10-1-5, जीएमयू-2369,

नारी-38, एसएसएफ-658 अनुरक्षण अध्ययन के लिए उगाई गई।

दस प्रत्याशी किस्में नामतः केपीपी-4011, पीकेवी-ता.रा, केपीपी-4012, जेकेपीएच-24104, जेकेआर-101, जेके.आर-104, एनटीएल-900, जेकेसीएमएस-9, जेआरसीएमएस-24, फुला-टी-0012 (राजेश्वरी), तीन नई प्रत्याशी किस्में एनटीएच-11, निर्मल-77, एनटीआर-17 तथा 17 कृषक किस्में नामतः गारोमाह, अरहर अलसी, देशी अरहर बेगारी, अरहर गनपत, अरहर मनपुर पहाड़ी, लोकल अरहर, सिंहचोरा अरहर, अरहर, सूर्यकांत, बुम्बा तुमुर, चैत अरहर, मोटा अरहर कार्तिका, चैतरी अरहर, करंजा तूर, छोटा बाली अरहर, अगहानी, एचजेपी-7, एचजेपी-9, 14 संदर्भ किस्मों के साथ उगाई गई। किस्मों का डीयूएस परीक्षण दिशा.निर्देश के अनुसार 'समूहीकरण गुण' में वर्गीकरण किया गया। विशिष्ट आकृतिविज्ञानी गुणों के रंगीन चित्र लिए गए तथा उन्हें दोनों फसलों के लक्षण-वर्णन अध्ययनों में रिपोर्ट करते हुए उनका नई दिल्ली में मूल्यांकन किया जा रहा है। इन परीक्षणों की निग.रानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरहर के मामले में 24.11.2015 और कुसुम के मामले में 19.01.2016 को की। पंखुड़ी के रंग, फली के रंग व बीज गुणों के आधार पर कृषक किस्मों में कुछ बेमेल प्रकार पर्यवेक्षित किए गए तथा रिकॉर्ड किए गए।

3.1.23 भा.कृ.अ.प. - पीसी इकाई (अरहर), भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

केन्द्र का मुख्य उद्देश्य डीयूएस कार्यक्रम के अंतर्गत डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस कार्यक्रम के अंतर्गत अरहर की किस्मों का लक्षण-वर्णन करना तथा उनका रखरखाव करना है।

तालिका 46. डीयूएस कार्यक्रम के अंतर्गत अरहर की किस्मों का डीयूएस परीक्षण

| प्रत्याशी | संदर्भ किस्म |
|---|---|
| द्वितीय वर्ष की प्रतिक्षियां केपीपी-4011, पीकेवी-तारा, केपीपी-4012, जेकेपीएच- 24104, जेकेआर-101, जेकेआर-104, एनटीएल-900, जेकेसीएमएस-9, जेआरसीएमएस-24, फुला, टी-0012 (राजेश्वरी) | पूसा 33, एकेटी 8811, पूसा 992, टी-15-15, आ 1 इ' सी पी- 8 8 6 3, यूपीएस 120, मानक, बीडीएन 2, आईसीपीएल 87119, आईसीपीएल 151, आईसीपी 8863, यूपीएस 120, बीएसएमआर 736, पारस |
| प्रथम वर्ष की प्रतिक्षियां एनटीएच-11, निर्मल-77, एनटीआर-17, गारोमाह, अरहर अलसी, देशी अरहर बेगारी, अरहर गणपद, अरहर मनपुर पहाड़ी, लोकल अरहर, सिंहौरा अरहर, अरहर सूर्यकांत, बुम्बा तुमुर | |



वृद्धि अवस्था के दौरान फसल की दशा अच्छी थी। फसल की कटाई जनवरी 2016 के दौरान की गई। अरहर में फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तावित कुल गुण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार लिए गए।

डीयूएस कार्यक्रम के अंतर्गत अरहर की किस्मों का अनुरक्षण



एकेटी-8811, बीएसएमआर-853, बीएसएमआर-736, बीडीएन 708, आईसीपीएल-87119, आईसीपीएल-8863, एके-022, एके-101, वाम्बन-2, बीडीएन-2, आईसीपीएल-85063, पीटी-221, टीएस-3, डल्ल्यूआरपी-1, जीटी-101, जीटी-1, टीटीडी-7, टी-15-15, जे-4-4, पूसा-991, जेकेएम-189, एलआरजी-38, सी-11, जीएयूटी-001ई, पूसा-855, जेकेएम-7, सीओ-5, जीएस-1, टीवी-1, एचवाई-3सी, सीओ-6, सीओ-7, एलआरजी-30, यूपीएस-120, मानक, टीएटी-10, पारस, एएल-201, पूसा-992, पूसा-2001, सीओआरजी-9701, आ.ई.सी.पी.एल-151, एल-15, जीटी-100, आईसीपीएल-332, आईसीपीएल-87, जीसी-11-39, पूसा-84, पूसा-33, एमए-6, एमए-3, एमएएल-13, एनडीए-1, पूसा-2002-02, वाम्बन-1, पूसा-9, डीए-11, आजाद, अमर, बिरसा अरहर-1, बहार, टी-7

3.1.24 जेएनकेवी, जबलपुर

जेएनकेवी, जबलपुर में अनुरक्षित की जा रही गुण विशिष्ट संदर्भ किस्मों की सूची

तालिका 47. जेएनकेवीवी, जबलपुर में अनुरक्षित की जा रही मसूर की संदर्भ किस्में

| क्र.सं. | गुण/विशेषक | उदाहरण किस्में |
|---------|-------------------------------|---|
| 1. | पत्तियां : हरे रंग की गहनता | वीएल1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3 |
| 2. | तना : एंथोसियानिन रंग | के 75, एनडीएल1, पीएल 4, पीएल 234 |
| 3. | पुष्पन का समय | डीपीएल 15, डीपीएल 62, वीएल 4, वीएल 103 |
| 4. | पत्ती : रोमिलता | सुब्रिता, रंजन |
| 5 | पत्ती : आकार | वीएल1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, पीएल 5 |
| 6. | पौधा: वृद्धि स्वभाव | डीपीएल 15, रंजन, डीपीएल 62 |
| 7. | पुष्प : मानक का रंग | पीएल 4, के 75 |
| 8. | पौधा : ऊंचाई | डीपीएल 15, डीपीएल 62 |
| 9 | फली : एंथोसियानिन रंग | डीपीएल 15, डीपीएल 62, आशा |
| 10. | बीज : आकार (100 बीजों का भार) | पीएल 406, पीएल 234, डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4, डीपीएल 62, पीएल 5 |
| 11 | बीज : कवच का रंग | डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4 |
| 12 | बीज : छिलके पर चित्तियां | पीएल 406, के 75 |
| 13 | बीजपत्र : रंग | डीपीएल 15, डीपीएल 62 |



सोलह संदर्भ तथा 18 कृषक किस्मों (मसूर दाल, देशी मसूर 2, देशी मसूर 1, देशी मसूर गोल, देसी लाल, चुटी सुनहरी, छोटी मसूर, अदलिका, छुटकी मसूर, मसूरी, कशुर मसूर, किर्से फोकर, मोटी मसूर, बबांब ई मसूर, लोकल देहाती मसूर, देसी सफेद) बीज प्रजनन फार्म, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जेएनकेवीवी, जेएनकेवीवी

जबलपुर में रबी मौसम के दौरान 5मी. लंबी तथा 30 सेमी. (कता. र-कतार) की दूरी पर रबी मौसम के दौरान अनुशासित सस्यविज्ञानी विधियों के अंतर्गत उगाई गई ताकि डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्में अनुरक्षित की जा सके। अंकुरण श्रेष्ठ था तथा विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति सहित पौधों की संख्या भी उपयुक्ततम थी। पर्यावरणीय स्थितियां सामान्य वृद्धि के लिए अनुकूल थीं तथा ये गुणों की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल थीं। सभी 18 कृषक किस्मों में परीक्षण दिशानिर्देश के अनुसार अभिव्यक्ति के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। देशी मसूर 1, मासुरी, काशूर मसूर, बबांब ई. मसूर, मोटी मसूर की पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। अदलिका, मोटी मसूर, देहाती मसूर, जैसी किस्मों में 50 प्रतिशत से अधिक मुर्झान के लक्षण देखे गए। सभी 18 किस्मों में बेमेल प्रकारों की संख्या अल्प थी तथा संख्याएं समूहीकरण गुणों के आधार पर समरूप थीं।

तालिका 48. गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर दाल तथा सब्जी मट्ट की संदर्भ किस्में

| क्र.सं. | गुण | उदाहरण किस्में |
|---------|--|---|
| 1 | तना : एंथोसियानिन रंग | एचएफपी 4, रचना |
| 2 | पत्तियां : रंग | रचना, एचयूपी 2, एचयूडीपी 15, एचएफपी 8909, वीएल3, बी22 |
| 3 | पत्तियां : मोमिया चमक | एचएफपी 4, एचएफपी 8909, केपीएमआर 400 |
| 4 | पत्तियां : उप पत्तियां | एचयूडीपी 15, एचएफपी4, रचना, आईपी. १५५ ९९-२५ |
| 5 | पत्ती : कक्ष का रंग | एचयूडीपी 15, रचना, बी22 |
| 6 | अनुपत्र : खरगोश के कान के समान अनुपत्र | डीडीआर 23, बी 22, रचना, एचयूडीपी 15 |
| 7 | अनुपत्र : प्रकार | रचना, डीएमआर 7 |
| 8 | पुष्पन : खिलना (दिन) | आर्कल, एनडीवीपी 24, डीडीआर 23, यूडीपी 15, एचएफपी 8909 |
| 9 | पुष्प : पंखुड़ी का मानक रंग | एचयूडीपी 15, एचएफपी4, बोनविले 22 |
| 10 | फली संख्या /कक्ष | अर्का अजीत, एचडीपी 15, रचना |
| 11 | फली : घुमाव | रचना, केएफपी 103 |
| 12 | फली : सुदूर भाग की आकृति | एचएफपी 4, रचना |
| 13 | फली : हरे रंग की गहनता | वीएल 3, एचएफपी8909, डीएमआर 7, आर्कल एचयूडीपी 15, आईपीएफडी 99-13 |
| 14 | पौधा : ऊंचाई (सेमी.) | एचएफपी4, केपीएमआर 400, एचयूडीपी 15, एपी1, रचना, केएफपी 103 |
| 15 | बीज : आकृति | एचएफपी4, रचना |

| | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 16 | बीज : सतह | एचयूडीपी 15, रचना, आर्कल, एपी१ |
| 17 | बीज पत्र का रंग | एचयूडीपी 15, एचएफपी ४ एचएफपी९९० |
| 18 | बीज : 1000 बीजों का भार (ग्रा. में) | बी २२, रचना, जयंती |
| 19 | बीज : बीजकवच पर चिह्नियाँ | एचयूडीपी 15, रचना |
| 20 | बीज पार्चमेंट | एचयूडीपी 15, रचना |

तालिका 49. जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई दाल मटर की कृषक किस्में

बतारी, देहाती मटर, भगत पी-१, मटर देसी मटर, चोटका, देसी सफेद-२, देसी मटर चोटा-२, कसूर कादी



रबी 2015–16 के दौरान जेएनकेवीवी, जबलपुर में 12.11.2015 को 16 संदर्भ तथा 11 कृषक किस्मों की बुवाई डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियाँ अपनाते हुए 5 सें.मी. लंबी तथा 50 सें.मी. चौड़ी (कतार से कतार की दूरी) कता. रों में बोई गई। अंकुरण तथा पौधों की संख्या उपयुक्ततम थी और विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति उचित रूप से हुई। पर्यावरणीय स्थितियाँ सामान्य वृद्धि तथा गुणों की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल थी।

3.1.25 भा.कृ.अ.प. – वीपीकेएस, अल्मोड़ा

यह मक्का, सोयाबीन तथा राजमा जैसी तीन अधिदेशित फसलों के लिए सह नोडल केन्द्र है।

फसल विशिष्ट प्रगति यहां नीचे दी जा रही है :

● **राजमा :** राजमा की सात किस्में (चार कृषक किस्में नामतः माज राजमा, थुल राजमा, गुरेज राजमा और सफेद राजमा व तीन संदर्भ किस्में नामतः आईपीआर-९८-३-१, आईपीआर-९८-५ और पीडीआर-१४) ग्रो आउट परीक्षण के लिए उगाई गई और उनका राजमा के लिए परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 22 डीयूएस गुणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया।

● **सोयाबीन :** सोयाबीन की एक कृषक किस्म (मारेंटे) ग्रो आउट परीक्षण में उगाई गई तथा सोयाबीन पर डीयूएस परीक्षण करने के लिए परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार इसके 22 डीयूएस गुणों का लक्षण-वर्णन किया गया।

● **मक्का :** कुल 2 कृषक किस्में (डबल खाचेर और गुरेज लोकल मक्का) 3 संदर्भ किस्मों नामतः नर्मदा मोती, विवेक क्यूपीएम ९ और एचक्यूपीएम १ के साथ उगाई गई तथा उनका मक्का के लिए डीयूएस परीक्षण करने के लिए परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार उनके 27 डीयूएस गुणों का मूल्यांकन किया गया। तथापि, यह परीक्षण भुट्टे की पकने की अवस्था के दौरान दो बार जंगली सूअरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया।

तालिका 50. डीयूएस केन्द्र की मुख्य प्रगति

| फसल का नाम | मूल्यांकित बंशक्रमों/किस्मों की संख्या | गुणों की संख्या |
|------------|--|-----------------|
| मक्का | 5 (तीन संदर्भ किस्मों के साथ 2 कृषक किस्में) | 27 |
| सोयाबीन | 1 कृषक किस्म | 22 |
| | 23 | अनुरक्षण |
| राजमा | 7 (तीन संदर्भ किस्मों के साथ 4 कृषक किस्में) | 22 |
| | 9 | अनुरक्षण |



3.1.26 केब्डीय पटसन एवं सम्बद्ध ऐशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर तथा सीएसआरएसजेएफ, बुद बुद, बर्द्वान

सीआरआईजेएफ पटसन में सभी कृषक प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है। वर्ष 2015-16 के दौरान पटसन की एक नई किस्म केजेसी-7 (सी. कैप्सुलेरिस) का दो कृषक किस्मों नामतः उन्नत और सादा पट के साथ परीक्षण किया गया। पटसन की सफेद किस्म केजीसी का वर्ष 2015-16 के दौरान सीआरआई. 'जे.ए.एफ., बैरकपुर (नोडल केन्द्र) तथा सीएसआरएसजेएफ., बुद बुद, सह नोडल केन्द्र में विशिष्टता, स्थायित्व व एकरूपता के मूल्यांकन हेतु प्रथम वृद्धि चक्र के लिए परीक्षण किया गया। नई किस्म केजेसी 7 को दो संदर्भ किस्मों (जेआरसी-212 तथा केसी 1) से दावा किए गए किसी भी गुण के संदर्भ में विशिष्ट नहीं पाया गया। कृषक किस्म उन्ना का सभी डीयूएस विवरणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया लेकिन एक अन्य किस्म सादा पट घटिया बीज गुणवत्ता के कारण दोनों ही केन्द्रों में अंकुरित नहीं हुई।



तोसा पटसन की बीस संदर्भ किस्में नामतः जेआरओ 204, आईआरए, जेआरओ 632, जेआरओ 3690, जेआरओ 66, जेआरओ 524, जेआरओ 7835, जेआरओ 878, जेआरओ 8432, एस-19, जेआरओ 128, जेआरओ 620, चिनसुरहा ग्रीन, सुदान ग्रीन, तंग. अनयायिका-1, जेआरओ-36ई, जेआरओ 2345, केओएम 62, टीजे 40 और सीओ-58 तथा सफेद पटसन की सत्रह किस्में नामतः जेआरसी 212, जेआरसी 80, जेआरसी 698, जेआरसी 7447, जेआरसी 4444, पद्मा, जेआरसी 321, मोनालिसा, यूपीसी 94, विधान पट 1, विधान पट 2, विधान पट 3, केसी 1 और केटीसी 1, डी 154, जेआरसी 517 व जेआरसी 532 डीयूएस परियोजना के अंतर्गत अनुरक्षित की गई तथा उनका लक्षण-वर्णन किया गया।

3.1.27 भा.कृ.अ.प. - भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद



भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तिलहनी फसलों नामतः अरण्ड (रिसिनस कम्प्युनिस एल.), सुरजमुखी (है. लियंथस एनस एल.) और कुसुम (कार्थेमस टिंकटोरियास एल.) के पंजीकरण हेतु डीयूएस परीक्षण के समन्वयन व उसे सम्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2015-16 के दौरान अरण्ड की तीन, सूरजमुखी की तीन तथा कुसुम की एक कृषक किस्म का परीक्षण किया गया। अरण्ड (6) व सूरजमुखी की (6) कुल 12 संदर्भ किस्में डीयूएस परीक्षण में भावी उपयोग के लिए अनुरक्षित की गई तथा उनके बीज प्रगुणित किए गए।



अरण्ड के लिए डीयूएस परीक्षण दो अलग-अलग प्रतिकृति परीक्षणों में खरीफ 2015 के दौरान किया गया जिनकी बुवाई 15 जुलाई 2015 को की गई। संकर परीक्षण में दो संदर्भ संकरों के साथ एक प्रत्याशी प्रविष्टि को लिया गया था जबकि किस्मगत परीक्षण 4 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ दो वीसीके प्रविष्टियों के लिए किया गया। सभी प्रत्याशी प्रविष्टियों में वांछित पौधा संकर के साथ अभिव्यक्ति भी श्रेष्ठ थी। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 30 डीयूएस गुणों के लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों को डिजिटलीकृत किया गया।

रवी 2015-16 के दौरान सूरजमुखी के तीन अलग-अलग प्रतिकृत परीक्षण किए गए जिनमें उपयुक्त संदर्भ किस्मों के साथ संकरों (16), आर वंशक्रमों (10), ए, बी तथा अन्य अंतःप्रजनित वंशक्रमों (9) को लिया गया। संकर तथा आर-वंशक्रम परीक्षणों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 26 गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए तथा कटाई उपरांत आंकड़े रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ए, बी व अन्य अंतःप्रजनित वंशक्रमों के लिए 19 गुण रिकॉर्ड किए गए तथा अन्य पर्यवेक्षणों का कार्य प्रगति पर है। दावा किए गए गुणों के फोटोग्राफ भी लिए गए।

रवी 2015-16 के दौरान कुसुम की एक कृषक किस्म का 4 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ एक अन्य परीक्षण किया गया। फसल की बुवाई 31 अक्टूबर 2015 को की गई। पुष्प के रंग तथा कटीलेपन के लिए बेमेल प्रकारों को रिकॉर्ड किया गया।

3.1.28 भा.कृ.अ.प. – तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर

यह तोरिया-सरसों के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है जबकि सीएसएयूए और टी, कानपुर इसके लिए सह नोडल केन्द्र हैं। केन्द्र में भारतीय सरसों (ब्रैसिका जुंसिया) की 79 किस्मों, भूरी सरसों (बी. कैम्पेस्ट्रिस किस्म भूरी सरसों) की दो किस्मों, गोभी सरसों (बी. नैपस) की 8 किस्मों, करन राई (बी. कैरीनाटा) की चार किस्मों तथा तारामीरा (इरुका सेटाइवा) की दो किस्मों, पीली सरसों (बी. कैम्पेस्ट्रिस किस्म पीली सरसों) की बाहर किस्मों और तोरिया (बी. कैम्पेस्ट्रिस किस्म तोरिया) की 15 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

तालिका 51. तोरिया सरसों की परीक्षणाधीन किस्मों की सूची

| श्रेणी | किस्मों की संख्या |
|------------|-------------------|
| कृषक किस्म | 21 |
| नई किस्म | 03 |
| वीसीके | 03 |
| कुल | 27 |

तालिका 52. वर्ष 2015–16 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए परीक्षित किस्में

| नाम | आवेदन के अनुसार दावा की गई प्रजाति | फील्ड परीक्षण के दैयन पहच. बी. गई वालांविक प्रजाति | श्रेणी |
|--|------------------------------------|--|--------|
| एनएमआर-1, हाइब्रिड मस्टर्ड 5121, 45 एस 46 | बी. जुंसिया | बी. जुंसिया | छमू |
| 44 एस 31, 45 एस 32, 45 एस 44 | बी. जुंसिया | बी. जुंसिया | |
| राई (सावरुम), तैटिनी सरसों | बी. जुंसिया | बी. जुंसिया | |
| देहाती सरसों | कोई अंकुरण नहीं | | |
| लहर, पोलिना सरसों-1 | बी. जुंसिया | बी. जुंसिया | |
| शिव सरसों | कोई अंकुरण नहीं | | |
| लोकल (देसी), लोटानी-गोटा, गुड़डी मस्टर्ड, बिलामा मस्टर्ड | तोरिया | बी. जुंसिया | |
| लंगड़ी | बी. जुंसिया | बी. रापा किस्म तोरिया | |
| देसी सरसों पीली-1, पोलिमा सरसों-2 | बी. जुंसिया | बी. रापा किस्म पीली सरसों | |
| रोही लाल सरसों | बी. रापा किस्म तोरिया | बी. रापा किस्म तोरिया | |
| मारिया सरसों | बी. जुंसिया | बी. जुंसिया | |
| येलो सरसों सेल 204 | बी. रापा किस्म पीली सरसों | बी. रापा किस्म पीली सरसों | |
| तोरी 201 | बी. रापा किस्म तोरिया | बी. रापा किस्म तोरिया | |
| देसी | बी. रापा किस्म पीली सरसों | बी. रापा किस्म पीली सरसों | |
| लाल सरसों | बी. रापा किस्म तोरिया | बी. रापा किस्म तोरिया | |
| सारस सरसों | बी. रापा किस्म पीली सरसों | बी. रापा किस्म पीली सरसों | |
| लुटनी राई | करन राई | बी. रापा किस्म तोरिया | |
| रोहिणी, वर्सणा, पूसा बोल्ड | बी. जुंसिया | बी. जुंसिया | |
| पूसा स्वर्णिम, किरन | बी. कैरीनाटा | बी. कैरीनाटा | |
| पौटी 303, भवानी-टी 9 | बी. रापा किस्म तोरिया | बी. रापा किस्म तोरिया | |

तालिका 53. अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की सूची (फसल वार)

| क्र.सं. | फसल का नाम | किस्मों की कुल संख्या |
|---------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | ब्रैसिका जुंसिया | 79 |
| 2 | ब्रैसिका रापा किस्म भूरी सरसों | 02 |
| 3 | ब्रैसिका रापा किस्म तोरिया | 15 |
| 4 | ब्रैसिका रापा किस्म पीली सरसों | 12 |
| 5 | ब्रैसिका नैपस | 08 |
| 6 | ब्रैसिका कैरीनाटां | 04 |
| 7 | ब्रैसिका सेटाइवा | 02 |
| | कुल | 122 |

3.1.29. चब्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयूए और टी), कानपुर

केन्द्र की अधिदेशित फसलें गेहूं सरसों और अलसी हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्र में गेहूं की 102 किस्मों का रखरखाव किया गया।

तालिका 54. वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

| फसलें | नई | | वीसीके | कृषक किस्म |
|-------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|
| | प्रथम वर्ष की प्रविद्धियां | द्वितीय वर्ष की प्रविद्धियां | | |
| गेहूं | - | - | - | - |
| सरसों | 1 | - | 3 | 21 |
| अलसी | - | - | - | - |

3.1.30 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर अलसी के लिए सह नोडल केन्द्र है। इसकी संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 55. गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर अलसी की संदर्भ किस्में

| गुण | संदर्भ किस्में |
|-----------------------|------------------------------|
| पुष्पन का समय | शारदा, शेखर और पार्वती |
| पंखुड़ी का आकार | शारदा, आर 552 और नीलम |
| पुष्प की आकृति | आर 552, सुरभि और मीरा |
| पुष्प का रंग | जे 23, गरिमा, पदमिनी और गौरव |
| पुष्पदलविन्यास का रंग | शेखर, रशिम और आर 552 |
| पुष्प नाड़ियों का रंग | सुरभि, शीला, जीवन, नीलम |
| स्त्रीकेसर का रंग | गौरव और किरण |
| पुंकेसर का रंग | हिमालिनी, लक्ष्मी 27 और रशिम |
| पादप वृद्धि स्वभाव | टी 397, शुब्रहांड गौरव |
| पौधे की ऊंचाई | जेएलएस 9, जे 23 और मीरा |
| खोल का आकार | टी 397, शेखरंद नीलम |

| | |
|--------------------------------------|---|
| खोल का विस्थापन | लक्ष्मी 27 और टी 397 |
| बीज का रंग | गौरव, सुरभि, श्वेता, नीलम और लक्ष्मी 27 |
| बीज का आकार | सुरभि, गरिमा और नीलम |
| बीज का भार (प्रति 1000 बीजों का भार) | सुरभि, गरिमा और नीलम |
| तेल अंश | एस 36, गरिमा, पदमिनी |

तालिका 56. जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई अलसी की कृषक किस्में

अलसी बेगारी, अलसी (देसी), लाम्बा, तिसी 206, सोनाली, छोटी तिसे, रूपाली, अलसी मंगल, चमकी अलसी, पारकर तिसी।

संदर्भ किस्म के बीज 7 अन्य किस्मों व 9 कृषक किस्मों के साथ रबी 2015–16 के दौरान जेएनकेवीवी, जबलपुर के पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग के बीज प्रजनन फार्म में अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों के अंतर्गत 5 सें.मी. लंबी व 30 सें.मी. कतार से कतार की दूरी रखते हुए 5 कतारों में 12 नवम्बर 2015 को बोई गई। ऐसा 2 प्रतिकृतियों में फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया ताकि संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा सके। अंकुरण तथा पौधों की संख्या उपयुक्ततम थी तथा विशिष्ट गुणों की उचित अभिव्यक्ति हुई। पर्यावरणीय स्थितियां सामान्य बुवाई के लिए अनुकूल थीं।

3.1.31 भा.कृ.अ.प. – पीसी इकाई (अलसी), सी.एस. आजार कृषि एवं पौधोंगीकी विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर

रबी मौसम 2015–16 के दौरान सीएसएयू और टी, कानपुर के नवाबगंज स्थित फसल अनुसंधान फार्म में 12 संदर्भ किस्मों के साथ 9 कृषक किस्मों के बीज 20.11.2015 को अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों के अंतर्गत 6 सें.मी. लंबी तथा एक दूसरे से 30 सें.मी. की दूरी पर बनाई गई जुड़वां कतारों में बोए गए। अंकुरण तथा पौधों की संख्या उपयुक्ततम थी तथा विशिष्ट गुणों की भी उचित अभिव्यक्ति हुई। पर्यावरणीय स्थितियां सामान्य वृद्धि के लिए अनुकूल थीं। अलसी की सभी 63 जारी की गई किस्में जिनमें 22 संदर्भ किस्में भी शामिल थीं, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए तिलहन अनुसंधान फार्म में उगाई गई।

तालिका 57. अलसी की गुण विशिष्ट संदर्भ किस्में

| गुण | संदर्भ किस्में |
|-----------------------|------------------------------|
| पुष्पन का समय | शारदा, शेखर और पार्वती |
| पंखुड़ी का आकार | शारदा, आर 552 और नीलम |
| पुष्प की आकृति | आर 552, सुरभि और मीरा |
| पुष्प का रंग | जे 23, गरिमा, पदमिनी और गौरव |
| पुष्पदलविन्यास का रंग | शेखर, रशिम और आर 552 |
| पुष्प नाड़ियों का रंग | सुरभि, शीला, जीवन, नीलम |

| | |
|--------------------------------------|---|
| स्त्रीकेसर का रंग | गौरव और किरण |
| पुंकेसर का रंग | हिमालिनी, लक्ष्मी 27 और रशिम |
| पादप वृद्धि स्वभाव | टी 397, शुब्रहांड गौरव |
| पौधे की ऊँचाई | जेएलएस 9, जे 23 और मीरा |
| खोल का आकार | टी 397, शेखरद नीलम |
| खोल का विस्थापन | लक्ष्मी 27 और टी 397 |
| बीज का रंग | गौरव, सुरभि, श्वेता, नीलम और लक्ष्मी 27 |
| बीज का आकार | सुरभि, गरिमा और नीलम |
| बीज का भार (प्रति 1000 बीजों का भार) | सुरभि, गरिमा और नीलम |
| तेल अंश | एस 36, गरिमा, पदमिनी |

3.1.32 भा.कृ.अ.प. – पीसी इकाई (तिल तथा नाइजर), जेएनकेवीवी परिसर, जबलपुर



यह केन्द्र किस्मगत अनुरक्षण के लिए तिल की 85 किस्मों तथा नाइजर की 17 किस्मों का रखरखाव कर रहा है। इस केन्द्र को नाइजर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। तथापि, फसल को परप. रागित किया जा रहा है तथा यह स्व-असंगत फसल है जिसका अनुरक्षण व लक्षण-वर्णन करना खुली परागित किस्मों के मामले में कठिन है। अतः विवरणों तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

तालिका 58. तिल की प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षणों का विवरण

| कृषक किस्में | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Reg/2014/2217 (उद्भव) | Reg/2014/1345 (बैनजुंग) |
| Reg/2014/645 (तिल केशा) | Reg/2013/737 (देसी तिल) |
| Reg/2014/1936 (कालो तिल) | Reg/2014/1604 (सामलु तिल) |
| Reg/2015/232 (सफेद तिल) | Reg/2014/635 (जतगी – राम तिल) |

3.1.33 भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, हंदौर



भा.कृ.अ.प.— भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन पर डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है जहां भा.कृ.अ.प. — संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त सोयाबीन की 104 जारी की गई व अधिसूचित किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। यहां तीन किस्मों — एक नई किस्म (एनएसओ 383) व दो नई किस्मों (मरांटे और बेकांग) का खरीफ 2015 के दौरान परीक्षण किया गया। सोयाबीन अत्यधिक ताप एवं प्रकाश संवेदी फसल है।



इस मौसम के दौरान उचित तापमान तथा कम वर्षा से किस्मगत गुणों जैसे पौधे की ऊँचाई, फसल की अवधि, बीज के आ.कार आदि में अंतर आया। फली पर फली की रोमिलता संबंधी गुण की पुनः समीक्षा की जा रही है। इस गुण को दो श्रेणियों जैसे फली रोमिलता उपस्थित या अनुपस्थित के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। फली तारुण्यता के लिए उदाहरण किस्में : अनुपस्थित श्रेणी में रोमिलता की अति निम्न गहनता देखी गई। किस्मगत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नए वंशक्रमों तथा कुछ विदेशी वंशक्रमों ने फलियों पर पूरी तरह रोमिलता को अनुपस्थित दर्शाया। संस्थान के विशेषज्ञों की राय है कि इस गुण को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत

किया जाए :

- फली रोमिलता : उपस्थित
- फली रोमिलता : निम्न गहनता (हल्की रोमिलता)
- फली रोमिलता : अनुपस्थित

3.1.34 भा.कृ.अ.प. – भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

यह केन्द्र पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए निर्मित किया गया डीयूएस केन्द्र है (टमाटर, बैंगन, भिण्डी, फूलगोभी, बंदगोभी, सब्जी मटर, सेम, लौकी, करेला, कद्दू व खीरा का डीयूएस परीक्षण के लिए)। बीसीकेवी, पश्चिम बंगाल के सहयोग से परवल के लिए भी डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए जा रहे हैं। इसकी प्रमुख प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 59. आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए अनुरक्षित संदर्भ किस्मों की संख्या

| फसल | संदर्भ किस्म की संख्या | पर्यावरणीय आकृति विज्ञानी गुणों की संख्या | फसल | संदर्भ किस्म की संख्या | पर्यावरणीय आकृति विज्ञानी गुणों की संख्या |
|-----------|------------------------|---|-------|------------------------|---|
| टमाटर | 78 | 46 | सेम | 25 | 22 |
| बैंगन | 86 | 47 | खीरा | 24 | 36 |
| भिण्डी | 42 | 31 | करेला | 25 | 33 |
| फूलगोभी | 05 | 28 | लौकी | 31 | 33 |
| बंदगोभी | 01 | 28 | कद्दू | 21 | 32 |
| सब्जी मटर | 41 | 21 | परवल | 21 | 15 |

टमाटर, भिण्डी, बैंगन, फूलगोभी, बंदगोभी, सब्जी मटर, सेम, लौकी, करेला, कद्दू, खीरा तथा परवल की संदर्भ किस्में भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से एकत्रित की गई। इन फसलों की सभी किस्मों को बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में 3 प्रतिकृतियों में बोया गया तथा सहोदरीकरण / स्वनिषेचन के माध्यम से इनका रखरखाव किया जा रहा है। इन अनुरक्षित किस्मों की संख्या तथा उनके आकृतिविज्ञानी गुणों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

● टमाटर

भा.कृ.अ.प. — आईआईवीआर, वाराणसी में टमाटर की 78 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (8), आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन (2),

आईआईवीआर, वाराणसी (9), बीसीकेवी, कल्याणी (1), सीएसएयूए और टी, कानपुर (10), डीएआरएल, पिथौरागढ़ (1), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (1), एचएयू, हिसार (3), एचएआरपी, रांची (4), आईआईचआर, बगलुरु (5), जेएयू, जूनागढ़ (1), केएयू, वेल्लानकारा (1), एनडीयूए और टी, फैजाबाद (10), ओयूए और टी, भुवनेश्वर (8), पीएयू, लुधियाना (8), टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (1), वाईएसपीयूएचएफ, सोलन (2), एमपीकेवी, राहुरी (2) तथा एसकेयूएस और टी, जम्मू (1) से एकत्र की गई।

फसल वर्ष 2015–16 के खरीफ–रबी मौसम के दौरान उचित अनुरक्षण कार्यक्रम के साथ अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करते हुए उगाई गई। बेमेल प्रकारों की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधों को स्वपरागित किया गया तथा अनुरक्षण के लिए उनके बीज निकाले गए।

तालिका 60. टमाटर की संदर्भ किस्मों की सूची

अंगेता-32, आनंदटमेटो-3 (एटी-3), आनंद टमेटो-4 (एटी -4), अंगूरलता, अर्का आभा, अर्का आहूती, अर्का आलोक, अर्का मेघाली, अर्का सौरभ, अर्का विकास, आजाद, आजाद टी-2, आजाद टी-5, आजाद टी-6, बेस्ट ऑफ आल, मायाश्री, बीटी-11, बीटी-136, सीओ-3, कोलम्बिया, सीटीएस- 06, डीएआरएल-66, डीसीटी-1, डीसीटी-2, धनश्री, ध्रुवा, डीएमटी-1, एफईबी-2, फ्लोराडाइ, जीटी-1, जीटी-2, हिसार अनमोल (एच-24), हिसार अरुण (सैल-7), हिसार ललित (एनटी-8), जेके-3, कल्याणपुर टी-1, कल्याणपुर टाइप-3, काशी हेमंत (आईआईवीआर सैल-1), काशी शरद (आईआईवीआर सैल-2), काशी विशेष, कश्मीरिया, कैप्स-16 एलई-415, मैनिलेइमा सैल-2, मुक्ति, एनडीटी-3, एनडीटी-5, एनडीटी-8, एनडीटी-9 (नरेन्द्र टेमोटो-9), एनटी.टीवीआर- 73, पंत टी-5, पाथरकुमी, पीएनआर-7, प्रेस्टीज, पीटी 11, पंजाब बरखा बहार-1, पंजाब बरखा बहार-2, पंजाब छुआरा, पंजाब केसरी, पंजाब रत्ता, पंजाब उपमा, पूसा गोरक, पूसा रुबी, पूसा उपमा, पूसा-120, रोमा, सैल-12, सैल-18, स्वर्ण दीपि, स्वर्ण गोला, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, स्वर्ण सपदा, उत्कल उपहार (बीटी-120), उत्कल कुमारी (बीटी-10), उत्कल प्रज्ञान, उत्कल राजा (बीटी-20-2-1), उत्कल उर्वशी (बीटी-12), उत्कल पल्लवी।

बैंगन



बैंगन की 86 किस्में विभिन्न केन्द्रों से एकत्र करके अनुरक्षित की गई। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित की गईं जो इस प्रकार हैं : आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली (10), आईआईवीआर, वाराणसी (7), अंगारु, हैदराबाद (2), सीएसएयूए एवं टी, कानपुर (7), जेएयू, जूनागढ़ (3), जीबीपीयूए एवं ओर, पंतनगर (1), एमएचआरपी, रांची

(8), आईआईएचआर, बंगलुरु (9), जे.एन.के.वी., जबलपुर (10), केएयू, वल्लानिकारा (3), ओयूए और टी, भुवनेश्वर (5), पीएयू, लुधियाना (4), पीडीकेवी, अकोला (1), आरएयू, समस्तीपुर (1), टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (7), बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल (1), सीएचईएस, भुवनेश्वर (1), एचएयू, हिसार (1), नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, नेपाल (1), बांगलादेश (1), एमपीकेवी, राहुरी (2), एनईएच, बारापानी (1)

सारणी 61: बैंगन की संदर्भ किस्मों की सूची

अन्नामलाई, अर्का केशव, अर्का क्रांति, अर्का कुसमाकर, अर्का निधि, अर्का नील, कंठ, अर्का शील, अर्का श्रीश, अर्का श्री, अरुणा, औश्रे, आजाद ब्रिंजल-1, आजाद ब्रिंजल-2, आजाद ब्रिंजल-3, आजाद ब्रिंजल-4, आजाद क्रांति, बीस.पीबी-30, भायमती, बीआर-14, सीएच-1045, सीएचबीआर-2, सीओ-1, सी.ओ-2, डीबीआर-3, डीबीआर-31, डीबीआर-8, डीआरकेएनटी-29, जीजेबी-2, कल्याणपुर टी-3, काशी प्रकाश, जीओबी-1, ग्रीन लोंग क्लस्टर, गुलबी, हिसार श्यामल, आईबीएल-116-135, जेबी-15, जेबी-6, जेबी-65, जेबी-67, जेबी-18, जेबीजीआर-1, जेबीएल-01, जेबीएल-03-04, जेबीएल-116-113, काशी तरु, केकेएम-1, मंजरी गोला, एमडीयू-1, नुर्की, पंत ऋतुराज, पीएलआर-1, पीआर-5, प्रगति, पंजाब बरसाती, पंजाब मोती, पंजाब नगीना, पंजाब सदाबहार, सूर्या, स्वर्णा अविलम्ब, स्वर्णा अजय, पूसा अंकुर, पूसा अरुप, पूसा बिंदु, पूसा क्रांति, पूसा परपल क्लस्टर, पूसा पर्पल लोंग, पूसा श्री, पूसा श्यामल, राजेन्द्र बैंगन-2, रामनगर जियांट (आ), रामनगर जियांट (आर), आरसीएमबीएल-1, रूचिरा, एसबी-1, स्वर्णा प्रतिभा, स्वर्णा श्री, स्वर्णा श्यामली, स्वर्णा शोभा, स्वर्ण मणी, श्वेता, उत्कल ज्योति, उत्कल केसरी, उत्कल माधुरी, उत्कल तरीणी, उत्तरा।



फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ खरीफ–रबी मौसम 2015–16 के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियां उपयोग करके उगाई गईं। बेमेल मौसम की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधों का स्वनिषेचन कराया गया तथा उन्हें बीज निकालने के लिए रखा गया।

भिण्डी

भा.कृ.अ.प.— आईआईवीआर, वाराणसी में भिण्डी की 42 किस्में संदर्भ किस्मों के रूप में डीयूएस परीक्षण के लिए रखी गईं। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली

(3), आईआईवीआर, वाराणसी (13), जेएयू, जूनागढ़ (4), एचएयू, हिसार (5), एमपीकेवी, राहुरी (2), पीएयू, लुधियाना (2), सीएसएयूएर और टी, कानपुर (5), आरएयू, साबौर (1), आईआईएचआर, बंगलुरु (2), केएयू, वेल्लानिकारा (1), ओयूएर और टी, भुवनेश्वर (3), टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (1), एनडीयूएर और टी, फैजाबाद (1) से एकत्र की गई थी।

तालिका 62: संदर्भ किस्मों की सूची

| |
|---|
| अर्का अभय (आईआईएचआर— एसईएल—4), अर्का अनामिका (आ. ईआईएचआर—10), आजाद भिण्डी—1, आजाद भिण्डी—2, आजाद भिण्डी—3, आजाद भिण्डी—4, बीओ2, बीओ—13, सीओ—2, डी—1-87-5, जीजेओ—3, जीएओ—5, जीओ—3, (जेएनडी. ओएल—3—1), हिसार नवीन (एचआरबी—107—4), एचआरबी—231, एचआरबी—55, जेबीएस—2, काशी लालिमा काशी लीला (आ. ईआईवीआर—11), काशी सतधारी, काशी वरदान, केएस—442, एनडीटी—10, एनओ—136, एनओ 315, पंत ए—4, परमणी क्रांति, फुले उत्कर्ष (जीके—4—3—3—3), पंजाब पदमिनी, पंजाब—8, पूसा मखमली, पूसा स्वर्णी, एसबी—2, एसबी—8, सुश्थीरा (ई—286—1), उत्कल गौरव (बीओ—2), वर्षा उपहार, वीआरओ—3 (काशी मो. हनी), वीआरओ—4 (काशी मंगली), वीआरओ—5 (काशी विभूति), वीआरओ—6 (काशी प्रगति), वीआओआर—159 |
|---|

फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ 2015 के खरीफ मौसम तथा 2016 के अगेती ग्रीष्म मौसम के दौरान अनुशंसित स्स्यविज्ञानी विधियां उपयोग करते हुए उगाई गई। बेमेल पौधों को छांटा गया और केवल सच्चे प्रकार के पौधों को स्वनिषेचित कराया गया तथा उन्हें अनुरक्षित करते हुए उनसे बीज निकाले गए।

● फूलगोभी



डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में एआईसीआरपी (वीसी) से फूलगोभी की चार किस्में एकत्र की गई। ये किस्में आईआरआई, नई दिल्ली (2), तथा आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन (3) से एकत्र की गई थीं।

तालिका 63: फूलगोभी की संदर्भ किस्मों की सूची

| क्र.सं. | किस्में |
|---------|-------------|
| 1. | काशी कुवारी |
| 2. | काशी मेघना |
| 3. | पूसा दीपाली |
| 4. | पूसा शक्ति |
| 5. | पूसा शरद |

फसल 2015–16 के शरद मौसम के दौरान अनुशंसित सस्य विज्ञानी विधियां उपयोग करके उगाई गई तथापि केवल अगेती और मध्य समूह की किस्मों का मूल्यांकन किया गया तथा उन्हें सहोदर युग्मन के माध्यम से अनुरक्षित किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

● बंदगोभी

बंदगोभी की संदर्भ किस्म 'प्राइड ऑफ इंडिया' आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन से एकत्र की गई। फसल को वर्ष 2015–16 के शरद मौसम के दौरान अनुशंसित स्स्यविज्ञानी विधियां उपयोग करके उगाया गया। बंदगोभी मैदानों में पुष्पित नहीं होती है। आंकड़े डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए।

● सब्जी मटर

सब्जी मटर की 41 किस्में डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में भा.कृ.अ.प. – आईआईवीआर, वाराणसी में अनुरक्षित की गई। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन (3), आईआईवीआर, वाराणसी (6), आईआईएचआर, बंगलुरु (3), डीएआरएल, पिथौरागढ़ (1), एनडीयूएर और टी, फैजाबाद (2), जीबीपीयूएर और टी., पंतनगर (2), एचएयू, हिसार (2), एचएआरपी, रांची (2), पीएयू, लुधियाना (4), एमपीकेवी, राहुरी (1), डॉ. वाईएसपीएचयू और एफ, सोलन (1), वीपीकेएस, अल्मोड़ा (10), सीएसएयूएर और टी, कानपुर (4) से एकत्र की गई थीं।

तालिका 64 : सब्जी मटर की संदर्भ किस्मों की सूची

| |
|---|
| अर्का अजित, अर्का कार्तिक, अर्का सम्पूर्ण, आर्केल, आजाद पी—1, आजाद पी—3, आजाद पी—5, बोनविले, डीएचवीपी—10, हिसार हरित, लिंकन, एमए—6, मीठी फली, एनडीवीपी—10, वीएलएम—8, एनडीवीपी—250, वीआरपी. पीएमआर—11, पंत मटर—2, पंत उपहार, पीएच—1, फुले प्रिया, केएस—601, आ. ईपी—3, पंजाब 88, पंजाब 89, सोलन निरोग, स्वर्ण अमर, वीआरपीएमआर—9, विवेक मटर—7, विवेक मटर—11, विवेक मटर—8, विवेक मटर—9, विवेक मटर—10, वीएल अगेती मटर—7, वीएल मटर—6, वीएल—3, वीएल—8, वीआरपी—22, वीआरपी—5, वीआरपी—6, वीआरपी—7 |
|---|

फसल रबी 2015–16 के दौरान अनुशंसित स्स्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छांटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधे ही रखे गए जिनके बीज

निकाले गए। बीज प्रत्येक किस्म से निकाले गए तथा उन्हें सुखाने तथा बीजोपचार के पश्चात भंडारित किया गया।

● सेम



डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में सेम की 25 किस्मों का रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (2), आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन (3), आईआईवीआर, वाराणसी (2), डॉ. वाईएसपीएच और एफ, सोलन (4), एमपीकेवी, राहुरी (1), बीएचयू, वाराणसी (2), सीएसएयूए और टी, कानपुर (1), सीएचईएस, रांची (3), वीपीकेएस, अल्मोड़ा (3), आईआईएचआर, बंगलुरु (3) और आईआईवीआर, कानपुर (1) से एकत्र की गई थी।

तालिका 65 : सेम की संदर्भ किस्मों की सूची

| | |
|--------------|---|
| झाड़ी प्रकार | अर्का अनूप, अर्का बोल्ड, अर्का सुविधा, आजाद राजमा-1, कंटेंडर, एचयूआर-137, एचयूआर-15, आईपीआर-96-4, काशी परम, पीडीआर-14, पूसा पार्वती, स्वर्ण प्रिया, वीएल बीन-2, वीएल बौनी बीन-1 |
| पोल प्रकार | एचएफबी-2, एचएफबी-3, केंटुकी वंडर, लक्ष्मी, फुले सुयश, पूसा हेमलता, पूसा हिमालया, आरसीएमएफबी-1, एसवीएम-1, स्वर्ण लता, यूएचएफबी-30 |

फसल रबी मौसम 2015-16 के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधे ही रखे गए जिनके बीज निकाले गए।

● कद्दू

कद्दू की 23 किस्में एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उन्हें संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षित किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (2), आईआईएचआर, बंगलुरु (1), आईआईवीआर, वाराणसी (6), एएयू, आनंद (1), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2), एचएआरपी, रांची (3), पीएयू, लुधियाना (2), जीवीपीयूए और टी, जम्मू (2), एचएयू, हिसार (1), पीएयू, बाद (6), एमपीकेवी, राहुरी (1), आरएयू, समस्तीपुर (1) और टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (1) से एकत्र की गई।

लुधियाना (2), एनडीयूए और टी, फैजाबाद (3), केएयू, केरल (2) तथा टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (2) से एकत्र की गई।

तालिका 66 : कद्दू की संदर्भ किस्मों की सूची

| |
|--|
| अर्का चंदन, सीएम-350, सीओ-1, सीओ-2, एचएआरपी-4, एचएआरपी-10, काशी हरित, नरेन्द्र अग्रिम, नरेन्द्र अमृत, नरेन्द्र यूपीसीएआर, पूसा विकास, पूसा विश्वास, पंजाब सम्राट, स्वर्ण अमृत, आनंद पम्पकिन-1, केपीएस-1, वीआरपीके-07-01, वीआरपीके-09-01, वीआरपीके-222-2-1, वीआरपीके-62, वीआरपीके05-01, सीएम-71 |
|--|

फसल खरीफ 2015 और अगेती ग्रीष्म 2016 के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधे ही रखे गए जिनके बीज निकाले गए।

● लौकी

लौकी की 31 किस्में एआईसीआरपी (वीसी), केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उन्हें डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षित किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (4), आईआईवीआर, वाराणसी (6), आईआईएचआर, बंगलुरु (1), एएयू आनंद (1), बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल (1), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2), एसकेयूए और टी, जम्मू (2), एचएयू, हिसार (1), पीएयू, लुधियाना (2), जीवीपीयूए और टी, पंतनगर (2), एनडीयूए और टी, फैजाबाद (6), एमपीकेवी, राहुरी (1), आरएयू, समस्तीपुर (1) और टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (1) से एकत्र की गई।

तालिका 67. लौकी संदर्भ किस्मों की सूची

| |
|---|
| एबीजी-1, अर्का बहार, सीओ-1, जीएच-22, जोरा बोट्टा, कल्याणपुर, लोंग ग्रीन, काशी गंगा, केबीजीआर-12, नरेन्द्र धारीदार, नरेन्द्र ज्योति, नरेन्द्र रश्मि, एनडी. बीजी-132, एनडीबीजी-619, पंत लौकी-1, पंत लौकी-3, पंजाब कोमल, पंजाब लोंग, पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, राजेन्द्र चमत्कार और वीआर-1, वीआर-2, वीआरबीजी-136, वीआरबीजी-6, वीआरबीजी-7, सम्राट, जेबीजी-50, जेबीजी-51 |
|---|

फसल खरीफ 2015 और अगेती ग्रीष्म 2016 के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधे ही रखे गए जिनके बीज निकाले गए।

● करेला

करेले की 21 किस्में एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उन्हें डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में संरक्षित किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई

दिल्ली (3), आईआईएचआर, बंगलुरु (1), आईआईवीआर, वाराणसी (1), वीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल (1), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2), केरायू, वेल्लानिकासा (1), एनडीयूए और टी, फैजाबाद (2), एमपीकेवी, राहुरी (3), पीएयू, लुधियाना (1), डॉ. वाईएसपीएच और एफ, सोलन (1), टीएनएयू, कोयम्बत्तूर (1), एचएआरपी, रांची (2) और जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (2) से एकत्र की गई।

तालिका 68. केरेले की संदर्भ किस्मों की सूची

अर्का हरित, बीबीजीएस—०९—०१, सीओ—१, डीएआरएल—४३, डी. बीजीएस—३७, एचएबीजी—२१, एचएबीजी—२२, हिरकानी, कल्याण पुर, बारामासी, काशी उर्वशी, मेघना—२, एनडीबीटी—७, एनडीबी.टी—९, पंत करेला—१, पीबीआईजी—०२, फुले ग्रीन गोल्ड, फुले उज्जवला प्रीति (एमसी—८४), पंजाब—१४, पूसा—दो—मौसमी, पूसा विशेष, सैल—१, सैल—५, सोलन हरा, वीआर—३३३

फसल खरीफ 2015 और अगेती ग्रीष्म 2016 के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधे ही रखे गए जिनके बीज निकाले गए।

खीरा

खीरा की 26 किस्में एआईसीआरपी (वीसी) केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उन्हें डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में संरक्षित किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (5), एचएआरपी, रांची (3), वीसीकेवी, कल्याणी (2), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (4), एमपीकेवी, राहुरी (2), पीएयू, लुधियाना (1), डॉ. वाई.एस.पीएच और एफ, सोलन (2), एसकेयूए और टी, जम्मू (1), आईआईवीआर, वाराणसी (3), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2), एयू, गुजरात (1) से एकत्र की गई।

फसल खरीफ 2015 और ग्रीष्म 2016 के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और केवल सच्चे प्रकार के पौधे ही रखे गए जिनके बीज निकाले गए।

तालिका 69. खीरा की संदर्भ किस्मों की सूची

फुले सुभांगी, पंजाब नवीन, स्वर्णा अगेती, स्वर्ण पूर्णा, स्वर्णा शीतल, हिमांगी, के—७५, के—९०, कल्याणपुर ग्रीन, जेएलजी (कबीरा), पंत खीरा—१, कुकुम्बर लोंग ग्रीन, पीसीयूसी—०९, पीसीयूएस—१०, केटीसीएस—०७, नं. ३७४, वीआरसी—२६, वीआर—१०१, डीसी—५४, डीसी—७८, सेवन स्टार, देव कमल गोआ लोकल, गुजरात कुकुम्बर लोंग, जीयूसी—१, पूसा उदय

परवल

परवल की 30 किस्में भा.कृ.अ.प.— आईआईवीआर, वाराणसी में अनुरक्षित की गई। कुल 26 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईआईवीआर, वाराणसी (10), वीसीकेवी, कल्याणी (15), एनडीयूए और टी, फैज.बाद (4), जेएयू, गुजरात (1) से एकत्र की गई थीं।

तालिका 70. परवल की संदर्भ किस्मों की सूची

नरेन्द्र परवल 260, नरेन्द्र परवल—५०४, नरेन्द्र परवल—५२०, नरेन्द्र परवल 307, स्वर्णा अलंकार, काशी अलंकार, काशी सुफल, आ.ईआईवीआर—पीजी—१, आईआईवीआर—पीजी—२, आईआईवीआर—पीजी—३, वीआरपीजी—१२, वीआरपीजी—२५, वीआरपीजी—२६, वीआरपीजी—३८, वीसीपीजी—१, वीसीपीजी—३, वीसीपीजी—४, वीसीपीजी—५, वीसीपीजी—६, वीसीपीजी—१४, वीसीपीजी—१६, वीसीपीजी—१७, वीसीपीजी१९, वीसीपीजी—२१, वीसीपीजी—२४, वीसीपीजी—२५, वीसीपीजी—२६, वीसीपीजी—२७, वीसीपीजी—२९, वीसीपीजी—३१

फसल अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियां अपनाते हुए रोपी गई। किस्मों को आगामी आंकड़ों की रिकॉर्डिंग तथा प्रगुणन के लिए मूल ब्लॉक में अनुरक्षित किया गया है।

सब्जी फसलों का डीयूएस परीक्षण

डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत संदर्भ किस्मों के साथ भिण्डी की १६, बैंगन की १०१, फूलगोभी की ३३, टमाटर की ९०, लौकी की ११, करेला की १७, खीरा की ३, कद्दू की ५, बंदगोभी की ३ और राजमा की २ प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया। इनका विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 71. डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत सब्जी फसलों की प्र. त्याशी किस्में

| किस्म का प्रकार | जई | | वीसीके | कृषक किस्म | कुल | जिगदानी की तिथि | अद्यता |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|-----|-----------------|---------------------|
| | प्रथम वर्ष | हितीय वर्ष | | | | | |
| लौकी | - | - | ८ | ३ | ११ | ३०.०४.२०१५ | डॉ. ए.एन. मोर्या |
| करेला | - | - | १५ | २ | १७ | १८.०५.२०१५ | |
| खीरा | - | - | ३ | - | ३ | १८.०५.२०१५ | |
| कद्दू | - | - | - | ५ | ५ | १८.०५.२०१५ | |
| भिण्डी | २४ | २१ | १३ | २ | ६० | १६.१०.२०१५ | डॉ. ए.स.के. पाण्डे |
| बैंगन | १९ | ५३ | २३ | ६ | १०१ | १८.०१.२०१६ | डॉ. ए.एन. मोर्या |
| फूलगोभी | १७ | ९ | ६ | १ | ३३ | ०८.०१.२०१६ | |
| बंदगोभी | ०२ | - | ०१ | - | ३ | १३.०२.२०१६ | डॉ. ब्रह्मा सिंह |
| राजमा | - | - | - | २ | २ | १४.०२.२०१६ | डॉ. उमेश श्रीवास्तव |
| टमाटर | २५ | २५ | ४० | ४ | ९४ | १२.०२.२०१६ | डॉ. ए.एन. मोर्या |
| कुल | ८७ | १०८ | १०९ | २५ | ३२९ | | |

तालिका 72. पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की सूची

| संस्थान का नाम | फसल | किस्म का नाम |
|---|---|--|
| पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना, पंजाब | टमाटर (3) | पंजाब बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार-2, पंजाब रत्ता |
| जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय (जे.एयू), जूनागढ़ | बैंगन (1) भिण्डी (1) | गुजरात जूनागढ़ ब्रिंजल-2 (जीजेबी-2) गुजरात जूनागढ़ ओकरा हाइब्रिड-3 (जीजेओएच-3) |
| भा.कृ.अ.प. – भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआइ.वीआर), वाराणसी, उत्तर प्रदेश | टमाटर (6) बैंगन (2) भिण्डी (1) मिर्च (4) सब्जी मटर (1) लौकी (2) खरबूजा (1) कद्दू (1) | काशी अमृत (डीवीआरटी-1), काशी अनुपम (डीवीआरटी-2), काशी विशेष (एच-86), काशी हेमंत (आईआईवीआर सैल-1), काशी शरद (आईआईवीआर सैल-2), काशी अमन (वीआरटी-0801) काशा तारू, काशी संदेश काशी वरदान (वीआरओ- 25) काशी गौरव, काशी अनमोल, काशी सिंदूरी, काशी सुर्ख (हाइब्रिड) काशी अगेती (वीआरपीई-25) काशी गंगा, काशी बहार काशी मधु काशी हरित |

3.1.35 भा.कृ.अ.प. – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु

भा.कृ.अ.प. – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु टमाटर, बैंगन, भिण्डी, लौकी, करेला, कद्दू और खीरा जैसी फसलों के लिए अधिदेशित है। वर्ष 2015–16 के दौरान डीयूएस परीक्षण में हुई प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका 73 : प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

| फसलें | नई | | वीसीके | कृषक किस्म |
|--------|-------------------------|---------------------------|--------|------------|
| | प्रथम वर्ष की प्रविष्टि | द्वितीय वर्ष की प्रविष्टि | | |
| टमाटर | 25 | 26 | 40 | 4 |
| बैंगन | 20 | 59 | 22 | 6 |
| भिण्डी | 22 | 40 | 13 | 1 |
| लौकी | . | . | 11 | . |
| करेला | . | . | 17 | . |



टमाटर : वर्ष 2015–16 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिविज्ञानी गुणों के परीक्षण हेतु डीयूएस परीक्षण करने के लिए 4 कृषक किस्मों और 10 संदर्भ किस्मों सहित टमाटर की कुल 105 किस्में उगाई गईं। इन सभी प्रविष्टियों की डीयूएस विशेषकों के

आधार पर लक्षण—वर्णन किया गया तथा डॉ. एन. मोहन, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु की अध्यक्षता में 7 मार्च 2016 को सफलतापूर्वक निगरानी की गई। जिन 8 कंपनियों ने अपनी बीज प्रविष्टियों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में डीयूएस परीक्षण हेतु पंजीकृत कराया था, उन्होंने भी इस निगरानी बैठक में भाग लिया। एक आवेदक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि डीयूएस विवरणों की एक ऐसी पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए जिसमें सभी पर्यवेक्षण चित्रों व विस्तृत विवरण के साथ रंग पैमाने सहित उपलब्ध कराए गए हों, ताकि विभिन्न वैयक्तिकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए पर्यवेक्षण में एकरूपता हो।

बैंगन : वर्ष 2015–16 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए 6 कृषक किस्मों और 30 संदर्भ किस्मों सहित कुल 107 किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए गए। डॉ. एन. मोहन, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु की अध्यक्षता में 29 मार्च 2016 को डीयूएस प्रविष्टियों की सफलतापूर्वक निगरानी की गई।



भिण्डी : कुल 76 किस्मों का डीयूएस परीक्षण के लिए लक्षण—वर्णन किया गया तथा डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. एन. मोहन, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर 2015 को की गई। इस निगरानी बैठक में 5 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

कद्दू : डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसलें प्रभाग व ख्याति प्राप्त खीरा प्रजनक की अध्यक्षता में 12 मई 2015 को कृषक किस्मों की डीयूएस परीक्षण हेतु लक्षण—वर्णन के लिए निगरानी की गई।



लौकी और करेला : डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी तथा डीयूएस परीक्षणों के लिए लौकी की 11 तथा करेले की 17 किस्मों का लक्षण—वर्णन किया गया तथा इस परीक्षण की निगरानी 2 मई 2015 को डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसलें प्रभाग व देश के ख्याति प्राप्त खीरा प्रजनक की अध्यक्षता में की गई। प्रविष्टियों में योगदान देने वाली मैसर्स नुजीवीडु सीड़स कंपनी के प्रतिनिधि ने भी इस निगरानी बैठक में भाग लिया।

तालिका 74. अनुरक्षण/लक्षण-वर्णित किस्में

| फसलें | 2015-16 में अनुरक्षण-प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या |
|--------|---|
| टमाटर | 28 (स्वयं जारी की गई –8, भा.कृ.अ.प.–9 और रा.कृ.वि.–11) |
| बैंगन | 34 (स्वयं जारी की गई –7, भा.कृ.अ.प.–19 और रा.कृ.वि.–15) |
| भिण्डी | 19 (स्वयं जारी की गई –2 17 – अन्य (भा.कृ.अ.प. और रा.कृ.वि.) |
| खीरा | 12– अन्य (भा.कृ.अ.प. और रा.कृ.वि.) |
| कद्दू | 11 (स्वयं जारी की गई –1, 10– अन्य (भा.कृ.अ.प. + रा.कृ.वि.) |
| लौकी | 18(स्वयं जारी की गई –1, 17 अन्य– (भा.कृ.अ.प.–6+ रा.कृ.वि.–11) |
| करेला | 16 (स्वयं जारी की गई –1, 15 अन्य– (भा.कृ.अ.प.–4 + रा.कृ.वि.–11) |

3.1.36 भा.कृ.अ.प. – आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन

यह बंदगोभी तथा फूलगोभी (मध्य पछेती समूह) के डीयूएस परीक्षण के लिए सह–नोडल केन्द्र है। यहां हुई प्रगति निम्नानुसार है:

बंदगोभी

वर्ष 2015–16 के दौरान भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई में बंदगोभी की दो किस्मों, नामतः चार्ली और चेकमेट का संदर्भ किस्मों नामतः पूसा मुक्ता और गोल्डन एक्रे के साथ डीयूएस परीक्षण आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त 11 अधिसूचित किस्मों नामतः गोल्डन एक्रे, पूसा मुक्ता, पूसा झम हैड, पूसा अगेती, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ एशिया, केटीसीबीएच–81, सी–121, 6ए, 83–1 और पूसा केबेज हाइब्रिड–1 (केजीएमआर–1) का लक्षण—वर्णन किया गया, उन्हें शुद्ध किया गया और उनका उचित रूप से रखरखाव किया। बंदगोभी पर इस डीयूएस परीक्षण की निगरानी रासी सीड़स के अधिकारियों के साथ अध्यक्ष, क्षेत्रीय केन्द्र कटरायन तथा सह नोडल अधिकारी, कटरायन केन्द्र के साथ 21.11.2015 को की गई।

फूलगोभी

फूलगोभी में दो प्रत्याशी किस्मों नामतः एससीएफ–608 और एससीएफ 5061 का 4 संदर्भ किस्मों नामतः पूसा स्नोबाल–1, पूसा स्नोबाल के–1, पूसा स्नोबाल के–25 और स्नोबाल–16 का डीयूएस

परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण किया गया। पूसा स्नोबाल 1, पूसा स्नोबाल के—1, पूसा स्नोबाल के—25, पूसा स्नोबाल—16 तथा पूसा हिमज्योति का भी लक्षण—वर्णन, शुद्धिकरण और अनुरक्षण किया गया। किस्मों को आगामी वर्षों में डीयूएस परीक्षण करने के लिए उचित रूप से अनुरक्षित किया गया।

यह केन्द्र सीपीआरआईसी, मेरठ व सीपीआरएस, जालंधर सहित संदर्भ/उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण व डीयूएस परीक्षण के लिए अधिदेशित सह—नोडल केन्द्र है।



नए समूह की अनेक किस्मों नामतः कास्टेली, पानामेरा, ल्यू सिंडा, ताउरस, सीआरआईएसपीएस4एलएल सैगिटा, मैफिस, एवोरा और एचजैडी01—58 का संदर्भ किस्मों नामतः कुफरी पुख्रा राज, कुफरी ज्योति, कुफरी जवाहर, लेडी रोसेटा, एटलांटिक, सेंटाना और कुफरी फाइसोना के साथ सभी तीनों परीक्षण स्थलों पर द्वितीय वर्ष भी परीक्षण किया गया। ये परीक्षण वानस्पतिक तथा कंद संबंधी गुणों के लिए सीपीआरएस, जालंधर व सीपीआरआईसी, मेरठ में व सीपीआरएस, कुफरी में पुष्प संबंधी प्राचलों के लिए किए गए थे। शिमला में स्वस्थाने 213 किस्मों/संख्याओं के संदर्भ संकलन भी रखे गए थे जिनमें 49 सीपीआरआई द्वारा जारी की गई किस्में, 107 देसी किस्में/संख्याएं, 8 राज्य किस्में, 20 विदेशी किस्में जो भारत में उगाई गई थीं और 29 उपोव उदाहरण किस्में शामिल हैं।

3.1.37 भा.कृ.अ.प. – प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय,

पुणे



भा.कृ.अ.प.—प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर

— 410 505, पुणे (महाराष्ट्र) आईएआरआई, नई दिल्ली के साथ इन फसलों के लिए सह नोडल केन्द्र है तथा सीआईटीएच, श्रीनगर दीर्घ दिवस किस्मों के लिए सह—नोडल केन्द्र है। टीएनएयू, कोयम्बत्तूर प्याज के प्रगुणन के लिए व डीयूएस परीक्षण तथा प्याज व लहसुन की संदर्भ/उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण के लिए अधिदेशित किया गया है। केन्द्र में प्याज की 48 और लहसुन की 26 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। इनमें से प्याज व लहसुन की दीर्घ दिवस किस्मों का सीआईटीएच, श्रीनगर व प्रगुणन प्रकार की प्याज की किस्मों को टीएनएयू, कोयम्बत्तूर में और इसके अलावा शेष को प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे व आईएआरआई, नई दिल्ली में अनुरक्षित किया जा रहा है। प्याज की किस्मों को खरीफ व रबी मौसमों के दौरान अधिदेश के अनुसार अनुरक्षित किया जा रहा है जबकि लहसुन की किस्मों का रबी मौसम के दौरान रखरखाव किया जा रहा है।



प्याज के मामले में एक नई किस्म तथा एक कृषक किस्म और लहसुन की चार विद्यमान किस्मों का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण की निगरानी विभिन्न अवस्थाओं जैसे पत्ती विकास की अवस्था, कटाई अवस्था और कटाई उपरांत अवस्था में की गई।

3.1.38 एमपीकेवी, कृषि महाविद्यालय, परिसर, गणेशखिंड, पुणे में एआईसीआरपी, पुष्पविज्ञान हकाई


यह शोभाकारी फसलों जैसे चाइना एस्टर, गुलाब आदि के लिए सह नोडल केन्द्र है। चाइना एस्टर में इस केन्द्र में 8 संदर्भ/उदाहरण किस्मों (आईआईएचआर व एनएआरपी, पुणे प्रत्येक से 4—4) जैसे फुले गणेश सफेद, फूले गणेश परपल, फुले गणेश पिंक, फुले गणेश वायलेट, अर्का पूर्णिमा, अर्का कामिनी, अर्का अर्चना और अर्का आद्या का रखरखाव किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा एमपीकेवी राहुरी में 26—27 फरवरी 2016 को आयोजित 10वीं डीयूएस समीक्षा बैठक में भाग लिया गया।

गुलाब में, मोइरहेइम रोजिस व ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की विदेशी किस्मों का परीक्षण किया गया तथा उन्हें संदर्भ किस्मों के साथ अनुरक्षित किया गया। ये संदर्भ किस्में हैं : फुले गणेश व्हाइट, फुले गणेश परपल, फुले गणेश पिंक, फुले गणेश वायलेट, अर्का पूर्णिमा, अर्का कामिनी, अर्का अर्चना और अर्का आद्या।

3.1.39 एनबीआरआई, लखनऊ

इस केन्द्र को तीन फसलों नामतः बोगेनवीलिया, ग्लेडियोलस और केली के डीयूएस परीक्षण का अधिदेश सौंपा गया है। जमीनी रोपणों से प्राप्त किए संकलनों व पोर्ट्रेट संकलनों का यहां रखरखाव किया जा रहा है जिसके लिए पूरे वर्ष एक समान कृषि संबंधी स्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इन्हें शैक्षणिक उद्देश्य से उचित रूप से लेबल लगाते हुए प्रदर्शित किया गया है। संकलन की इन सभी किस्मों ने अच्छा निष्पादन दिया है तथा इनमें डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में उल्लिखित विवरणों के अनुसार ही गुणप्ररूपी लक्षण अभिव्यक्त हुए हैं। वर्तमान जननद्रव्य संकलन को विभिन्न स्रोतों से नई किस्में प्राप्त करके और समृद्ध किया गया है। सीएसआईआर – एनबीआरआई द्वारा विकसित नई किस्मों को बोगेनवीलिया के मामले में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम; ग्लेडियोलस के मामले में एनबीआरआई – हीरक और केली के मामले में सीएसआईआर – एनबीआरआई नाम दिया गया है तथा इन्हें पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया गया है।

3.1.40 भा.कृ.अ.प. – राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाकियांग, सिक्किम



ऑर्किड की लगभग सभी अधिसूचित व उगाई जाने वाली प्रजातियां (कैम्बिडियम, डैंड्रोबियम, वांडा, फैलिनोप्सिस, कैटेलिया, ओंसिडियम, पेफियोपेडिलम और मोकारा) अधिदेशित प्रजातियां हैं तथा यहां कैम्बिडियम (25), डैंड्रोबियम (12), वांडा (15), फैलीनोप्सिस (30), कैटेलिया (9), ओंसिडियम (30), पेफियोपेडिलम (10) और मोकारा (7) अनुरक्षित की जा रही हैं।

केन्द्र द्वारा पेफियोपेडिलम के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं तथा ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियों के 4 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

3.1.41 भा.कृ.अ.प. – भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोड

इस डीयूएस केन्द्र द्वारा लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक और हल्दी की उदाहरण किस्मों का रखरखाव करना; डीयूएस परीक्षण के लिए कृषकों द्वारा उपलब्ध कराई गई अदरक और हल्दी की प्रजातियों का प्रगुणन करना है। डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त निम्न कृषक किस्में प्रगुणित की गई ताकि डीयूएस रोपण और परीक्षण के लिए उनकी पर्याप्त मात्रा तैयार की जा सके।

अदरक : नासरी देशी (आरईजी/2014/2151), अदरक (आरईजी/2014/1994), वैजनाथ अदरक (आरईजी/2015/51)।

हल्दी : संतरा (आरईजी/2014/2134), कंडैला हल्दी (आरईजी/2014/3139), देहाती हल्दी (आरईजी/2014/1987)। फुटी हालूद (आरईजी/2013/742), बुधराम हल्दी-1 (आरईजी/2014/741), पहलू हल्दी-II (आरईजी/2014/750), रश्मि हल्दी-। (आरईजी/2014/747)।

काली मिर्च तथा छोटी इलायची (प्रत्याशी किस्में) जो कृषक किस्मों के अंतर्गत थीं, के प्राथमिक पर्यवेक्षण हेतु इनके प्लाटों का प्रमण किया गया तथा सम्बद्ध संदर्भ किस्मों को उनके अनिवार्य गुणों के आधार पर पहचाना गया।

3.1.42 भा.कृ.अ.प. – सीआईटीएच, श्रीनगर

इस डीयूएस केन्द्र को शीतोष्ण फलों और गिरियों की किस्मों/प्रजातियों के लिए अधिसूचित किया गया है। इस केन्द्र द्वारा रिपोर्टरीन अवधि के दौरान नई श्रेणी के अंतर्गत किस्मों के 5 आवेदन प्रस्तुत किए गए।

तालिका 75. अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्में

| फसलें | अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या |
|------------|--|
| अखरोट | 17 |
| बादाम | 10 |
| सेब | 80 |
| नाशपाती | 21 |
| आडू | 30 |
| आलूबुखारा | 25 |
| खुबानी | 17 |
| चेरी | 10 |
| स्ट्राबेरी | 107 |

तालिका 76. भा.कृ.अ.प.- सीआईटीएच, श्रीनगर में अनुरक्षित संदर्भ किस्मों/जीनप्ररूपों की सूची

| प्रजातियाँ/फलांते | अनुष्ठान के अंतर्गत संदर्भ किस्मों की सूची |
|-------------------|--|
| अखरोट | ओपेक्स कॉलवरी, चेइनोवो, टुटेल, फैंचीट, नगेट, हमदान, सुलेहमान, सी.आईटीएच- डब्ल्यू-1, सीआईटीएच- डब्ल्यू-2, सीआईटीएच- डब्ल्यू-3, सीआईटीएच- डब्ल्यू-4, सीआईटीएच- डब्ल्यू-5, सीआईटीएच- डब्ल्यू-6, सीआईटीएच- डब्ल्यू-7, सीआईटीएच- डब्ल्यू-8, सीआईटीएच- डब्ल्यू-9, सीआईटीएच- डब्ल्यू-10 |
| बादाम | आईएक्सएल, मर्सेड, नॉन-पेरिल, प्रीमोर्सक्ज, प्रणयज, कैलिफोर्निया पेपर शैल, ड्रेक, वारिस, मखदमू, शालीमार |
| सेब | कोए रेड कुर्जी, ईसी-539451, टोप रेड, ईसी-539452, ग्रैनी निथ, किंग हैंसिक्स, टाइडेंस अर्ली वॉररेस्टर, वैल्डी एप्ल, स्पार्टन, एएस/ जीपी/ वीएसपी/ 13, बेनोनी, इर्ली, विस्टा बेल्ला, एएस/ जीपी/ वीएसपी/ 09, पिंक लेडी, कंसरी, फुजी, चेनपेरा सलेक्शन, हाईडेमेन, ईसी-38735, स्टारिक्सन, ईसी-83683, ले, क्सटोन फार्फूट, एमसी-स्पर, मोलेझ डिलिसियस, ईसी-539449, प्राइमा, फ्लो, रिडा, कूपर-IV, एएस/ जीपी/ वीएसपी/ 04—समररेड, अन्ना, अमेरिकन, एपि, रोग, ईसी-539457, रिच-ए-रैड, माई गोल्ड एच-15, सिल्वर स्पर, स्टारक क्रिस्पन गोल्ड, स्टालेट गाला, विल्सन रैड जून, गोल्डर डेलिसियस, जॉनिका, माइकल, वास डेलिसियस, फिरदोस, अर्ली एमसी- इत्तेष, जून इंटीस, एंटोनोवका, रेड कुर्जी, ईसी 539446, रैंस वारन, गोल्ड स्पर, मनन लाल अम्बी, ईसी-239451, रेड चीफ, ईसी-539450, अम्बी, जोनाथन, श्रीन, टेलीसारे, विटर कोमर्सियल, ईसी- 539447, ओरेगन स्पर, लेमन गार्ड, स्काइलन सुप्रीम, ईसी-539448, रॉयल डेलिसियस, लेक बैन डेनिस, ग्रीन स्लीव्स, ईसी-539453, रेड गोल्ड, स्टार समर गोल्ड, रोम ब्यूटी, रेड डेलिसियस, स्पर फिंग डेलिसियस, वैल स्पर |
| नाशपाती | बैटिरा फिरांड, मैक्स रेड बार्लेट, वासुगा बेहापा, सेरेरेथा, डोब्रेने-डु-कोमाइस, कोरिक्या-सी, सार्ट्या ब्रेस्केगा, कोरिक्या-एफ, रेड बार्टट, बीहे, हैवर्ड, रेड मैक्स, जैट ड्वार्ड, मैक्स रेड, विलिम बार्टलेट, वियोरेज हार्डी, स्टार क्रिस्पन, काफ़ेस, जैडरप कोपोसिके, जार्मोनेल, कर्मोरी नाख |
| आदू | पेशावरी, पेराडिलक्स, साउथ लैंड, क्वेटा, अर्ली रेड जून, एनजी-2, फ्लोरडेसम, काटो-5, जुलाइ एल्वेटो, फर्टिलाया, ग्लोबेवेन, शान-ए-पांजाब, वांस मसूरी, क्रेष्ट, विन, स्नो क्रेस्ट, सिल्वर किंग, रैंस ग्लोब, वांस मार्वल, अर्ली ग्रांड, फेटेसिया, सीआईटीएच सैल-3, सीआईटीएच सैल-2, स्नो ब्वीन, मेकायर, सीआईटीएच सैल-1, एल्वर्ट फायर प्रिस, सनक्रेस्ट, के-27791, एनजी-1 |
| आलबुखारा | क्वीन इन, बर्बेंक, रेड ल्सम, कुवियो ल्सम, ल्वैक एमर, मोनार्क, मिथली, ल्वैक ल्सम, कुवियो-26, क्रैसिकिया, ग्रेड ड्यूक, सांता रोजा, पूरे, ब्यूटी, ल्वैक ब्यूटी, काटो-5, मारीपोसा, प्रेसिडेंट ल्सम, एप्यू-रोजा, डेरोल, इटालियन ल्सम, ग्रीन गेज, रेड ब्यूटी, एप्यू-जैरी, फॉटियर |
| खुबानी | बालकोटा, चाहीज एप्रिकॉट, फैयरमेडेस्टर, हार्कोट, टिल्टन एप्रिकॉट, विवा गोल्ड, इरानी, टोकपोपा, निमू अकागानी, न्यू कैसल, आस्ट्रलियन, कम्युनिस होली, टर्की, नारी, कम्युनिस, हार्टली, राइबल एप्रिकॉट |
| चेरी | बीगारीन नेपोलियन, स्टेला, बिगारीन नॉयर ग्रासो, मखमली, बिंग, लैपिनस, अलवल नन्दर, स्ट्रीट हार्ट, लेबर्ट, वैन। |
| स्ट्राबरी | दिल पसंद, ईसी-439587, आईसी 319137, रेड क्रॉस, सीएच-40, ईसी-362601, आईसी-319117, लार्सन, सलेक्शन-नॉक्स, आईसी-319139, ईसी-571812, कामा रोजा, आईसी-319133, स्ट्रीट हार्ट, सी319147, एलास्टा, स्वीस-2, आइसी-319143, आईसी-319123, एथी, आईसी-319096, तियोगा, कैफरा, कियाना, आईसी-319098, आईसी-319107, स्टीट चालित, बंगलौर, मोराटेम काउफेक्टुरा, डगलस, आईसी-319115, आईसी-319105, मेजेस्टिक ल्यूकुंडा, आईसी-318915, फिनामनल, आईसी-319119, रैंस गार्ड, शशा, आईसी 319113, 340594, ल्वैक मोर, आईसी 138915, आईसी 340596, हीरा, शीत मास्टर, टीसी-ईसी, ब्राइटन, जुलीकोट लोकल, ईसी-102642, होवार्ड, आईसी 319135, ईसी-571813, मिशनरी, आईसी-319138, आईसी 319131, किम्बर्ली, ईसी-431388, ईसी-319105, तिलमोक, ईसी-362602, सीएच-111, बैललबी, आईसी-319132, आईसी 319141, रेड गार्ड, ईसी-362589, रेड को, दाना, सीएच-32, नॉर्ड वेर्ट लैसन, जेएफ-2, आईसी 319147, मेकाराकोर, डेरेनियल, आईसी 319149, रेड गार्ड-52, आईसी 319103, वाइल्ड स्वीस, आईसी 319107, वाइल्ड लोकल सेल्या, आईसी 319111, आईसी 319174, रॉयल रार्ड, आईसी 319117, केटास्टल, टोरी, आईसी 318916, फ्लोरिडा, रेड ग्राउड, आईसी 318936, ईसी439586, कटराई स्वीट, एडीई, जुले कोट लोकल, मेकारंज, ईसी-22355, चांडलेर, आईसी 319136, ईसी 97182, संगा सेंगाना ईसी-439590, ईसी-439591 |

3.1.43 भा.कृ.अ.प. - अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पुणे



केन्द्र की संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है :

- भा.कृ.अ.प.— एनआरसीपी, सोलापुर के फील्ड जीनबैंक में अनार के 304 जननद्रव्य अनुरक्षित किए गए। हाल ही में आईआईएचआर, बंगलुरु से यूएसडीए की 71 प्रविष्टियां संकलित की गई हैं और उन्हें नर्सरी की अवस्था में अनुरक्षित किया गया है।
- अनार जननद्रव्य की 15 किस्मों (आईसी318753, आईसी-318779, आईसी-318790, आईसी-318705, आईसी-318754, आईसी-318740, आईसी-318702, आईसी-318712, आईसी-318793, आईसी-318764, आईसी-318735, आईसी-318762, आईसी-318734, आईसी-318723, आईसी-318749) के मुख्य गुण पौधा, पत्ती, पुष्प व फल के आकृतिविज्ञानी, कार्यिकीय-रासायनिक गुणों सहित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार उनके डिजिटल फोटोग्राफ सहित रिकॉर्ड किए गए।
- अनार की नौ किस्मों के एलईडी बोर्ड उनके विशिष्ट गुणों के साथ तैयार किए गए तथा उन्हें अनार उगाने वालों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए प्रदर्शित किया गया।
- केन्द्र ने 23-24 नवम्बर 2015 को आईएआरआई, नई दिल्ली में भारतीय-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग डीयूएस कार्यशाला में भाग लिया।
- केन्द्र में कुल 17 प्रतिभागियों के लिए जो कर्नाटक के कृषकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 21-23 सितम्बर 2015 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' विषय पर तीन दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

३.१.४४ भा.कृ.अ.प. – अंगूर के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पुणे

सितम्बर २०१५ में डोगरिज मूल वृत्त पर कुल ६० संदर्भ किस्मों की कलम लगाई गई। ये अब डीयूएस ब्लॉक में भली प्रकार स्थापित हो चुकी हैं। इनके रखरखाव के लिए नियमित उपयुक्त सस्यविज्ञानी विधियां अपनाई जा रही हैं।

ये संदर्भ किस्में हैं अम्बे सीडलैस, अंगूर कलां, अर्का कंचन, अर्का श्वेता, अर्कावती, बी ६९, व्यूटी सीडलैस, ब्लैक चम्पा, ब्लैक राउंड, कार्बन्टे साउविगनॉन, केटावबा, सेंटेनियल, चम्पानेल, चा. रडोन्नी, चेसालास ब्लॉक, चेमा सहाबी, सिनासाउट, कोंकोर्ड, कोंवेंट लार्ज ब्लैंक, क्रिमसन सीडलैस, क्रिम्सन सीडलैस, डिलाइट, डायमंड जुबली, फेंटासी सीडलैउ, फ्लेम सीडलैस, गोल्डन क्वीन, ग्रेनावे नोइर, गुलाबी, ईसबेला, इटेलिया, जाउस बेलई, काट्टा कुर्गन, किशमिश चर्नेई, किशमिश रोजोमिश, मंजरी नवीन, मारो सीडलैस, मार्बेझन सीडलैस, माउरविड़े, एनआरसीजी –८४–३, पर्ल ऑफ कसाबा, पर्लेट, पिनॉट नोइर, पूसा उर्वशी, रेड ग्लोब, रेड मस्केट, रेड प्रिंस, रेड्सलिंग, आरआर सीडलैस, रुबी रैड, सवाउविगनोन, ब्लैंक, शरद सीडलैस, सिराज, सिरियस, सोनाका, स्पिन साहीबी, सुपिरियर सीडलैस, थाम्पसन सीडलैस, उगानी ब्लांक, विटिस फलै. क्सोउसास और वाल्थम क्रॉस।

रोपे गए मूलवृत्तों को नियमित सस्यविज्ञानी विधियों जैसे उर्व. रीकरण, सिंचाई, निराई–गुड़ाई व कटाई छंटाई आदि अपनाते हुए उगाया गया। मूलवृत्तों की छंटाई करके स्वस्थाने कलम रोपण के लिए दो स्वस्थ प्ररोहों को बनाए रखा गया। यह कलम रोपण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में सूचीकृत संदर्भ किस्मों के साथ किया गया।

वर्तमान में अंगूर की दस किस्में पौधा किस्म सुरक्षा की प्रतीक्षा में हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

- कृषक किस्में : ४ (मारुती सीडलैस, न्यू सोनाका सीडलैस, नानासाहेब पर्पल सीडलैस, सरिता पर्पल सीडलैस।)
- सार्वजनिक संस्थान : १ (मेडिका)
- निजी कंपनियां/संस्थाएं/कृषक इतर : ५ (कारा सीडलैस, ब्लांक सीडलैस, मारा सीडलैस, जंगली ग्रेप बेल, आरा फिफटीन)

३.१.४५ भा.कृ.अ.प. – सीआईएच, बीकानेर

इस केन्द्र को भारतीय बेर (जिजिफस मौरिटियाना लाम्क.), तरबूज (सिटरूलुस लेनेट्स (थंब) मांस्फ और खरबूजा (क्यूक्यू मिसमेलो एल.) व खजूर जैसी फसलों के डीयूएस परीक्षण व अनुरक्षण का अधिदेश सौंपा गया है। इस केन्द्र की संक्षिप्त प्रगति

निम्नानुसार है :

तालिका ७७: अनुरक्षण के अंतर्गत/लक्षण वर्णित किस्में


| फसलें | वर्ष २०१५-१६ के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम व उनकी संख्या |
|--------------------------------------|--|
| भारतीय बेर (जिजिफस मौरिटियाना लाम्क) | २६ संदर्भ किस्में (जैसा कि भारतीय बेर के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों में इंगित किया गया है) सीआईएच, बीकानेर में अनुरक्षित की जा रही हैं। |
| तरबूज (सिटरूलुस लेनेट्स थंब) मांस्फ | चाल्स्टन ग्रे, अशाही यमातो, अर्का माणिक, सुगर बेबी, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, एएचडब्ल्यू-१९, एएचडब्ल्यू ६५ और थार मानक |
| खरबूजा (क्यूक्यूमिस मेलो एल.) | अर्का जीत, अर्का राजहंस, एमएचवाई-३, एमएचवाई-५, आरएम-३५, आरएम-५०, दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा मधुरस, जीएमएम-३, पंजाब सुनहरी और हरा मधु |

३.१.४६ सीआईएमएपी, लखनऊ

सीएसआईआर— सीआईएमएपी, लखनऊ में औषधीय तथा संगंधीय पौधों के लिए डीयूएस केन्द्र की प्रगति निम्नानुसार है :

तालिका ७८. डीयूएस परीक्षण, लक्षण-वर्णन तथा अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों के नाम व उनकी संख्या

| पौधे | डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्में | लक्षण- वर्णन व अनुरक्षण अधीन किस्मों की संख्या | अनुरक्षण अधीन किस्मों के नाम |
|---------|-----------------------------------|--|--|
| पुदीना | १ (सीआईएम – क्रांति) | १० | सीआईएम–क्रांति, कोसी, एमएस-१, कालका, शिवालिक, गोमती, हिमालया, सक्षम, कुशल, सीआईएमएपी, सरयू |
| सदाबहार | - | ३ | धवल, निर्मल, प्रबल |
| दमस्क | - | ४ | रानीसाहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कल्पना |
| गुलाब | - | २ | सीआईएम, जागृति, सुबोधक |
| ब्रह्मी | - | २ | सीआईएम, जागृति, सुबोधक |



वर्ष 2016 के फसल मौसम (जनवरी–मई 2016) के दौरान दो स्थानों (सीएसआईआर – सीआईएमएपी, लखनऊ तथा सीआईएमएपी संसाधन केन्द्र, पंतनगर) पर पुढ़ीना की सीआईएम – क्रांति किस्म पर डीयूएस परीक्षण किए गए। नोडल वैज्ञानिक द्वारा दोनों केन्द्रों पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के परामर्श के अनुसार दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ निगरानी की गई।

3.1.47 भा.कृ.अ.प. – सीपीसीआरआई, कैसरगौड

नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) के डीयूएस परीक्षण दिशा निर्देश के लिए अधिदेशित सीपीसीआरआई, कैसरगौड की संक्षिप्त प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है :

चुनी गई 40 संदर्भ/जारी की गई/विद्यमान किस्मों (चौघाट ओरेंज ड्वार्फ, वेस्ट कोस्ट टाल, चौघाट ग्रीन ड्वार्फ, सैन रेमन टाल, मालयन येलो ड्वार्फ, मालयन ओरेंज ड्वार्फ, गंगाबोंदम ग्रीन ड्वार्फ, स्पिकाटा टाल, लाकादीव माइक्रो टाल, कल्परक्षा, कल्प धेनु, कल्प प्रतिभा, कल्प मित्रा, चन्द्र कल्प) की बीज गिरियां और 20 विद्यमान संकर किस्मों नामतः चंद्र संकरा, केरा संकरा, चन्द्र लक्ष की बीज गिरियां डीयूएस परीक्षण हेतु पौद तैयार करने के लिए पोलीबैग में बोई गई।



अंकुरण तथा पौद की वृद्धि में लगने वाले समय से संबंधित गुणों को रिकॉर्ड किया गया। शैशव अवस्था के वृद्धि संबंधी गुणों जैसे पौद की ऊंचाई, पर्णवृत्त की लंबाई, मुख्य तने की मोटाई, शीर्ष में पत्तियों की संख्या, उप पत्तियों की गणना, उप पत्तियों की लंबाई, उप पत्तियों की चौड़ाई, डीयूएस परीक्षण आंकड़ों के सूजन के लिए वर्ष 2013 में रोपी गई 11 विद्यमान/संदर्भ किस्मों के लिए रिकॉर्ड की गई। वृद्धि संबंधी गुण जैसे ताड़ की ऊंचाई, पर्णवृत्त की लंबाई, पत्ती लगे हुए भाग की लंबाई और पत्ती की कुल लंबाई को कल्प मित्र नामक किस्म में अधिक पाया गया। चन्द्र कल्प में उप पत्तियों की संख्या अधिक थी तथा उनकी लंबाई भी अधिक थी। डीयूएस परीक्षण संबंधी गुण नारियल के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार

रोपाई के 24 महीने बाद रिकॉर्ड किए गए। सभी 11 किस्मों की उप पत्तियों की लंबाई 98.8 सें.मी. (सीओडी) से 115.6 सें.मी. (चन्द्र कल्प) के बीच थी, लेकिन इन्हें एकल अवस्था (छोटी-ठ120 सें.मी.) के रूप में समूहीकृत किया गया जिससे इस गुण के वर्गों के पुनः वर्गीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। उप पत्तियों की चौड़ाई 4.9 सें.मी. (सीओडी) से 5.9 सें.मी. (कल्प धेनु) के बीच रिकॉर्ड की गई लेकिन इन्हें चौड़ी अवस्था (झ4 सें.मी.) की श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया जिससे इस गुण के वर्गों को पुनः वर्गीकृत करने की आवश्यकता अनुभव की गई। 11 विद्यमान/संदर्भ किस्मों में एक वर्ष के दौरान उत्पन्न पत्तियों की संख्या 10–3 पत्तियों के बीच थी जो सीओडी में उच्चतर पत्ती उत्पादन व डब्ल्यूसीटी में अपेक्षाकृत कम पत्ती उत्पादन के रूप में प्रदर्शित हुई। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से स्थल पर डीयूएस परीक्षण गुणों की निगरानी हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ।

तालिका 79. पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन तथा पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए प्रमाण-पत्र

| फलें | बीज अविनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में (1992 से) | पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदन | जारी किए गए प्रमाण पत्र | ठिप्पणियां |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| कल्प संकरा, कल्प मित्र, कल्प धेनु, कल्प श्री, कल्परक्षा, कल्प प्रतिभा | हां | हां | प्रमाण- पत्र जारी किया गया | - |
| इथामोजी टाल को. कोनट, नानीरंग मैइमी, नारीकोल, दीजय येलो ड्वार्फ, सिंदूरी, माघी | नहीं | हां | नहीं | प्रक्रियाधीन |
| कल्प हरिता, कल्प सूर्या, कल्प ज्योति, के. राचंद्रा, कल्प समृद्धि | नहीं | हां | नहीं | स्थल परीक्षण हेतु अनुशंसित |
| इडावा लोंग फाइबर कोकोनट, टीए डी (महुआ), बानावाली, प्रताप, कौंकण, भाटेय कोकोनट हाइब्रिड 1 | नहीं | हां | नहीं | प्रक्रियाधीन |
| देशी | नहीं | हां | नहीं | प्रक्रियाधीन |

3.1.48 आईएफजीटीबी- आईसीएफआई, कोयम्बत्तूर

सफेदा के क्लोनों के पंजीकरण के लिए निम्न गतिविधियों सहित प्रांभिक कार्य आरंभ किए जा चुके हैं : स्थापित किए गए


जनन बैंकों का रखरखाव किया जा रहा है। कलोनों के डेटाबेस के विकास और डीयूएस गुणों की मैट्रिक्स के लिए उदाहरण कलोनों में आकृतिविज्ञानी गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कलोन संबंधी गुणों में डीयूएस गुणों को रिकॉर्ड करने के लिए आरमालम के दौरे किए गए।

केन्द्र की पूरी हो चुकी गतिविधियों में शामिल हैं :

- पहले से ही स्थापित जननद्रव्य बैंक का रखरखाव
- जननद्रव्य बैंक में पर्यवेक्षण
- डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना के लिए भूमि की पहचान
- डीयूएस केन्द्र में उदाहरण किस्मों के संकलन, प्रवर्धन व जनन बैंक की स्थापना के लिए कार्बवाई
- डीयूएस परीक्षण के लिए योजना तैयार करना
- कलोन ग डीयूएस गुणों की मैट्रिक्स का विकास



बीयू परिसर, कोयम्बत्तूर में वानस्पतिक प्रगुणन उद्यान (वीएमजी) में रोपी गई सफेद की उदाहरण किस्मों का शैशव संबंधी गुण हेतु नए वितान निकलने के पश्चात अध्ययन किया गया।



कैसुआरीना डीयूएस केन्द्र में कैसुआरीना इक्वीस्ट्रीफोलिया, सी. जुंघुहिनियाना तथा उनके संकरों के लगभग 10 कलोन वन परिसर, कोयम्बत्तूर में एकत्र किए गए हैं जो कैसुआरीना के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास में प्रयुक्त होने वाले उदाहरण कलोनों के रूप में उपयोग में लाए जाएंगे। इस संदर्भ जननद्रव्य संकलन को दिशानिर्देशों में विवरणों के रूप में उल्लिखित सभी गुणों की अभिव्यक्ति के लिए समय-समय पर अनुरक्षित किया जा रहा है। कलोन बनाम डीयूएस गुण मैट्रिक्स विकास के लिए किसी एक कलोन के कम से कम 4 वृक्षों में गुणों का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जा रहा है। कलोन आईएफजीटीबी – सीजे-9 के 25 वृक्षों का एक अलग ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है तथा इसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि इसके पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल कर दिया गया है।

3.1.49 चाय अनुसंधान संस्थान, टोकलाई

टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान, टी रिसर्च एसोसिएशन, जोरहट, असम ‘पौधा किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण प्राप्तिकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम’ के अंतर्गत कार्यक्रम को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू कर रहा है :

- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अंतर्गत चाय के जिन कलोनों/बीज किस्मों को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है उनके डीयूएस गुणों का लक्षण-वर्णन।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के अंतर्गत चाय के कलोनों/बीज किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन
- अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत चाय की सभी बीज किस्मों व कलोनों के लिए डीयूएस लक्षण-वर्णन डेटाबेस तैयार करना

इस केन्द्र ने चाय के दो नए कलोनों नामतः टीटीआरआई व टीटीआरआई-2; और विद्यमान किस्म के रूप में एक लोकप्रिय कलोन (टीवी 31) के लिए अनेक आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

केन्द्र द्वारा विकसित कलोनों/बीजों के स्थल पर डीयूएस लक्षण-वर्णन के लिए नॉर्थ बंगाल रीजनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (एनबीआरआ. रडीसी), टीआरए के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है और केन्द्र द्वारा आस-पास के उद्यानों से भी इस संदर्भ में सम्पर्क साधा गया है। इन नए रोपण सामग्रियों की कलमें/बीज उनके डीयूएस लक्षण-वर्णन के लिए चाय के डीयूएस केन्द्र में लाई जाएंगी।

तालिका 80. प्रगति अधीन निम्नलिखित लोकप्रिय कलोनों/बीज किस्मों का लक्षण-वर्णन

| रोपण सामग्री | कलोन/बीज स्टॉक |
|---|----------------|
| टीवी-1, टीवी-15, टीवी-16, टीवी-17, टीवी-20, टीवी-23, टीवी-25, टीवी-26 | कलोन |
| टीएस-589, टीएस-520 | बीज स्टॉक |

तालिका 81. प्रगति अधीन कलोनों/जननद्रव्य का लक्षण-वर्णन

| क्र.सं. | कलोन | टिप्पणी |
|---------|---------------|---|
| 1 | ए 11 | बेहतर उपज व गुणवत्ता से युक्त त्रिगुणित कलोन विकसित करने के लिए दीघर्विधि परीक्षण अधीन त्रिगुणित कलोन |
| 2 | बी-22 | |
| 3 | डीएल-ए | |
| 4 | डीएल-बी | ग्रीन टी विनिर्माण के लिए उपयुक्त कलान के विनिर्माण हेतु दीघर्विधि परीक्षण अधीन कलोन |
| 5 | डीएल- सी | |
| 6 | डीएच-1 व 2 | |
| 7 | डीएच 3 व 4 | ग्रीन टी व व्हाइट टी के विनिर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया एक जननद्रव्य |
| 8 | डीएच 5 व 6 | |

3.1.50 गन्ना प्रजनन संस्थान, एसबीआई, कोयम्बत्तूर

भा.कृ.अ.प. — भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (एसबीआई), कोयम्बत्तूर गन्ना की उष्ण कटिबंधीय किस्मों के लिए नोडल केन्द्र है। अनुरक्षण के लिए वर्ष 2015–16 में खेत में कुल 186 संदर्भ किस्में रोपी गई। नई किस्में व कृषक किस्में खेत में आरबीडी डिज़ाइन में दो प्रतिकृतियों में प्रतिरोपित की गई। प्लॉट का आकार 4 कतार ग 6 मी. लंबाई ग 0.9 मी. कतार से कतार की दूरी रखते हुए प्रत्येक किस्म के लिए निर्धारित किया गया। कुल 27 आकृतिविज्ञानी गुणों के आधार पर 240 दिन, तथा 300, 360 दिन की आयु पर नई किस्मों के मामले में विवरण पूरे किए गए। नई किस्मों के नाम हैं : सीओ 06030, सीओ 06027 तथा सीओ 0403। इन्हें सात संदर्भ किस्मों नामतः सीओए 7602, सीओए 90081, कोका 671, सीओएम 6806, सीओ 94008, सीओ 85004 व सीओ 86032 के साथ उल्लिखित किया गया। कृषक किस्मों सिद्धिगिरि-1234 व ध्यानेश्वर 16 का रोपाई के बाद 240, 300 व 60 दिनों की आयु में लक्षण-वर्णन किया गया। कृषक किस्मों नामतः ध्यानेश्वर-16 और सिद्धिगिरि 1234 के गुणों की तुलना उसी स्थान पर उगाई गई संदर्भ किस्मों (सीओ 86032 और सीओ 92005) के साथ की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यानेश्वर 16 की गुणप्रसूपी दिखावट लोकप्रिय किस्म सीओ 86032 के समान थी तथा सिद्धिगिरि 1234 के गुण व गुणप्रसूपी अभिव्यक्ति जारी की जा चुकी किस्म सीओ 92005 के समान थी। निगरानी समिति ने 15 मार्च 2016 को कोयम्बत्तूर स्थित डीयूएस केन्द्र का दौरा किया व समिति ने कृषक

किस्मों व नई किस्मों के विशिष्ट आकृतिविज्ञानी गुणों का सत्यापन किया। नई किस्में एक दूसरे से विशिष्ट थीं तथा वे विद्यमान संदर्भ किस्मों से भी विशिष्ट थीं और इन किस्मों की समष्टि समरूप थीं। कृषक किस्में पहले ही जारी की जा चुकी किस्मों/संदर्भ किस्मों से भिन्न नहीं थीं।

3.1.51 भा.कृ.अ.प. – गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान का केन्द्र, अगाली

यह उष्णकटिबंधीय गन्ना के डीयूएस परीक्षण, लक्षण-वर्णन और अनुरक्षण के लिए एक सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2015–16 के दौरान दो कृषक किस्में नामतः सिद्धिगिरि-1234 और ध्यानेश्वर-16 व तीन नई किस्में नामतः सीओ 0403, सीओ 06027 और सीओ 06030 डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त की गई। कृषक किस्मों की रोपाई खेत में 20 फरवरी 2015 को की गई जबकि नई किस्मों को सात सर्वाधिक समान संदर्भ किस्मों नामतः सीओ 86032, सीओ 85004, सीओ 94008, सीओए 7602, सीओए 90081, सीओसी 671, सीओएम 6806 के साथ दो प्रतिकृतियों में आरबीडी डिजाइन के साथ रोपा गया। प्लॉट का आकार प्रति प्रविष्टि के मामले में 4 कतारग 6 मी. लंबाई ग 0.9 मी. कतार से कतार की दूरी रखते हुए तैयार किया गया। प्रति प्रविष्टि प्रति प्रतिकृति कुल 40 पौधे रखे गए। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 27 आकृतिविज्ञानी गुणों पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। प्रथम वर्ष रिकॉर्ड किए गए पर्यवेक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि नई किस्में सीओ 0403, सीओ 06027 और सीओ 060230 विद्यमान संदर्भ किस्मों से भिन्न थी, जबकि कृषक किस्में (सिद्धिगिरि-1234 तथा ध्यानेश्वर-16) पहले से जारी की गई किस्मों से भिन्न नहीं थी। कृषक किस्म सिद्धिगिरि-1234 पहले से जारी की जा चुकी किस्म सीओ 92005 के समान थी जबकि कृषक किस्म ध्यानेश्वर 16 एक अच्युत जारी की गई जा चुकी किस्म सीओ 86032 के समान थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा खेत में गन्ना की 189 उष्णकटिबंधी संदर्भ किस्में अनुरक्षित की जा रही हैं।

समिति द्वारा 16 मार्च 2016 को डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की गई। समिति ने विशिष्ट विशेषक प्रत्याशी किस्मों का निरीक्षण किया। समिति ने पाया कि नई किस्में सीओ 0403, सीओ 06027 और सीओ 06030 से भिन्न थी जबकि कृषक किस्में सिद्धिगिरि-1234 और ध्यानेश्वर-16 ऐसी नहीं थी।

3.1.52 भा.कृ.अ.प. – गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल

भा.कृ.अ.प.— गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल, गन्ना की उपोष्ण किस्मों में डीयूएस परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्र है।

तालिका 82. अनुरक्षण अधीन/लक्षण वर्णित किट्टमें

| |
|---|
| बीओ 141, बीओ153, बीओ91, बीओ136, बीओ130, बीओ129, बीओ147, बीओ139, बीओ128, बीओ120, बीओ99 बीओ145, बीओ146, बीओ109, बीओ 138, बीओ137, बीओ 110- सीओपी 9301, सीओपी2061, सीओपी9302, सीओपी9206, सीओपी9702, सीओएच119, सीओएच56, सीओएच99, सी.ओएच128, सीओएच160, सीओएच110, सीओएच92, सीओएच35, सी.ओपंत90223, सीओपंत97222, सीओपंत99214, सीओपंत84211, सीआ.पंत03220, सीओपंत84212, सीओपंत08221, सीओपंत96219, सीओबी94164, सीओएस 90269, सीओएस91269, सीओएस90265, सी�ओएस8432, सी.ओएस96258, सीओएस96268-, सीओएस96275, सीओएस97261, सी.ओएस99259, सीओएस96269, सीओएस97264, सीओएस7918, सीओएस770, सीओएस95255, सीओएस95222, सीओएस94270, सीओएस8118, सी.ओएस797, सीओएस8207, सीओएस8315, सीओएस94257, सीओएस541, सीओएस8436, सीओएस88230, सीओएस767, सीओएस109, सीओएस443, सीओएस98259, सीओएस91230, सीओएस687, सीओएस07250(एमयूजैड), सीओएस03251(एमयूजैड), सीओएस514, सीओएस245, सीओएस510, सी.ओएस93259, सीओएसई 01434(एमयूजैड), सीओएसई 95422, सीओएस.ई 92423, सीओएसई 01424, सीआएसई 96436, सीओएसई 95436, सीओएसई 00235, सीओएसई 01235, सीओएसई 98231, यूपी 0097, यूपी5-एसबीआई-1आर, यूपी05125(एमयूजैड), यूपी9530, सीओएलके 8102, सीओएलके 94184, सीओएलके 8001, सीओ6617, सीओ87263, सीओ87268, सीओ6811, सीओ1158, सीओ453, सीओ6425, सीओ1148, सीओ89029, सीओ98014, सीओ1336, सीओ89003, सीओ419, सीओ7717, सीओ0239, सीओ0238, सीओ05011, सीओ05009, सीओ0118, सीओ0237, सीओ0124, सीआजे88, सीओजे 85, सीओजे 89, सीओजे 83, सीओजे 64, सीओप.बी09181, सीओबीएलएन9101, सीओबीएलएन9103*, सीओबीएलएन 9105, सीओबीएलएन94063, सीओबीएलएन2173, सीओबीएलएन90006, सी.ओबीएलएन*9104 और सीओबीएलएन9102 |
|---|

3.1.53 लघु मोटे अनाजों पर एआईसीआएपी, जीकेवीके, बंगलुरु

लघु मोटे अनाजों के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु नोडल केन्द्र के रूप में यह केन्द्र निम्न फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित कर रहा है।

तालिका 83. डीयूएस केन्द्र में फसलों के अनुरक्षण में प्रगति

| | |
|-----------------|---|
| कोदों | आरके 390-25, डीपीएस 9-1, आरके 65-18, जेके 13, जेके 41, जेके 48, जेके 62, जेके 65, जेके 76, जेके 98, जेके 106, जेके 136, जेके 155 (आरबीके 155), जेके 439, जेएनके 364, जेएनके 101, सीओ2, सीओ 3, टीएनएयू 86, इंदिरा कोदो 1, निवास 1, जीके 2, एपीके 1, पीएससी 1, के 1, जीपीयूके 3 |
| लिटिल मिलेट | ओएलएम 20, जेके 36, पायरर 2, ओएलएम 36, सीओ 2, बिरसागुंडी 1, ओएलएम 203, सीओ 3, के 1, ओएलएम 208, सीओ 4, डिलोरी 1, ओएलएम 217, टीएनएयू 63, गुजरातवारी 1, जेके 8, मयूर1 |
| बार्नार्ड मिलेट | सीओ 1, वीएल 172, आरएयू 3, सीओ 2, वीएल 181, आरएयू 11, के 1, वीएल 207, अनुराग वीएल 21, के 2, वीएल 29, पीआरजे 1 |

| | |
|--------------|---|
| प्रोसो मिलेट | टीएनएयू 145, सीओ 3, के 1, टीएनएयू 151, सीओ 4, बीआर 7, टीएनएयू 164, सीओ 5, जीपीयूपी 8, टीएनएयू 202, पीआरसी 1, जीपीयूपी 21 |
| कंगनी | मीरा, अर्जुन, के 2, नरसिंहराया, गवारी, के-3, एसआईए, 3085, पीआरके1, के-221-1, श्री लक्ष्मी, एसआईए 326 (प्रसार), सीओ 1, सीओ 7, लेपाक्षी, सीओ-2, एसआईए 3156, एसआईए, 3088, सीओ 4, टीएनएयू 186, चित्रा, सीओ 5 कृष्णा, देवराया, एच 1, पीएस 4, आरएयू 2, एच 2, आरएस 118, प्रताप कंगनी, एचएमटी 100-1 |
| रागी | वीएल 146, जीपीयू 28, सीओ 12, कल्याणी, वीएल 149, एमएल 365, सीओ 13, वीएम-1, वीएल 204, जीपीयू 45, सीओ 14, वीएम-2, वीएल 315, जीपीयू 48, टीआरवाई 1, ए 404, वीएल 324, जीपीयू 66, के 7, आरएयू 3, वीएल 347, जीपीयू 67, जीएन 1, आरएयू 8, वीएल 352, एचआर 374, जीएन 2, पीआरएम-1, एल 5, एचआर 911 जीएन 3, पीआरएम-2, एमआर 1, हमसा, जीएन 4, पैयूर 1, एमआर 2, ओईबी 10, जी 5, पैयूर 2, एमआर 6, ओईबी 526, वीआर 708, इंदिरा रागी, आईएनडीएफ-3, ओईबी 532, वीआर 762, केओपीएन 235, आईएनडीएफ 5, ओयूएटी 2, वीआर 847, डपोली 1, आईएनडीएफ-7, वीएम-9-1, वीआर 936, पीईएस 110, आईएनडीएफ 8, दिव्यासिन्हा, पीआर 202, नीलांचल, आईएनडीएफ 9, सीओ5, पीआर230, ईएस 11, आईएनडीएफ 15, सीओ 7, पीआर 1044, पूर्ण, केएमआर-204, सीओ 8, पीआर 2350 (पद्मावती), केएमआर 301, सीओ 9, पीआर 2614, जीपीयू 26, सीओ 10, पीपीआर 2700 |

3.1.54 भा.कृ.अ.प. - केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ



इस केन्द्र के लिए अनेक अधिदेशित फसलें हैं जिनमें से आम को पंजीकरण हेतु पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है तथा अन्य फसलों के मामले में जैसे अमरुद के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए जा रहे हैं। इस केन्द्र की संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है :

- फ़ील्ड जीन बैंक में 772 प्रविष्टियों का रखरखाव किया गया है। वर्ष के दौरान 42 किस्मों का लक्षण—वर्णन किया गया और 40 कृषक किस्में एकत्रित की गई।
- मलिहाबाद में स्थल पर पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों को अपनाते हुए 37 कृषक किस्मों का स्थल डीयूएस परीक्षण जारी रखा गया। यारह किस्में पुष्टि नहीं हो रही थी। इस प्रकार केवल 26 किस्मों से संबंधित आंकड़े ही एकत्र किए जा सके।
- दो स्थानों पर डीयूएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए — एक मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, तथा दूसरा मालदा में ये दोनों ही स्थान आम विविधता के हॉट-स्पॉट हैं। परिणामस्वरूप आम की कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु 15 आवेदन तैयार किए गए जो पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
- जून—जुलाई के महीने में 4 स्थानों पर कृषक किस्में तथा अन्य किस्मों के प्रदर्शन के लिए विविधता प्रदर्शनी आयोजित की गई।

3.2 डीयूएस केन्द्रों व परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

डीयूएस केन्द्रों और परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक 26–27 फरवरी 2016 को एमपीकेवी, राहुरी में आयोजित की गई जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. के.पी. विश्वनाथ, माननीय कुलपति; डॉ. के.डी. कोकाटे, निदेशक (अनुसंधान) तथा एमपीकेवी, राहुरी के अन्य अधिकारी; भा.कृ.अ.प. संस्थानों के निदेशक / परियोजना समन्वयक, डीयूएस केन्द्रों के नोडल अधिकारी और निजी बीज उद्योग के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष व महापंजीकार तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तकनीकी कार्यक्रम में निम्नानुसार 8 सत्र आयोजित किए गए :

- प्रथम सत्र : डीयूएस परीक्षण, अनुरक्षण प्रजनन : बागवानी समूह: अध्यक्ष : डॉ. एन.के. कृष्ण कुमार, तत्कालीन उप महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अ.प.
- द्वितीय सत्र : बागवानी फसल : फ़ील्ड जीन बैंक तथा स्थल पर डीयूएस परीक्षण : अध्यक्ष : डॉ. एम. आर. दिनेश, आईआईएचआर
- तृतीय सत्र : वाणिज्यिक फसलों में डीयूएस परीक्षण तथा आवेदन दाखिल करने की स्थिति : अध्यक्ष : डॉ. वी.ए. पार्थसारथी, पूर्व निदेशक, आईआईएसआर

- चतुर्थ सत्र : वाणिज्यिक तथा अन्य फसलों के परीक्षण के साथ—साथ दिशानिर्देशों का विकास : अध्यक्ष : डॉ. एम. आनंद राज, निदेशक, आईआईएसआर
- पंचम सत्र : कपास में डीयूएस परीक्षण : अध्यक्ष : डॉ. एन.के. बिरादर पाटिल, यूएस, धारवाड़
- षष्ठम सत्र : प्रमुख फसलों में डीयूएस परीक्षण के मुद्दों की स्थिति व उनका विश्लेषण : अध्यक्ष : डॉ. जे.एस. चौहान, सहायक महानिदेशक (बीज), भा.कृ.अ.प.
- सप्तम सत्र : स्टेक होल्डरों का गोल मेज सम्मेलन, अध्यक्ष : डॉ. संजीव सक्सेना, सहायक महानिदेशक, आईपीआर, भा.कृ.अ.प.
- अष्टम सत्र : कृषक किस्मों का पंजीकरण, प्रलेखन व पीपीआर भूदृश्य निर्माण : अध्यक्ष : डॉ. संजीव गुप्ता, पीसी (मुलार्प), आईआईपीआर

समीक्षा बैठक की अंतिम अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :

- भा.कृ.अ.प. में फसल निदेशालयों को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रजानित प्रत्येक उस किस्म का पंजीकरण कराने के प्रयास कराने चाहिए जो बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित है तथा नई/ वीसीके श्रेणी के अंतर्गत अन्य प्रकार की किस्मों को पंजीकृत कराने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- आईआईएचआर और पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ऐसे पीपीवी आवेदनों को दाखिल करने के लिए आंकड़े एकत्र करेगा, उन्हें प्रलेखित करेगा व मेंटर समुदायों से सम्पर्क करने का प्रयास करेगा जिन्हें जीआई स्वीकृत किया जा चुका है जैसे, नागा मिर्च ताकि जो समुदाय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण किस्मों का अनुरक्षण कर रहे हैं उन्हें उसके लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान किया जा सके।
- मिर्च में विवरणों की सूची में नरवंध्यता को शामिल किया जा सकता है।
- स्थल पर डीयूएस परीक्षण के लिए प्राधिकरण को फसल प्रजातियों के नोडल केन्द्र से परामर्श के साथ विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए तथा उपयुक्त फसल तथा विधिक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए उनसे व्यापक परामर्श के पश्चात् स्थल परीक्षण किए जाने चाहिए।
- केन्द्र किसी भी आंकड़े या सूचना को सार्वजनिक नहीं करेंगे, विशेष तौर से उस किस्म के मामले में जो केवल पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में परीक्षण हेतु पंजीकृत की गई है व्यापक ऐसा करने का अधिकार केवल पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को है।

- फील्ड जीन बैंक संबंधित संस्थानों में विकसित परंपरागत किस्मों व संस्थानों की किस्मों के प्रलेखन/आवेदन दाखिल करने के लिए कार्रवाई मेंटर समुदायों के साथ करेंगे।
- एनआरसी ऑर्किड उचित प्रजातियों के लिए पीपीपी प्राप्त करने हेतु आवेदन दाखिल करने का प्रयास करेगा तथा इन दिशानिर्देशों में केवल उदाहरण किस्में ही होनी चाहिए।
- आवेदकों द्वारा केवल रोगमुक्त केले के प्रकांद प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा संस्थान भी रोगमुक्त ऊतक संवर्धन के माध्यम से पौधे उगायेंगे। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, भारत में किस्मगत संपदा को पंजीकृत कराने/सुरक्षित करने के गहन प्रयास करेगा।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पुमेलो तथा नींबू के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों पर विचार किया जाना चाहिए। एआईसीआरसी के लिए नींबूवर्गीय फलों या सिट्रस किस्मों की अनुशंसा यह है कि ये किस्में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्ति समिति (सीवीआरसी) के माध्यम से ही जारी की जानी चाहिए। एक बार जांच होने के पश्चात् आवेदन पीपीपी और एफआर प्राधिकरण को भेजे जाने चाहिए।
- औषधीय पौधों तथा मसालों सहित बागवानी फसलों की सूची डीयूएस परीक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।
- एकत्र किया गया डीयूएस परीक्षण शुल्क डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे पंजीकरण हेतु परीक्षण कर सकें।
- डीयूएस परीक्षण में सामान्य संदर्भ किस्में आईआईवीआर/आईआईएचआर में अनुरक्षित करते हुए उपयोग में लाई जानी चाहिए तथा प्राधिकरण सुरक्षित खेती के लिए केन्द्रों को सबल बनायेगा। विशेष गुण जैसे अजैविक व जैविक प्रतिरोध को डीयूएस दिशानिर्देश में शामिल किया जा सकता है। केन्द्रों को डीयूएस परीक्षण करने तथा किस्मों के अनुरक्षण के लिए समय पर पर्याप्त अनुदोन दिए जाने चाहिए। वार्षिक शुल्क अदा करके सुरक्षा को तभी चिरकालिक बनाया जा सकता है जब किसी किस्म के आर्थिक महत्व को पहचान लिया गया हो। प्रजनक प्लाटों में डीयूएस परीक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता है और इस पर बारीकी से चर्चा होनी चाहिए।
- प्राधिकरण 67 प्रजातियों का डीयूएस डेटाबेस सृजित करेगा तथा 35 प्रजातियों के इंडस में मौजूद डेटाबेस को अद्यतन करेगा।
- उद्योग के साथ परिचर्चा बैठक को यथाशीघ्र आयोजित करने की आवश्यकता है।

3.3 पीपीपी और एफआरए का राष्ट्रीय जीन बैंक

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का राष्ट्रीय

जीन बैंक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा, नई दिल्ली के पुराने परिसर में स्थापित किया गया था। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्यम अवधि के भण्डारण के तहत सुरक्षित कस्टडी के लिए किराये की इस सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है। मध्यम अवधि सुविधा के कार्य की मॉनीटरिंग का कार्य एनबीपीजीआर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। मध्यम अवधि के भण्डारण का तापमान $\pm 4^{\circ}\text{C}$ रखा जाता है और आपेक्षिक आर्द्रता को 35 प्रतिशत तक समायोजित किया जाता है। मध्यम अवधि भण्डारण (एमटीएस) माड्यूल तथा डीयूएस परीक्षण रिपोजिट्री की आपेक्षिक आर्द्रता और तापमान को इलैक्ट्रीशियन द्वारा प्रतिदिन दर्ज किया जाता है और यदि कोई समस्या हो तो उसे एनबीपीजीआर के तकनीकी कार्मिकों की जानकारी में लाया जाता है। डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों के नमूनों की पैकेजिंग, सील लगाने और प्रसंस्करण के कार्य में प्राधिकरण के अधिकारियों को समय-समय पर तकनीकी मदद प्रदान की जाती है। मध्यम अवधि भण्डारण परिस्थितियों के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के वास्तविक ('आर्थॉडॉक्स') बीजों तथा डीयूएस परीक्षण/बढ़वारपरीक्षण के तहत आजमाई गई किस्मों के लिए बीज नमूनों को भण्डारित किया जा रहा है। पीपीपी एंड एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 में राष्ट्रीय जीन बैंक का प्रावधान है और निर्धारित किया गया है कि प्रजनकों को पंजीकृत किस्म के पैतृक वंशकम बीजों सहित बीजों अथवा प्रवर्धित सामग्री की मात्रा को राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा कराना होगा। पुनः पीपीपी एंड एफआर नियमावली, 2003 के अनुसार, बीजों तथा प्रवर्ध्य के नमूनों में आनुवंशिक शुद्धता, एकरूपता व अंकुरण, स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता मानकों के रख-रखाव योग्य मानदण्ड बने रहने चाहिए। मध्यम अवधि के तहत भण्डारण, बीज रख-रखाव, पुनः पैकेजिंग, पौधा किस्म संरक्षण, बीज गुणवत्ता पैरामीटरों के मूल्यांकन के लिए वांछित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को खेत परीक्षण के लिए नमूनों को भेजना जैसे किसी भी बहिः स्थाने जननद्रव्य बैंक की तुलना में अधिदेशित गतिविधियां काफी हद तक भिन्न होती हैं और इनमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। पंजीकृत किस्मों के लिए भण्डारित बीजों का उपयोग विवाद को निपटाने, अनिवार्य लाइसेन्सिंग और अधिनियम के आवश्यकतानुसार उपयुक्त किसी भी ऐसे मुद्रे के समाधान हेतु किया जा सकता है।

3.3.1 पंजीकृत किस्मों के बीजों का मध्यम अवधि भंडारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत अधिसूचित 900 विद्यमान किस्मों, 213 वीसीके एवं ईडीवी किस्मों, 297 नवीन किस्मों तथा 781 कृषक किस्मों के बीज नमूनों को बीज भण्डारण के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए बीज कैबिनेट में रखा जा रहा है। इन बीज नमूनों को $30\pm 5\%$ की आपेक्षिक आर्द्रता के साथ 4°S . लिस्यस तापमान की नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में रखा जा रहा है ताकि लंबी अवधि के लिए बीज नमूनों की शारीरिक व्यवहार्यता अथवा जीवनक्षमता सुनिश्चित की जा सके। पंजीकृत किस्मों के बीज

नमूनों को संरक्षण की अवधि तक भण्डारित किया जाता है और फसल विशिष्ट मानदण्डों एवं जरूरतों के अनुसार निर्धारित अन्तराल पर इनकी व्यवहार्यता जांची जाएगी। पीपीवी एंड एफआरए के राष्ट्रीय जीन बैंक में भण्डारण के 5 वर्ष उपरान्त एमटीएस में रखी निम्नलिखित पंजीकृत किस्मों के बीजों की जांच की गई।

तालिका 84 : राष्ट्रीय जीनबैंक में मध्यावधि भंडारण की दशा में संरक्षित पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों की प्रगति

| क्र.सं. | फसलें | 31 मार्च 2016 तक जीन बैंक में कुल भंडारण | | | | | | | | | | कुल योग (ए+बी) | |
|---------|--------------|---|----------------|------|--------------------|-------|----------------------------|-------------|------|-------------------|--------|----------------|--|
| | | डीयूएस परीक्षण रिपोजिटरी (एसटीएस) | | | | | मध्यावधि भंडारण | | | | | | |
| | | (22 ^o से. पर डीयूएस परीक्षण हेतु रखी गई प्रत्याशी किस्में) | | | | | 4 ^o से. | | | | | | |
| | | प्राप्त बीज ए | | | | | जारी किए गए प्रमाण-पत्र बी | | | | | | |
| | | नई | वीसीके + ईडीवी | कृषक | विद्यमान अधि सूचित | कुल ए | नई | वीसके+ईडीवी | कृषक | विद्यमान अधिसूचित | कुल बी | | |
| 1 | चपाती गेहूँ | 16 | 5 | 43 | 2 | 66 | 11 | 5 | 3 | 106 | 125 | 191 | |
| 2 | बैंगन | 117 | 116 | 11 | 1 | 245 | | | | 10 | 10 | 255 | |
| 3 | बंदगोभी | 15 | 1 | | | 16 | | | | 1 | 1 | 17 | |
| 4 | अरण्ड | 5 | 2 | 2 | | 9 | 2 | 1 | | 4 | 7 | 16 | |
| 5 | फूलगोभी | 39 | 11 | 3 | | 53 | | | | 3 | 3 | 56 | |
| 6 | चना | 2 | | 25 | | 27 | | | 1 | 40 | 41 | 68 | |
| 7 | कपास | 388 | 270 158 | 2 | 7 | 825 | 45 | 311 | | 79 | 156 | 981 | |
| 8 | सेम | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | |
| 9 | मटर | 2 | 2 | 15 | | 19 | | | | 26 | 26 | 45 | |
| 11 | मुँग | 4 | 3 | 18 | 1 | 26 | | 1 | | 29 | 30 | 56 | |
| 12 | मुँगफली | | | 8 | | 8 | | | | 33 | 33 | 41 | |
| 13 | पटसन | 12 | 1 | 4 | | 17 | 4 | | | 10 | 14 | 31 | |
| 14 | मसूर | | | 33 | | 33 | | | | 11 | 11 | 44 | |
| 15 | अलसी | | | 15 | 2 | 17 | | | | 5 | 5 | 22 | |
| 16 | मक्का | 217 | 29 | 74 | | 320 | 62 | 41 | 5 | 74 | 182 | 502 | |
| 17 | सरसों | 10 | 8 | 39 | 1 | 58 | 2 | 11 | 1 | 49 | 63 | 121 | |
| 18 | भिण्डी | 66 | 39 | 4 | | 109 | | | | 8 | 8 | 117 | |
| 19 | प्याज | 1 | 11 | 4 | 5 | 21 | | | | 4 | 4 | 25 | |
| 20 | बाजरा | 116 | 10 | 4 | 1 | 131 | 29 | 29 | | 49 | 107 | 238 | |
| 21 | अरहर | 19 | 5 | 50 | | 74 | 4 | 1 | 3 | 20 | 28 | 102 | |
| 22 | तोरिया | | | 2 | | 2 | | | | 12 | 12 | 14 | |
| 23 | घावल | 239 | 33 | 2551 | 7 | 2830 | 63 | 37 | 764 | 156 | 1020 | 3850 | |
| 24 | कुसुम | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 6 | 6 | 9 | |
| 25 | तिल | | | 13 | 2 | 15 | | | | 5 | 5 | 20 | |
| 26 | *छोटी इलायची | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | ज्वार | 74 | 30 | 4 | 1 | 109 | 46 | 36 | 4 | 36 | 122 | 231 | |
| 28 | सोयाबीन | 3 | | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | | 21 | 23 | 38 | |
| 29 | सूरजमुखी | 76 | 10 | | | 86 | 28 | 15 | | 9 | 52 | 138 | |

| क्र.सं. | फसलें | 31 मार्च 2016 तक जीन बींक में कुल भंडारण | | | | | | | | | | कुल योग (ए+बी) | |
|---------|--------|--|----------------|------|--------------------|-------|----------------------------|--------------|------|-------------------|--------|----------------|--|
| | | डीयूएस परीक्षण रिपोजिटरी (एसटीएस) (22° से. पर डीयूएस परीक्षण हेतु रखी गई प्रत्याशी किस्में) | | | | | मध्यावधि भंडारण 4° से. | | | | | | |
| | | प्राप्त बीज ए | | | | | जारी किए गए प्रमाण-पत्र बी | | | | | | |
| | | नई | वीसीके + ईडीवी | कृषक | विद्यमान अधि सूचित | कुल ए | नई | वीसीके+ईडीवी | कृषक | विद्यमान अधिसूचित | कुल बी | | |
| 30 | टमाटर | 102 | 97 | 6 | | 205 | | | | 7 | 7 | 212 | |
| 31 | उड्डद | 1 | 1 | 39 | | 41 | | | | 16 | 16 | 57 | |
| 32 | अदरक | | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | |
| 33 | गन्ना | | | 2 | | 2 | | | | 38 | 38 | 40 | |
| 34 | आलू | 11 | | 3 | | 14 | 2 | | | 13 | 15 | 29 | |
| 35 | गुलाब | | | | | | | | | | | | |
| 36 | राजमा | | | 12 | | 12 | 1 | | | 8 | 9 | 21 | |
| 37 | धनिया | 1 | | 6 | | 7 | | | | | | 7 | |
| 38 | लहसुन | | | 9 | | 9 | | | | 2 | 2 | 11 | |
| 39 | हल्दी | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | करेला | | 19 | 8 | 1 | 28 | | | | | | 28 | |
| 41 | कद्दू | | | 11 | | 11 | | | | | | 11 | |
| 42 | लौकी | | 8 | 7 | 1 | 16 | | | | 1 | 1 | 17 | |
| 43 | खीरा | 7 | 15 | 1 | | 23 | | | | | | 23 | |
| 44 | नारियल | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | |
| 45 | जौ | 3 | 4 | 8 | | 15 | | | | | | 15 | |
| 46 | मेथी | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | |
| 47 | तरबूज | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | |
| 48 | खरबूजा | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 49 | रागी | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 50 | कंगनी | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | |
| 51 | मिर्च | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | 1549 | 895 | 3052 | 40 | 5536 | 297 | 213 | 781 | 900 | 2191 | 7727 | |

3.3.2 डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों के बीजों का अल्पावधि भंडारण

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार डीयूएस परीक्षणों का आयोजन इस प्रकार किया जाता है:

- नवीन श्रेणी के तहत किस्मों के लिए दो वर्ष एवं दो स्थान
- सामान्य अथवा प्रचलित जानकारी (वीसीके) तथा किसानों द्वारा विकसित किस्मों के लिए दो स्थानों पर एक वर्ष

आवेदक को नवीन तथा वीसीके श्रेणी के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए फसल विशिष्ट मानदण्डों के अनुसार बीजों की मात्रा को जमा कराना होता है। किसानों द्वारा

विकसित अथवा तैयार की गई किस्मों के मामले में भी आवेदक को केवल बीजों की निर्धारित मात्रा को जमा कराने की जरूरत होती है क्योंकि किसानों को डीयूएस परीक्षण/बढ़वारजांच के लिए किसी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं होती।

नवीन किस्मों (1549), वीसीके (895) तथा ईडीवी (जनक सामग्री दोनों सहित), विद्यमान अधिसूचित (40) तथा कृषक किस्मों (3052) के बीज नमूनों का रख-रखाव दिनांक 31 मार्च, 2016 तक अल्पावधि भण्डारण में किया जा रहा है। प्रतिनिधि बीज नमूनों को डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजे जाते हैं और शेष नमूनों को आकस्मिक परिस्थितियों के लिए रख लिया जाता है। जब तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक बीज पैकेटों को $20\pm2^{\circ}\text{C}$ के

तापमान पर भण्डारित किया जाता है। हालांकि, एक बार जब कोई अभ्यर्थी किस्म पंजीकरण प्रमाण—पत्र पाने के लिए योग्य हो जाती है, तब आवेदकों को मध्यम अवधि भण्डारण में भण्डारण करने के लिए ताजा बीज नमूने आपूर्ति करने की सलाह दी जाती है।

3.3.3 बीज मानक

आवेदकों द्वारा उचित लेबलिंग के साथ एल्युमिनियम फॉयल की त्रिस्तरीय परत वाले पाउच में मुहरबंद करके बीज नमूने जमा कराने होते हैं। पैकेटों पर लेबलिंग निम्नानुसार की जाए :

- अभ्यर्थी किस्म का नाम,
- पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा आवंटित आवेदन पावती संख्या,
- श्रेणी (नवीन/प्रचलित/वीसीके/किसान द्वारा तैयार किस्म

आदि)

- कटाई का वर्ष, तथा
- बीज गुणवत्ता पैरामीटर (नमी प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत तथा शारीरिक शुद्धता प्रतिशत)

पूरे बीज को बराबर—बराबर दस (नवीन किस्म के लिए) अथवा पांच (वीसीके अथवा कृषक किस्मों के लिए) अथवा दो (बीज अदि अनियम, 1966 के तहत अधिसूचित विद्यमान किस्म) बीज पैकेटों/पाउच में बांटा जाए। बीज समूह द्वारा फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख फसलों के लिए बीज मानकों हेतु वर्णनात्मक सूची तालिका 85 में प्रस्तुत है।

तालिका 85. मध्यम अवधि भण्डारण तथा डीयूएस परीक्षण के लिए बीज/गोपण सामग्री की अपेक्षाएं/मानक

| क्र.सं. | फसल | अधिसूचना की तिथि | प्रत्याशी/जनक वंशक्रम संकर (प्रत्येक) के लिए बीज की आवश्यकता/ग्राम में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो | | अंकुरण % | नमी % | बौद्धिक शुद्धता % | अंतिम मौसम—डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने | बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (सिमी.) |
|---------|---------------------------------------|------------------|--|-----------|--|--------|-------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | चावल (ओराइजा सेटाइवा एल.) | 01/11/2006 | 3000 | 1500 | 80 | 11-12% | 98 | खरीफ—मार्च अप्रैल | 230x300 |
| 2 | चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्टा. इवम एल.) | | 3000 | 1500 | 95 | 8-9% | 98 | रबी—अगस्त | 230x300 |
| 3 | मक्का(जी. मेज. एल.) | | 3000 | 1500 | 80 (अंतप्रजनित/एस्स. ऐच) 90 (किस/डीसीएच) | 8-10% | 98 | खरीफ—मार्च—अप्रैल—रबी—अगस्त | 230x300 |
| 4 | सोरघम (सोरघम बाइकलर एल. मोयंक) | | 3000 | 1500 | 80 (अंतप्रजनित/एस्स. ऐच) 90 (किस/डीसीएच) | 10-12% | 98 | खरीफ—मार्च, रबी अगस्त | 230x300 |
| 5 | बाजरा (पेनिसेटम ग्लाउकम एल. आर.बीआर.) | | 1000 | 500 | 80 (अंतप्रजनित/एस्स. ऐच) 90 (किस/डीसीएच) | 10-12% | 98 | खरीफ—मार्च | 165x220 |
| 6 | चना (साइसर एरिटीनम एल.) | | 2000(देसी) 3000(काबुली) | लागू नहीं | 80 | 8-9% | 98 | रबी—अगस्त | 230x300 |
| 7 | मूँग (विना रेडिएटा एल. विल्जैक) | | 1000 | लागू नहीं | 80 | 8-9% | 98 | खरीफ—मार्च | 230x300 |
| 8 | उड्ड (विना मुंगो एल. हैप्पर) | | 1000 | लागू नहीं | 80 | 8-9% | 98 | खरीफ—मार्च | 165x220 |
| 9 | मटर (पाइसम सेटाइवम एल.) | | 2000 | लागू नहीं | 80 | 8-9% | 98 | रबी अगस्त | 230x300 |
| 10 | राजमा (फेसियोलस वल्गरिस एल.) | | 3000 | लागू नहीं | 80 | 8-9% | 98 | जून जुलाई | 230x300 |
| 11 | मसूर (लैंस क्यूलीनेरिस मै. डिक) | | 1000 | लागू नहीं | 80 | 8-9% | 98 | रबी अगस्त | 230x300 |
| 12 | अरद्दर (कैजानस कैजन एल. मिल्स्प.) | | 2000 | 1500 | 80 | 8-9% | 98 | खरीफ—मार्च | 230x300 |
| 13 | कपास (गौसिपियम हिर्स्टुम एल.) | 31/12/2007 | 2000 | 1000 | 75 | 10 | 98 | खरीफ—उत्तर—फरवरी तटवर्ती — दक्षिण— मई | 230x300 |
| 14 | कपास (जी. बार्बेंडस एल.) | | 2000 | 1000 | 75 | 10 | 98 | खरीफ—उत्तर—फरवरी तटवर्ती — दक्षिण— मई | |
| 15 | कपास (जी. आर्बोरियमएल.) | | 1500 | 750 | 75 | 10 | 98 | | |
| 16 | कपास (जी. हर्बेसियम एल.) | | 1500 | 750 | 75 | 10 | 98 | | |
| 17 | पटसन (कार्कोरस कैम्पुलेरिस एल.) | | 1000 | 500 | 85 | 9 | 97 | पूर्व खरीफ — अगेती जनवरी | 165x220 |
| 18 | पटसन (कार्कोरस ओलिटो. रियस एल.) | | 1000 | 500 | 85 | 9 | 97 | पूर्व खरीफ — अगेती जनवरी | |

| क्र.सं. | फसल | अधिसूचना की तिथि | प्रत्याशी/जनक वंशक्रम संकर (प्रत्येक) के लिए बीज की आवश्यकता/घाम में, जब तक अव्याधा उत्तिष्ठित न हो | अंकुरण % | नमी % | बौद्धिक शुद्धता % | अनंतिम मौसम-डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने | बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मिमी.) |
|---------|--|------------------|---|--------------|-------|-------------------|---|---|
| 19 | गन्ना (सैक्रम एल.) | 27/07/2009 | 400 एकल कलिका | - | | | क्षेत्र के अनुसार | |
| 20 | अदरक (जिजिबर आफि. सिनेल रॉस्क) # | | 5000 (5.0 कि.ग्रा. स्वच्छ तथा पूर्ण प्रकंद, 25-30 ग्रा. के 150 टुकड़े प्रत्येक) | - | | | खरीफ/पूर्व खरीफ | |
| 21 | हल्दी (करक्यूमा लोंगा एल.) # | | 6 कि.ग्रा. (स्वच्छ तथा 35-40 प्र. तिशत नमी अंश से युक्त ताजे पूर्ण प्रकंद) | - | 35-40 | | खरीफ/पूर्व खरीफ | |
| 22 | भारतीय सरसों (ब्रेसिका जूंसिया एल. सीजर्न एवं कॉस) | 30/04/2010 | 500 | 250 | | | अक्तूबर | |
| 23 | करन राई (ब्रेसिका कैरीनाटा ए. ब्राउन) | 30/04/2010 | 500 | 250 | | | अक्तूबर | |
| 24 | तोरिया सरसों (ब्रेसिका रापा एल.) | | 500 | 250 | 85 | 8 | 98 | अगस्त-सितम्बर 165x100 |
| 25 | गोभी सरसों (ब्रेसिका नैपस एल.) | | 500 | 250 | | | | अक्तूबर |
| 26 | मूंगफली (ऐरेकिस हाइपो. जिया एल.) | | 3000 (स्पेनिच तथा वैलेंसिया) 8000 दाने (वर्जिनिया बंच और रनर प्रकार के लिए) | 1500 4000 | 80 | 9 | 98 | खरीफ - मई-जून रवी : अगस्त-सितम्बर 300x450 |
| 27 | सोयाबीन (ग्लाइसीन मैक्स एल. मैरिल) | | 3000 | --- | 70 | 9 | 98 | अप्रैल-मई 230x300 |
| 28 | सूरजमुखी (हैलिएंथस ऐनस एल.) | | 3000 | 2000 | 70 | 9 | 98 | जुलाई-अगस्त 230x300 |
| 29 | कुसुम (कार्थमस टिक्टोरियस एल.) | | 3000 | 1500 | 80 | 9 | 98 | जून-जुलाई 230x300 |
| 30 | अरण्ड (रिसीनस क्यूमीनिस एल.) | | 6000 | 2500 | 70 | 10 | 98 | अप्रैल-मई 300x450 |
| 31 | तिल (सिसेमम झंडिकम एल.) | | 500 | 250 | 80 | 9 | 97 | अप्रैल-मई 165x100 |
| 32 | अलसी (लिनियम यूसिटेसिम एल.) | | 500 | 250 | 85 | 9 | 98 | जुलाई-अगस्त 165x100 |
| 33 | कारोटी निर्च (पाइपर नाइग्रम एल.) # | | 40 जड़ कलमे | - | | | | खरीफ-पूर्व खरीफ |
| 34 | छोटी इलायची (इलेटेरिया कार्डोमोमम मैटन) # | | 50 सकर्स | - | | | | खरीफ-पूर्व खरीफ |
| 35 | टमाटर (लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम (एल.) कास्टन एक्स. फार्म.) | 02/12/2010 | 15(खुले खेत में) ग्रीन हाउस में | वही | 85 | 8 | 98 | अप्रैल-मई 165x100 |
| 36 | बैंगन (सोलेनम मेलोजेना एल.) | | 15(खुले में) | 15(खुले में) | 85 | 8 | 98 | अप्रैल-मई 165x100 |
| 37 | भिंडी (एबेलमार्स्कस एस्क्यूलेंट्स एल. मोयंक) | | 200 | - | | | | अप्रैल-मई |
| 38 | फूलगोभी (ब्रेसिका ओलिरे. सिंया एल. किस्म बोटाइटिस) | | 15 | 15 | * | * | * | अप्रैल-मई 165x100 |
| 39 | बंदगोभी (ब्रेसिका ओलिरेसिया एल. किस्म कैपिटाटा) | | 15 | 15 | * | * | * | अप्रैल-मई 165x100 |
| 40 | आलू (सोलेनम ट्यूबरोसम एल.) # | | 300 (पूर्ण परिपक्व कंद, कंद 3.5-5.0 सें.मी. आकार के होने चाहिए) | - | | | | अक्तूबर |
| 41 | च्याज (एलियम सेपा एल.) # | | 100 1200 उप बल्ब (प्रगुणक) 50 बल्ब (एमएस वंशक्रम) | 50 | 70 | * | * | संबंधित बुवाई मौसमों के अनुसार |
| 42 | लहसुन (एलियमसेटा. इवमएल.) # | | 2000 जीवित कलियां | -- | * | * | * | अगस्त-सितम्बर - |

| क्र.सं. | फसल | अधिसूचना की तिथि | प्रत्याशी/जनक वंशक्रम संकर (प्रत्येक) के लिए बीज की आवश्यकता/ग्राम में, जब तक अव्याधा उत्पादित न हो | अंकुरण % | नमी % | बौद्धिक शुद्धता % | अनंतिम मौसम-डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने | बीज पैकेटों का निर्धारित आक. (मिली.) |
|---------|---|------------------|---|----------|-------|-------------------|---|--------------------------------------|
| 43 | गुलाब (रोजा प्रजातिय. #) (आर. डेमासेना के अन्तिरिक्त) # | 02/12/2010 | 9 कलम लगे/ कलिकायित पौधे | - | | | खरीफ के पश्चात/ अक्तूबर | |
| 44 | गुलाबार्दी (क्राइस्टेम प्रज. त्रितीयों) # | | मात्र पौधे से ली गई 100 दो गांठ युक्त अंतर्थ जड़ें युक्त कलमें | - | | | क्षेत्र के लिए लागू मा. सम के अनुसार | |
| 45 | आम (मैरीफेरा इंडिका एल.) # | | 14 कलम लगाए गए पौधे | - | | | खरीफ | |
| 46 | झूरूम गहू (ट्राइटिकम झूरूम डैस्फ.) | 18/08/2012 | 3000 | 1500 | 95 | 8-9% | 98 | रबी अक्तूबर |
| 47 | डाइकोकम गहूम (ट्राइटिकम डाइकोकम एल.) | | 3000 | 1500 | 95 | 8-9% | 98 | रबी अक्तूबर |
| 48 | अच्छ ट्रिटिकम प्रजातियां | | 3000 | 1500 | 95 | 8-9% | 98 | गहू के समान 230x300 |
| 49 | ईसवगोल (लेटेंगो ओवाटा फोर्सर्क) | | 250 | - | 95 | 8-9% | 98 | |
| 50 | पुदीना (मेथा आर्वेन्सिस एल.) # | | 5 कि.ग्रा. स्वच्छ एवं पूर्ण प्रकंद (भू मिंगत स्टोलन) 10-15 सें.मी. लंबे | - | | | | |
| 51 | दमस्क गुलाब (रोजा डेम. सेना मिल) # | | 100 कलमें | - | | | | |
| 52 | सदाबहार (कैथारेथस रो. जियस एल.) # | | 10 ग्रा. | - | | | | |
| 53 | ब्रह्मी (बैकोपा मोन्नीएरी एल. पेन्नल) # | | 500 कलमें (स्वच्छ तथा सम्पूर्ण वान. स्पतिक अंग की 10-15 सें.मी. लंबी) | - | 85% | 8 | 98 | |
| 54 | नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) # | | मानक गमला मिश्रण से युक्त पा. लीबैग में उगाइ गई 1 वर्ष आयु की 30 पौदे | - | | | | |
| 55 | ऑर्किड (कैम्बिडियम एसड. व्ह्यू) # | 27/03/2012 | कम से कम 2 छद्म बल्बों व एक पश्च बल्ब से युक्त 20 पौधे (प्रत्येक केन्द्र के लिए 10) आयु 3-4 वर्ष | - | | | | |
| 56 | ऑर्किड (डैंड्रोबियम एसड. व्ह्यू) # | | कम से कम दो प्रोरोहों से युक्त 20 पौधे (प्रत्येक केन्द्र के लिए 10)। आयु 2-3 वर्ष | - | | | | |
| 57 | ऑर्किड (वांडा जॉस एक्स आर.बीआर) # | | 20 पौधे. आयु 2-3 वर्ष | - | | | | |
| 58 | अनार (थूनिका ग्रेनेटम एल.) # | 15/04/2014 | एयर लेयर्ड के माध्यम से उगाए गए पौधों की जड़दार कलमों वाले 10 वर्ष आयु के (उसी वृक्ष से प्रगृहित) या ऊतक संवर्धन से उगाए गए पौधे आदि, प्रत्येक स्थान के लिए | - | | | | |
| 59 | ऑर्किड (कटेलिया लिंडल.) # | | कम से कम दो प्रोरोहों से युक्त 2 या 3 वर्ष आयु के 20 पौधे | - | | | | |
| 60 | ऑर्किड (फैलीनोसिस ल्यूम) # | | 20 पुष्पन आकार के पौधे | - | | | | |
| 61 | कैसुआरीना (कैसुआरीना एक्सवीसेटीफोलिया एल.) # | | 50 जड़ युक्त कलमें (कम से कम 3 माह आयु की जिनकी नाप रक्ध से शीर्ष नोक तक कम से कम 20 सें.मी. हो तथा कम से कम 1 भली प्रकार विकसित जड़ प्रणाली हो) | - | | | | |
| 62 | कैसुआरीना (कैसुआरीना झुंघु नियाना मिक.) # | | 300 ग्रा. या 1500 | - | 80 | 8 | 98 | अप्रैल 230x300 |
| 63 | करेला (मोमार्डिका कैरेंशिया एल.) | | 250 ग्रा. या 1500 | - | 80 | 8 | 98 | अप्रैल 230x300 |
| 64 | लौकी (लैग्नेनेरिया साइसेरे. रिया (मोल.) स्टैंडल) | | 50 ग्रा. या 1500 | - | 80 | 8 | 98 | अप्रैल 230x300 |
| 65 | खीरा (क्यूक्यूमस सेटाइवस एल.) | | | | | | | |

| क्र.सं. | फसल | अधिसूचना की तिथि | प्रत्याशी/जनक वंशक्रम संकर (प्रत्येक) के लिए बीज की आवश्यकता/ग्राम में, जब तक अव्याधा उत्पादित न हो | अंकुरण % | नमी % | बौद्धिक शुद्धता % | अनंतिम मौसम-डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने | बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मिमी.) | |
|---------|---|------------------|---|----------|-------|-------------------|---|---------------------------------------|---------|
| 66 | कद्दू (कुकरबिटा मॉस्काटा ड्यूक एक्स पॉयर) | 15/04/2014 | 200 ग्रा. या 1500 | - | 80 | 8 | 98 | अप्रैल | 230x300 |
| 67 | जौ (होर्डेयम वल्नर एल.) | | 1500 | 1000 | 95 | 8 | 98 | अगस्त सितम्बर | 230x300 |
| 68 | धनिया (कोरिरिंड्रग सेटाइवम एल.) | | 250 | - | 80 | 8-9% | 98 | अगस्त-सितम्बर | 165x100 |
| 69 | मेझी (ट्राइगोनेला फाइनम ग्रीकम एल.) | | 250 | - | 80 | 8-9% | 98 | अगस्त-सितम्बर | 165x100 |
| 70 | बादाम (प्रूनस डिलिक्स मिल.) डी.ए. वैब्र # | | 10 कलम लगाए गए या कलिक. युक्त पौधे | - | | | | | |
| 71 | सेब (मैलस डोमेस्टिका बॉर्ड) # | | 6 कलम लगाए गए या कलिकायुक्त पौधे | - | | | | | |
| 72 | नाशपाती (पायरस कम्यु. निसेल.) # | | प्रत्येक स्थान पर 6 कलम लगाए गए या कलिकायुक्त पौधों की एक प्रस्तुति | - | | | | | |
| 73 | खुबानी (प्रूनस आर्मेनियाका एल.) # | | 10 कलम लगाए गए या कलिक. युक्त पौधे | - | | | | | |
| 74 | चेरी (प्रूनस एवियम एल.) | | 10 कलम लगाए गए या कलिक. युक्त पौधे | - | | | | | |
| 75 | अखरोट (जुगलांस रेगिया एल.) # | | 10 कलम लगाए गए या कलिक. युक्त पौधे | - | | | | | |
| 76 | अंगूर (विटिस प्रजातियाँ) रु | | प्रत्येक स्थान के लिए 12 कलम लगाए गए पौधे (1 वर्ष आयु के) | - | | | | | |
| 77 | भारतीय बेर (जिजिफस माउ. रीटियाना लाम्क) # | | प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 7 पौधे (न्यूनतम आयु 3 वर्ष) | - | | | | | |
| 78 | सफेदा (यूक्रेलिप्टस कैमाल. ड्यूलैंसिस डेहन्ह) # | | 60 जड़दार पौधे (पौधे 250 घ.सें.मी. जड़ छंटाई युक्त होने चाहिए) | - | | | | | |
| 79 | सफेदा (यूक्रेलिप्टस टैरिटीकॉ. निंस एसप्स.) # | | न्यूनतम आयु 6 महीने | - | | | | | |
| 80 | चाय (केमेलिया साइर्नेसेस) # | 16/10/2014 | 75 पौधे (15-18 इंच ऊंचाई के), अपनी जड़ों से युक्त पैसिल जितने मोटे तने वाले नव पौधे | - | | | | | |
| 81 | चाय (सी. असामिका) # | | प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे आयु 6 माह से अधिक | - | | | | | |
| 82 | चाय (सी. अमसामिका उप प्रजाति लेसियाकैलिस) # | | प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे आयु 6 माह से अधिक | - | | | | | |
| 83 | खट्टा (सिट्रसआउरेटीफॉ. लिया सिंगल) | | प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे आयु 6 माह से अधिक | - | | | | | |
| 84 | मेंडारिन (सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लाको) # | | प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे आयु 6 माह से अधिक | - | | | | | |
| 85 | संतरा (सिट्रस साइर्नेसिस एल. ऑस्ट्रेक) # | 16/10/2014 | प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे आयु 6 माह से अधिक | - | | | | | |
| 86 | बोगेनवीलिया (बोगेनवीलिया कॉम एक्स जस.) # | | 10 भरी प्रकार की जड़ वाले व अच्छी तरह स्थापित पौधे | - | | | | | |
| 87 | केला (म्यूसा प्रजातियाँ) | | 40 समरूप ऊतक सर्वांधित पौधे – प्रत्येक स्थान पर एक प्रस्तुति में | - | | | | | |
| 88 | ऑर्किड (ऑस्सिडियम एसड. ब्ल्यू) # | | कम से कम 2 छद्म बर्लों/प्रोरों से युक्त 2-3 वर्ष आयु के 20 पौधे | - | | | | | |
| 89 | केली (केन्ना एल.) # | 21/01/2015 | 20 नव पौधे या 20 परिपक्व प्रकंद | - | | | | | |
| 90 | ग्लेडियोलस (ग्लेडियोलस एल.) # | | 30 प्रकंद (4-4.5 से.मी. व्यास के) | - | | | | | |
| 91 | खरबूजा (क्यूक्यूमिस मैलो एल.) | | खुले खेत में खेती के लिए 100 ग्रा. बीज | - | 80 | 8 | 98 | | |
| 92 | तरबूज (सिट्रूलस लेनेट्स (थान्व) मांस्फ) # | | खुले खेत में खेती के लिए 150 ग्रा. बीज | - | 80 | 8 | 98 | | |

| क्र.सं. | फसल | अधिसूचना की तिथि | प्रत्याशी/जनक वंशक्रम संकर (प्रत्येक) के लिए बीज की आवश्यकता/ग्राम में, जब तक अव्याधि उल्लिखित न हो | अंकुरण % | नमी % | बौद्धिक शुद्धता % | अनंतिम मौसम-डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने | बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मिली.) |
|---------|---|------------------|---|----------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|
| 93 | चमेली (जेस्मेमियम ऑरिक. लेटम एल.) # | 02/07/2015 | 20 जड़दार पौधे | - | | | | |
| 94 | रजनीगंधा (पॉलीएथेस ट्यूब. रोज़ा एल.) # | | 25-30 ग्रा. भार के 2 सें.मी. से अधिक (सबसे चौड़े भाग पर मोटाई) के 75 बल्ब | - | | | | |
| 95 | पपीता (कैरिका पपाया एल.) # | 02/07/2015 | स्त्रीलिंगी किस्मों के लिए 20 ग्रा. तथा एकलिंगी किस्मों के लिए 40 ग्रा. - दोनों मौसमों में | - | 60 | 7% आदर्श भंडारण के लिए | 98% किस्मों के लिए तथा संकरों के लिए 90% | |
| 96 | चाइना एस्टर (कैलिस्टेफस चाइनेसिस एल. नीस.) | | 2 पैकेटों में प्रत्येक 2 ग्रा. | - | 60 | 6-9% | 98 | |
| 97 | आटू (पूनस पर्सिका एल. बार्टज्क.) # | 02/07/2015 | 10 कलम लगाए गए या कलिक. युक्त पौधे | - | | | | |
| 98 | जापानी आलूखारा (प्रूनस सेलिसिना एल.) # | | 11 कलम लगाए गए या कलिक. युक्त पौधे | - | | | | |
| 99 | स्ट्रावेरी (फ्रेग्रिया X एनाना. सालडच.)# | 02/07/2015 | 120 रनर या पौधों की कलमें (4-5 पत्ती की अवस्था पर कठोर बनाए गए ऊतक सर्वार्थित पौधे) | - | | | | |
| 100 | मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका (कैप्सीकम ऐनम एल.) | | खुली परागित फसल के लिए 15 ग्रा. और संकर तथा जनक वंशक्रम के लिए 10 ग्रा. | - | 85 | 8 | पूर्व खरीफ/खरीफ | |
| 101 | रागी (इलेयूसीन कैराकाना एल. ग्रीटन) | 02/07/2015 | 250 ग्रा. और 10 पुष्पगुच्छ | - | | | खरीफ : जुलाई | |
| 102 | कंगनी (सटेरिया इटेलिका एल. बीयूव.) | | 250 ग्रा. और 10 पुष्पगुच्छ | - | | | खरीफ : जुलाई | |
| 103 | सब्जी चौलाई (एमरेथस ट्राइ. कलर एल.) | 19/04/2016 | 150 ग्रा. (केवल एक प्रस्तुतीकरण के लिए) | - | 80 | <8% | 98 | |
| 104 | तोरई (लूफा एक्यूटेंगुला (एल.) रॉकस्व.) | | 250 ग्रा. या 1500 बीज (केवल एक प्रस्तुतीकरण के लिए) | - | 80 | <8% | 98 | |
| 105 | पालक (बीटा वल्मोरिस किस्म बेगालेसिस रॉकस्व0) | 19/04/2016 | 250 ग्रा. (केवल एक प्रस्तुतीकरण के लिए) | - | 80 | <8% | 98 | |
| 106 | कार्नेशन (डाइएथस कैरियो. फिलस एल.)# | | 150 जड़दार कलमें | | | | | |
| 107 | ऑर्किड (ऐफियोपैडिलम फिटज) | 13/07/2016 | प्रत्येक केन्द्र के लिए 10 पौधे | | | | | |
| 108 | नोनी (मुरिंडा सिट्रिफो. लियाएल.) | | प्रत्येक स्थान के लिए 10 कलम लगाए गए या कलिकायुक्त पौधे | | | | | |
| 109 | बेल (एश्गलमार्मेलॉस एल. कोरी) # | 13/07/2016 | प्रत्येक केन्द्र के लिए 5 पौधे | | | | | |
| 110 | जामुन (सिजिगियम क्यूमिनी एल. स्कील्स) # | | प्रत्येक स्थान के लिए 7 कलमें | | | | | |
| 111 | जायफल (माइरिस्टिका फैग. रास हाउट) # | 16/10/2014 | प्रत्येक स्थान के लिए 10 कलम लगाए गए कलिकायुक्त पौधे | | | | | |
| 112 | चमेली / मोगरा (जेस्मीनम सैम्बेक एल.)# | | प्रत्येक स्थल के लिए 20 जड़दार पौधे | | | | | |
| 113 | शरीफा (एनोना स्क्वैमोसा एल.) | 16/10/2014 | प्रत्येक स्थान के लिए कलम लगाए गए पौधों के रूप में 8 क्लोन से प्रवर्धित सामग्री | | | | | |
| 114 | कालमेघ/किंग ऑफ बिटर्स (एड्डोग्राफिस पेनीकुलेटा (बर्म. एफ.) वाल एक्स नीस | | 30 ग्रा. | | 95% | 8-9% | 98 | |

*प्रजनक बीज मानक के अनुसार

#वानस्पतिक प्रवर्धित पौधे

3.3.4 फील्ड जीन बैंक

3.3.4.1 डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), डपोली

डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), डपोली को 'सजीव रिपोजिट्री' के माध्यम से फलदार, रोपण फसलों तथा वृक्ष मसालों के डिस्काप्टर्स के संकलन, रख-रखाव, मूल्यांकन तथा विकास' शीर्षक से एक परियोजना का आवंटन किया गया है। खेत जीन बैंक के लिए अधिदेशित फसलों में आम, सिट्रस, हल्दी, केला, काली मिर्च, इलायची, कटहल तथा जायफल शामिल हैं। खेत जीन बैंक द्वारा किए गए संकलन की स्थिति इस प्रकार है :

तालिका 86. अनुरक्षण/लक्षण-वर्णित किस्में

| क्र.सं. | फसल | अनुरक्षण अधीन किस्मों/पारिस्थितिक प्रकारों की संख्या | लक्षण वर्णन |
|---------|------------|--|-------------|
| 1 | आम | 36 | प्रगतिरत |
| 2 | हल्दी | 13 पारिस्थितिक प्रकार | 13 |
| | | 31 किस्में | 31 |
| 3 | इलायची | 5 | - |
| 4 | सिट्रस | 4 प्रजातियां | - |
| 5 | काली मिर्च | 6 | - |
| 6 | केला | 30 | 30 |
| 7 | जायफल | 1 किस्म (3) पौधे) | - |
| 8 | कटहल | 2 किस्में (14 पौधे) | - |

केन्द्र द्वारा 3 प्रशिक्षण एवं जागरूकता केन्द्र आयोजित किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है :



तालिका 87. सम्पन्न किए गए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

| क्र.सं. | स्थान | प्रतिभागियों की श्रेणी | प्रतिभागियों की सं. |
|---------|---|--|---------------------|
| 1. | डॉ. बी.एस.के. के.वी., डपोली | वैज्ञानिक / शैक्षणिक स्टाफ / किसान | 114 |
| | | छात्र | 161 |
| 2. | बागवानी महा. विद्यालय, मुळे जिला – सिंधुदुर्ग | वैज्ञानिक / शैक्षणिक स्टाफ / किसान / छात्र | 105 |

3.3.4.2 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मणोबारा, शिमला

इस परियोजना के उद्देश्य में शामिल हैं : शीतोष्ण फलों – सेब, चेरी, नाशपाती तथा अखरोट के सजीव रिपोजिट्री का संकलन, उसकी स्थापना एवं उसका रखरखाव; डीयूएस की दृष्टि से किस्मों का आकृतिविज्ञानी लक्षण-वर्णन तथा प्रमुख कृषक किस्मों का संकलन।

किस्मों का लक्षण-वर्णन

फल लगाने के मौसम के दौरान (वर्ष 2015) में अधिदेशित फसलों में से सेब (61 किस्मों) का लक्षण-वर्णन केन्द्र के जननद्रव्य ब्लॉक से एकत्र किए गए नमूनों से किया गया।

तालिका 88. आरएचआर और टीएस, मणोबारा में अनुरक्षण प्र. जनन ब्लॉकों में किस्मों की स्थिति

| क्र.सं. | फसल | किस्मों की संख्या | |
|---------|---------|-------------------|--------------|
| | | अनुरक्षण ब्लॉक | संदर्भ ब्लॉक |
| 1 | सेब | 271 | 112 |
| 2 | नाशपाती | 78 | 32 |
| 3 | चेरी | 49 | 21 |

सेब के फल पर किए गए पर्यवेक्षण : फल का भार, फल का आकार (लंबाई और व्यास), लंबाई/व्यास का अनुपात, आकृति, रिबिंग, अंखुड़ी की लंबाई, अंखुड़ी छोर का शीर्ष, छिलके की चमक, चमकीलापन, सतह का रंग, रंग का सापेक्ष क्षेत्र, अतिरिक्त रंग की गहनता, अतिरिक्त रंग की आभा, अतिरिक्त रंग का पैटर्न, डंठल जोड़ के आस-पास के गर्त का क्षेत्र, चैक ऑन रसेट का क्षेत्र, अंखुवे के थाले के चारों ओर रसेट का क्षेत्र, लेंटिसेल की संख्या, डंठल की लंबाई, डंठल की मोटाई, डंठल की गहराई, डंठल गुहा की चौड़ाई, अंखुवे का आकार, अंखुवा गुहा की गहराई, गूदे का रंग तथा बीजकोष के खुले हुए भाग संबंधी पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

अध्याय 4 : डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर कार्यबल

प्राधिकरण ने अपने पंजीकरण को बढ़ाने के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु अनेक कार्यबल समितियां स्थापित की हैं। इनके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं : आंवला, चौलाई, गुलनार, ऑर्किड, जायफल, करंज, एमेरेथस, पालक, तोरी, नोनी, नीम, बेल, शरीफा, जामुन, चमेली, कालमेघ।

4.1. कार्यबल की बैठकें

4.1.1. ‘चौलाई, पालक और तोरई के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 16 जून 2015 को डॉ. डी.एल. महेश्वर, कुलपति, बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट की अध्यक्षता में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट, कर्नाटक में आयोजित हुई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल और डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. रवि प्रकाश ने बैठक में भाग लिया। डॉ. बी. वरलक्ष्मी, प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रधान अन्वेषक ने अपनी संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। चौलाई, पालक तथा तोरई के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.2 ‘गुलनार के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 26 जून 2015 को डॉ. वाई.सी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण विभाग, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन की अध्यक्षता में डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित हुई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल और डॉ. रवि प्रकाश ने बैठक में भाग लिया। डॉ. एस.आर. धीमन, प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रधान अन्वेषक ने अपनी संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। गुलनार के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.3 ‘पेफियोपेडिलम के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तथा एस्कोसैइंट्रम व इसके एलाइंस के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 29 जून 2015 को डॉ. ए.एन. राव, निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के ऑर्किड जीन संरक्षण केन्द्र, हैंगबंग, सेनापति जिला, मणिपुर की अध्यक्षता में गंगटोक, सिकिम में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. रवि प्रकाश ने बैठक में भाग लिया। अन्य सदस्य नामतः डॉ. के.पी. सिंह, डॉ. सी.के. गीता, डॉ. एस.आर. धीमन, डॉ. लक्ष्मण चन्द्र देवडे भी बैठक में उपस्थित थे तथा डॉ. डी.आर. सिंह व डॉ. दिनेश अग्रवाल विशेष आमंत्रित

सदस्य के रूप में शामिल हुए।

4.1.4 ‘बैल (एझेले मार्मेलॉस कोरी) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 13 जुलाई 2015 को डॉ. अशोक पटेल, कुलपति, एसडीएयू, दांत. वोडा, गुजरात की अध्यक्षता में सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल और डॉ. रवि प्रकाश ने बैठक में भाग लिया। डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक (बागवानी) तथा प्रधान अन्वेषक (बेल परियोजना) ने संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। अन्य सदस्यों नामतः डॉ. पी.के. सिंह, डॉ. देवेन्द्र पाण्डे, डॉ. एस. आचार्य, डॉ. एल.आर. वर्मा ने भी बैठक में भाग लिया। बेल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.5 ‘जायफल (माइरिस्टिका फैगरेंस) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 26 अगस्त 2015 को डॉ. के.ई. लवाडे, पूर्व कुलपति, बीएसकेकेवी, डपोली की अध्यक्षता में बागवानी विश्वविद्यालय, ताल्लुका-कुदल, मुलडे में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल और डॉ. रवि प्रकाश ने बैठक में भाग लिया। डॉ. पी.एम. हलदंकर, प्रधान अन्वेषक तथा अध्यक्ष बागवानी विभाग, डॉ. बीएसकेवी ने संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। अन्य सदस्यों नामतः डॉ. जे. रेमा, डॉ. मधुकर, बचुलकर, डॉ. एन.पी. सिंह और डॉ. ए.आर. देसाई ने भी बैठक में भाग लिया। जायफल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.6 ‘जिमीकंद और तारो के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 07 सितम्बर 2015 को डॉ. एस. एडीसन, पूर्व निदेशक, सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम की अध्यक्षता में एनएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. रवि प्रकाश ने प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। डॉ. अर्चना मुखर्जी, प्रधान अन्वेषक ने संबंधित फसलों के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। डॉ. आर.के. त्यागी, डॉ. उन्नीकृष्ण, डॉ. बी. वि. मला और डॉ. जयंत तरफदार सहित अन्य सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया। कार्यबल ने दिशानिर्देशों के अंतर्गत विवरणों पर विस्तृत चर्चा की और सदस्यों द्वारा गहन सुझाव दिए गए। कार्यबल के अध्यक्ष ने प्रधान अन्वेषक से अनुरोध किया कि बैठक में दिए गए विभिन्न सुझावों को शामिल किया जाए तथा मसौदे को अंतिम रूप

देने के लिए सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए।

4.1.7 ‘आंवला (इम्बिलका ऑफिसिनेलिस गोइर्टन) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक डॉ. एच. रविशंकर, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएचआर, बंगलुरु की अध्यक्षता में केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र (सीएचईएस), वेजलपुर, पंचमहल, गुजरात में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल और डॉ. रवि प्रकाश ने आंवला के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए इस बैठक में भाग लिया। डॉ. ए.के. सिंह ने संबंधित फसलों के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। डॉ. पी.के. सिंह व डॉ. देव. न्द्र पाण्डे सहित अन्य सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया। आंवला के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.8 ‘जामुन (सिंजिगियम क्यूमिनी स्कील) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक डॉ. कीर्ति सिंह, अध्यक्ष, वर्ल्ड नोनी रिसर्च फा. उंडेशन, जौनपुर की अध्यक्षता में केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र (सीएचईएस), वेजलपुर, गुजरात में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल और डॉ. रवि प्रकाश ने इस बैठक में भाग लिया। डॉ. ए.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक व प्रधान अन्वेषक ने संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। डॉ. वी.ए. पार्थसारथी, डॉ. एस.वी. दादिन, डॉ. संजय सिंह सहित अन्य सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया। जामुन के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.9 ‘पान (पाइपर बिट्ल एल.) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 19 अक्टूबर 2015 को यूएस, धारवाड में आयोजित की गई जहां प्रधान अन्वेषक और संबंधित वैज्ञानिकों के द्वारा पान के आकृति. विज्ञानी गुणों के लक्षण-वर्णन तथा आंकड़ों की रिकॉर्डिंग में हुई प्रगति की समीक्षा की। डॉ. डी.पी. बिरादर, कुलपति, यूएस, धारवाड में इसकी सह अध्यक्षता की। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. रवि प्रकाश ने पान के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए इस बैठक में भाग लिया। डॉ. (श्रीमती) के. हीमा बिंदु, प्रधान वैज्ञानिक और प्रधान अन्वेषक ने संबंधित फसलों के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। डॉ. कंडीपुर्डी निर्मल बाबू, डॉ. जैड एब्राहम, डॉ. बी.के. दास के अतिरिक्त अन्य सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया। पान के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.10 ‘चमेली (जेस्मीन सैम्बेक और जे. मल्टीफ्लोरम) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : यह बैठक 5 नवम्बर 2015 को डॉ. एम. कन्नन, प्राध्यापक, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण विभाग, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर की अध्यक्षता में तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. रवि प्रकाश ने चमेली के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए इस बैठक में भाग लिया। डॉ. सुजाता नायर ने संबंधित फसलों के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। डॉ. एम. गंगा, डॉ. एम. जवाहर लाल सहित अन्य सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया। चमेली (जेस्मीन सैम्बेक और जे. मल्टीफ्लोरम) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सदस्यों से प्राप्त पर्यवेक्षणों तथा टिप्पणी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

4.1.11 ‘गेंदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन’ के लिए कार्यबल की बैठक : इस कार्यबल की दूसरी बैठक दिनांक 21 मार्च 2016 प्राधिकरण समिति कक्ष, एनएसीसी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. रवि प्रकाश ने इस बैठक में भाग लिया। डॉ. के.पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेषक ने संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया। अन्य सदस्य, डॉ. एन.के. दादलानी, डॉ. टी. जानकीराम, डॉ. तेजस्वनी, डॉ. मालविका दादलानी, डॉ. के.वी. प्रसाद, डॉ. एस.पी.एस. राधव ने भी इस बैठक में भाग लिया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में आयोजित कार्यबल की इस बैठक में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए गेंदा के डीयूएस विवरणों के मसौदे पर चर्चा हुई। गेंदे पर दिशानिर्देश बाद में प्रकाशित किए जाएंगे।

4.2 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास का केन्द्र-वार विवरण

4.2.1 सभी विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली

चौलाई : चौलाई की 21 किमी का पिछले मौसम के दौरान परीक्षण करके विश्लेषण किया गया। विवरणों के आधार पर निम्न गुणों के लिए मात्रात्मक गुण मूल्यांकित किए गए :

- रेनुशी में सर्वाधिक पत्ती लंबाई (14.04 सें.मी.) देखी गई तथा आईसी 551606 में सबसे कम (6.75 सें.मी.) पत्ती लंबाई देखी गई।
- सीओ1 ने सर्वाधिक (11.63 सें.मी.) और आईसी 551607 ने सबसे कम (4.48 सें.मी.) पत्ती चौड़ाई मान प्रदर्शित किए।

- इन किस्मों में से सीओ 2 ने सर्वाधिक (155.40 सें.मी.) और सीओ-5 ने सबसे कम (43.02 सें.मी.) पादप ऊंचाई प्रदर्शित की।



पालक : डीयूएस परियोजना के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु खेत में 6 किस्मों को बोया गया। विवरणों के आधार पर निम्न गुणों के लिए मात्रात्मक गुण मूल्यांकित किए गए :

- पत्ती लंबाई : तालिका में उल्लिखित पालक की छह किस्मों में से एचएस-23 ने सर्वाधिक लंबाई (33.00 सें.मी.) और अर्का अनुपमा ने सबसे कम लंबाई (26.13 सें.मी.) प्रदर्शित की।
- पत्रदल की लंबाई : पूसा हरित ने सर्वाधिक लंबाई (19.23 सें.मी.) और अर्का अनुपमा ने सबसे कम लंबाई (16.00 सें.मी.) प्रदर्शित की। पत्रदल की चौड़ाई : पूसा हरित ने सर्वाधिक पत्ती चौड़ाई (10.75 सें.मी.) और पूसा भारती ने न्यूनतम पत्ती चौड़ाई (8.87 सें.मी.) प्रदर्शित की।



तोरई : पिछले मौसम के परीक्षण के दौरान तोरई की आठ किस्मों का विश्लेषण किया गया। विवरणों के आधार पर निम्न गुणों के लिए मात्रात्मक गुण मूल्यांकित किए गए :

- पत्ती की लंबाई : तोरई की 8 किस्मों में से पूसा नूतन ने सर्वाधिक लंबाई (14.43 सें.मी.) और सीओ-1 ने सबसे कम पत्ती लंबाई (11.77 सें.मी.) प्रदर्शित की।
- पत्ती चौड़ाई : पूसा नूतन ने सर्वाधिक चौड़ाई (19.36 सें.मी.) और पूसा नसदार ने न्यूनतम (15.91 सें.मी) चौड़ाई प्रदर्शित की।
- पूसा नूतन के डिम्बाशय की लंबाई सर्वाधिक (5.79 सें.मी.) और अर्का सुजात की न्यूनतम डिम्बाशय लंबाई (4.54 सें.मी.) देखी गई।
- पूसा नूतन के फलों की लंबाई सबसे अधिक (23.13 सें.मी.) और अर्का सुजात की फल लंबाई सबसे कम (27.37 सें.मी.) देखी गई।



4.2.2 शुभाकारी फसलें प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

चमेली

'चमेली (जेसीनम ऑरिकुलेटम, जे. सैम्बेक, जे. मल्टीफ्लॉ. रियम और जे. ग्रेंडफ्लोरम)' के लिए आईआईएचआर में डीयूएस नोडल केन्द्र की 'स्थापना' शीर्षक की परियोजना इस केन्द्र में कार्यान्वित है जिसकी प्रगति की संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नानुसार है :

तालिका 89 : अनुरक्षण/लक्षण वर्णित किस्में

| फसल/प्रजाति | अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या |
|---------------------|---------------------------------------|
| जेसीनम ऑरिकुलेटम | 6 |
| जे. सैम्बेक | 23 |
| जे. मल्टीफ्लॉरियम | 3 |
| जे. ग्रेंडिफ्लॉरियम | 3 |

तालिका 90 : केन्द्र पर संकलित की गई चमेली की अन्य प्रजातियां

| | |
|----------------|---|
| जे. प्रीमलीनम | जे. रिगिडम |
| जे. आर्बोरेसंस | जे. ऑगिस्टीफोलियम |
| जे. निटिडम | जे. ह्यूमाइल (एसवाईएन जे. बिग्नोनेसियम) |
| जे. कैलोफिलम | जे. फ्लैक्साइल |

तमिल नाडु जिले के नीलगिरी में पश्चिमी घाट से चार नई प्रजातियां संकलित की गई तथा जननद्रव्य में शामिल की गई। नई संकलित की गई प्रजातियों की स्थिति को वानस्पतिक सर्वेक्षण-भारत, कोयम्बतूर प्रभाग के सम्पर्क से सत्यापित किया जा रहा है।

4.2.3 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु भारतीय बागवानी

गेंदा



इस केन्द्र में गेंदे की निम्न किस्मों का लक्षण-वर्णन/अनुरक्षण किया गया : पूसा नारंगी, पूसा अर्पिता, पूसा बसंती, पूसा दीप,

क्वीन सोफिया, बोलेरो रैड, ओरेंज विनर, वेलेसिया येलो, डाइरंटी मेरिएटा, रैड ब्रोकेड, गुलजाफरी ओरेंज, गुलजाफरी येलो, डेयर्टी, मेरिएटा, रैड ब्रोकेड।

टेगेट्स माइनूटा, आईएआरआई/एएफ/डब्ल्यू-2, आईएआरआई/एएफ/डब्ल्यू-4, आईएआरआई/एएफ/डब्ल्यू-7, आईएआरआई/एएफ/डब्ल्यू-8, आईएआरआई/एएफ/डब्ल्यू-12, सोलन, आईआईएचआरएमओ 2, आईआईएचआरएमओ 4, आईएआईएचआरएमएम-1, आईआईएचआरएमओ-3, आईआईएचआरएमवाई-4, आईआईएचआरएमवाई-5, आईआईएचआरएमवाई-3, अर्का बंगारा, अर्का अग्नि, अर्का अलंकार।

4.2.4 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीओ), पैक्यांग, सिक्किम

ऑर्किड

अधिदेशित फसलें ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियां हैं जैसे : कैम्बिडियम, डैंड्रोबियम, वांडा, फैलीनोप्सिस, कैटलेया, ऑन्सिडियम, पैफियोपेडिलम और मोकारा।

तालिका 91 : अनुरक्षण के अंतर्गत/लक्षण वर्णित किस्में

| प्रजाति | अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या | प्रजाति | अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या |
|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| कैम्बीडियम | 25 | कैटेलिया | 9 |
| डैंड्रोबियम | 12 | ऑन्सिडियम | 30 |
| वांडा | 15 | पैफियोपेडिलम | 10 |
| फैलीनोप्सिस | 30 | मोकारा | 7 |

4.2.5 आ.कृ.अ.प. - बीज मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीएसएस), ताबिजी, अजमेर



यह केन्द्र सौंफ तथा जीरे के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु डीयूएस परियोजना कार्यान्वित कर रहा है और एनआरसीएसएस, अजमेर में धनिया तथा मेथी के बीच का अनुरक्षण किया जा रहा है। संक्षिप्त प्रगति इस प्रकार है :

सौफ़ : दो स्थानों नामतः एनआरसीएसएस, अजमेर तथा डीएमएपीआर, आनंद में वर्ष 2015-16 के रबी मौसम के दौरान डीयूएस परीक्षणों में 17 किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया।


जीरा : दो स्थानों नामतः एनआरसीएसएस, अजमेर तथा डीएमएपीआर, आनंद में वर्ष 2015-16 के रबी मौसम के दौरान डीयूएस परीक्षणों में 9 किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया।

धनिया : दो स्थानों नामतः एनआरसीएसएस, अजमेर तथा डीएमएपीआर, आनंद में वर्ष 2015-16 के रबी मौसम के दौरान डीयूएस परीक्षणों में दो प्रत्याशी किस्मों (सुफी धनिया और कटनी हया धनिया) का परीक्षण किया गया। पिंजरा प्लॉट प्रणाली में 25 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया गया।

मेथी : दो स्थानों नामतः एनआरसीएसएस, अजमेर तथा डीएमएपीआर, आनंद में वर्ष 2015-16 के रबी मौसम के दौरान डीयूएस परीक्षणों में दो प्रत्याशी किस्मों (देहाती मेथी और मेथी-6) का परीक्षण किया गया। पिंजरा प्लॉट प्रणाली में 18 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया गया।

4.2.6 भा.कृ.अ.प. - औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय (डीएमएपीआर), बोरियावी, आनंद

कालमेघ



कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा) एक महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटी है जिसका चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों नामतः आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में औषधियां तैयार करने में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसकी फसल अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में उगाई जाती है। फसल के रूप में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए उदाहरण किस्मों के 15 डीयूएस गुणों के साथ डीयूएस विवरणों को अंतिम रूप दिया गया। ये विवरण भा.कृ.अ.प. - औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय (भा.कृ.अ.प.) द्वारा प्राधिकरण को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई।

अ.प.- डीएमएपीआर), बोरियावी, आनंद, गुजरात में एआईसीआरपी (एमएपी), बीसीकेवी, कल्याणी के सहयोग से विकसित किए गए। फसल के लिए ये डीयूएस दिशानिर्देश भा.कृ.अ.प. - डीएमएपीआर द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए तथा डॉ. सत्यव्रत मैती, पूर्व निदेशक, भा.कृ.अ.प. - डीएमएपीआर की अध्यक्षता में कार्यबल की एक बैठक 2 नवम्बर 2015 को भा.कृ.अ.प. - डीएमएपीआर में इन गुणों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई।



समिति ने केन्द्र द्वारा तैयार किए गए मसौदा दिशानिर्देशों की आलोचनात्मक समीक्षा की और उचित सुधार अनुसंधित किए, जैसे : पादप वितान आकृति समूहों की संख्या को कम करना, पत्रदल की आकृतियां आदि। ऐसा दिशानिर्देशों में स्पष्टता के लिए करने का सुझाव दिया गया। अंततः कालमेघ के लिए डीयूएस दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए और इन्हें भारतीय पौधा किस्म जरनल (खण्ड 10, अंक 01) में 15 जनवरी 2016 को प्रकाशित किया गया।

4.2.7 भा.कृ.अ.प. - सीआईएसएच, लखनऊ

अमरुद

केन्द्र अमरुद के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए एक डीयूएस परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। अब तक फ़िल्ड जीन बैंक ने अमरुद की 142 किस्मों का अनुरक्षण किया जा रहा है। अमरुद तथा लीची के लिए मसौदा दिशानिर्देश विकसित किए गए तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त कार्यबल के सुझावों के अनुसार सुधार भी किए गए। इसके परिणामस्वरूप कृषक किस्मों के दो आवेदन भरे गए तथा प्राधिकरण को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए।

4.2.8. भा.कृ.अ.प. - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु और वीसीकेवी, कल्याणी

पान

केन्द्र में निम्न किस्में (4 जारी की गई, 36 एफवी / वीसीके / जननद्रव्य) अनुरक्षित किए जा रहे हैं।

तालिका 92 : केन्द्र में अनुरक्षित की जाने वाली किस्में

| क्र.सं. | आईआईएचआर प्रतिष्ठि सं. | स्थानीय/सामान्य नाम |
|---------|------------------------|---------------------|
| 1 | आईआईएचआर बीवी 10 | सांगली कपूरी |
| 2 | आईआईएचआर बीवी 23 | बानावल्ली |
| 3 | आईआईएचआर बीवी 24 | हालीशहर सांची |
| 4 | आईआईएचआर बीवी 25 | कारापाक |
| 5 | आईआईएचआर बीवी 26 | बंगला (एमपी) |
| 6 | आईआईएचआर बीवी 27 | घानागेट्टे |
| 7 | आईआईएचआर बीवी 28 | गाची पान |
| 8 | आईआईएचआर बीवी 30 | रामटेक बंगला |
| 9 | आईआईएचआर बीवी 32 | बंगला नागरम |
| 10 | आईआईएचआर बीवी 33 | गोदी बांगला |
| 11 | आईआईएचआर बीवी 34 | नोव बांगला |
| 12 | आईआईएचआर बीवी 35 | बंगला यूपी |
| 13 | आईआईएचआर बीवी 36 | ब्लैक लीफ |
| 14 | आईआईएचआर बीवी 37 | सिरुगमनी 1 |
| 15 | आईआईएचआर बीवी 40 | मालवी (एमपी) |
| 16 | आईआईएचआर बीवी 41 | बंगला मंडसोर |
| 17 | आईआईएचआर बीवी 42 | सिकुरली बाबना |
| 18 | आईआईएचआर बीवी 43 | सिमुरली बाबना लोकल |
| 19 | आईआईएचआर बीवी 44 | काली बंगला |
| 20 | आईआईएचआर बीवी 45 | खासी पान |
| 21 | आईआईएचआर बीवी 46 | कलकता बंगला |
| 22 | आईआईएचआर बीवी 47 | स्वर्ण कपूरी |
| 23 | आईआईएचआर बीवी 48 | मगही |
| 24 | आईआईएचआर बीवी 49 | बंगला गनमाला |
| 25 | आईआईएचआर बीवी 52 | हिरेहल्ली लोकल |
| 26 | आईआईएचआर बीवी 53 | मैसूर लोकल |
| 27 | आईआईएचआर बीवी 54 | हरिशपुर बंगला |
| 28 | आईआईएचआर बीवी 55 | बिरकोली |
| 29 | आईआईएचआर बीवी 56 | बालीपान |
| 30 | आईआईएचआर बीवी 58 | सीएआरआई-6 |
| 31 | आईआईएचआर बीवी 59 | सीएआरआई-2 |
| 32 | आईआईएचआर बीवी 63 | देसी पान |
| 33 | आईआईएचआर बीवी 65 | धोबा बंगला |
| 34 | आईआईएचआर बीवी 67 | अंडमान-1 |
| 35 | आईआईएचआर बीवी 68 | अंडमान-2 |
| 36 | आईआईएचआर बीवी 71 | वेलियाकोडी |
| 37 | आईआईएचआर बीवी 76 | — |
| 38 | आईआईएचआर बीवी 95 | गुजरात लोकल |
| 39 | आईआईएचआर बीवी 96 | — |
| 40 | आईआईएचआर बीवी 96-1 | — |

4.2.9 भा.कृ.अ.प. - सीआईएआरआई, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

नोनी

इस केन्द्र को नोनी के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए एक डीयूएस परियोजना सौंपी गई। इसकी संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है : अनुरक्षण के अंतर्गत चार किस्में (सीएआरआई सम्पदा, कारी रक्षक, कारी समृद्धि और कारी संजीवनी) को बीजों

की गुणवत्ता के लिए अनुरक्षित किया गया और उन्हें पौद के उत्पादन, वितरण व क्षेत्र के विस्तार के लिए मूल क्यारी में बोया गया। नौनी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए एयर लेयरिंग प्रौद्योगिकी विकसित की गई। सुझावों के अनुसार फसल के लिए विकसित ये सम्पूर्ण विवरण कार्यबल (4/2014) की दूसरी बैठक में प्रस्तुत किए गए। अध्ययन को मोरिंडा सिट्रीफोलिया एल. में आनुवंशिक विविधता के मूल्यांकन के लिए कार्यात्मक विवरणों की सूची विकसित करने हेतु डिजाइन किया गया था। कुल 36 डीयूएस गुण विकसित करके प्रलेखित किए गए।

4.2.10 भा.कृ.अ.प. - काजरी, जोधपुर

मोठ, कुल्थी तथा ग्वार

ग्वार (35 जीनप्ररूप), मोठ (14 जीनप्ररूप) और कुल्थी (18 जीनप्ररूप) पर फील्ड प्रतिकृति परीक्षणों के अंतर्गत बुवाई की गई और इन्हें अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों को अपनाते हुए खेत में अनुरक्षित किया जा रहा है। सभी तीनों अधिदेशित फसलों में पौद संबंधी गुणों पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए तथा ग्वार और मोठ में पुष्पन अवस्था में वानस्पतिक गुणों को रिकॉर्ड किया गया। कुल्थी के मामले में वानस्पतिक गुणों पर पर्यवेक्षण की रिकॉर्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

4.2.11 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन

विल्लो

यह केन्द्र 'क्लोनीय बैंक (नर्सरी)' की स्थापना तथा विलो जननद्रव्य के विशिष्ट डीयूएस लक्षणों' शीर्षक की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग, सोलन, हिमाचल प्रदेश को इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिसके लिए निमन उद्देश्यों हेतु 25 लाख रुपये का बजट परिव्यय निर्धारित हुआ है :

- विश्वविद्यालय के प्रायोगिक क्षेत्र में विलो क्लोनों के क्लोनीय बैंक की स्थापना
- विलो में डीयूएस विशिष्ट विवरणों का विकास
- चुने हुए वैयक्तिकों की आण्विक प्रोफाइलिंग

तालिका 93 : संक्षिप्त तकनीकी प्रगति

| प्रजाति का नाम | किस्में | स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा. कृ.अ.प./रा.कृ.विति.) |
|-----------------|--|--|
| सैलिक्स प्रजाति | पीएन731, एसई-63-016, पीएन 227, एसआई-64-017, एसआई-63-007, जे 799, कश्मीरी (सैलिक्स एल्ला) एनजैड्ड1140, 131/25, जे 194, जे 795, ऑस्ट्री बी-99, एफएलए, एस. एवमोफाइला, देवमाता | राज्य कृषि विश्वविद्यालय |

तालिका 94 : डीयूएस केब्ड में जननद्रव्य के उद्गम की सूची

| क्र.सं. | प्रजाति/क्लोन | प्रजाति | कहां से खरीदी/उद्गम |
|---------|--------------------|---|----------------------------|
| 1 | पीएन-731 | सैलिक्स नाइग्रा | न्यूजीलैंड |
| 2 | एसआई-64-016 | सैलिक्स जैसियोएंसिस | इटली / जापान |
| 3 | पीएन- 227 | सैलिक्स मैट्सुडाना | न्यूजीलैंड |
| 4 | एफएलएस | सैलिक्स टैट्रापर्मा | स्थानीय |
| 5 | एसआई- 64-017 | सैलिक्स एल्बा | एस. इटली |
| 6 | एसआई - 63-007 | सैलिक्स एल्बा | एस. इटली |
| 7 | कश्मीरी विलो | सैलिक्स एल्बा सीवी कोइरली | यूके. |
| 8 | सैलिक्स एक्मोफाइला | सैलिक्स एक्मोफाइला | स्थानीय |
| 9 | जे- 799 | सैलिक्स एल्बा x सैलिक्स मैट्सुडाना | यूके / चीन |
| 10 | एनजैड-1140 | सैलिक्स मैट्सुडानाग x सैलिक्स एल्बा | न्यूजीलैंड |
| 11 | 131 / 25 | सैलिक्स बेबीलोनिका x सैलिक्स एल्बा | अर्जेण्टीना |
| 12 | जे-194 | सैलिक्स मैट्सुडाना x सैलिक्स आर्बुटीफोलिया x सैलिक्स मैट्सुडाना | यूके / चीन |
| 13 | जे-795 | सैलिक्स मैट्सुडाना x सैलिक्स एल्बा | चीन |
| 14 | ऑस्ट्री | सैलिक्स एल्बा x सैलिक्स मैट्सुडाना | यूके./ न्यूजीलैंड |
| 15 | कश्मीरी | सैलिक्स एल्बा | कश्मीर |
| 16 | वी-99 | सैलिक्स रुबेंस | क्रोशिया |
| 17 | देवमाता | सैलिक्स टैट्रास्पर्मा | राजस्थान, भारत से संक. लित |

तालिका 95 : क्यारी में प्रत्येक पौधे से इकॉर्ड किए गए पर्यावरण तथा प्रत्येक प्रतिकृति से पत्ती प्राचलों के लिए तीन पौधे चुने गए

| | |
|-----------------|---|
| तना संबंधी गुण | पौधे की ऊँचाई, मुख्य प्ररोह की प्रवृत्ति, मुख्य प्ररोह : मध्य तीसरे भाग (धूप के छोर) का रंग, मुख्य प्ररोह : रोमिलता, मुख्य प्ररोह लैंटीसेल का उभार, मुख्य प्ररोह पत्ती कलिका की रोमिलता |
| शाखा संबंधी गुण | शाखा : मुख्य प्ररोह के मध्य तीसरे भाग में शाखा और मुख्य प्ररोह के बीच प्रथम 5 सें.मी. पर कोण, शाखा : प्रवृत्ति, शाखा : रंग (धूप के छोर का) |
| पत्ती के गुण | पत्रदल : मध्य नाड़ी की लंबाई, पत्रदल : चौडाई, पत्रदल : सर्वाधिक चौडाई की स्थिति, पत्रदल : आधार की आकृति, पत्रदल : ऊपरी छोर का रंग, पत्रदल : ऊपरी छोर की रोमिलता, पत्रदल : निचले छोर की रोमिलता, पर्णवृत्त : लंबाई, पत्रदल : ऊपरी छोर का रंग |
| अनुपत्र के गुण | अनुपत्र की लंबाई, अनुपत्र का प्रकार |

तालिका 96: शाखा के गुणों संबंधी पर्यावरण

| क्र.सं. | क्लोन | शाखा : कोण | शाखा के कोण का प्रकार | शाखाओं की संख्या (>5 सें.मी.) | शाखा प्रकार की संख्या | शाखा प्रवृत्ति | शाखा का रंग (ऊपरी छोर) | शाखा का रंग (निचला छोर) |
|---------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | पीएन-731 | 53.20 | मझोला | 39.60 | अति अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 2 | एसआई-64-016 | 46.71 | मझोला | 18.67 | मध्यम | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 3 | पीएन- 227 | 47.33 | मझोला | 25.27 | अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 4 | एफएलएस | 45.53 | मझोला | 13.93 | अल्प | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 5 | एसआई- 64-017 | 57.53 | बड़ा | 24.40 | मध्यम | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 6 | एसआई - 63-007 | 57.67 | बड़ा | 16.93 | मध्यम | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | धूसर नारंगी | पीला हरा |

| क्र.सं. | क्लोन | शाखा : कोण | शाखा के कोण का प्रकार | शाखाओं की संख्या (>5 सेमी.) | शाखा प्रकार की संख्या | शाखा प्रवृत्ति | शाखा का रंग (जपरी छोर) | शाखा का रंग (बिचला छोर) |
|---------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 7 | कशमीरी विलो | 55.67 | बड़ा | 36.93 | अति अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 8 | सैलिक्स एक्मोफाइला | 47.60 | मझोला | 12.13 | अल्प | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 9 | जे- 799 | 48.20 | मझोला | 26.53 | अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | धूसर भूरा | पीला हरा |
| 10 | एनजैड-1140 | 48.00 | मझोला | 23.73 | मध्यम | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 11 | 131 / 25 | 47.40 | मझोला | 29.67 | अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 12 | जे-194 | 48.67 | मझोला | 36.87 | अति अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 13 | जे-795 | 51.13 | मझोला | 28.47 | अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | धूसर बैंगनी | पीला हरा |
| 14 | ऑस्ट्री | 52.60 | मझोला | 17.73 | मध्यम | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 15 | कशमीरी | 47.20 | मझोला | 8.67 | अल्प | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | धूसर नारंगी | पीला हरा |
| 16 | वी-99 | 61.13 | बड़ा | 25.13 | अनेक | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |
| 17 | देवमाता | 47.73 | मझोला | 9.67 | अल्प | ऊपर की ओर मुड़ी हुई | पीला हरा | पीला हरा |

4.2.12 केन्द्रीय ऐशमपालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय ऐशम बोर्ड, बैंसुर

शहतूत

'शहतूत (मोरुस प्रजाति) के लिए विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व (डीयूएस) विवरणों का विकास एवं इसका सत्यापन' शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत शहतूत जैसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति के डीयूएस दिशानिर्देश इस केन्द्र में विकसित किए जा रहे हैं जिनका निम्नलिखित उद्देश्य है :

- शहतूत के लिए विवरणों का विकास व उनका सत्यापन
- विशिष्टता तथा विशिष्ट आकृति विज्ञानी एवं जैवरसायन विज्ञानी/आण्विक मार्करों तथा इसकी स्थिरता की पहचान
- विविधता की सीमा का लक्षण-वर्णन
- शहतूत के विवरणों के लिए डेटाबेस का विकास तथा इसे इंडेस (डीयूएस के लिए भारतीय डेटाबेस) में शामिल करना
- डीयूएस परीक्षण के मूल्यांकन के लिए गुणों का लक्षण-वर्णन
- शहतूत के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

4.2.13 वन आनुवंशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी - आईसीएफआरई), कोयम्बत्तूर

सीसम तथा मेलिया



'देसी वन वृक्ष प्रजातियों (टैंकटोना ग्रैंडिस और मेलिया दुबिया) के लिए विवरणों तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास' शीर्षक की परियोजना आईएफजीटीबी, कोयम्बत्तूर, तमिल नाडु, भा. रत में कार्यान्वित की जा रही है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- सीसम तथा मेलिया के विशिष्ट तथा अनूठे गुणों की पहचान के लिए विभिन्न समष्टियों/क्लोनों के वृक्ष संबंधी आकृतिविज्ञानी गुणों का अध्ययन
- सीसम तथा मेलिया में विभिन्न स्थानों/वर्षों के दौरान स्थायी गुणों की पहचान
- संदर्भ संकलन के रूप में सीसम तथा मेलिया की विभिन्न समष्टियों/क्लोनों के लिए जननद्रव्य बैंक की स्थापना



मेलिया दुबिया के मामले में पनमपल्ली, करुर, नेल्लौर, तिरुप्पति, तिथिमती, हॉस्कॉट, अन्नुर और चैन्नई में डीयूएस विवरण और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने के लिए अध्ययन किए गए। पत्ती, तने, छाल और जनन संरचनाओं में आकृतिविज्ञानी गुणों में विविधता संबंधी अध्ययन किए गए। चुने गए आकृतिविज्ञानी गुणों में एकरूपता तथा स्थायित्व के मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए

कलोनीय परीक्षणों में भी अध्ययन किए गए।

4.2.14 वर्षा वन अनुसंधान संस्थान-आईसीएफआरई, जोरहट

बांस

उपरोक्त दो प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु वर्षावन अनुसंधान संस्थान, जोरहट ने 'बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकेलेमस हेमिल्टोनी पर डीयूएस विवरणों का विकास एवं विविधता संबंधी अध्ययन' शीर्षक की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

यह परियोजना वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट में निम्न उद्देश्यों के लिए कार्यान्वित की जा रही है :

- डीयूएस विवरणों के विकास के लिए बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकेलेमस हेमिल्टोनी के आकृतिविज्ञानी विशिष्ट गुणों का प्रलेखन
- बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकेलेमस हेमिल्टोनी के जननद्रव्य बैंक की स्थापना
- चयनित प्रविष्टियों के प्रलेखित गुणों के कम्प्यूटर डेटाबेस का विकास

परियोजना के अंतर्गत भौगोलिक तथा अंतराप्रजातीय विविधताओं पर विश्वसनीय सूचना एकत्रित की गई जिसका उपयोग आर्थिक

गुणों की छंटाई के साथ-साथ लक्षित प्रजातियों की पहचान, संरक्षण व टिकाऊ उपयोग के लिए किया जा सकता है। मूल विवरण का उचित कम्प्यूटर डेटाबेस सृजित किया जाएगा ताकि इन प्रजा. तियों के विवरण निर्धारित किए जा सकें। इस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या इन प्रजातियों पर उपयोगी तथा व्या. वहारिक सूचना उपलब्ध कराएगी जिसका उपयोग बांस की अन्य प्रजातियों के लिए भावी दिशानिर्देश के रूप में किया जा सकता है।

4.2.15 वन महाविद्यालय एवं वन अनुसंधान संस्थान, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, मिट्टूपालयम, कोयम्बत्तूर

नीम, करंज और रतनजोत

एफसीआरआई, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, मेट्टूपालयन, कोयम्बत्तूर में 'नीम, करंज और रतनजोत की वृक्ष प्रजातियों के लिए डीयूएस विवरण व परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास' शीर्षक की परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों से कार्यान्वित की जा रही है :

- रतनजोत के लिए डीयूएस विवरणों का विकास
- नीम और करंज के लिए पहले से विकसित विवरणों का लक्षण-वर्णन तथा अतिरिक्त विवरणों का विकास
- लक्षित वृक्ष प्रजातियों के लिए संदर्भ संकलन का विकास
- नीम, करंज और रतनजोत के लिए मसौदा दिशानिर्देशों का विकास

अध्याय 5 : किसानों से संबंधित क्रियाकलाप

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पौधा किस्मों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर एक नया कानून है जिसके बारे में किसानों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों के बीच गहन जागरूकता करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण इससे संबंधित जागरूकता को लाने के लिए किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्वयं सेवी संगठनों तथा सार्वजनिक व निजी संगठनों के साथ गहन सम्पर्क की आवश्यकता है। पिछले 9 वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमा⁹, किसानों मेलों, किसान उत्सवों, कृषि मेलों, कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा राष्ट्रीय सेमिनारों व कृषि कार्यशालाओं के लिए धनराशियां जारी की हैं ताकि स्टेकहोल्डरों को सचेत किया जा सके। पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 की अपेक्षा के अनुसार किसानों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कृषक कोष्ठ की स्थापना की गई है। यह कृषक कोष्ठ कृषक अधिकारों की पूर्व सक्रियता के प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। यह कोष्ठ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों व अन्य परियोजना संबंधी क्रियाकलापों के लिए भी उत्तरदायी है जिसके लिए यह विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यान्वित करता है।

प्राधिकरण की आर्थिक सहायता से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, सरकारी विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कुल 334 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने अनेक कृषक मेलों, प्रदर्शनियों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया।



एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 'जागरूकता के माध्यम से कृषकों के अधिकारों को किसानों तक पहुंचाना' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार 07 जुलाई 2015 को आयोजित हुआ। डॉ. एस. अययप्पन महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. और सचिव, डेयर द्वारा वर्ष 2014 तक पीपीवी और एफआरए में पंजीकृत कृषक किस्मों के कर्मेंडियम का विमोचन

2— श्री आर.के सिंह, आईएएस, संयुक्त सचिव (बीज) द्वारा टेक इट टू फार्मर — द फार्मर्स राइट्स थ्रू एवेयरनेस, पीपीवी और एफआरए का विमोचन

3— डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बीच, बीएच्यू मिर्जापुर के 'कृषक के लिए वरदान' शीर्षक के प्रकाशन का विमोचन



एक दिन के सत्र में डॉ. ए.के. सिंह, उप महानिदेशक (विस्तार), भा.कृ.अ.प. के मार्गदर्शन में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट में पीजीएससी पुरस्कारों, प्रतिदानों और सम्मानों के अतिरिक्त कृषक किस्मों के पंजीकरण, लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां तैयार की गई। महा. निदेशक, भा.कृ.अ.प. तथा उप महानिदेशक (विस्तार), भा.कृ.अ.प. ने प्राधिकरण को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। सत्र के अंत में यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 8 अंचलों में से प्रत्येक अंचल को दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अंचलिक परियोजना निदेशकों के माध्यम से 6.40 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। अंचलिक परियोजना निदेशक कृषि जैवविविधता हॉटस्पॉट के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची तैयार करेंगे तथा उपरोक्त आधार पर धनराशि आ. बंटित किए जाने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार, भारत के सभी आठ अंचलों में 312 प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 2,57,60,000/-रु. की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में आदिवासियों सहित किसानों व किसानों के समूहों व कृषक समुदायों के बीच चेतना लाने के लिए होगी।

5.1 राष्ट्रीय जीन निधि

- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषि, सह. कारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जीन निधि का गठन किया गया था जिसके लिए प्राधिकरण को आरंभिक अंशदान के रूप में 50.00 लाख रुपये दिए गए थे। प्राधिकरण इस उद्देश्य से एक अलग खाता रख रहा है। राष्ट्रीय जीन निधि के योगदानों में शामिल है :
- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किस्म या किसी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के प्रजनक से प्राप्त लाभ में भागीदारी
 - पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त वार्षिक शुल्क

जमा की गई क्षतिपूर्ति की राशि तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंशदान को अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जीन निधि में किसी भी रूप में लाभ में भागीदारी के लिए अदा की जाने वाली राशि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति, संरक्षण में सहायता में होने वाले व्यय और स्वरक्षणे तथा बिहिस्थाने सकलनों सहित आनुवंशिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और पंचायतों की क्षमता को सबल बनाने के लिए किया जा सकता है, ताकि ये पंचायतें इस सम्पदा का संरक्षण व टिकाऊ उपयोग कर सकें और इसके साथ

ही इसका उपयोग लाभ में भागीदारी से संबंधित योजनाओं में होने वाले व्यय को वहन करने के लिए किया जा सकता है।

तालिका 97 : वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय जीन निधि की स्थिति

| मात्र | राशि (रु. में) |
|---------------------------------|--------------------|
| 01 अप्रैल 2015 को आदिशेष | 3,93,93,189 |
| जीन निधि से अंशदान | 1,85,00,000 |
| प्राप्त वार्षिक शुल्क | 89,69,296 |
| बैंक से प्राप्त व्याज | 23,11,840 |
| अन्य आय | - |
| कुल | 6,91,74,325 |
| घटाएँ : प्रशासनिक व्यय | 630 |
| 31 मार्च 2016 को अंत शेष | 6,91,73,695 |

5.2 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, प्रतिदान एवं सम्मान

प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 से प्रत्येक 10 लाख रुपये के पांच पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रदान करने शुरू किए हैं जो प्रत्येक वर्ष पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में रत पात्र कृषक समुदायों को दिया जाता है। प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआरए (प्रतिदान एवं सम्मान – जीन निधि से) नियमावली, 2012 के नियम 5(2) के अनुसार 10 पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान एवं 20 सम्मान प्रदान करने भी शुरू किए हैं। वर्ष 2013 से कृषक प्रतिदान भी दिए जा रहे हैं जिनमें प्रत्येक पुरस्कार में 1.5 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं तथा एक लाख रुपये प्रत्येक किसान को सम्मान के रूप में दिए जाते हैं और साथ में एक उद्घरण व स्मृति चिह्न भी दिया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए विज्ञापन 03 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय बैंकों में निकाला गया तथा वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कारों, प्रतिदानों व सम्मानों के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 03.05.2016 निर्धारित की गई थी।

5.2.1 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2013-14

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय (पीजीएससी) पुरस्कार 2013-14 के लिए प्राप्त आवेदनों के चयन हेतु समिति की बैठक भा.कृ.अ.प. के पूर्व महानिदेशक व टास के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. परोदा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। चयन समिति ने इस बैठक में वर्ष 2013-14 के लिए 10 लाख रुपये के पुरस्कार 5 समुदायों को दिए जाने की अनुशंसा की। समिति की अनुशंसा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई तथा कृषि सहकारिता एवं

किसान कल्याण विभाग द्वारा ये अनुशंसाएं 01.11.2016 को अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजी गईं।


5.2.2 पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान एवं सम्मान 2014

पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान एवं सम्मान हेतु आवेदनों के चयन के लिए 13 सदस्यीय चयन समिति की बैठक श्री राधवेन्द्र सिंह, आईएएस, अपर सचिव (विस्तार), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 28.01.2016 को आयोजित हुई। चयन समिति ने वर्ष 2013 के लिए 6 आवेदनों की अनुशंसा की तथा तीन आवेदनों की वर्ष 2014 के लिए प्रतिदान एवं सम्मान दिए जाने हेतु अनुशंसा की गई। किसानों तथा कृषक समुदायों को प्राधिकरण द्वारा अब तक दिए गए पुरस्कारों का सारांश निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है:

तालिका 98: ‘पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कारों’ के लिए प्राप्त आवेदनों का विवरण


| क्र.सं. | पुरस्कार का नाम | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----|
| | | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | कुल प्राप्त आवेदन | प्रतिकारी लिंक ग्राम पंच | |
| 1. | पादप जीनोम संरक्षक समुदाय सम्मान प्रम. ाण-पत्र | - | 5 | 5 | 15 | - | 4 | - | - | - | 19 | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
| 2. | पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 2 | 19 | 11 | 4 | 27 | 11 | 4 | 28 | 15 |
| 3. | पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 13 | 10 | 80 | 20 |
| 4. | पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 13 | 15 | - | 4 |
| पॉकियाधीन | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अध्याय 6 : भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन



पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में मुख्यालय में पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के अलावा संबंधित प्रजनकों के नाम और पतों, किस्म के नाम, विशिष्टताओं, विशेष गुणों आदि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाता है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 419 किस्मों जिनमें 70 नई किस्में, 48 विद्यमान अदिसूचित किस्में, 63 विद्यमान वीसीके और 238 कृषक किस्में शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मुख्यालय में रखे जा रहे पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर की एक प्रति गुवहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों को भी उपलब्ध कराई गई है।

6.1 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर



पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में मुख्यालय में पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के अलावा संबंधित प्रजनकों के नाम और पतों, किस्म के नाम, विशिष्टताओं, विशेष गुणों आदि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाता है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 419 किस्मों जिनमें 70 नई किस्में, 48 विद्यमान अदिसूचित किस्में, 63 विद्यमान वीसीके और 238 कृषक किस्में शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मुख्यालय में रखे जा रहे पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर की एक प्रति गुवहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों को भी उपलब्ध कराई गई है।

6.2 प्राधिकरण के प्रकाशन

भारतीय पौधा किस्म जरनल को नियमित रूप से प्रकाशित करने के अलावा जो द्विभाषी रूप में नियमित रूप से प्रकाशित होता है, प्राधिकरण ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर हिन्दी और अंग्रेजी में ब्रॉशर प्रकाशित किए हैं। साथ ही कृषकों के अधिकारों पर प्रकाशित एक ब्रॉशर अनेक बैठकों, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में वितरित किए गए। अन्य ब्रॉशर और पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निकाले गए। प्राधिकरण की द्विभाषी वेबसाइट भी है। प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश नियमित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने लगभग 15 फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और इन्हें अधिसूचना हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को भेजा है। ये फसल प्रजातियां शोभाकारी पौधों, मसालों, मोटे अनाजों और फलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा शासकीय पत्राचारों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने श्रोताओं/अवसर की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी में व्याख्यान भी दिए।

अध्याय 7 : डेटाबेस, इंडस, नॉर्व, वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास

7.1 डेटाबेस


डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डीयूएस दिशानिर्देशों (इंडस) के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली तथा भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों (नॉर्व) नामक सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया तथा प्राधिकरण अधिकांश समान संदर्भ किस्मों के चयन, नामों के सत्यापन तथा अधिसूचना संबंधी विवरण के लिए इन डेटाबेसों का रखरखाव कर रहा है। नॉर्व में केन्द्रीय किस्म निर्मूक्त समिति (सीवीआरसी), कृषि अनुसंधान संस्थानों व राज्य कृषि/बागवानी विभाग का विवरण मौजूद है तथा इसका उपयोग मुख्यतः विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत दावा की गई किस्मों के विवरण के सत्यापन के लिए किया जाता है।



7.2 वेबसाइट

प्राधिकरण की वेबसाइट www.plantaauthority.gov.in हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस वेबसाइट में पौधा किस्म रजिस्ट्री से संबंधित सूचना है जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण हेतु पात्र फसल प्रजातियों की सूची, फसल डीयूएस दिशानिर्देश, डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा, डीयूएस केन्द्रों की सूची, शुल्क, फार्म, बीज/रोपण सामग्री संबंधी अपेक्षाएं, आवेदनों की स्थिति, राजपत्र अधिसूचना, पौधा किस्म जरनल संबंधी सूचना भी शामिल है। इस होम पेज के अतिरिक्त वैबसाइट में प्राधिकरण के सदस्यों, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का विहंगम दृश्य, प्रकाशन, महत्वपूर्ण निर्णय, प्राधिकरण के समाचार, वीडियो फिल्में, फोटोपीडिया, रिक्त पद, घोषणाएं, निविदाएं व अन्य सूचना भी मौजूद है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। उपयोगकर्ताओं के लिए वाचित विभिन्न आवेदन पत्र भी इस वैबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

7.3 पौधा किस्मों का दार्ढीय दिजिटल स्वरूप में



जैसा की पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अध्याय 6 के पैरा 6.1 में उल्लिखित है, पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर कहा गया है। यही डेटाबेस डिजिटल स्वरूप में ई-राष्ट्रीय रजिस्टर में भी रखा जाता है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण संख्या, फसल का नाम खोज सकता है तथा रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं जैसे पंजीकरण संख्या, प्रजनक की राष्ट्रीयता, पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्रदान करने की तिथि, स्वीकृत किए गए नाम, राजपत्र अधिसूचना की तिथि, किस्म को विशिष्ट बनाने के अनिवार्य गुण आदि शामिल हैं। इस सॉफ्टवेयर में डेटा बैकअप को किसी भी बाहरी भंडारण युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है।

7.4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में सभी पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस एक रजिस्टर में रखा जाता है जो राष्ट्रीय पौधा किस्म

रजिस्टर कहलाता है। यह डेटाबेस रजिस्टर में हार्ड कॉपी में होने के साथ ई-राष्ट्रीय रजिस्टर के रूप में डिजिटल स्वरूप में भी है। इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण भारत सरकार निविदा सूचना प्रणाली पर निविदाओं की प्रतियां (<http://tenders.gov.in>) पर उपलब्ध कराती है। सामान्य पूल रिहायशी आवास की अद्यतन स्थिति भी उपलब्ध कराई जाती है (<http://gpra.nic.in>), आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट (<http://cic.gov.in>), नई पेशन प्रणाली योगदानों की लेखा प्रणाली (<https://np-scan-cra.com/CRA/>) भारत सरकार निगरानी प्रणाली में पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यावेदनों (<http://www.rrcps.nic.in/>) को भी अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों का ई-राष्ट्रीय रजिस्टर भी मौजूद है। प्राधिकरण इस संबंध में राष्ट्रीय ई-शासन की संकल्पना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है तथा इस दिशा में पहल भी आरंभ की जा चुकी है।

अध्याय 8 : प्रशासनिक मामले

8.1 विधायी कोष्ठ

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की सफल पैरवी की है। रजिस्ट्री तथा प्राधिकरण के सम्मुख अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में कानूनी राय दी गई तथा दैनिक आदेश शीटें संबंधित पक्षों को शीघ्रता से डिस्पैच किया गया। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को निरस्त नहीं किया गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4.11.2015 को पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 की धारा 24(5) में उल्लिखित अनंतिम सुरक्षा की संवैधानिक मान्यता के संबंध में अपना आदेश आरक्षित रखा है।

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 34 मामले लम्बित थे जिसमें से 6 का निपटारा किया गया और 1 अप्रैल 2015 को प्राधिकरण के विरुद्ध 28 मुकदमे लंबित हैं। निर्णय के लिए लंबी बत मुकदमों की संख्या का फोरम के साथ विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 99 : सुनवाई के लिए लग्बित मामलों की संख्या तथा फोरम का विवरण

| केन्द्रीय प्रशासनिक व्यायाधिकरण | उच्च व्यायालय | सर्वोच्च व्यायालय |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 8 | 18 | 2 |

निम्नलिखित राजपत्रित सूचनाएं प्रकाशित हुई :

- कृषक किस्मों का वार्षिक शुल्क 10/-रु. करने के लिए संशोधन हेतु राजपत्रित अधिसूचना संख्या 1598 दिनांक 15 जून 2015
- पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 में संशोधन के संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 494 (ई) दिनांक 15 जून 2015

- पीपीवी और एफआर (जीन निधि से सम्मान एवं पुरस्कार) नियमावली, 2012 में संशोधन के संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 495 (ई) दिनांक 15 जून 2015
- पीपीवी और एफआरए विनियम, 2006 में संशोधन के संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 496 (ई) दिनांक 15 जून 2015
- पीपीवी और एफआरए योजना, 2015 के संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 497 (ई) दिनांक 15 जून 2015
- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से 10 फसल प्रजातियों (जो विद्यमान किस्में और कृषक किस्में नहीं हैं) (चमेली, रजनीगांडा, पपीता, चाइना एस्टर, आड़, जापानी, आलूबुखारा, स्ट्राबेरी, मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका, रागी और कंगनी) की अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1796(ई) दिनांक 2 जुलाई 2015

8.2 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जाने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो सीधे या अन्य विभागों से हस्तांतरित होकर आए कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए (सूची संलग्न) जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्राप्त सूचना को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी के पास कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

तालिका 100 : पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में प्राप्त आरटीआई आवेदनों का विवरण

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | आवेदन की तिथि | मांगी गई सूचना | आवेदन की दिघति | टिप्पणी |
|---------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | श्री नीरज पटेल | 07.04.2015 | 02 प्रश्न पूछे गए | 27.04.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 2 | श्री मिथिला राय | 07.04.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 27.04.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 3 | सुश्री एम. उमा महेश्वरी | 09.04.2015 | 02 प्रश्न पूछे गए | 05.05.2015 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 4 | श्री पार्थजालान | 17.04.2015 | 02 प्रश्न पूछे गए | 11.05.2015 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 5 | श्री मनोज कुमार आनंद | 20.04.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 18.05.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 6 | सुश्री सीमा सिंह | 27.04.2015 | 10 प्रश्न पूछे गए | 20.05.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 7 | श्री एश्ले नोइल कॉन्सेसियो | 05.05.2015 | 03 प्रश्न पूछे गए | 21.05.2015 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | आवेदन की तिथि | मांगी गई सूचना | आवेदन की स्थिति | टिप्पणी |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 8 | सुश्री एन. प्रियंका एवांगिलिन | 18.06.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 24.07.2015 को उत्तर भेजा गया | एनआरसीएमएपी द्वारा हस्तांतरित |
| 9 | श्री ए.वी. श्रीनिवास | 18.08.2015 | 03 प्रश्न पूछे गए | 25.08.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 10 | सुश्री नीति विल्सन | 11.08.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 25.08.2015 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 11 | डॉ. अश्वनी त्रिवेदी | 18.08.2015 को सीआईसी में सुनवाई हुई | 01 प्रश्न पूछे गए | 21.09.2015 को उत्तर भेजा गया | सीआईसी के माध्यम से प्राप्त हुआ |
| 12 | श्री विपिन दास | 16.10.2015 | 02 प्रश्न पूछे गए | 09.11.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 13 | डॉ. अल्का | 13.10.2015 | 21 प्रश्न पूछे गए | 12.11.2015 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 14 | श्री अंजु कुमार | 26.10.2015 | 02 प्रश्न पूछे गए | 18.11.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 15 | श्री टी.पी. बैजू | 12.11.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 10.12.2015 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 16 | श्री चिन्मय रॉय | 26.11.2015 | 06 प्रश्न पूछे गए | 23.12.2015 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 17 | श्री बिनोद मल्होत्रा | 17.12.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 19.01.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 18 | डॉ. अजय कुमार कटारिया | 29.12.2015 | 01 प्रश्न पूछे गए | 20.01.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 19 | श्री ओंकार प्रसाद | 18.01.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 17.02.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 20 | श्री रण चेतन सिंह | 19.01.2016 | 04 प्रश्न पूछे गए | 17.02.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 21 | श्री एहतसान कुतुबूद्दीन सिंह ददकी | 01.02.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 18.02.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 22 | श्री चेफुकुरी वी.एन. श्रीहरी | 02.02.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 18.02.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 23 | सुश्री एकता अग्रवाल | 05.02.2016 | 04 प्रश्न पूछे गए | 03.03.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 24 | श्री सुरजीत चन्द | 29.02.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 03.03.2016 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 25 | श्री सुरजीत चंद | 29.02.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 29.03.2016 को उत्तर भेजा गया | सीधे प्राप्त हुआ |
| 26 | श्री राकेश दुबूड़ू | 10.03.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 29.03.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 27 | श्री सत्यवीर कुमार पठानिया | 01.03.2016 | 06 प्रश्न पूछे गए | 30.03.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |
| 28 | श्री बनारसी राम | 01.03.2016 | 01 प्रश्न पूछे गए | 30.03.2016 को उत्तर भेजा गया | डीएसी द्वारा हस्तांतरित |

अध्याय 9 : प्रशिक्षण—एवं—जागरूकता कार्यक्रम

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 कृषि में आईपीआर पर एक विधान है जिसके अंतर्गत कृषकों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर के बीच जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्वयं सेवी संगठनों तथा सार्वजनिक व निजी संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग में विश्वास रखता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, किसान मेलों, किसान उत्सवों, कृषि मेलों, कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय सेमिनारों तथा कृषि कार्यशालाओं के लिए धनराशि जारी की है। जैसा कि पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में वांछित है, किसानों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए प्राधिकरण में एक कृषक कोष्ठ का गठन किया गया है। जो अधिनियम में उल्लिखित कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी रखता है। यह कोष्ठ विभिन्न संगठनों/स्टेकहोल्डरों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

रिपोर्टरीन अवधि के दौरान प्राधिकरण में अपने क्रिया कलापों तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में देशभर में लगभग 334 जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। जिसके अंतर्गत अन्य स्टेकहोल्डरों को पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, सुधारने व उपलब्ध कराने में उनके द्वारा दिए गए योगदानों के प्रति सचेत किया जा सके। ऐसा कृषि विज्ञान केन्द्रों/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/सरकारी विभागों तथा स्वयं सेवी संगठनों के घनिष्ठ सहयोग से किया गया।

अंचल-1

सीएसके एचपीकेवी, कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



सीएसके एचपीकेवी, कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने 23 मार्च 2016 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें मण्डी तथा पड़ोसी जिलों से आए 270 से अधिक किसानों ने भाग लिया। सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर के माननीय कुलपति डॉ. के.के. कटोच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और इसमें डॉ. पी.के. मेहता, निदेशक, विस्तार शिक्षा, सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर; डॉ. सतीश पॉल, प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्र. जनन), सीएसके एचपीकेवी, बजुआरा जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश; बीड़ीसी के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य तथा आस-पास की ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। ये पंचायतें धर्मपुर ब्लॉक, मण्डी जिला, हिमाचल प्रदेश की थीं।

स्थानीय परंपरागत किस्मों के प्रदर्शन के लिए इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। किसानों को पौधा किस्मों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराया गया। कुछ किसान अपनी फसलों जैसे धान, कुटटू, चौलाई, कंगनी आदि की परंपरागत किस्में भी लाए थे जिनका इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया गया। यदि इन किस्मों में कोई अनूठे गुण पाए जाते हैं तो इन्हें पंजीकरण किया के अंतर्गत लाया जाएगा।

कृषि विज्ञान केन्द्र, होशियारपुर, पंजाब द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, होशियारपुर, पंजाब में 26 फरवरी 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में होशिया. रपुर जिले के विभिन्न गांवों से आए 170 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इसमें डॉ. परमजीत सिंह धत्त, मुख्य कृषि अधिकारी, होशियारपुर; डॉ. इन्द्रजीत सिंह हुंडल, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, होशियारपुर; डॉ. मनेन्द्र सिंह बोंस, एसएमएस पादप सुरक्षा, कृषि विज्ञान केन्द्र, होशियारपुर; डॉ. अजय सिंह, एसएमएस, पशुविज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र, होशियारपुर और डॉ. एस.पी. बरार, वरिष्ठ विस्तार विशेषज्ञ, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कृषक किस्मों तथा किसानों के बीच उनके अधिकारों के बारे में अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए व्याख्यान दिए गए तथा किसानों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में उनकी परंपरागत किस्मों को पंजीकृत कराने के बारे में चर्चा सहित दिशानिर्देश प्रदान किए गए। ये किस्में अनादि काल से किसानों द्वारा अनुरक्षित की जा रही हैं। इसके साथ ही जननद्रव्य संरक्षण के लिए पंजाब कृषि

विश्वविद्यालय, लुधियाना के क्रियाकलापों के बारे में भी व्याख्यान दिए गए।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बी.बी. आश्रम, रामपुरा – रेवाड़ी, हरियाणा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम



कृषि विज्ञान केन्द्र, बी.बी. आश्रम, रामपुरा – रेवाड़ी, हरियाणा में 11 मार्च 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेवाड़ी जिले के विभिन्न गांवों से आए 100 से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. सतबीर यादव, क्षेत्रीय निदेशक, आरआरएस सीसीएस एचएयू, बावल ने भी इस जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में संसाधन व्यवितरणों डॉ. यशपाल यादव, पादप प्रजनक; डॉ. आर.ए.एस. लाम्बा, पादप प्रजनन ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर बहुमूल्य जागरूकता व्याख्यान दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य पौधा किस्मों की सुरक्षा, किसानों को उनके अधिकारों के लिए प्रोत्साहित करने तथा नई पौधा किस्मों के विकास के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना है।

अंचल-2

कृषि विज्ञान केन्द्र, नवादा (बिहार) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र (ग्राम निर्माण मंडल) सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा नवादा (बिहार) द्वारा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से 22 जनवरी 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी एवं एफआरए) के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें औरंगाबाद तथा पड़ोसी जिलों के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉ. सुधीर कोचर, पूर्व निदेशक एनएआईपी, भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली; श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, शाखा कार्यालय, रांची (झारखण्ड), डॉ. नित्यानन्द, कार्यक्रम सह-समन्वयक (पीसी) कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद (बिहार); डॉ. सुरेन्द्र चौरसिया, कार्यक्रम समन्वयक (पीसी), कृषि विज्ञान केन्द्र, गया (बिहार) ने भी भाग लिया।

115 किसानों ने भाग लिया। उप पंजीकार ने अपने व्याख्यान में कृषक किस्मों के पंजीकरण की शासकीय प्रक्रिया की व्याख्या की। उन्होंने कृषक किस्मों सहित पौधा किस्मों के पंजीकरण पर विशेष प्रकाश डालते हुए पीपीवी एवं एफआरए, 2001 के विभिन्न प्रावधानों तथा गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से बताया। कृषि विज्ञान केन्द्र के स्टाफ और विभिन्न जिलों से आए किसानों ने किस्मों के पंजीकरण व पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार तथा पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान एवं सम्मान के प्रति अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की। सत्र के अंत में एक परिचर्चा सत्र का भी आयोजन हुआ। कृषि विज्ञान केन्द्र का स्टाफ तथा किसान कृषक किस्मों के पंजीकरण और विभिन्न पुरस्कारों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जिनका उप पंजीकार ने उत्तर दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद (बिहार) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद (बिहार) द्वारा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से 21 जनवरी 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी एवं एफआरए) के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें औरंगाबाद तथा पड़ोसी जिलों के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉ. सुधीर कोचर, पूर्व निदेशक एनएआईपी, भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली; श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, शाखा कार्यालय, रांची (झारखण्ड), डॉ. नित्यानन्द, कार्यक्रम सह-समन्वयक (पीसी) कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद (बिहार); डॉ. सुरेन्द्र चौरसिया, कार्यक्रम समन्वयक (पीसी), कृषि विज्ञान केन्द्र, गया (बिहार) ने भी भाग लिया।

उप पंजीकार ने कृषक किस्मों के पंजीकरण की शासकीय प्रक्रिया की व्याख्या की। उन्होंने डीयूएस/जीओटी परीक्षण, सुरक्षा की अवधि, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, जीन निधि, लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति, प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के बारे में भी विस्तार से बताया। उप पंजीकार ने कृषक किस्मों के पंजीकरण फार्म को भरने के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। डॉ. चंदन राय ने विश्वविद्यालय की ओर से पंजीकरण हेतु पीपीवी एवं एफआरए को एफआरए की ओर से किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का वचन दिया। ।। डॉ. सुधीर कोचर ने पौधा किस्मों की सुरक्षा, कृषकों के अधिकार तथा कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी मुद्दों को आधुनिक कृषि से जोड़ते हुए इनके इतिहास की जानकारी दी। डॉ. नित्यानन्द, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग, झारखंड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग, झारखंड द्वारा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से 05 मार्च 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी एवं एफआरए) के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें औरंगाबाद तथा पड़ोसी जिलों के 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में डॉ. आर.के. सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग (झारखंड); सिस्टर जोशलेइन, निदेशिका, एचकेवीके, हजारीबाग (झारखंड); डॉ. अनुरंजन, परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (आत्मा), हजारीबाग (झारखंड), डॉ. प्रसात वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस), बागवानी, सिस्टर विनिता, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस), पशु विज्ञान, हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), हजारीबाग (झारखंड) ने भी भाग लिया।

उप पंजीकार ने अपने व्याख्यान में कृषक किस्मों के पंजीकरण की शासकीय विधि की व्याख्या की। उप पंजीकार ने कृषक किस्मों के पंजीकरण की शासकीय प्रक्रिया की व्याख्या की। उन्होंने डीयूएस/जीओटी परीक्षण, सुरक्षा की अवधि, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, जीन निधि, लाभ में भागीदारी और क्षितिपूर्ति, प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा जारी किए गए प्रमाण—पत्रों के बारे में भी विस्तार से बताया। उप पंजीकार ने कृषक किस्मों के पंजीकरण फार्म भरने, विभिन्न पुरस्कारों, प्रतिदानों व सम्मान से संबंधित फार्मों को भरने के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। कृषि विज्ञान केन्द्र तथा किसान कृषक किस्मों के पंजीकरण व विभिन्न पुरस्कारों के बारे में बहुत उत्सुक थे तथा उन्होंने इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जिनका उप पंजीकार ने उचित उत्तर देकर उन्हें

संतुष्ट किया। इस कार्यक्रम में कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट पर एक वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई तथा कृषकों के अधिकारों पर एक नुक़द नाटक भी खेला गया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

किसानों के लाभ के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, जलपाईगुड़ी में 11 फरवरी 2016 को पीपीवी और एफआरए पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 102 से अधिक किसानों तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। डॉ. बिधान रॉय, एसो. सिएट प्राध्यापक, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, यूबीकेवी ने पौधा किस्मों और कृषक के अधिकार से संबंधित अधिनियम व स्थानीय किस्मों के सर्वेक्षण, चयन और संरक्षण पर एक व्याख्यान दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें जलपाईगुड़ी जिले की चावल तथा सब्जियों की स्थानीय किस्मों का प्रदर्शन किया गया।

अंचल-3

कृषि विज्ञान केन्द्र, मोरीगांडुज (असम) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जागरूकता सृजित करने तथा मोरीगांडुज जिले, कृषि विज्ञान केन्द्र, मोरीगांडुज जो असम कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है में किसानों की भागीदारी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कोलामंदिर, जागीरोड पर आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न भागों से आए अस्सी प्रगतशील किसानों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. ए.सी. शर्मा, उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, गुवहाटी ने किया। डॉ. धीरेन नाथ चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आरएआरएस, डॉ. के.के. शर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, आरएआरएस, लखीमपुर, डॉ. ए.सी. शर्मा, उप पंजीकार पीपीवी और एफआरए, गुवहाटी व श्री नबज्योति भुयन, संयुक्त प्रजनक इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किए गए। कृषि विज्ञान केन्द्र, मोरीगांडुज के कार्यक्रम समन्वयक ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि पीपीवी और एफआरए के अंतर्गत उनकी फसल किस्मों के पंजीकरण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का संचालन श्री जियाउल हक, फर्म प्रबंधक ने किया। मोरीगांडुज जिले से नवगांडुज जिले तक के गांवों के किसानों तथा बामुनबोरी के किसानों के लिए भी एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 33 किसानों ने भाग लिया और धान की किस्मों का पंजीकरण किया गया व छह किस्में पंजीकृत की गई।

कृषि विज्ञान केन्द्र, सिवसागर, असम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



कृषि विज्ञान केन्द्र, सिवसागर द्वारा एम.सी. कलब, नाजिरा में 31 मार्च 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आए 100 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वे संसाधन व्यक्ति थे : डॉ. मोनोरंजन नियोग, विस्तार शिक्षा के एसोसिएट निदेशक, एएयू जोरहट; डॉ. आर. बरुआ, वरिष्ठ विस्तार विशेषज्ञ, एएयू, जोरहट; डॉ. नगेन शर्मा बरुआ, प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग; डॉ. ए. शर्मा, प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग।

डॉ. फुलेश्वर नाथ, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सिवसागर ने स्वागत भाषण दिया तथा प्रतिभागियों को कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. मा. नोरंजन नियोगी, एडीईई, एएयू जोरहट ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के महत्व तथा असम के विभिन्न जिलों के किसानों के बीच इसके बारे में जागरूकता सृजित करने में असम कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ. बोरठाकुर, डीएओ सिवसागर ने अपने व्याख्यान में विशेष गुणों से युक्त सिवसागर जिले की देसी किस्मों के पंजीकरण पर बल दिया।

भा.कृ.अ.प. - हैलाकंडी (असम) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, हैलाकंडी जो भा.कृ.अ.प. के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर के अधीन है, द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यालय परिसर में 12 जनवरी 2016 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 97 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. शेक मो. हम्मद अजीजुर रहमान, वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र हैलाकंडी के स्वागत भाषण से हुआ जिसके पश्चात् विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने व्याख्यान दिए जैसे श्री गुनिन सैकिया,

जिला वन अधिकारी, हैलाकंडी; श्री लालसनहिम हमार, जिला कृषि अधिकारी, हैलाकंडी; डॉ. ए.आर. अहमद, कृषि विकास अधिकारी, हैलाकंडी; डॉ. टी.यू. खान, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिविज्ञान विभाग, एसएस महाविद्यालय, हैलाकंडी और श्री अभिषेक कुमार, एसएसएस (पादप प्रजनन), कृषि विज्ञान केन्द्र, हैलाकंडी।

इस कार्यक्रम में विभिन्न पण्धारियों के साथ पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के सामान्य कार्यों एवं कृषकों के अदिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और इस ओर ध्यान दिलाया गया कि हम अपनी विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से होने वाले लाभों पर भी चर्चा हुई। किसानों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में अनेक प्रश्न पूछे जिनके उत्तर दिए गए।

कृषि विज्ञान केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



कृषि विज्ञान केन्द्र, दीमापुर, भा.कृ.अ.प. – उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर, नागालैंड केन्द्र, झरनापानी द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कृषक किस्मों के पंजीकरण पर किसानों के दीर्घावधि लाभ के लिए तीन प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण में 21 मार्च 2016 को सिंग्रीजन गांव के 64 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, 29 मार्च 2016 को मोलवोम गांव में आयोजित एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में 68 प्रतिभागी थे और अंत में 30 मार्च 2016 को दोमोखिया गांव में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें 60 किसानों ने भाग लिया। इन तीनों प्रशिक्षणों में किसानों को उनके अधिकारों, लाभ में भागीदारी, किसानों के व्यक्तिगत तथा समुदाय कृषक पुरस्कारों व विशेष रूप से संरक्षण में रत आदिवासियों व ग्रामीण समुदायों को दिए जाने वाले पुरस्कारों, भू प्रजातियों तथा आर्थिक महत्व के उनके वन्य संबंधियों के रूप में पादप आनुवंशिक संसाधनों के परिरक्षण व संरक्षण में सुधार व

उनके योगदानों के बारे में जानकारी दी गई।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर नागामीज़ भाषा में अनूदित प्रशिक्षण फोल्डर भी किसानों को वितरित किए गए तथा इसके साथ ही उन्हें किस्मों के पंजीकरण के फार्म व अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई। कृषि विज्ञान केन्द्र, दीमापुर ने प्राचीकरण के अंतर्गत किसानों की किस्मों के पंजीकरण के सुविधाक के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बोखा, भा.कृ.अ.प., नागालैंड केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

भा.कृ.अ.प. – उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर, नागालैंड के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, बोखा द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से 23 फरवरी 2016 को सैनिस में तथा 26 फरवरी 2016 को यान्का में ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

डॉ. संतोष कुमार बैश्य, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बोखा ने जिले के किसानों के लिए कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पौधा किस्मों की सुरक्षा और कृषकों के अधिकारों की आवश्यकता के बारे में किसानों के बीच जागरूकता सृजित करना है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अनेक किसान विभिन्न प्रकार की पौधा किस्मों की खेती तथा उनका संरक्षण कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि किसानों द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार के सा. थ–साथ नई पौधा किस्मों के विकास के रूप में पादप आनुवंशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने में उनके द्वारा दिए गए योगदानों को पहचाना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के माध्यम से किसान अपनी किस्में पंजीकृत करा सकते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र, बोखा किसानों की सहायता के लिए तत्पर है।

डॉ. बैंदांगला इम्सोंग, विषय–वस्तु विशेषज्ञ (पादप प्रजनन) ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत किसानों को प्राप्त नौ अधिकारों, पंजीकरण हेतु विभिन्न फसलों/पादप किस्मों की प्रक्रियाओं तथा बीज संबंधी आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र दिए गए। सैनिस में 10 गांवों – मेशनबेन, प्यांग. सा, सोपो, चुड़ी, योंचुचो, सुंगलेप, लोंगसुंग, मोरोकजु, प्यूत्चू, सैनिस व एसडीएओ कार्यालय, बाघती के साथ–साथ कृषि विज्ञान केन्द्र बोखा के कुल 7 अधिकारयों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया,

जबकि यांफा गांव में यांफा और ओल्ड रालान गांवों के 37 किसानों के अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र, बोखा के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम त्रिपुरा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



रवी कृषि विज्ञान मेला, 2016 के भाग के रूप में 30 जनवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम त्रिपुरा द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया यात्रा जिसमें 146 किसानों, खेतिहार महलाओं और ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया। सत्र का संचालन डॉ. नुरुल इस्लाम ने किया। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किए गए प्रयासों से पौधा किस्मों की सुरक्षा के परिणामों के बारे में श्री डी. नाथ ने चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऐसी अनेक फसलें हैं जिन्हें पंजीकृत कराया जा सकता है और इनमें से कुछ को पंजीकरण के लिए भेजा भी जा चुका है।

डॉ. डी. डे ने राज्य कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे पंजीकृत बीज उत्पादक कार्यक्रम तथा केन्द्र सरकार के अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा पौधा किस्मों के पंजीकरण कार्यक्रम के बीच मौजूद भेद के बारे में बताया। अनेक किसानों ने कार्यक्रम में उपस्थित वैज्ञानिकों से चर्चा की तथा संबंधित मुद्राओं पर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। डॉ. इस्लाम ने प्रकृति के अनूठेपन तथा जैवविविधता पर चर्चा की और यह बताया कि विश्व में किस प्रकार मानवीय कार्यों से शांतिपूर्ण जीवन के प्रति संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बेहतर लाभों के लिए देसी जननद्रव्य के संरक्षण व प्रवर्धन के साथ–साथ केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा पहलों के बेहतर कार्यान्वयन पर भी बल दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, कोकराझार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, कोकराझार द्वारा मौलिक प्रशिक्षण केन्द्र परिसर, कोकराझार में 8 जनवरी 2016 को ‘पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. एम.पी. शर्मा ने पौधा किस्मों के वृहत जैवविविधता

के हॉट-स्पॉट के रूप में असम तथा उत्तर पूर्व के अलावा पौधा किस्मों की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। डॉ. एम.के. भुइयन तथा कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोकराज्ञार ने 'पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के संबंध में जिले के किसानों के लिए उनके कार्य क्षेत्र तथा असम की 'जैवविविधता' पर एक बहुमूल्य जागरूकता व्याख्यान दिया। वक्ता ने इस वृहत जैवविविधता के हॉटस्पॉट में सम्पूर्ण पौधों तथा पीपीवी व एफआर प्राधिकरण द्वारा किसानों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने पर प्रकाश डाला। किसानों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया और चर्चाओं के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। किसानों का विचार था कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर और अधिक चर्चा की जानी चाहिए जिससे उन्हें बारीक तथ्यों को समझने में सहायता मिलेगी और किसान आने वाले दिनों में अपने विचारों से अवगत होंगे।

कृषि विज्ञान केन्द्र, जोरहट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

किसानों के बीच जागरूकता सृजित करने तथा किसानों द्वारा अनुरक्षित की जा रही उनकी परंपरागत किस्मों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकृत कराने हेतु किसानों का मार्गदर्शन कराने तथा इस विषय पर चर्चा करने के लिए 11 मार्च 2016 को उत्तर कमलाबाड़ी सतरा, मझूली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो विशेष रूप से पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में था। इस कार्यक्रम में पीपीसी के सदस्यों के अतिरिक्त 100 से अधिक किसानों, वीएलईडब्ल्यू, कृषक बंडुओं, राज्य सरकार के अधिकारियों व स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। ये सभी मझूली उप प्रभाग से आए थे। डॉ. पूर्णकांत बरुआ, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अत्यंत वयस्त होते हुए भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। उन्होंने बौद्धिक सम्पदा अधिकार, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पहलुओं (ट्रिप्स) की भूमिका तथा भारत में वर्तमान में लागू विभिन्न सम्पदा अधिकार संबंधी अधिनियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से ये कानून कृषक किस्मों की सुरक्षा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। डॉ. किशोर कुमार शर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, उत्तर लखीमपुर ने पौधा किस्म और अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने किसानों को उनके सात विभिन्न अधिकारों के बारे में बताया और कहा कि इन्हें सभी किसानों को जानना चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार की पात्रता के बारे में भी जानकारी प्रदान की। डॉ. नगेन्द्र शर्मा बरुआ, प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट

ने प्रजनकों द्वारा विकसित किस्मों के लिए पादप प्रजनकों के अधिकारों के बारे में भी किसानों को बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसान कोई नई किस्म विकसित कर सकते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोलाघाट, असम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोलाघाट के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को नगर पालिका मंडल सम्मेलन कक्ष, गोलाघाट में एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में था। इसमें गोलाघाट जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

अंचल-4

कृषि विज्ञान केन्द्र, पौड़ी गढ़वाल, वीसीएसजीयूयूएच और एफ, भरसार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, पौड़ी गढ़वाल, वीसीएसजीयूयूएच और एफ, भरसार, उत्तराखण्ड द्वारा 5 मार्च 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 100 से अधिक किसानों व पण्धारियों ने भाग लिया जो पौड़ी गढ़वाल जिले के विभिन्न भागों से आए थे।

दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनिवन, चित्रकूट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र में श्री अभय महाजन, संयोजन सचिव, डीआरआई की उपस्थिति में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए ने मोबाइल प्रणाली के माध्यम से विशाल जन समुदाय को सम्बोधित किया। उन्होंने किसानों का आहवान किया कि वे आगे आएं तथा इस अवसर का लाभ उठायें। उन्होंने इस संबंध में किसानों को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया।



तकनीकी सत्र के दौरान विभिन्न वैज्ञानिकों तथा मुख्य वक्ताओं ने अपने व्याख्यान तथा प्रस्तुतीकरण दिए जो पौधा किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम से जुड़ी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में थे। जिला बागवानी विभाग से आए प्रतिनिधि श्री राकेश कुमार ने जिले में चल रही विभिन्न विभागीय गतिविधियों का संक्षिप्त व्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने जिले की बारानी स्थितियों के अंतर्गत कुछ उत्पादन प्रौद्योगिकियों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया। कुछ प्रगतिशील किसानों तथा खेतिहर महिलाओं ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में जिले के 32 गांवों से आए कुल 241 किसानों तथा खेतिहर महिलाओं ने भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, रायबरेली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, रायबरेली द्वारा 15 मार्च 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में किसानों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 व पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में किसान अपनी किस्में किस प्रकार पंजीकृत करा सकते हैं। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए लगभग 100 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बेजवान, भदोही, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, बेजवान, भदोही, उत्तर प्रदेश में 10 मार्च 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भदोही जिले के छह ब्लॉकों के कुल 102 किसानों ने भाग लिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, भदोही ने अतिथियों का स्वागत किया तथा यह प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बारे में बताते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कृषि विज्ञान केन्द्र के अन्य विशेषज्ञों ने भी कार्यक्रम के दौरान पीपीवी और एफआर अधिनियम के लाभों के बारे में जानकारी दी।

इसके अतिरिक्त 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण' शीर्षक का एक प्रशिक्षण मैनुअल संकलित किया गया था जिसे प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के बीच वितरित किया गया। इस मैनुअल में छह अध्याय हैं, नामतः पीपीवी और एफआरए – एक झलक, कृषकों के अधिकार, पीपीवी और एफआरए – महत्वपूर्ण तथ्य, पीपीवी और एफआरए से संबंधित प्रश्न व उनके उत्तर, पंजीकरण का प्रोफार्मा तथा महत्वपूर्ण फसलों से संबंधित उत्पादन प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्रे।

अंचल-5

भा.कृ.अ.प. - क्रीड़ा, कृषि विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

हर्षगुडा गांव, महेश्वरम प्रभाग जिसमें तीन मंडल नामतः महेश्वरम, कंडुकूर और सरुरनगर आते हैं, में 27 फरवरी 2016 को परिसर से इतर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में था। इस कार्यक्रम में लगभग 143 किसानों तथा विस्तार अधिकारियों ने भाग लिया। ये विस्तार अधिकारी कृषि विभाग, तेलंगाना सरकार के थे। डॉ. बी. सारनाथबाबू अधिकारी प्रभारी, भा.कृ.अ.प. – एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाभलेश्वर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाभलेश्वर, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा 28 जनवरी 2016 को परिसर से इतर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में था। इस कार्यक्रम में कुल 183 किसानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. विजय शेकर, वैज्ञानिक, बीज प्रौद्योगिकी, एमपीकेवी, राहुरी ने किसानों द्वारा उगाई जाने वाली परंपरागत किस्मों को पंजीकृत कराने के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। डॉ. शेकर ने विभिन्न प्रकार की किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि एमपीकेवी, राहुरी बाजारा, ज्यार तथा चने के लिए डीयूएस केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है।

वाईएफए – कृषि विज्ञान केन्द्र, मदनापुरम, तेलंगाना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वाईएफए – कृषि विज्ञान केन्द्र, मदनापुरम में 25 नवम्बर 2015 तथा आदर्श रूरल रिसोर्स सेंटर द्वारा 31 नवम्बर 2015 को वनापार्थी में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों व वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिक चर्चा हुई तथा किसानों ने पंजीकृत की गई पौधा किस्मों के बारे में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में प्रश्न पूछे जिनके उचित उत्तर दिए गए। दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान कृषि विभाग के 25 प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में कुल 144 किसानों ने भाग लिया जिनमें 21 महिला तथा 123 पुरुष किसान थे और इनमें 71 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसान भी शामिल थे।

कृषि विज्ञान केन्द्र, जम्मीकुंठा, तेलंगाना द्वारा आयोजित

प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, जमनीकुंटा, करीमनगर, तेलंगाना में 25 मार्च 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 127 किसानों ने भाग लिया। डॉ. एन. वेंकटेश्वर राव ने कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषक किस्मों को पंजीकृत कराने का किसानों से अनुरोध किया ताकि इसका लाभ कृषक समुदाय को मिल सके। डॉ. पी. गोनिया नाईक पादप प्रजनक ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने किसानों ने अपील की कि उनके खेतों में जहां कहीं भी जननद्रव्य उपलब्ध हो वे उसे संरक्षित करें। डॉ. चन्द्र मोहन ने भी पीपीवी और एफआर अधिनियम पर व्याख्यान दिया जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों और विशेष रूप से कृषक किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया।

अंचल-6

कृषि विज्ञान केन्द्र, जूनागढ़ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, पीपलया (राजकोट-2), गुजरात में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर 26 फरवरी 2016 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के परिचालनीय क्षेत्र के 7 ताल्लुकों में से 5 ताल्लुकों के 23 गांवों के कुल 124 किसानों ने भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीएआईएफ - भડूच, गुजरात द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम



कृषि विज्ञान केन्द्र, चास्वाड, जिला भડूच, गुजरात द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। दो प्रशिक्षण कार्यक्रम 3-4 मार्च 2016 को आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में नेत्रांग, वा.

लिया और जम्बूसार ताल्लुकों से आए कुल 134 किसानों ने भाग लिया। ये ताल्लुक भડूच जिले के थे। भડूच जिले में कार्य कर रहे विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रतिभागी विभिन्न फसलों के स्थानीय बीज लेकर आए थे। सभी प्रतिभागियों ने बीज प्रदर्शनी को देखा तथ परंपरागत किस्मों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया।

अंचल-7

कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा 12 दिसम्बर 2015 को एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बलरामपुर तथा इसके आसपास के जिलों के 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। उपस्थित जन-समूहों को सम्बोधित करते हुए प्राधिकरण के महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने कहा कि बलरामपुर एक नया जिला है जिसमें समृद्ध जैवविविधता है तथा यहां के किसानों द्वारा अनेक देसी फसल किस्में संरक्षित की जा रही हैं। उन्होंने अपील की कि किसान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में अपनी किस्में पंजीकृत कराने के लिए आगे आएं तथा जो सामग्री वह लंबे समय से उगाते आ रहे हैं उसका लाभ उठायें। डॉ. वी.के. सिंह ने कहा कि सरगुजा प्रभाग में व्यापक जैव विविधता है जिसका पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकृत कराते हुए लाभ उठाया जाना चाहिए। डॉ. अरविंद त्रिपाठी, कार्यक्रम समन्वयक ने अतिथियों का स्वागत किया तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के नियमों और विनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा बताया कि जिले से 200 से अधिक किस्में प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की जा चुकी हैं। यह क्षेत्र जैवविविधता से सम्पन्न है और विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के किसान चावल, मक्का, बीन, लौकी, करेले और गुलाबों की सदियों पुरानी देसी किस्मों को अब भी संरक्षित कर रहे हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर द्वारा 29 जनवरी 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विधापल, अल्बेदा, खामधोदगी, तिलावत, साल्हेभात, बाबूदारेना, पुस्खाड़ा, बैंसाकटटा, तुलतुली, कानागांव तथा आदि गांवों (कांकेर) से आए 120 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण व कार्यशाला का आरंभ पौधा किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण पर एक वृत्तचित्र के प्रदर्शन से हुआ। डॉ. दीपक शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, आईजीकेवी, रायपुर ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के उद्देश्य, कृषकों के अधिकारों तथा इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। श्री गुहराम अजगाले, मण्डल सदस्य, आईजीकेवी ने पौधा किस्मों के पंजीकरण के लाभों की जानकारी प्रदान की तथा कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर ने बीज बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर में एक प्रदर्शनी स्टाल भी लगाया गया जिसमें कांकेर जिले के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा उगाई जा रही देसी फसल किस्मों का संकलन प्रस्तुत किया गया था।

कृषि विज्ञान केन्द्र, कालाहांडी, ओडिशा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, कालाहांडी द्वारा 22 फरवरी 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कालाहांडी के सभी ब्लॉकों से आए किसानों सहित 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें धर्मगढ़, नार्ला, लांजीगढ़ ब्लॉकों के जिला विकास अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों के कार्मिक, कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालाहांडी के वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय, भवानी पाटना के प्राध्यापक, कृषि, बागवानी तथा जलसंभर विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। डॉ. सत्यरंजन दास, सेवानिवृत चावल प्रजनक एवं मानद प्राध्यापक, ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने कृषक समुदाय में लुप्त हो रही व संकटप्राय किस्मों व विभिन्न फसलों की स्थानीय किस्मों के परिष्करण के लिए कृषक समुदायों के बीच जागरूकता सृजित करने में कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से सरकार द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की। उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत धान से इतर अन्य किस्मों के पंजीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, जाजपुर, ओडिशा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

गोद लिए गए गांव दीहाकुरांसा, ब्लॉक रसूलपुर जिला जा-

जपुर में 2 मार्च 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 181 किसानों ने भाग लिया। डॉ. एस. सी. मोहपात्रा, संयुक्त निदेशक (विस्तार शिक्षा), ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने कृषक किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया तथा अनुसंधान के लिए उपयोग हेतु किसानों की किस्मों की सुरक्षा के लिए कृषक अधिकारों पर बल दिया जिससे भविष्य में सहायता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने किसानों को धान से इतर फसलों जैसे दालों, मसालों व सब्जियों की किस्मों को पंजीकृत कराने का परामर्श दिया। परिचर्चा सत्र के दौरान किसानों के अनेक प्रश्नों के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर दिए गए। ये प्रश्न अधिकांशतः कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए सूचना के संकलन, फार्म को भरने तथा पंजीकरण किस प्रकार कराया जाए इससे संबंधित थे।

डीईई, ओयूएटी, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) के विस्तार शिक्षा निदेशालय में 29 मार्च 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों तथा संसाधन व्यक्तियों के साथ खुर्दा, पुरी, धेनकनाल और नयागढ़ जिलों से आए 110 किसानों ने भाग लिया।

प्रो. मोहम्मद खालिद खान, डीन, विस्तार शिक्षा ने आरंभ में किसानों के लाभ के लिए धान, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों, फलों तथा वन्य प्रजातियों की विभिन्न किस्मों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। प्रो. सुरेन्द्र नाथ पशुपालक, कुलपति, ओयूएटी, भुवनेश्वर ने किसानों के हित के लिए ओडिशा राज्य में अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न फसल किस्मों के पंजीकरण की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के तटवर्ती जिलों में धान, दलहनों तथा तिलहनी फसलों की अनेक मौलिक भूप्रजातियों को संकलित करने के अपार अवसर हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल परिसर में 30 जनवरी 2016 को विभिन्न महानुभावों की उपस्थिति में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों, किसान मित्रों, किसान दीनी दयों और संबंधित विभाग के विस्तार कर्मियों सहित लगभग 227 व्यक्ति उपस्थित थे। शहडोल के माननीय सांसद ने किसानों तथा खेतिहार महिलाओं के लिए इस कार्यशाला के महत्व पर बल दिया तथा बताया कि किसान अपनी किस्मों को पंजीकृत किस्मों का लाभ

उठाने के लिए किस प्रकार जागरूक हो सकते हैं। जयसिंहनगर के माननीय विधायक ने चावल की विभिन्न स्थानीय किस्मों के स्थानीय व औषधीय उपयोग पर चर्चा की और किसानों व खेतिहार महिलाओं से उन स्थानीय किस्मों को संरक्षित करने का आहवान किया जो अब विनुप्त होती जा रही हैं। इस अवसर पर प्रतिभागि यों व अतिथियों ने कृषि विज्ञान केन्द्र के फसल कैफेटेरिया और एसडब्ल्यूटी प्रयोगशाला को भी देखा।

अंचल-८

कृषि विज्ञान केन्द्र, सैदापुर फार्म, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), धारवाड़ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, सैदापुर फार्म, यूएस, धारवाड़ द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्र, धारवाड़ में 21 मार्च 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धारवाड़ जिले के 170 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. एन.के. बिरादर पाटिल, डीन (कृषि), कृषि महाविद्यालय, विजयपुर ने पीपीवी और एफआर प्राइटिकरण की सराहना की तथा किसानों से अनुरोध किया कि वे विश्वविद्यालयों तथा राज्य के विभागों के माध्यम से अपनी उपलब्ध पौधा किस्मों को पंजीकृत कराएं जो भावी पीढ़ी के लिए एक उपहार हो सकता है।

डॉ. एस.एम. मंतूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, धारवाड़ ने उपरिथित जन-समूह का स्वागत किया। अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि डॉ. आर.आर. हंचिनाल जो पूर्व में इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे अब पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं। यह उत्तर कर्नाटक के किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है और वे प्राइटिकरण में उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। डॉ. (श्रीमती) मोगाली, वैज्ञानिक (आनुवंशिकी) एवं पादप प्रजनन, यूएस, धारवाड़ संसाधन व्यक्ति थीं जिन्होंने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कृषक किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधियों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। उमा एन. कुलकर्णी, वैज्ञानिक (गृह विज्ञान); श्री कुमार सी.जे., फार्म प्रबंधक; डॉ. शोभा यू. इम्मदा, वैज्ञानिक (जीपीबी) और श्री निनगप्पा, वैज्ञानिक (सस्यविज्ञान) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन किया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, वीसीआरआई परिसर, नामककल, तमिल नाडु द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, वीसीआरआई परिसर नामककल, तमिल

नाडु में 31 मार्च 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें किसानों, छात्रों, कृषि विभाग के अधिकारियों व प्रदर्शकों सहित 352 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये किसान नामककल और सेलम जिलों के विभिन्न गांवों से आए थे। डॉ. ए.ल. गुनासलीम, डीन, पशुचिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, नामककल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉ. के. प्रभाकर, पीजीपी, नामककल जिले के महाविद्यालय; श्री एन. कार्तिकेयन, संयुक्त निदेशक (कृषि), नामककल; श्री पी. गणेशमूर्ति, उप निदेशक बागवानी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित थे। सुश्री के. सुधा, सहायक प्राध्यापक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सेलम; श्री ओलिवर किंग, कार्यक्रम समन्वयक, एमएसएसआरएफ, कोली हिल्स, नामककल; श्री मस्तुर्यिप्पन, वानगम, कार्लसाल्सो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिन्होंने कोली पहाड़ियों की परंपरागत फसल किस्मों की सुरक्षा पर व्याख्यान दिया तथा धान, मोटे अनाजों, मूँगफली व अन्य औषधियों फसलों की परंपरागत किस्में प्रदर्शित कीं।

भा.कृ.अ.प. – कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनीकोप्पल, कोडागु, कर्नाटक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईआईएचआर, बंगलुरु के विस्तार एवं प्रशिक्षण प्रभाग के सहयोग से 11 मार्च 2016 को चेरमबाने गांव, मेडाकेरी ताल्लुक में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 115 किसानों ने भाग लिया। डॉ. साजू. जॉर्ज, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनीकोप्पल ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने जिले में जैवविविधता के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इसे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के माध्यम से उचित रूप से प्रलेखित करने की आवश्यकता है। डॉ. पिटचयमुथु, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएचआर, बंगलुरु ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की भूमिका और महत्व की व्याख्या की। चर्चा के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अनेक प्रश्न किए गए जिनका विशेषज्ञों ने संतोषजनक उत्तर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें सज्जियों, शहद तथा फलों की अनेक किस्में प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का समापन श्री के.ए. देवयथा, एसएसएस (बागवानी), कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनीकोप्पल के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

राष्ट्रीय सेमिनार

कृषि के क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 22–23 दिसम्बर 2015 को बौद्धिक सम्पदा अधिकार : आवश्यकता एवं भावी संभावनाएं विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाना था जो सरकारी तथा निजी

संगठनों में कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें छात्रों तथा किसानों के सामान्य मंच पर प्रतिष्ठित करना भी था ताकि कृषि अनुसंधान एवं विकास में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रासांगिक पहलुओं पर चर्चा की जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने डॉ. अरुण कुमार, कुलपति, बीएयू सावौर के साथ किया जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। दो दिनों के इस कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों जैसे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली; डीआरएमआर, लुधियाना; राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व मोनसेंटो कंपनी, बायर क्रॉप्स साइंस, हाइटेक एग्रीकल्चर और नुजीवीडू सीड़स आदि के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, भा.कृ.अ.प. – आईआईएसआर, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से कृषि विज्ञान केन्द्र, भा.कृ.अ.प. – आईआईएसआर, लखनऊ द्वारा 05 दिसम्बर 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के आसपास के जिलों से आए 250 से अधिक प्रगतशील किसानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. के.एन. तिवारी, पूर्व प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, सीएसए और यूटी, कानपुर; डॉ. ए.डी. पाठक, निदेशक, आईआईएसआर; डॉ. टी.डी. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएसआर; डॉ. पी.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएसआर; डॉ. के.पी. सिंह व अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।

डॉ. पी.के. सिंह ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व गन्ना का गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन पर एक व्याख्यान दिया जिसके पश्चात् डॉ. जे. सिंह ने गन्ना की किस्मों के प्रतिस्थापन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की व डॉ. संजीव कुमार ने किसानों के भागीदारी मोड में गन्ना के गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन पर वार्ता प्रस्तुत की।

सीएसआईआर – राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन

सीएसआईआर – राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में 18–20 नवम्बर 2015 को भारतीय वानस्पतिक उद्यान परिसर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न वानस्पतिक उद्यानों व देशभर के संस्थानों से आए 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री हेम पाण्डे, विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. परमजीत सिंह, निदेशक, बीएसआई, मुख्य अतिथि तथा सम्मानीय अतिथि थे। डॉ. सी.एस. नौटियाल, निदेशक, सीएसआईआर, एनबीआरआई ने उन प्रतिनिधियों का स्वागत किया जो भारत के विभिन्न वानस्पतिक

उद्यानों के विभिन्न पहलुओं पर सूचना और विचारों के आदान–प्रदान के लिए इस फलदायी सम्मेलन में भाग लेने आए थे। अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने मुख्य व्याख्यान दिए और मौखिक प्रस्तुतीकरण भी प्रस्तुत किए। वानस्पतिक उद्यानों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से आए प्रतिनिधियों ने विषयवार सत्रों में 45 मौखिक प्रस्तुतीकरण दिए। इस सम्मेलन के दौरान पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया ताकि किसानों के बीच इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाकर उसे लोकप्रिय बनाया जा सके।

अंगारू, कृषि महाविद्यालय, महानदी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि महाविद्यालय, महानदी में 24 फरवरी 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रगतशील किसानों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि विभाग के अधिकारियों व कृषि महाविद्यालय, महानदी के स्नातकोत्तर छात्रों सहित कुल 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कुरनूल जिले के विभिन्न गांवों के किसान भी आए थे। उल्लेखनीय है कि यह जिला आंध्र प्रदेश के अल्प वर्षा वाले कृषि– जलवायु अंचल के अंतर्गत आता है।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. सतीश राहुल, सहायक प्राध्यापक, विस्तार शिक्षा विभाग, कृषि महाविद्यालय, महानदी के स्वागत भाषण से हुआ। डॉ. सत्यनारायण, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, बापटला और डॉ. के. हरि प्रसाद रेड्डी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, तिरुपति ने इस अवसर पर शोभा बढ़ाई तथा एक प्रशिक्षण मैनुअल का विमोचन किया। डॉ. गोपाल बी. रेड्डी, एसोसिएट निदेशक – अनुसंधान, आर ए आर एस, नांदयाल, आंध्र प्रदेश ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की आवश्यकता पर बल दिया और पौधा किस्मों की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता की सुरक्षा के लिए परंपरागत किस्मों और भूप्रजातियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है।

यूथ फॉर स्टेनेबल डेवलपमेंट, शिमला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

यूथ फॉर स्टेनेबल डेवलपमेंट, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु कृषक समुदायों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में जागरूकता लाने व पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मंडी जिले के सामुदायिक बीज भवन, कॉरसांग में 30 मई 2016 को आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य अधिनियम का लाभ उठाने व कृषक किस्मों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषक समुदाय के

बीच जागरूकता सृजित करना था। कुल 30 पंचायतों से आए 398 प्रगतशील किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, धार में जैवविविधता मेला व प्रदर्शनी तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, धार में 3 अक्टूबर 2015 को 'जैवविविधता मेले व प्रदर्शनी तथा जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी मार्गदर्शन व वित्तीय सहायता एशिया पेसिफिक बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली; मध्य प्रदेश राज्य विपणन (मंडी) मंडल, भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता मंडल, भोपाल से प्राप्त हुए थे। इस कार्यक्रम में आदिवासियों के पास उपलब्ध स्थानीय फसलों, सब्जियों तथा फलों आदि की भूप्रजातियां एवं स्थानीय किस्मों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर लगभग 3500 किसान, अन्य पण्डीयां, मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक तथा सी.जी. के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रो. ए.के. सिंह, कुलपति, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा कार्यक्रम में डॉ.पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; डॉ. जे.एस. संधु, उप महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. वी.पी. सिंह, वरिष्ठ परामर्शक, नीति एवं विकास; डॉ. अनुपम मिश्र, जैडपीडी, भा.कृ.अ.प. – आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल-VII, जबलपुर भी उपस्थित थे।

इस सत्र में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण के महत्व व इसकी भूमिका की व्याख्या की।

'प्रजनकों तथा अनुसंधानकर्ताओं तक ले जाना - जागरूकता के माध्यम से पादप प्रजनकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार' विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने अपने व्याख्यान में कार्यक्रम का परिचय दिया तथा कृषक समुदाय द्वारा इसके महत्व को पहचानने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भा.

वी पीड़ियों के टिकाऊ विकास के लिए अब तक जिन अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया है उन्हें उठाया जाना चाहिए। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 146 प्रतिम. आगियों को सम्बोधित किया और इस बात पर बल दिया कि यद्यपि हरित क्रांति से उपजशील किस्में उपस्थित हुई हैं लेकिन अब भी खाद्यान्न के दिन प्रतिदिन के उपयोग के मामले में हमें स्थानीय/परंपरागत किस्मों/भूप्रजातियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।



डॉ. पी.के. सिंह, पूर्व पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण और वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पौधा किस्मों की प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाया जा सकता है। प्रो. (डॉ.) विल्सन किस्पोट्टा, विस्तार निदेशक ने कृषकों के अधिकार – भारत सरकार की नई पहलें विषय पर चर्चा की। अपने व्याख्यान में उन्होंने ऐसे अनेक मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनके बारे में किसान अब तक अवगत हैं। जैसे बीजों पर उनका अधिकार। उन्होंने इस अवसर पर उनके द्वारा उत्पन्न बीज पर कृषकों के अधिकार के बारे में एक लघु वीडियो क्लीपिंग भी दिखाई और बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी उपज को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जिसमें सरकार ने सहायता की। राजेन्द्र, बी लाल, माननीय कुलपति ने इस बात पर बल दिया कि आज भी लोग नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अज्ञान हैं। प्रो. विल्सन किस्पोट्टा, निदेशक विस्तार ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया।

इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर सत्र के पश्चात् पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पंजीकार डॉ. रवि प्रकाश ने वक्ताओं को भागीदारी प्रमाण-पत्र व स्मृति विहन प्रदान किए। कार्यक्रम की समाप्ति रैव (डॉ.) वी.के. सिंह द्वारा की गई प्रार्थना और धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् हुई।

अध्याय 10 : प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप

10.1 शासकीय कार्य में हिन्दी के उपयोग की प्रगति



प्राधिकरण द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करके हिन्दी पखवाड़ा दिवस मनाया गया। यह प्रतियोगिता 'आदर्श ग्राम योजना से कृषि का विकास' विषय पर निबंध लेखन की थी जो 11 सितम्बर 2015 को आयोजित हुई। प्राधिकरण के 5 कार्मिकोंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और निम्न व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

तालिका 101: निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

| नाम | पद | पुरस्कार |
|-----------------------|--------------------|----------|
| श्रीमती सुदेश | कार्यालय सहायक | प्रथम |
| श्रीमती रितु यादव | कार्यालय सहायक | द्वितीय |
| डॉ. अमित दीक्षित | तकनीकी परीक्षक | तृतीय |
| श्री सुनील कुमार सिंह | कार्यालय सहायक | सांत्वना |
| श्री मनोज कुमार | चतुर्थ श्रेणी वर्ग | सांत्वना |

10.2 प्राधिकरण का सतर्कता जागरूकता सप्ताह



स्टाफ के बीच सतर्कता के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 26–31 अक्टूबर 2015 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह का शुभारंभ पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के स्टाफ को शपथ दिलाने के साथ हुआ। सतर्कता से संबंधित विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए प्राधिकरण ने अनेक गतिविधियां चलाई गईं जैसे निबंध लेखन, व्याख्यान प्रस्तुतीकरण और वाद–विवाद। दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को अपराह्न 2.00 बजे 'सुशासन की युक्ति के रूप में सुरक्षात्मक सतर्कता' विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके पश्चात् अगले दिन श्री शुक्ल, उप सचिव (सतर्कता), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 'सुरक्षात्मक सतर्कता' विषय पर एक व्याख्यान दिया गया। इसके बाद प्राधिकरण के स्टाफ के लिए 'भ्रष्टाचार से संघर्ष में सरकार की भूमिका बनाम जन–सामान्य की भूमिका' विषय पर एक वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूरे सप्ताह स्टाफ की श्रेष्ठ भागीदारी व चर्चा से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन सम्पन्न हुआ।

तालिका 102 : वाद–विवाद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की सूची

| नाम | पद | पुरस्कार |
|---------------------|----------------|----------|
| श्रीमती विजय चौधरी | तकनीकी परीक्षक | प्रथम |
| श्रीमती रितु यादव | कार्यालय सहायक | द्वितीय |
| डॉ. डी.एस. पिलानिया | तकनीकी सहायक | तृतीय |
| डॉ. रविन्द्र कुमार | तकनीकी परीक्षक | सांत्वना |
| श्री संतोष कुमार | कार्यालय सहायक | सांत्वना |

तालिका 103: निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की सूची

| नाम | पदनाम | पुरस्कार |
|---------------------|----------------|----------|
| श्रीमती रितु यादव | कार्यालय सहायक | प्रथम |
| श्री रविन्द्र कुमार | तकनीकी परीक्षक | द्वितीय |
| श्रीमती सुदेश | कार्यालय सहायक | तृतीय |

10.3 शाखा कार्यालय, गुवहाटी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के गुवहाटी स्थित शाखा कार्यालय ने 20 मई 2011 से असम कृषि विश्वविद्यालय, खानपाड़ा, गुवहाटी परिसर में कार्य करना प्रारंभ किया। इस शाखा कार्यालय के प्रमुख डॉ. ए.सी. शर्मा, उप पंजीकार हैं और इन्हें डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की सहायता प्राप्त हो रही है।

वर्ष 2015-16 के दौरान शाखा कार्यालय के क्रियाकलाप

- प्राप्त आवेदन**

शाखा कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए। प्रारंभिक जांच के पश्चात् इन आवेदनों को अगली कार्रवाई के लिए पौधा किस्म रजिस्ट्री, नई दिल्ली को भेजा गया।

तालिका 104 : गुवहाटी शाखा कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का विवरण

| क्र.सं. | फसल प्रजाति | आवेदनों की संख्या |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | चावल | 16 |
| 2 | पटसन | 01 |
| 3 | राजमा | 01 |
| 4 | कंगनी | 01 |
| 5 | आलू | 01 |
| 6 | चाय | 4 |
| 7 | केला | 9 |

- प्राप्त बीज नमूने**

डीयूएस परीक्षण तथा ग्रोआउट परीक्षण (जीओटी)के लिए वि.भन्न फसलों के कुल 183 बीज नमूने प्राप्त हुए।

- प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों का सम्बन्धयन**

उप पंजीकार, गुवहाटी ने प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में सुविधा दिलाने के लिए प्राधिकरण, अनेक संगठनों व कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ समन्वयन किया।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में आगीदारी

रिपोर्टरीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय, गुवहाटी के उप पंजीकार ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से विभिन्न संस्थाओं/कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। इनका विवरण इस प्रकार है :



- कृषि विज्ञान केन्द्र, उत्तर त्रिपुरा, पनिसार, त्रिपुरा में 26 जून 2015 को एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। उप पंजीकार ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर 2-4 सितम्बर 2015 को डीएओ, कोहिमा और वोखा जिलों में आयोजित तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। कार्यक्रम का आयोजन राज्य कृषि अनुसंधान केन्द्र, यिशेम्यांग, मोकोकचुंग, नागालैंड द्वारा जिला कृषि अधिकारी, कोहिमा के सहयोग से किया गया तथा इसे प्राधिकरण ने वित्तीय सहायता प्रदान की। उप पंजीकार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया।
- केवीके, बारपेटा, असम द्वारा 30 दिसम्बर 2015 को आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। उप पंजीकार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया।
- केवीके, तिराप, असम द्वारा 07 जनवरी 2016 को आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। उप पंजीकार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया।
- केवीके, नलबारी, असम द्वारा 18 मार्च 2016 को आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। उप पंजीकार ने इसमें भाग लिया और पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन पर व्याख्यान दिया।
- केवीके, रिभोई, असम द्वारा 19 मार्च 2016 को आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। उप पंजीकार ने इसमें भाग लिया और पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन पर व्याख्यान दिया।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में उप पंजीकार की आगीदारी

- एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 06 जुलाई 2015 को

‘किसानों तक ले जाना – जागरूकता के माध्यम से कृषकों के अधिकार’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। उप पंजीकार ने इस अवसर पर जैवविविता व देश की परंपरागत किस्मों पर प्रदर्शनी लगाकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पंजीकरण के लिए दाखिल की गई महत्वपूर्ण कृषक किस्मों व बीज/रोपण सामग्री का भी प्रदर्शन किया।



- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय में 22 जुलाई 2015 को ‘उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों से आए वैज्ञानिकों के लिए जैवविज्ञानों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार’ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन।
- उप पंजीकार ने श्री गोरे लाल देवाकर, सहायक आयुक्त (बीज) के साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरुप और आरएआरएस काहिकुची, असम के वैज्ञानिकों के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया। यह बैठक 06 अक्टूबर 2015 को पादप किस्मों के पंजीकरण व डीयूएस परीक्षण सम्पन्न करने के संबंध में थी।
- उप पंजीकार ने 14–16 अक्टूबर 2015 को असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट में कृषकों की चावल किस्मों के ग्रोआउट परीक्षण में भाग लिया। उन्होंने आवेदन भरे जाने की संख्या बढ़ाने तथा किसानों के आवेदनों को अग्रेषित करने तथा पीजीएससी पुरस्कार व प्रतिदान के लिए राज्य के प्रतिभागियों पर विचार करने के लिए आवेदनों को प्राप्ताकरण तक भेजे जाने के बारे में असम कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (विस्तार) तथा वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की। इसके अलावा चाय अनुसंधान संस्थान, टोकलय, जोरहट, असम के वैज्ञानिकों के साथ चाय की किस्मों/कलोनों के पंजीकरण व डीयूएस परीक्षण सम्पन्न करने के बारे में इस संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ भी एक

बैठक आयोजित की गई।

- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा 22–27 नवम्बर 2015 को एलबीएस, एनआरसीपीवी सभागार भा.कृ.अ.सं, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा आयोजित डीयूएस कार्यशाला।
- उप पंजीकार ने कृषि विज्ञान केन्द्र, सेलेसिह, आईजॉल, मिजोरम में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में जो 3–4 फरवरी 2016 को आयोजित हुआ था, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर द्वारा आयोजित सीएयू क्षेत्रीय कृषि मेले में भी भाग लिया। उन्होंने कृषक किस्मों के पंजीकरण में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसानों, वैज्ञानिकों तथा अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 26–27 फरवरी 2016 को एमपीकेवी, राहुरी में आयोजित डीयूएस समीक्षा कार्यशाला।
- उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र मेघालय व इम्फाल, मणिपुर में भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर द्वारा 4–6 मार्च 2016 को वैशिक जलवायु परिवर्तन में विक्षोभ के युग में खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा के लिए कृषि-बागवानी एवं संबंधित अनुसंधान का एकीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार।
- उप पंजीकार ने त्रिपुरा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर, अगरतला, त्रिपुरा द्वारा 15–16 मार्च 2016 को आयोजित एक सेमिनार में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर एक व्याख्यान दिया।

10.4 शाखा कार्यालय रांची

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का शाखा कार्यालय, रांची, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, झारखण्ड परिसर में स्थित है और इसकी न्यायिक व कार्य सीमा झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।

इस शाखा कार्यालय का अधिदेश पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना, कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिदानों व सम्मानों, पूर्वी भारत के क्षेत्र के स्थानीय व आदिवासी समुदायों की कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए इस प्रक्रिया को लोक प्रिय बनाना व किसानों को प्रेरित करना है। मई 2011 से शाखा कार्यालय ने अनेक क्रियाकलापों में भाग लिया है जैसे प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन तथा विभिन्न संस्थानों, अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, विभागों, संगठनों व एजेंसियों द्वारा इसके

कार्यक्रम में आने वाले उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में भाग लेना।

वर्ष 2015-16 के दौरान शाखा कार्यालय के क्रियाकलाप

● प्राप्त आवेदन

रांची स्थित शाखा कार्यालय में पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों के कुल 786 आवेदन प्राप्त हुए। आरंभिक जांच के पश्चात ये आवेदन अगली कार्रवाई के लिए पादप किस्म रजिस्ट्री, नई दिल्ली को भेजे गए।

● प्राप्त बीज नमूने

डीयूएस परीक्षण तथा ग्रोआउट परीक्षण (जीओटी) के लिए विभिन्न फसलों के कुल 185 बीज नमूने प्राप्त हुए। इन्हें अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और / अथवा विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को भेजा गया।

● उपभोग प्रमाण-पत्र (यूली) उपलब्ध कराने के लिए संगठनों के साथ सम्बवयन

उप पंजीकार, रांची ने विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्रों के वितरण में सुविधा के लिए प्राधिकरण, अनेक संगठनों व कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ समन्वयन किया ताकि प्राधिकरण के लेखे का शीघ्र से शीघ्र लेखा परीक्षण सम्पन्न हो सके।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों में उप पंजीकार की भागीदारी



रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय रांची ने रांची कार्यालय की अधिकार सीमा में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से विभिन्न संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संग. ठनों द्वारा आयोजित विभिन्न एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। इनका विवरण इस प्रकार है :

- दिनांक 04 दिसम्बर 2015 को हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग (झारखण्ड)
- दिनांक 12 दिसम्बर 2015 को कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर (सी.जी.)
- दिनांक 12 जनवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, चात्रा (झारखण्ड)
- दिनांक 20 जनवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, अरवाल, बिहार
- दिनांक 21 जनवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद, बिहार
- दिनांक 22 जनवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा नवादा (बिहार)
- दिनांक 1 फरवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंगेर, बिहार
- 02 फरवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, खगड़िया, बिहार
- दिनांक 11 फरवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, लोहादगा, झारखण्ड
- दिनांक 20 फरवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, पूर्व सिंहभूम (झारखण्ड)



- दिनांक 02 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, सिम्देगा, झारखण्ड
- दिनांक 03 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम सिंहभूम, झारखण्ड
- दिनांक 05 मार्च 2016 को हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग, झारखण्ड
- दिनांक 07 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, रामगढ़, झारखण्ड

- दिनांक 08 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, जमतरा, झारखण्ड
- दिनांक 09 मार्च 2016 को ग्रामीण विकास ट्रस्ट – कृषि विज्ञान केन्द्र (जीवीटी– कैवीके), गोददा, झारखण्ड
- दिनांक 12 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, गढवा (झारखण्ड)
- दिनांक 16 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में उप पंजीकार की आगीदारी

- श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 7 जुलाई 2015 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा 'किसानों तक ले जाना – जागरूकता के माध्यम से कृषकों के अधिकार' विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में भाग लिया। भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, स्वयं सेवी संगठनों, किसानों तथा अन्य पण्धारियों के रूप में विभिन्न प्रतिभागियों से हुई चर्चाएं किसानों में जागरूकता सृजित करने तथा भावी कार्यनीति तैयार करने में बहुत उपयोगी और सहायक सिद्ध हुई।
- श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, रांची ने राम कृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, मोराबादी, रांची (झारखण्ड) में आयोजित किसान गोष्ठी में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कृषक किस्मों के पंजीकरण तथा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। यह कार्यक्रम 28 जनवरी 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रदर्शन फार्म, ब्लॉक अंगारा, रांची (झारखण्ड) में आयोजित हुआ था।
- श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने एमपीकेवी राहुरी (महाराष्ट्र) में 26-27 फरवरी 2016 को आयोजित 10वीं डीयूएस समीक्षा बैठक में भाग लिया। विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा किए गए विचार-विमर्श और चर्चाएं अत्यंत उपयोगी व ज्ञान से परिपूर्ण थे।
- भा.कृ.अ.प. – एटीएआरआई, कोलकाता द्वारा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, बीसीकेवी, कल्याणी, नादिया, पश्चिम बंगाल में 10 दिसम्बर 2015 को इस अंचल के चुने गए 40 कृषि विज्ञान केन्द्रों के अलावा अन्य केन्द्रों को भी पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के महत्व के बारे में सचेत

करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय चेतना कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप पंजीकार ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर एक व्याख्यान दिया।

- उप पंजीकार ने 22-23 दिसम्बर 2015 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर (बिहार) में 'कृषि में बौद्धि के सम्पदा अधिकार (आईपीआर) : आवश्यकता एवं भावी संभावना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कृषक किस्मों सहित पादप किस्मों के पंजीकरण व पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में कृषकों द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों व सम्मानों के संदर्भ में पूर्वी भारत पर विशेष ध्यान देते हुए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 को बढ़ावा देने के लिए एक व्याख्यान भी दिया।
- उप पंजीकार ने एलबीएस, एनआरसीपीवी सभागार, भा.कृ.अ.सं. परिसर, नई दिल्ली में 23-24 नवम्बर 2015 को आयोजित भारतीय-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग डीयूएस कार्यशाला में भाग लिया।

10.5 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की बैठकें तालिका 105 : वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की सूची

| बैठक | दिनांक | स्थल |
|-------------------------|----------------|--|
| प्राधिकरण की 22वीं बैठक | 17 अप्रैल 2015 | मण्डल कक्ष, आईजीएच, एनएससीपरिसर, नई दिल्ली |
| प्राधिकरण की 23वीं बैठक | 14 अगस्त 2015 | |
| प्राधिकरण की 24वीं बैठक | 26 नवम्बर 2015 | |
| प्राधिकरण की 25वीं बैठक | 10 फरवरी 2016 | |

बैठकों के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के संबंध में
- दिनांक 17 अप्रैल 2015 को सदस्यों द्वारा दस फसलों नामतः चमेली, रजनीगंधा, पपीता, चाइना एस्टर, आडू, राणी, कंगनी, आलबुखारा, स्ट्राबेरी, और मिर्च/शिमला मिर्च, पैपरिका के दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए।
- दिनांक 14 अगस्त 2015 को सदस्यों द्वारा 5 फसलों नामतः सब्जी चौलाई, पालक, तोरई, ॲकर्ड (पैफियोपेडिलम पिटज़) और गुलनार के दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए।
- दिनांक 10 फरवरी 2016 को सदस्यों द्वारा 7 फसलों नामतः नोनी, बेल, जामुन, जायफल, चमेली, शरीफा और कालमेघ के दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए।

- डीयूएस/स्थल पर परीक्षण शुल्क के निर्धारण/संशोधन के संबंध में
 - सदस्यों ने बताया कि कृषक किस्मों में वार्षिक शुल्क में सुधार करते हुए वार्षिक शुल्क को 2000/-रु. से घटाकर 10/-रु. किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक कृषक किस्मों को पंजीकृत करने के कार्य में तेजी आएगी। सदस्यों ने स्कीम तथा संशोधनों से संबंधित सभी राजपत्र अधिसूचनाओं को नोट किया।
 - पीपीवी और एफआर (संशोधन) नियमावली, 2015 में डीयूएस परीक्षण शुल्क की सर्वोच्च सीमा को बढ़ाया गया है जो अब 2,00,000/-रु. है तथा स्थल पर परीक्षण हेतु डीयूएस परीक्षण शुल्क अब 8,00,000/-रु. है।
 - ईडीवी के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क अब नई किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अनुसार लिया जाएगा।
 - संशोधित वार्षिक शुल्क विवरणी फार्म अब सकल लाभ के आधार पर अनुमोदित किया गया है।
 - विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति के संगठन में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 की गई।
 - दिनांक 16 जून 2015 के पूर्व अधिसूचित सभी 92 फसल प्रजातियों की विद्यमान किस्मों व सामान्य ज्ञान की किस्मों (यीसीके) के पंजीकरण की सीमा अधिसूचना की समाप्ति की तिथि की मूल समय सीमा से (क) बढ़ाकर 6 वर्ष की गई; (ख) कृषक किस्मों के लिए मूल समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 10 वर्ष की गई।
- 10.6 डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की भागीदारी**
- अध्यक्ष ने अनेक बैठकों और मंचों में भाग लिया :
- बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ में आयोजित एआईसीआरपी – एनएसपी की 30वीं वार्षिक समूह बैठक के उद्घाटन सत्र में विशेष आमत्रित के रूप में भाग लिया तथा 03 अप्रैल 2015 को प्रजनक बीज के उत्पादन व बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित तकनीकी सत्र 3 की अध्यक्षता भी की।
 - दिनांक 07 अप्रैल 2015 को आईआईएसईआर में आयोजित महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना निगरानी समिति की बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया।
 - माननीय राज्य मंत्री (ए) द्वारा कृषि भवन, नई दिल्ली में 09
- अप्रैल 2015 को आयोजित बीज विधेयक 2004 एवं शासकीय सुधारों से संबंधित बैठक में भाग लिया।
 - दिनांक 11 अप्रैल 2015 को सीकर, राजस्थान में भारत ने कृषकों के अधिकारों पर आयोजित सेमिनार में मुख्य भाषण दिया।
 - अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने असम कृषि विश्वविद्यालय, गुवहाटी में 13 अप्रैल 2015 को बागवानी अनुसंधान केन्द्र, काहीकुची में आयोजित कृषकों के अधिकारों से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लिया।
 - डीआरआई, चित्रकूट द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट में 13–15 अप्रैल 2015 को आयोजित पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर आधारित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने उस स्थल का भी दौरा किया जहां बीज बैंक संरक्षण संबंधी गतिविधियों पर थारु आदिवासी समुदाय के साथ चर्चा की। इसके पश्चात् उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र, गोंडा में आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
 - दिनांक 17 अप्रैल 2015 को एनएससी परिसर में आयोजित प्राधिकरण की 22वीं बैठक में भाग लिया।
 - पंचवर्षीय समीक्षा समिति (क्यूआरटी) के अध्यक्ष होने के नाते 9–11 मई 2015 को सीटीआरआई अनुसंधान केन्द्र, दिनहटा, पश्चिम बंगाल में आयोजित क्यूआरटी की बैठक में भाग लिया।
 - दिनांक 12 मई 2015 को कुलपति सचिवालय, केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद की प्रथम बैठक में भाग लिया।
 - दिनांक 16–17 मई 2015 को वेदातंदुर, तमिलनाडु में सीटीआरआई अनुसंधान केन्द्रों की क्यूआरटी बैठक में पंचवर्षीय समीक्षा दल के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया।
 - दिनांक 20 मई 2015 को इमलिया कोदा, बलरामपुर जिला, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक बीज बैंक के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सामान्य रूप से सामुदायिक बीज बैंक के महत्व और विशेष रूप से इमलिया कोदा में आदिवासी थारु समुदाय के लिए सामुदायिक बीज बैंक के लाभों के बारे में विस्तार से बताया।
 - दिनांक 21 मई 2015 को आईआईवीआर, वाराणसी में सब्जी फसलों की एआईसीआरपी की 33वीं समूह बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि के रूप में भाग लिया तथा सब्जियों के लिए डीयूएस परीक्षण पर एक प्रस्तुतीकरण

दिया।

- दिनांक 25 मई 2015 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचुर, कर्नाटक द्वारा कृषि महाविद्यालय, भीमरायना गुडी, यादगिर जिला में आयोजित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में व्याख्यान दिया।
- दिनांक 26 मई 2015 को भा.कृ.अ.सं. सभागार, नई दिल्ली में 'शहरी जीविका संसाधनों के संरक्षण व शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक नवीन मॉडल—जैवविविधता पार्क' विषय पर 22वें डॉ. बी.पी. पाल स्मारक व्याख्यान 2015 की अध्यक्षता की तथा अपना अध्यक्षीय भाषण दिया।
- दिनांक 26 मई 2015 को जीरा तथा धनिया के बीज मसाला पादप अनुवंशिक संसाधनों व ज्वलंत मुद्दों को मजबूत करने के लिए कार्यनीतियों पर कार्यशाला व विचार मंथन सत्र के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर का दौरा किया व वहां किए जा रहे बीज मसालों पर डीयूएस परीक्षण कार्य की समीक्षा की।
- दिनांक 28 मई 2015 को अमेठी विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर में आयोजित पौधा किस्मों की सुरक्षा पर राजस्थान में छात्रों, संकाय सदस्यों व कृषकों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए भारत में पादप किस्मों की सुरक्षा के प्रावधानों पर मुख्य व्याख्यान देते हुए इस जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
- दिनांक 29 मई 2015 को इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में काश्मीर के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की खोज एवं चयन समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 2 जून 2015 को निपानी में सीटीआरआई अनुसंधान केन्द्रों की क्यूआरटी बैठक में अध्यक्ष के रूप में भाग लिया तथा पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यूआरटी) की अध्यक्षता की।
- दिनांक 16 जून 2015 को बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट में आयोजित चौलाई, पालक और तोरई के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन हेतु गठित कार्यबल की प्रथम बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष ने 16 जून 2015 को कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, नई दिल्ली में प्रत्याशियों के साक्षात्कार के लिए परामर्शक के रूप में भाग लिया।
- दिनांक 20 जून 2015 को कुटमा में कटहल पर प्रदर्शनी व जैवविविधता सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।



- दिनांक 21 जून 2015 को लखनऊ में आयोजित आम प्रदर्शनी व सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दिनांक 22–23 जून 2015 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में काश्मीर के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की खोज एवं चयन समिति में सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 26–27 जून 2015 को डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन में गुलनार के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन हेतु कार्यबल की दूसरी बैठक में तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, कंडाघाट, हिमाचल प्रदेश में जागरूकता व जैवविविधता मेले में भाग लिया।
- सोसायटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ तथा सोसायटी फॉर कंजर्वेशन फार मैंगो डायवर्सिटी (एससीएमडी), लखनऊ द्वारा 4 जुलाई 2015 को आयोजित आम प्रदर्शनी व उत्सव में भाग लिया।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने विस्तार प्रभाग, भा.कृ.अ.प. व बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल के सहयोग से व्याख्यान कक्ष, नास, नई दिल्ली में 7 जुलाई 2015 को 'कृषकों तक ले जाना – जागरूकता के माध्यम से कृषकों के अधिकार' पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा 08 जुलाई 2015 को भा.कृ.अ.प. के सहयोग से बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा भारत में समूह स्रोत के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु किसानों को सशक्त बनाने के लिए फसलों के आनुवंशिक आधार को व्यापक बनाना – आवश्यकता के लिए 'बीज' विषय पर आयोजित समूह बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात में 13 जुलाई 2015 को बेल पर डीयूएस दिशानिर्देशों के सत्यापन पर कार्यबल की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष ने 18–19 जुलाई 2015 को राहुरी और पुणे में डीयूएस कार्यक्रम को देखा।
- ‘निर्यात के लिए पादप किस्मों में आईपीआर के महत्व’ पर आयोजित सत्र के विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लिया। यह सत्र जिस कार्यशाला में आयोजित किया गया था वह भारत के राष्ट्रीय बीज एसोसिएशन द्वारा 20 जुलाई 2015 को भारत से बीजों का निर्यात बढ़ाने पर सभी स्टेक होल्डरों के लिए आयोजित की गई थी।
- कृषक किस्मों के सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना को अंतिम रूप देने और पंजीकरण प्रक्रिया को भी अंतिम रूप देने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, मजगांव व दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट में 23 जुलाई 2015 को आयोजित बैठक में भाग लिया।
- सीड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (एसआईएएम) द्वारा 24–25 जुलाई 2015 को ‘बीज उद्योग पर पीपीवी एवं एफआर अधिनियम का प्रभाव’ विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य उद्बोधन तथा उद्घाटन भाषण दिया।
- डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन महाविद्यालय, बड़ापानी, मेघालय की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2015 को चयन समिति में विषय-वस्तु विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
- हैदराबाद में 29 जुलाई 2015 को बाजरा के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के संशोधन हेतु कार्य बल की प्रथम बैठक में भाग लिया।
- डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष व श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए 3–7 अगस्त 2015 को बीज विकास पर भारत और जर्मनी के बीच द्वीपक्षीय सहयोग के अंतर्गत अध्ययन कार्यक्रम में भाग लिया।
- एनएएससी परिसर, नई दिल्ली के मण्डल कक्ष में 14 अगस्त 2015 को आयोजित पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की 23वीं बैठक में भाग लिया।
- भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोवा में वर्ष 2014–15 के लिए ‘कृषि फसलों में बीजोत्पादन’ पर भा.कृ.अ.प. की बीज परियोजना की दसवीं वार्षिक समीक्षा बैठक में सम्मानीय अतिथि के रूप में भाग लिया तथा 25 अगस्त 2015 को ‘पीपीवी और एफआर अधिनियम का बीज उद्योग पर प्रभाव’ विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में एक वार्ता प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की।
- बागवानी महाविद्यालय, मुलडे, सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त 2015 को जायफल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन पर कार्यबल की बैठक में भाग लिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानंद पुरम, कारामदई, कोयम्बत्तूर में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा 31 अगस्त 2015 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण भी दिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र – यूपीएसआई, कोटागिरी, कूनूर, तमिल नाडु में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों के समक्ष उद्घाटन भाषण दिया तथा 1 सितम्बर 2015 को पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की।
- बायर इंडिया लिमिटेड द्वारा हैदराबाद में 4 सितम्बर 2015 को ‘बीज उद्योग पर पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का प्रभाव’ विषय पर व्याख्यान देने के साथ-साथ बीज उद्योग की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के चल रहे कार्यक्रम की समीक्षा के लिए सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर का दौरा किया तथा ‘बीज उद्योग पर पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के प्रभाव पर एक वार्ता की, अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में वैज्ञानिक समुदाय से चर्चा की, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक/तकनीकी समुदाय के साथ चर्चा करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, इंदौर का दौरा भी किया। ये समस्त कार्यक्रम 5–6 सितम्बर 2015 को आयोजित हुए।



- जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 8 सितम्बर 2015 को जेआरएफ से एसआरएफ तक उन्नयन के लिए समिति में बाह्य विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, उज्जैन में कृषि विज्ञान केन्द्रों की 22वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में 9–10 सितम्बर 2015 को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, इसके कार्यान्वयन में कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका व अधिनियम के कार्यान्वयन व पादप आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने जैविक खेती पर क्षेत्रीय परामर्श के लिए आयोजित तकनीकी सत्र 3 में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
- बुदेलखण्ड क्षेत्र की कृषक किस्मों के संरक्षण के निरीक्षण हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, सतना का दौरा किया। यह दौरा 12–13 सितम्बर 2015 को उक्त क्षेत्र के गांवों के समूहों में समुदाय बीज बैंक स्थापित करने पर आदिवासी किसानों के साथ चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इस दौरान आदिवासी किसानों से इस विषय पर चर्चा की गई।
- बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, मध्य एशिया के लिए सीडब्ल्यूएनए उप कार्यालय के नियंत्रण पर 15–27 सितम्बर 2015 को 'भारत में फसल किस्मों पर किसानों के अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय फेमर्क' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, धार में 3 अक्टूबर 2015 को 'जैवविविधता मेले एवं प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया तथा कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- हैदराबाद में 6 अक्टूबर को विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली द्वारा आयोजित बीज क्षेत्र के लिए कृषि, अवसर तथा चुनौतियां विषय पर भारत—अफ्रीकी सहयोग से आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम के तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल के लिए 8 अक्टूबर 2015 को आयोजित कार्यान्वयन की अंतर मंत्रालयीन व विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 10–11 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में भा.कृ.अ.प. –एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की बैठक में भाग लिया तथा परियोजनाओं की छंटाई व मूल्यांकन में अपना योगदान दिया।
- नई दिल्ली में 13 अक्टूबर 2015 को आयोजित एनबीए व पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के बीच आयोजित अंतरापृष्ठ बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।
- दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को भा.कृ.अ.प. केन्द्र गोदरा में आयोजित जामुन और आंवला पर कार्य बल की बैठक में भाग लिया।
- इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में 20 अक्टूबर 2015 को विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली द्वारा आयोजित भारतीय—अफ्रीकी साझेदारी सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- दिनांक 23 अक्टूबर 2015 को सुरक्षा के लिए गुलाब प्रजनकों/किसानों को पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुणे में आयोजित रोज सोसायटी की बैठक में भाग लिया।
- गुलबर्गा में 26 अक्टूबर 2015 को आयोजित कृषकों के अधिकारों पर कार्यशाला में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 27–28 अक्टूबर 2015 को भा.कृ.अ.प., एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की छंटाई व मूल्यांकन के लिए इस विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस में भाग लिया और 29 अक्टूबर 2015 को मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देने के साथ—साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता भी की।
- नेशनल इनोवेशन फांडेशन की राष्ट्रीय अनुसंधान परामर्श समिति की बैठक में 31 अक्टूबर 2015 को भाग लिया।
- पीपीवी एवं एफआरए द्वारा भा.कृ.अ.प. व ओयूएटी, भुवनेश्वर, सुनाबेदा, कोरापुट में 7–8 नवम्बर 2015 को ओडिशा राज्य के कृषि एवं बागवानी विभागों के किसानों, अनुसंधानकर्ताओं एवं अधिकारियों के लिए राज्य स्तर के कृषि जैवविविधता, मेले व प्रदर्शनी तथा जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।
- बंगलुरु में 13 नवम्बर 2015 को प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट तथा लिटल मिलेट में डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए 13 नवम्बर 2015 को बैठक में भाग लिया।
- गोवा में 16–17 नवम्बर 2015 को आयोजित एशियाई बीज कांग्रेस में भाग लिया तथा 'भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं जैवविविधता संबंधी मुकदमे तथा बीज उद्योग पर इसके

प्रभाव' विषय पर आमंत्रित वार्ता प्रस्तुत की।

- नई दिल्ली में 20 नवम्बर 2015 को 'बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, परीक्षण व गुणवत्ता आश्वासन की अपेक्षाएं' विषय पर आयोजित डब्ल्यूएएपीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया तथा भारत-अफ़्रीकी सहयोग के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ : भारतीय बीज उद्योग के संदर्भ में विषय पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
 - दिनांक 21 नवम्बर 2015 को नई दिल्ली में 'पादप आनुवंशिक संसाधन, संकलन, संरक्षण व मूल्यांकन तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी मुद्रे' विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। यह सत्र 23वीं अंतरराष्ट्रीय चरागाह कांग्रेस के दौरान आयोजित किया गया था।
 - भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत सभागार, एलबीएस भवन, भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली में आयोजित डीयूएस परीक्षण पर संयुक्त कार्यशाला में भाग लिया। यह कार्यशाला दो दिन के लिए 23-24 नवम्बर 2015 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी जिसमें भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएफआरई और सीएसआईआर के डीयूएस केन्द्रों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
- 
- 
- वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रतिवेदन को अपनाने के लिए दिल्ली में प्राधिकरण की 24वीं बैठक में भाग लिया। ये दस्तावेज 26 नवम्बर 2015 को शरद कालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में रखे जाने हैं।
 - दिनांक 27 नवम्बर 2015 को हैदराबाद में 'पादप किस्म तक पहुंच एवं आवेदन' विषय पर आयोजित स्टेम वार्षिक शिखर सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया।
 - तम्बाकू पर पंचवर्षीय समीक्षा दल या क्यूआरटी के अध्यक्ष के रूप में 28-30 नवम्बर 2015 को सीटीसीआरआई, राजामुंदरी में क्यूआरटी—तम्बाकू की बैठक में भाग लिया।
 - दिनांक 2 दिसम्बर 2015 को कृषि अनुसंधान भवन—प, नई दिल्ली में बागवानी फसलों के भा.कृ.अ.प. एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की छंटाई के लिए समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया।
 - राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए 'पौधा किस्म और कृषक अदिकार संरक्षण' पर मुख्य व्याख्यान देने के लिए बीजापुर में शरदकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिसम्बर 2015 को शरदकालीन प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
 - दिनांक 7 दिसम्बर 2015 को घार, कुलथी और मोठ के डीयूएस प्लॉटों का निरीक्षण किया तथा वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की।
 - मुन्हई में 10 दिसम्बर 2015 को आठवीं अंतरराष्ट्रीय कपास परामर्श समिति व 74वें सम्पूर्ण बैठक सत्र (कपास जननद्रव्य का अंतरराष्ट्रीय विनिमय) विषय पर आयोजित उद्घाटन सत्र में भाग लिया तथा 'कपास जननद्रव्य संरक्षण व अंतरराष्ट्रीय विनिमय : एक भारतीय परिदृश्य' पर व्याख्यान भी दिया।
 - एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 14 दिसम्बर 2015 को आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय जैवविविधता कांग्रेस (आईएस 2016) की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।
 - तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में 16 दिसम्बर 2015 को मसालों तथा सगंधीय पौधों पर आयोजित सिम्पोजियम में 'मसालों व सगंधीय फसलों की पौधा किस्मों की सुरक्षा' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया और इसके अलावा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में आयोजित 'चमेली पर कार्यबल की बैठक में भाग लिया।
 - कोयम्बटूर में 17 दिसम्बर 2015 को नीम, रत्नजोत व करंज में डीयूएस परीक्षण को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित

- बैठक में भाग लिया।
- बागलकोट में आयोजित किसान मेले में भाग लिया और 19 दिसम्बर 2015 को कृषक किस्मों की सुरक्षा के महत्व पर एक व्याख्यान दिया।
- विहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर द्वारा आयोजित कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा 22 दिसम्बर 2015 को प्रथम सत्र में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान भी दिया।
- बीआर हिल्स, कर्नाटक ने 26 दिसम्बर 2015 को पीपीवी और एफआर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- दिनांक 29 दिसम्बर 2015 को सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, गुजरात में सीधी भर्ती के अंतर्गत प्रधानाचार्य के पद के लिए चयन की बैठक में भाग लिया।
- आरएसी – काजू के अध्यक्ष के रूप में प्राधिकरण के अध्यक्ष ने काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर, कर्नाटक की आरएसी बैठक में भाग लिया। यह बैठक काजू में अनुसंधान प्रगति की समीक्षा करने के लिए 6–7 जनवरी 2016 को डीसीआर, पुत्तूर द्वारा गोद लिए गए गांव में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर कृषकों के अधिकारों पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने हेतु काजू के अलावा सुपारी पर भी विटटल में डीयूएस दिशानिर्देशों की प्रगति की समीक्षा की गई।
- दिनांक 9–10 जनवरी 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम पर राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा आईजीकेवी के सहायता से सामुदायिक बीज बैंकों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी गांवों का दौरा भी किया।
- दिनांक 16–17 जनवरी 2016 को अम्बाजोगई, महाराष्ट्र में किसान मेले व पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा किस्मों के पंजीकरण के बारे में वाणिज्यिक बीज उद्योग से चर्चा भी की।
- शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 18 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग परिसर, एनसीआरटी, हैदराबाद के अध्यक्ष पद के चयन के लिए खोज एवं चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 19 जनवरी 2016 को अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों, बीआईएसए पर परामर्शक समूह के साथ आयोजित
- बैठक में भाग लिया तथा उनकी वर्तमान गतिविधियों पर चर्चा की।
- सेंटर फार एक्जीव्यूटिव एजुकेशन, कॉर्नल विश्वविद्यालय – कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड सतगुरु कंसलटेंट द्वारा 21 जनवरी 2016 को बंगलुरु में आयोजित बीज उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों के समक्ष ‘पौधा किस्म सुरक्षा के निहितार्थ तथा गुण विकास व प्रदानीकरण पर इसका प्रभाव’ विषय पर एक व्याख्यान दिया।
- दिनांक 22 जनवरी 2016 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में कुलपतियों की बैठक में भाग लिया तथा कृषकों व सार्वजनिक क्षेत्रों की किस्मों के पंजीकरण में नार्स की भूमिका पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- राज्य मंत्री, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में 27 जनवरी 2017 को आयोजित वैश्विक फसल विविधता न्यास की बैठक में भाग लिया।
- भा.कृ.अ.प. के लिए सहायक महानिदेशक – आईपीआर के चयन के लिए 28 जनवरी 2016 को कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, नई दिल्ली की चयन समिति में भाग लिया।
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलार में 29 जनवरी 2016 को ‘कृषक किस्मों का पंजीकरण’ विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला में भाग लिया।
- ग्रामीण प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिसर संस्थान (एनसीआरटीआई) के अध्यक्ष पद के चयन के लिए 9 फरवरी 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आयोजित खोज एवं चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष ने 12 फरवरी 2016 को आईआईवीआर, वाराणसी में मृदा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए सब्जी की फलीदार फसलों पर एक राष्ट्रीय सिम्पोजियम में सम्मानीय अतिथि के रूप में भाग लिया तथा ‘बागवानी फसलों के संदर्भ में आईपीआर संबंधी मुद्दे व नार्स में इनकी भूमिका’ विषय पर व्याख्यान दिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, जेएनकेवीवी, जबलपुर में 13 फरवरी 2016 को कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों तथा किसानों व अनुसंधानकर्ताओं के लिए बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा के लिए पंजीकरण हेतु कृषि में कृषक किस्मों के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम एग्री विज़न 2016 के रूप में जेएनकेवीवी, जबलपुर में आयोजित किया गया था जिसमें अध्यक्ष ने लगभग 1000 छात्रों और

किसानों को सम्बोधित किया था।

- झांसी में 17 फरवरी 2016 को आईजीएफआरआई में प्रजनकों व कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय विधानों पर आयोजित शरद कालीन प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अध्यक्ष इस समारोह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे।
- यूएस, धारवाड में 21–22 फरवरी 2016 को पान पर कार्यबल समिति की बैठक में भाग लेते हुए 'विद्यमान अधिसूचित किस्मों के पंजीकरण के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका' पर एक वार्ता प्रस्तुत की तथा कुलपतियों के सम्मेलन में एक सत्र की अध्यक्षता भी की।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर में 24 फरवरी 2016 को कृषकों के अधिकारों पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- नई दिल्ली में आयोजित महिन्द्रा समृद्धि एग्रीकल्चरल एडवाइजरी कमटी की बैठक में भाग लिया तथा महिन्द्रा समृद्धि पुरस्कार समारोह में निर्णयक के रूप में पुरस्कारों के निर्धारण में भूमिका निभाई।
- विशेषज्ञ परामर्शक के रूप में अध्यक्ष ने 8 मार्च 2016 को कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, नई दिल्ली में झांसी स्थित भा. कृ.अ.प. – भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के बीज प्रौद्योगिकी प्रभाग के अध्यक्ष के पद के चयन के लिए सीधे चयन/छंटाई समिति की बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 11 मार्च 2016 को आलू के लिए आयोजित जीआईजैड – जीईएफ बीज अध्ययन परिचय कार्यशाला में भाग लिया। एटीएआरआई, जोधपुर में 15 मार्च 2016 को कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा इस दौरान केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर स्थित शुष्क फसलों के फील्ड जीन बैंक का भी दौरा किया।
- अध्यक्ष को 17 मार्च 2016 को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में 'टिकाऊ खाद्य, पोषणिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकीय' विषय पर एक वार्ता देने के लिए केन्द्र द्वारा आमंत्रित किया गया।
- अध्यक्ष तथा महा पंजीकार ने 19 मार्च 2016 को नई दिल्ली स्थित भा.कृ.अ.स. के कृषि उन्नत मेला 2016 में भाग लिया।
- दिनांक 25 मार्च 2016 को चत्ताली और अंगंगला (कुर्ग) स्थित मसालों पर फील्ड जीन बैंकों का दौरा किया तथा

पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सुरक्षा के महत्व पर वैज्ञानिकों को सम्बोधित किया।

- दिनांक 26 मार्च 2016 को भा.कृ.अ.प. – भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट व क्षेत्रीय केन्द्र, अंगंगला, केरल का दौरा किया तथा पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- मुख्य अतिथि के रूप में 27 मार्च 2016 को तिरुचनगोड स्थित के.एस. रंगासामी कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी के 18वें स्नातक दिवस में भाग लिया तथा स्नातक दिवस व्याख्यान भी दिया।

10.7 महा-पंजीकार की भागीदारी

महापंजीकार ने अनेक बैठकों तथा कार्यक्रमों में भाग लिया :

- दिनांक 9–12 अप्रैल 2015 के दौरान भा.कृ.अ.प. – उमियम, आरएआरआईस, शिलांग में बागवानी अनुसंधान केन्द्र, काहिकुची, गुवहाटी द्वारा आयोजित वैज्ञानिक-कृषक मीट में भाग लिया तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट व टोककाली चाय अनुसंधान संस्थान, जोरहट के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।
- असम कृषि विश्वविद्यालय, गुवहाटी द्वारा आयोजित बागवानी अनुसंधान केन्द्र, काहिकुची में आयोजित कृषकों के अधिकारों की एक कार्यशाला में भाग लिया। यह कार्यशाला 18 अप्रैल 2015 को आयोजित की गई थी जिसमें प्रतिभागियों व किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण व कृषकों के अधिकारों के महत्व के बारे में संक्षेप में बताया गया।
- दिनांक 29 अप्रैल 2015 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 'बीजोत्पादन एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियाँ' विषय पर व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान कृषकों के अधिकारों के बारे में था जो कटैट, भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- नौनी पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए 8 मई 2015 को चैन्नई में आयोजित नौनी कार्यबल की कार्यशाला में भाग लिया।
- भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान व इक्रीसैट, हैदराबाद में 9 मई 2015 को आयोजित डीयूएस फील्ड स्तर के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा 29–30

- मई 2015 को आयोजित बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 3–4 जून 2015 को नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक बैठक में भाग लिया तथा नवसारी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्मों व कृषक किस्मों के पंजीकरण के बारे में चर्चा की। ये वे किस्में हैं जो अभी तक पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हुई हैं। महापंजीकार ने अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ–साथ एनएयू द्वारा आयोजित गुजरात राज्य के आम उत्सव में भी भाग लिया।
 - साम हिंगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल, टैक्नोलॉजी एंड साइंसिस (एसएचआईएटीएस), इलाहाबाद में 14–15 जून 2015 को आयोजित तृतीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस के तकनीकी सत्र के दौरान कांग्रेस में भाग लेते हुए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों व कृषकों के अधिकारों पर एक व्याख्यान दिया।
 - दिनांक 7–8 जुलाई 2015 को कृषि अनुसंधान सेवा के लागभाग 100 परिवीक्षकों के समक्ष पौधा किस्मों की पंजीकरण प्रक्रिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन पर नार्म, हैदराबाद में एक व्याख्यान दिया।
 - कृषि भवन, नई दिल्ली में 6 अगस्त 2015 को 'किस्मों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रोटोकॉल का विकास तथा बीज विधेयक 2014 के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण हेतु आईटी मंच' विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
 - नार्म, हैदराबाद में आयोजित कृषि में प्रौद्योगिकी प्रबंध कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के संबंध में भाग लिया तथा 8 अगस्त 2015 को आईएएसआरआई, नई दिल्ली से वीडियो काफेसिंग के माध्यम से 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर मुख्य व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम मूलतः नार्म, हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया था।
 - कृषि भवन, नई दिल्ली में 10 अगस्त 2015 को ओईसीडी स्कीम पर समिति की बैठक में भाग लिया।
 - एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 14 अगस्त 2015 को आयोजित पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की 23वीं बैठक में भाग लिया।
 - जैडटीएम, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में 21–22 अगस्त 2015 को आयोजित 'आईपी तथा साइबर अपराध' के साथ–साथ 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' तथा भारतीय बीज उद्योग पर पड़ने वाले इसके व्यावहारात्मक प्रभावों पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
 - भा.कृ.अ.प. – अनुसंधान परिसर, गोवा में 24–25 अगस्त 2015 को आयोजित 2014–15 वर्ष के लिए 'कृषि फसलों में बीजोत्पादन' विषय पर भा.कृ.अ.प. की बीज परियोजना की 10वीं वार्षिक समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लिया तथा एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की।
 - शिमोगा में 24–25 अगस्त 2015 को कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएचएस), शिमोगा, कर्नाटक का दौरा किया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति, अनुसंधान निदेशक, डीन व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की व्यावहारिकता व संभावना के बारे में विस्तार से चर्चा की।
 - एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 4 सितम्बर 2015 को आयोजित अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों की विशेषज्ञ समिति की चौथी बैठक में भाग लिया।
 - भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में 16–19 सितम्बर 2015 के दौरान आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' का कार्यान्वयन' विषय पर एक व्याख्यान दिया।
 - एमएसएसआरएफ, चैन्नई में 21 सितम्बर 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया।
 - भा.कृ.अ.सं. के विस्तार प्रभाग द्वारा 24 सितम्बर 2015 को 'नवोन्मेषकों के लिए अवसर : सरकारी पहलों' विषय पर व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान उन्होंने फार्म नवोन्मेषी सम्मेलन 2015 के अवसर पर दिया था।
 - अक्टूबर 2015 के दौरान रोम में आयोजित की जाने वाली आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय के छठे सत्र में भाग लेने के लिए सूचना तैयार करने हेतु 28 सितम्बर 2016 को कृषि भवन में संयुक्त सचिव (बीज) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया।
 - दिनांक 10–11 अक्टूबर 2015 के दौरान भा.कृ.अ.प. एकस्ट्राम्यूरल अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों के लिए छंटाई एवं मूल्यांकन बैठक में भाग लिया।
 - नई दिल्ली में 13 अक्टूबर 2015 को एनबीए तथा पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के बीच आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

- हैदराबाद में 29 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस में भाग लिया।
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कन्वेशन सेंटर में 3 नवम्बर 2015 को 'बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा में उभरता हुआ क्षेत्र' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ट्रिप्स तथा कृषि पर एक सत्र की अध्यक्षता की।
- एमएसएसआरएफ, चैन्नई में 'पादप आनुवंशिक संसाधन एवं बीज' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम के दौरान 9 नवम्बर 2015 को कृषक किस्मों व निजी बीज कंपनियों के अधिकारों की स्थापना में हुए अनुभव : पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001' पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- 'भारतीय वनस्पति उद्यान पर राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान 18 नवम्बर 2015 को एनबीआरआई में 'बहिस्थाने संरक्षण' शीर्षक सत्र की अध्यक्षता की तथा पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में मुख्य व्याख्यान भी दिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर में 11–13 दिसम्बर 2015 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर में 5–7 जनवरी 2016 के दौरान आयोजित 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 'मानव के लाभ के लिए जैवविविधता डेटाबेस का एकीकरण' से संबंधित परिपूर्ण सत्र में व्याख्यान दिया।
- दिनांक 14 जनवरी 2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित मामलों के लिए कृषकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जिला स्तर की कानूनी सेवाओं के विस्तार के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारी के सदस्य—सचिव के साथ एक बैठक में भाग लिया।
- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, तेलंगाना में 16 जनवरी 2016 को कृषि अनुसंधान सेवा (एफओसीआरएस – 103), भा.कृ.अ.प. के लिए 103वें मूलभूत पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- कृषि भवन, नई दिल्ली में 20 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय जैवविविधता एवं कार्यनीतिकार योजना पर सीबीडी के समीक्षा दल के साथ चर्चा की।
- कृषि भवन, नई दिल्ली में 28 जनवरी 2016 को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार एवं सम्मान के लिए आयोजित चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
- मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में 19 जनवरी 2016 को दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, मथुरा के सहयोग से कृषक कोष्ठ के कार्यान्वयन की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक बैठक में भाग लिया।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में 1 फरवरी 2016 को अर्जेंटीनी बीज उद्योग के अनुभव तथा नवोन्नेष व पौधा किस्मों की सुरक्षा के संबंध में डॉ. अनाबेल इवाना मैरिन, अर्जेण्टीनी वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान परिषद, अर्जेण्टीना के साथ चर्चा की।
- दिनांक 01–02 फरवरी 2016 के दौरान भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, जयपुर, राजस्थान में 'बीज मसालों की उत्पादकता बढ़ाने व लाभदायकता के लिए जलवायु परिवर्तन के युग में नए आयामों की दृष्टि' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया तथा इस केन्द्र में बीज मसालों पर दिशानिर्देशों के विकास में हुई प्रगति की भी समीक्षा हुई।
- एसकेयूएसटी – जम्मू में 06 फरवरी 2016 को जम्मू व काश्मीर के कृषि विज्ञान केन्द्रों में आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत गेहूं की डब्ल्यू 6001 व डब्ल्यू 6301 किस्मों के शुल्क अदायगी के नवीकरण हेतु 6 फरवरी 2016 को एक सुनवाई सम्पन्न की।
- संकाय, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 16 फरवरी 2016 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित 'शासन में विज्ञान, प्रौद्योगिकियां व उभरती हुई प्रवृत्तियां' शीर्षक पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बेहतर शासन की ओर : नवोन्नेष तथा मुख्य मुददे' विषय पर प्रतिभागियों के समक्ष एक व्याख्यान दिया।
- सोसायटी ऑफ स्टेटिक्स, कम्प्यूटर एंड एप्लीकेशंस (एसएससीए) द्वारा 17–18 फरवरी 2016 को जम्मू में आयोजित जम्मू विश्वविद्यालय के 18वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान मुख्य व्याख्यान दिया।
- दिनांक 26–27 फरवरी 2016 के दौरान एमपीकेवी, राहुरी में 10वीं डीयूएस समीक्षा बैठक आयोजित की जिसमें डीयूएस परीक्षण, दिशानिर्देशों के विकास व फील्ड जीन बैंक से संबंधित 60 से अधिक परियोजनाओं पर विचार किया गया।
- श्री थियो रूयस, अध्यक्ष, मोइरहेइम रोसेस एंड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स झांसी) के साथ 3 मार्च 2016 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित

- बैठक में भाग लिया।
 - भा.कृ.अ.प. – भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली में 21 मार्च 2016 को ‘नवोन्मेशी किसानों के साथ परिचर्चा’ विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में पैनेलिस्ट के रूप में बैठक में भाग लिया।
 - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में 22 मार्च 2016 को आयोजित विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) की 27वीं बैठक आयोजित की और इसमें सदस्य सचिव के रूप में भाग लिया।
 - दिनांक 28 मार्च 2016 को केएसआर प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुचनगोड़े, तमिल नाडु ने प्रतिनिधियों तथा जैवप्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य विशेषताओं को बताते हुए एक वार्ता प्रस्तुत की व हल्दी पादप कृषक सोसायटी के लिए आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित बैठक में भाग लिया।
- 10.8 डॉ. आर.आर. हंचिनाल (अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए) तथा डॉ. आर.सी.अग्रवाल (महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए) की भागीदारी**
- अध्यक्ष ने महापंजीकार के साथ 19 मई 2015 को कृषि भवन में ‘भारत में टिकाऊ बरानी कृषि के लिए खेती प्रणालियों की पुनः डिजाइन : उत्पादन एवं उपभोग के लिए इसे कृषि जैवविविधता के साथ जोड़ना’ विषय पर कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।
 - अध्यक्ष ने डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार तथा डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए के साथ 29 जून 2015 को एनआरसी, ऑर्किड, पोकायांग, गैंगटोक, सिविकम में पेफियोपेडिलम, एस्कोसैंट्रम तथा इसकी सम्बद्ध प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के लिए आयोजित कार्यबल की बैठक में भाग लिया।
- 
- अध्यक्ष ने डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार तथा डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए के साथ 30 जून 2015 को किसानों तथा अन्य पण्धारियों के बीच पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए भा.कृ.अ.स. – क्षेत्रीय केन्द्र, कलिम्पोंग में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
 - अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 17 जुलाई 2015 को ईडीवी पर आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. बी.एस. ढिल्लो, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने की थी।
 - अध्यक्ष ने महापंजीकार के साथ 26 जुलाई 2015 को श्री कृष्ण मेमोरियल हाल, पटना में कृषि विज्ञान केन्द्रों के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया तथा ‘प्रौद्योगिकी कुशलताएं एवं हस्तक्षेप’ शीर्षक पर आयोजित तकनीकी सत्र प्प की अध्यक्षता की।
 - अध्यक्ष ने महापंजीकार तथा पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ 18 अगस्त 2015 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया जिसमें बीज पर द्विपक्षीय सहयोग परियोजना के क्रियाकलापों के बारे में मूल्यांकन किया गया।
 - अध्यक्ष ने महापंजीकार एवं संयुक्त पंजीकार के साथ 20 अगस्त 2015 को कृषि भवन, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (बीज), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ अंतिम बैठक में भाग लिया जिसमें बीज विकास तथा परियोजना के और अधिक विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई। इस बैठक में बीज प्रभाग, एनबीपीजीआर, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण व एनएसएआई के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
 - अध्यक्ष ने महा पंजीकार के साथ कृषि एवं बागवानी विभाग विश्वविद्यालय (यूएचएस), शिमोगा, कर्नाटक का 7 सितम्बर 2015 को दौरा किया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति, अनुसंधान निदेशक, डीन तथा अन्य अधिकारियों के साथ शिमोगा में पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की संभावना एवं व्यावहारिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की।
 - अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 7 सितम्बर 2015 को जीमीकंद पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के मूल्यांकन व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए आयोजित कार्यबल की बैठक में भाग लिया।

- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 14 जनवरी 2016 को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार 9 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में जीन निधि के लिए आयकर में छूट देने के संबंध में अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से मिले।
- अध्यक्ष, महापंजीकार तथा प्राधिकरण के अधिकारियों ने 1 फरवरी 2016 को प्राधिकरण के समिति कक्ष में अर्जेण्टीनी बीज उद्योग के साथ नवोन्मेष तथा पौधा किस्मों की सुरक्षा पर अनुभवों को बांटने के लिए डॉ. एनाबेल इवाना मेरिन एरिस, अर्जेण्टीनी राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान परिषद (सीओएनआईसीईटी), ब्यूनस आयर्स, अर्जेण्टीना से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने सुश्री सालिनी भूटानी तथा अन्य सदस्य भी थे जिन्होंने परस्पर अपने—अपने अनुभवों का आदान—प्रदान किया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 2-3 फरवरी 2016 को एनआरसीएसएस, अजमेर, राजस्थान में 'जलवायु परिवर्तन के युग में बीज मसालों की उत्पादकता एवं लाभदायकता को बढ़ाने के लिए नई आयामी युक्तियाँ' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया तथा उन्होंने भा.कृ.अ.प. – राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, जयपुर, राजस्थान में दिशानिर्देशों के विकास में हुई प्रगति का जायजा लिया। अध्यक्ष ने उपरोक्त सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था तथा उन्होंने पादप प्रजनकों के अधिकारों पर एक वार्ता भी दी थी।
- अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने 5 फरवरी 2016 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2013–14 के लिए आयोजित चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 5 फरवरी 2016 को जम्मू एवं काश्मीर के कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए एसकेयूएसटी—जम्मू में आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 9 फरवरी 2016 को एनएएससी परिसर में समिति कक्ष में आयोजित प्राधिकरण की 25वीं बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने एमपीकेवी, राहुली के रेट्रोस्पेक्शन—2015 (मैंगोवा) में भाग लिया। अध्यक्ष ने 25 फरवरी 2016 को आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 25 से 27 फरवरी 2016 को निजी बीज उद्योगों के साथ आयोजित एक विशेष सत्र में भाग लिया। यह सत्र एमपीकेवी, राहुली में 10वीं वार्षिक डीयूएस समीक्षा बैठक के दौरान आयोजित किया गया था। इस बैठक में डीयूएस परियोजनाओं के लगभग 110 एसोसिएटों ने भाग लिया था। फसलों/वृक्ष प्रजातियों के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं के साथ—साथ इस अवसर पर बागवानी, सब्जियों, अनाजों आदि से संबंधित परियोजनाओं भी पंजीकृत की गईं।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 3 मार्च 2016 को नई दिल्ली में बीज क्षेत्र के कौशल विकास से संबंधित जेएस सीडॉन के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 20 मार्च 2016 को एसआरएस विश्वविद्यालय, कट्टनकुलाथुर, चैन्नई में वृद्धि एवं कल्याण के लिए नोनी तथा औषधीय पौधों के संबंध में द्वितीय विश्व नोनी कांग्रेस 2016 में भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने फसल किस्मों पर बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा पर एक आमंत्रित शोध पत्र भी प्रस्तुत किया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 22 मार्च 2016 को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) की 27वीं बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष, महापंजीकार एवं विधिक सलाहकार—1 ने 27 मार्च 2016 को केएसआर प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुचेनगोड़े, तमिल नाडु में हल्दी की खेती करने वाले कृषकों की सोसायटी के लिए आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा किसानों व जैवप्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए भारत के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में एक वार्ता प्रस्तुत की।
- अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने 7 अक्टूबर 2015 को श्री फैब्रीजियो फैलोनी, मुख्य मूल्यांकन अधिकारी, आईएफएडी—इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ इवेल्यूशन, रोम, इटली तथा श्री गोविंदन नायर परामर्शक के साथ पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने 20 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय जीन निधि के लिए दान में छूट प्राप्त करने हेतु नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में अध्यक्ष, सीबीडीटी से मुलाकात की।

अध्याय 11 : अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 विदेशी दौरे

वित वर्ष के दौरान अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने जर्मनी तथा मध्य एशियाई देशों नामतः कजाखस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान का दौरा किया।

11.1.1 जर्मनी

बीज प्रणालियों के विकास सहित कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर जर्मनी संघ गणराज्य के संघ खाद्य कृषि एवं उपभोक्ता मंत्रालय तथा कृषि एवं सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच 11 अप्रैल 2013 को बर्लिन में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों ही पक्ष द्विपक्षीय सहयोग आरंभ करने के लिए सहमत हुए।

इस समझौते से पादप किस्म सुरक्षा (पीपीपी) डीयूएस परीक्षण तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों पर जर्मन एसोसिएशन ऑफ प्लांट वेरायटीज (बीडीपी), पौधा किस्म के फेडरेल कार्यालय (बुंडेसोर्टेनाम्ट) व पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण तथा नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएएसआई) के बीच पौधा किस्मों की सुरक्षा पर द्विपक्षीय सहयोग के नए युग की शुरुआत हुई और इससे दोनों देशों को एक दूसरे के पौधा किस्म सुरक्षा संबंधी अनुभवों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान करने तथा उन्हें समझने में सहायता मिलेगी।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल का दौरा

दिसम्बर 2014 के दौरान जर्मन प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल को जुलाई 2015 में डीयूएस परीक्षण प्रक्रियाओं का अध्ययन करने तथा अनुवर्ती अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जर्मनी में आमंत्रित किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में दो अधिकारी नामतः डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष तथा श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण शामिल थे जिन्होंने 3-7 अगस्त 2015 को जर्मनी का दौरा किया।



इस अध्ययन का उद्देश्य जर्मनी में पीपीपी प्रणाली का अध्ययन करना, डीयूस परीक्षण व डीयूएस केन्द्रों का दौरा करना तथा साथ में वीसीयू केन्द्रों को देखना था ताकि जर्मनी में प्रजनकों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ वहां किए जा रहे विशेष परीक्षणों के बारे में भी समझा जा सके। इस प्रतिनिधि मंडल ने हैनोवर स्थित बीएसए - फैडरल प्लांट वेरायटी ऑफिस के मुख्यालय का दौरा किया तथा वहां के वरिष्ठ कर्मियों जैसे श्री उदो वान कोचर, अध्यक्ष; डॉ. हेर्मेन फूडेस्टेइन, अध्यक्ष, नेशनल एंड इंटरनेशनल वेरायटी एंड सीड एफेयर्स, समन्वयन; डॉ. बीटे रुकर, अध्यक्ष : नेशनल लिस्टिंग, वेरायटी प्रोटेक्शन एंड जेनेटिक रिसोर्सिस; डॉ. उला स्कनॉक व अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने पौधा किस्मों के पंजीकरण में शामिल अनेक प्रयोगशालाओं तथा अनुभागों का भी दौरा किया।



इस अवसर पर जर्मनी के पूर्वी भाग में मेंडेबर्ग स्थित डीयूएस - वीसीयू स्टेशन को भी देखा गया। यह स्टेशन मकान, गेहूं, जौ, चुकंदर, आलू तथा तिलहनी तोरिया पर परीक्षण कर रहा है। डीयूएस परीक्षण की रिकॉर्डिंग, परीक्षण की स्थितियों व लेआउट से अवगत होने के लिए फील्ड भ्रमण भी किए गए। ये भ्रमण 6 अगस्त 2016 को आयोजित हुए। प्रतिनिधि मंडल ने केडल्यूएस एसएटी एसई जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी बीज कंपनी है और जिसके पास अनुसंधान एवं विकास का गहन अनुभव है, का दौरा भी किया। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र में पादप जैवप्रौद्योगिकी व चुकंदर, गेहूं, तिलहन, तोरिया, सूरजमुखी व अन्य फसलों का बीजोत्पादन भी किया जाता है। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने सुश्री वलाउडिया हेले बैच, अध्यक्ष, आर एंड डी लीगल एफेयर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी; डॉ. मार्कुस वैस्थॉप, वरिष्ठ आईपी ऑपरेशन मैनेजर; श्री पैडरिंग ओ स्कैनलेइन, प्रोजेक्ट मैनेजर कॉर्न एवं तिलहन (भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया); सुश्री एनेके स्कवेगेर, हैड ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, कारपोरेट डेवलपमेंट एंड कम्प्युनिकेशन; तथा डॉ. पॉल ऑल्सन, वरिष्ठ आईपी विशेषज्ञ पीपीपी और जननद्रव्य से भी मुलाकात करते विभिन्न विषयों पर

चर्चा की।

दिनांक 7 अगस्त 2016 को प्रतिनिधि मंडल ने साका पफेनजेनजुकट जीएमबीएच एंड कंपनी को भी देखा जो सोलाना समूह की है (1905 में स्थापित हुई थी)। यह कंपनी आलू की आधुनिक किस्मों का प्रजनन करती है तथा यूरोप, लेटिन अमेरिका तथा श्रीलंका को आलू की लगभग 60 किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित करती है। डॉ. लार्स विलहेम वांगेमैन, मैनेजर ब्रीडिंग स्टेशन, विंडेबाइ और सुश्री मारिया ब्रोकमैन, प्रोडक्ट मैनेजर की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुकंदर जैसी फसलों के लिए जीएमओ पर ईयू की स्थिति, केंडल्यूएस में पादप प्रजनक के नवीनतम विकास संबंधी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।



इस अवसर पर डॉ. बैंगेमैन ने इतिहास, आलू की किस्मों के प्रजनन, गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन के लिए पादप जैव प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर एक तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया। यह सूचित किया गया कि यूरोप में अधिकांश आलू की किस्मों का प्रजनन केवल 5 कंपनियों तक ही सीमित है और केवल एक सार्वजनिक संस्थान पूर्व प्रजनन संबंधी कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी है जो अपना काम पछेती झुलसा प्रतिरोध पर केन्द्रित करता है। आलू की खेती, वेयर आलू/फैंच फाई/ क्रिप्स/स्टार्च उत्पादन, अति अगेती परिपक्वता व मण्ड की उपयुक्तता आदि की स्थिति पर संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला (रोगमुक्त आलू के पौधों का उत्पादन) जैवप्रौद्योगिकी स्लेटफार्म (फिंगर प्रिंटिंग तथा डीएनए नैदानिकी) ग्रीन हाउसों (लघु कंदों का उत्पादन), श्रेणीकरण एवं भंडारण क्षेत्र व आलू बीज भंडारण स्थलों का भ्रमण भी किया गया। श्री दीपल रॉय चौधरी ने भारत में आलू परिदृश्य, भोज्य आलू के लिए किस्मों के प्रजनन हेतु केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के उल्लेखनीय योगदान, बदलते हुए परिदृश्य, निजी प्रसंस्करण कंपनियों को शामिल करके मूल्यवर्धन व भारत में चिप श्रेणी के आलू की किस्मों के उत्पादन के लिए ठेके पर खेती व बीज उत्पादन की सामान्य प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर जानकारी दी और इस विषय पर चर्चा भी हुई। यह भी सूचित किया गया कि भारत में आलू शृंखला में

बीज उत्पादन की सबल क्षमता है। तथापि यहां प्रजनन मुख्यतः प्रसंस्करण गुणवत्ता पर केन्द्रित किया जा रहा है जो जर्मनी की साका जीएमबीएच जैसी कंपनियों के लिए ध्यान देने योग्य उभरते हुए नए क्षेत्र हैं।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अनुशंसा

- 1— भारत और जर्मनी पौधा किस्मों की सुरक्षा प्रणाली व डीयूएस परीक्षण के मामले में सहयोग कर सकते हैं।
- 2— अनाजों/सब्जियों/शोभाकारी प्रजातियों के डीयूएस – वीसीयू में जर्मन विशेषज्ञ फसल मौसमों के दौरान भारतीय डीयूएस केन्द्रों का दौरा कर सकते हैं तथा वहां संबंधित कार्मिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- 3— परंपरागत फसल आनुवंशिक विविधता के रखरखाव पर सामुदायिक बीज बैंक की क्रियाविधि के माध्यम से एक कार्यनीति विकसित करने के लिए विकासात्मक योजना तैयार की जा सकती है। यह परियोजना जीआईजैड के साथ सहयोग से तैयार हो सकती है।
- 4— जर्मनी के सहयोग के साथ ओईसीडी बीज क्षेत्र विकास में सुविधा प्रदान करने के लिए एक क्रियाविधि विकसित की जा सकती है।
- 5— जर्मनी उपोव 1978 के अनुसार भारत की भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- 6— प्रभावी बीज व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम समझौता वाले देशों की स्थिति में संभावना तलाश कर सकते हैं।
- 7— बीएसए (फेडरल प्लांट वेरायटी ऑफिस) डीयूएस/वीसीयू परीक्षणों (जैसे डेटा लॉगर/डेटा बेस मैनेजमेंट/इमेज एनालिसिस आदि) में स्वचालीकरण/यंत्रीकरण के मामले में भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर सकता है।
- 8— नई दिल्ली में भारतीय–जर्मनी द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है जिसमें जर्मनी, भारत तथा निजी बीज कंपनियों के फसल विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है, ताकि बीज उद्योग व व्यापार को बढ़ावा मिल सके, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी) तथा ओईसीडी, टिकाऊ उपयोग के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, प्रत्येक देश के पीवीपी को समझने व कृषकों के अदिकारां को बढ़ावा दिया जा सके।
- 9— इस द्विपक्षीय सहयोग को अगले दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

11.1.2 मध्य एशिया

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण

ने 15–27 सितम्बर 2015 को बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, मध्य एशिया के लिए सीडब्ल्यूएनए उप कार्यालय के आमंत्रण पर 'भारत में फसल किस्मों पर किसानों के अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय फेमवर्क' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया तथा मुख्य व्याख्यान भी दिया।

11.2 आयोजित बैठकें व सेमिनार/कार्यशालाएं

11.2.1 एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 18 अगस्त 2015 को पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण तथा जर्मन प्रतिनिधि मंडल के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर बैठक

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण तथा जर्मन प्रतिनिधि मंडल के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर आयोजित द्विपक्षीय सहयोग के दौरान निम्नलिखित मुख्य मुददे उभरकर सामने आए :

- भारत एवं जर्मनी पौधा किस्म सुरक्षा प्रणाली व डीयूएस परीक्षण में परस्पर सहयोग कर सकते हैं।
- समझौता वाले देशों की स्थिति की समीक्षा के लिए द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच प्रभावी पादप किस्म सुरक्षा (पीवीपी) को बढ़ावा दे सकते हैं।
- अनाजों/माल्ट के लिए जौ, आलू/शोभाकारी प्रजातियों तथा तिलहनों जैसी चुनी हुई फसलों के डीयूएस – वीसीयू में जर्मन विशेषज्ञ फसल मौसमों के दौरान भारतीय डीयूएस केन्द्रों का दौरा कर सकते हैं तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।
- बीएसए (फेडरेल प्लांट वेरायटी ऑफिस), प्रश्यतः जर्मनी में डीयूएस/वीसीयू परीक्षणों (जैसे डेटा लॉगर/डेटा बेस प्रबंध/इमेज एनालिसिस आदि) में स्वचालीकरण/यंत्रीकरण में भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर सकता है।
- जर्मनी के सहयोग के साथ ओईसीडी बीज क्षेत्र विकास में सुविधा प्रदान करने के लिए एक क्रियाविधि विकसित की जा सकती है।
- नई दिल्ली में भारतीय–जर्मनी द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है जिसमें जर्मनी, भारत तथा निजी बीज कंपनियों के फसल विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है, ताकि बीज उद्योग व व्यापार को बढ़ावा मिल सके, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (इंडीवी) तथा ओईसीडी, टिकाऊ उपयोग के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, प्रत्येक देश के पीवीपी को समझने व कृषकों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके।
- जर्मनी उपोव 1978 के अनुसार भारत की भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकता है।

- इस द्विपक्षीय सहयोग को अगले तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

11.2.3 डीयूएस परीक्षण पर संयुक्त कार्यशाला



बीज विकास के क्षेत्र में भारत–जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत 23–24 नवम्बर 2015 को एलबीएस सभागार, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में डीयूएस परीक्षण पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 23 नवम्बर 2015 को कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, आईएएस, भारत सरकार के विशेष सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआर; डॉ. हर्मेन फूडेन्स्टेइन, बीएसए; डॉ. एस.के. पाटिल, कुलपति, आईजीकेवी, रायपुर; डॉ. टी. मोहपात्रा, तत्कालीन निदेशक, भा.कृ.अ.सं. व अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया। इस कार्यशाला में भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, सार्वजनिक एवं निजी बीज उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में अध्यक्ष ने जर्मनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सृजन के बारे में बताते हुए ट्रिप्स के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों व पीपीवी एवं एफआर विधान को लागू करने आदि जैसे विषयों पर संक्षेप में चर्चा की। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय कार्यशाला के अंतर्गत बनाई गई गतिविधियों की योजना से भारत निम्न प्रकार से लाभ उठा सकता है :

- समझौते के अंतर्गत आने वाले देशों में परस्पर मान्यता से पीवीपी में आदान–प्रदान की संभावनाओं के आयाम खुल सकते हैं।
- विशेष रूप से सब्जियों, पुष्टों व शोभाकारी फसलों, आलू अनाजों तथा नकदी फसलों में व्यापार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।
- सब्जियों, शोभाकारी फसल प्रजातियों में अनुभव : डीयूएस परीक्षण क्रियाविधियों, बुनियादी ढांचे तथा स्वचालीकरण में और सुधार किया जा सकता है।
- डेटाबेस विनियम व पारस्परिक बंटवारा, मानव संसाधन विकास

नई प्रौद्योगिकियों तथा उन्नत किस्मों/पूर्वज वंशक्रमों से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के पादप प्रजनन उद्योग को लाभ होगा।

अध्याय 12 : वर्ष 2015–16 के लिए प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागू अधिदेशित लेखा मानकों (एएस) जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों की प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण जब तक अन्यथा उल्लेखन न हो व्यय तथा आय की सभी मदों के संदर्भ में लेखाकरण की संभूति प्रणाली का पालन करता है। 31 मार्च 2016 को तुलन-पत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और अदायगियों के लेखे संलग्न हैं :

लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ लेखापरीक्षित लेखों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की नई दिल्ली में

तालिका 106 : 31 मार्च 2016 को तुलन-पत्र

| कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं | Current year (Amount in rupees) | Previous year (Amount in rupees) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| कॉर्पस / पूंजी निधि | 28,53,60,795 | 19,20,05,727 |
| आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि | | - |
| निर्धारित / स्थायी निधि | | - |
| सुरक्षित ऋण तथा उधारियां | | - |
| असुरक्षित ऋण तथा उधारियां | | - |
| आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं | | - |
| चालू देयताएं और प्रावधान | 15,28,45,257 | 11,19,07,885 |
| परिसम्पत्तियां | | |
| अचल परिसम्पत्तियां | 2,99,77,679 | 2,95,48,719 |
| घटाएँ : संचयित मूल्यदास | 2,41,39,774 | 2,29,26,480 |
| निवल स्थायी परिसम्पत्तियां | 58,37,905 | 66,22,239 |
| पूंजीगत कार्य में प्रगतियां | 1,78,38,219 | 1,78,38,219 |
| निवेश – निर्धारित / स्थायी निधियों से | | - |
| निवेश – अन्य से | | - |
| चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि | 41,45,29,928 | 27,94,53,154 |
| फुटकर व्यय (जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो) | | - |
| योग | 43,82,06,052 | 30,39,13,612 |

तालिका 107 : 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (राशि रूपयों में)

| आय | प्राधिकरण निधि | | जीन निधि | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
| बिक्री / सेवाओं से हुई आय | | - | - | - |
| अनुदान / सहायता | 15,81,15,040 | 15,92,47,151 | 1,85,00,000 | 85,00,000 |
| शुल्क / चंदा | 2,98,49,800 | 2,34,34,050 | 76,65,296 | 53,16,755 |
| निवेशों से हुई आय | | - | | - |
| रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय | | - | | - |
| अर्जित ब्याज | 1,42,88,012 | 90,89,595 | | 19,02,950 |
| अन्य आय | 6,01,581 | 5,92,111 | 23,11,840 | 24,750 |
| तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गि. रावट) और चालू कार्य | | - | | - |
| आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यांकन) | 12,13,294 | 19,64,351 | | - |
| पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क) | 55,43,859 | - | 13,04,000 | (62,776) |
| कुल (क) | 20,96,11,585 | 19,43,27,258 | 2,97,81,136 | 1,56,81,679 |
| व्यय | | | | |
| स्थापना व्यय | 4,91,52,403 | 4,43,66,494 | | - |
| अन्य प्रशासनिक आय आदि | 4,54,15,679 | 4,29,38,870 | | - |
| अनुदान, चंदों आदि पर हुआ व्यय | 4,94,60,328 | 7,69,77,128 | | - |
| ब्याज | 10,985 | 8,223 | 630 | 762 |
| मूलदास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग) | 12,13,294 | 19,64,351 | | - |
| पूर्व समय समायोजन लेखा (अनु. बंध-क) | | 10,21,682 | | |
| योग (ख) | 14,52,52,689 | 16,72,76,748 | 630 | 762 |
| व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख) | 6,43,58,897 | 2,70,50,510 | 2,97,80,506 | 1,56,80,917 |
| विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्र. त्येक को अलग-अलग बताएं) | | - | | - |
| सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण | | - | | - |
| कॉर्पस/पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर) | 6,43,58,897 | 2,70,50,510 | 2,97,80,506 | 1,56,80,917 |

तालिका 108 : वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं अदायगियां (राशि रूपयों में)

| प्राप्तियां | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | अदायगियां | Current Year | Previous Year |
|--|--------------|-------------|--|--------------|---------------|
| 1— आदिशेष | - | - | 1— व्यय | | |
| उच्चत (मौजूद नकद राशि) | 44,593 | 15,000 | स्थापना व्यय | 2,01,67,178 | 2,28,87,246 |
| बैंक में शेष | - | - | प्रशासनिक व्यय | 2,15,06,248 | 1,88,64,275 |
| भारतीय स्टेट बैंक (एमओडी सहित) | 6,49,78,652 | 31,854,153 | 2. निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान | | |
| सिंडिकेट बैंक | 74,53,097 | 2,629,758 | विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख, ग) | 3,91,79,207 | 3,35,98,052 |
| लेन-देन में वापसी | 19,630 | 34,372 | नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध घ व ड.) | 2,15,16,314 | 2,65,58,725 |
| एसबीआई (जीन निधि) | 2,41,57,718 | 16,010,435 | संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च) | - | - |
| गुवहाटी बैंक | 19,910 | 14,409 | फील्ड जीन बैंक (अनुबंध छ, ज) | 31,13,386 | 29,14,030 |
| रांची बैंक | 3,024 | 2,498 | 3. अचल सम्पत्तियों व प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर व्यय | - | - |
| 2— भारत सरकार से प्राप्त अनुदान | 15,85,44,000 | 160,000,000 | अचल सम्पत्तियों की खरीद (प्राधिकरण) | 4,28,960 | 7,52,849 |
| 3. बैंक में जमा राशि से प्राप्त व्याज | - | - | पूँजीगत कार्य में प्रगति पर व्यय | - | - |
| जीन निधि | 18,58,911 | 1,250,057 | 4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध-।) | 2,79,98,875 | 2,55,26,098 |
| प्राधिकरण निधि | 68,53,854 | 6,438,698 | 5. संगठन/संस्था को योगदान | - | 31,39,654 |
| 4. पादप सुरक्षा भवन के निर्माण के लिए पेशगी | - | 50,000,000 | 6. बाहरी एजेंसियों को पेशगी (अनुबंध-झ) | 9,78,591 | 20,86,244 |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन के लिए एफएओ से सहायता | - | 371,940 | 7. फॉकिंग मशीन की पुनः भराई | - | - |
| 6. पूँजीगत लेखा (प्राधिकरण निधि) | 2,10,000 | - | 8. संगठन/संस्थाओं को योगदान | - | - |
| 7. प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी | 4,44,293 | 490,995 | 9. स्टाफ को पेशगी | - | - |
| 8. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए पेशगी की वापसी (नए डीयूएस केन्द्र) | 3,04,783 | 159,869 | 10. वित्तीय प्रभार | - | - |
| 9. स्टाफ से पेशगी की अदायगी | 2,19,197 | 6,92,199 | 11. प्राप्त पेशगीके विरुद्ध भुगतान | - | - |
| 10. शुल्क/अंशदान/अन्य आय | - | - | 12. मियादी जमा | - | - |
| प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क | 1,53,04,600 | 4,274,000 | 13. रद्द हो चुके डिमांड ड्राफ्ट की वा. पसी | - | - |
| पीवीजे शुल्क | 1,41,600 | 106,100 | जीन निधि | - | - |
| आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क | - | 4,500 | प्राधिकरण निधि | - | - |
| वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री से प्राप्त हिस्से सहित) - जीन निधि | 87,92,574 | 5,040,755 | 14. भुगतान की विधिक देयताएं | - | - |
| वार्षिक शुल्क -प्राधिकरण | 8,000 | - | 15. अन्य वापसी | 2,18,520 | - |
| पुराने समाचार-पत्रों, रद्दी की बिक्री | 2,908 | 7,044 | 16. अंतशेष | - | - |

| प्राप्तियां | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | अदायगियां | Current Year | Previous Year |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| डीयूएस परीक्षण से प्राप्त शुल्क | 1,24,30,000 | 18,957,000 | उच्चत (वर्तमान में नकद राशि) | - | - |
| अन्य आय | 1,55,961 | 25,296 | प्राधिकरण | 25,000 | 25,000 |
| टीडीएस कटौती की वापसी | 52,242 | 1,890 | रांची शाखा | 52 | 19,593 |
| वार्षिक नवीकरण शुल्क | 18,21,000 | | गुवहाटी शाखा | 767 | - |
| प्रकाशनों की विक्री | . | . | बैंक में शेष राशि (एमओडी सहित) | - | - |
| निरीक्षण शुल्क | 5,000 | 1,970,000 | भारतीय स्टेट बैंक | 5,22,71,445 | 6,49,78,652 |
| बैंक द्वारा दिया गया अतिरिक्त ऋण | 2,24,608 | - | सिंडिकेट बैंक | 3,29,76,805 | 74,53,097 |
| प्राधिकरण निधि से योगदान | 1,85,00,000 | - | बैंक में मौजूद राशि | - | 19,630 |
| विभिन्न शुल्कों के लिए पेशगी | - | 19,70,000 | एसबीआई (जीन निधि) | 5,21,61,780 | 2,41,57,718 |
| पूर्व अवधि लेखा | 20,996 | - | गुवहाटी बैंक | 32,433 | 19,910 |
| 11. एफडी का नकदीकरण | 10,64,21,975 | 9,61,13,152 | रांची बैंच | 26,086 | 3,024 |
| 12. सीपीएफ आवर्ती जमा | 1,44,000 | - | कुल | 42,91,75,683 | 39,67,66,382 |
| 13. निस्स्त हुए चैकों की वापसी | 38,557 | 302,262 | | | |
| कुल | 42,91,75,683 | 39,67,66,382 | | | |

अध्याय 13 :: नागरिक आचार संहिता

परिदृश्य

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

मिशन

पौधा किस्मों के नवोन्मेषों को उद्दीप्त करने के लिए पौधा किस्मों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों व परंपरागत किस्मों की संपदा के परिरक्षण और संरक्षण में किए गए योगदानों के लिए किसानों को सम्मान व पुरस्कार प्रदान करना।

उद्देश्य

- पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा नई किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा।
- पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने के लिए किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

कार्य

- कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- परंपरागत बीज के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बहुवार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- पंजीकृत पौधा किस्मों के गुणों का निर्धारण व उनका प्रलेखन
- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत

किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना।

- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ-साथ पण्डि गारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग।

स्टेकहोल्डर्स

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप पहले व स्टेकहोल्डर शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

प्रदान की गई सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।
- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

शिकायत के निपटाए की क्रियाविधि

महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जन-शिकायतों के निपटान के लिए पद-नामित अधिकारी हैं और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

महा-पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली— 110 012
फोन — 011—25843316, फैक्स : 011—25840478
ई-मेल : ppvfra-agri@nic.in, rg-ppvfra@nic.in
www.plantauthority.gov.in

आरटीआई कोष्ठ

मुख्य जन-सूचना अधिकारी

डॉ. रवि प्रकाश

सी पी आई ओ

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली— 110 012
फोन — 011—25843853
ई-मेल : prakash.ravi@nic.in

डॉ. आर.सी.अग्रवाल

अपीलीय प्राधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली— 110 012
फोन — 011—25843316,
ई-मेल : rg-ppvfra@nic.i

अनुबंध – I : प्राधिकरण के सदस्य (2015–16)

प्राधिकरण के सदस्य

प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

पदेन सदस्य

1. **डॉ. एस.के. मल्होत्रा**, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 238, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. **डॉ. जे.एस. संधु**, कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. **श्री आर.के. सिंह** (आईएएस), संयुक्त सचिव (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
4. **बागवानी आयुक्त**, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 238, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. **डॉ. के.सी. बंसल**, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली
6. **डॉ. मोहम्मद असलम**, सलाहकार / वैज्ञानिक 'जी', जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगि. की मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 709, 7वां तल, ब्लॉक-2, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
7. **डॉ. सुजाता अरोड़ा**, सलाहकार, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं. V-235,
8. **श्री इब्राहीम कुमार**, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधिक मामले विभाग, रेलवे मंत्रालय, कमरा नं. 1457ए, रेल भवन, नई दिल्ली
9. **श्री मायाराम नेताम**, कार्यक्रम अधिकारी (सेवा. निवृत्त), वृद्धावन कालोनी, हाउस नं. 1/21, जग. दलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़
10. **श्री पी. चैंगल ऐडी**, फेडरेशन ऑफ फारमस एसो. सिएशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद
11. **डॉ. उषा बरवाले**, महाराष्ट्रा हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्रा
12. **डॉ. बी. एस. ढिल्लन**, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
13. **डॉ. सुधीर कुमार गोयल**, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्रा सरकार
14. **श्री अमित मोहन प्रसाद**, आईएएस, प्रधान सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश सरकार
15. **श्रीमती नीलम त्यागी**, सचिव लक्ष्मी जनकल्याण सेवा संस्थान

सदस्य सचिव (पदेन)

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा-पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

अनुबंध-II : पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के स्वीकृत पद

| पदनाम सहित नाम | वेतनमान | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
|---|------------------------------|------------|----------|
| अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल | 80,000 निर्धारित | 1 | - |
| महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल | 67,000-79,000 | 1 | - |
| पंजीकार डॉ. रवि प्रकाश | 37,400-67,000 + GP 8700/- | 3 | 2 |
| वित्तीय सलाहकार श्री जे.पी. सिंह | 37,400-67,000+ GP 8700/- | 1 | - |
| संयुक्त पंजीकार श्री दीपल राय चौधरी | 15,600-39,100+GP 7600/- | 2 | 1 |
| विधि सलाहकार-I श्री डी.एस. राज गणेश | 15,600-39,100+ GP 6600/- | 2 | - |
| विधि सलाहकार-II श्री आर आर प्रधान | 15,600-39,100+ GP 6600/- | | |
| उप पंजीकार श्री उमा कांत दुबे | 15,600-39,100+ GP 6600/- | 3 | 2 |
| वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. ए. के. सिंह | 9300-34,800+ GP 4600/- | 3 | 2 |
| तकनीकी सहायक डॉ. डी. एस. पिलानिया | 9300-34,800+ GP 4200/- | 1 | - |
| कम्प्यूटर सहायक श्रीमती शिप्रा माथुर श्री अरविंद कुमार राय श्री संजय कुमार गुप्ता श्री श्याम नारायण प्रसाद श्री नितेश कुमार | 9300-34,800+ GP 4200/- | 6 | 1 |

अनुबंध III : वर्ष 2015–16 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों का विवरण

वर्ष 2015-16 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों का विवरण

| क्र.सं. | डीयूएस केन्द्र का नाम | फसल | 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि |
|---------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट | चावल | 390,996 |
| 2 | आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद | मक्का, उड्डद | 413,000 |
| 3 | चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार | कपास, चना | 722,276 |
| 4 | केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड | नारियल | 384,140 |
| 5 | केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला | आलू | - |
| 6 | केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक | चावल | 324,187 |
| 7 | केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर | कपास | 1,234,875 |
| 8 | केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ | आम | 329,443 |
| 9 | केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर | आडू, आलूबुखारा | - |
| 10 | केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएस, बुद्बुद | पटसन | 610,495 |
| 11 | चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर | सरसों, गेहूं | 450,220 |
| 12 | औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद | औषधीय एवं सगंधीय पादप | 578,372 |
| 13 | भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु | गुलाब, गुलदाउदी | 1,426,066 |
| 14 | राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, त्रिची | केला | - |
| 15 | सोयाबीन निदेशालय, इंदौर | सोयाबीन | 1,045,245 |
| 16 | तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद | सूरजमुखी, अरण्ड | 902,970 |
| 17 | चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद | चावल | 556,500 |
| 18 | ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद | ज्वार | 808,326 |
| 19 | पुष्पविज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली | गुलाब, गुलदाउदी | - |
| 20 | भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल (डी डब्ल्यू आर, करनाल) | गेहूं | 831,000 |
| 21 | भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल (डी डब्ल्यू आर, करनाल) | जौ | 656,978 |
| 22 | गोविंद बल्लव पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर | ज्वार | - |
| 23 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, शाकीय विज्ञान संभाग, नई दिल्ली | बंदगोभी, फूलगोभी | 709,199 |
| 24 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, शाकीय विज्ञान संभाग, नई दिल्ली | प्याज, लहसुन | 213,217 |
| 25 | भा.कृ.अ.प. – सीआईएच, बीकानेर | बेर | - |
| 26 | भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर | सब्जियां | 591,750 |
| 27 | भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर | चना, अरहर | 888,274 |
| 28 | भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर | मूंग, उड्डद, मसूर, मुलार्प | 448,747 |
| 29 | भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट | मसाले | 509,910 |

| क्र.सं. | डीयूएस केन्द्र कानाम | फ़ासल | 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि |
|---------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 30 | भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी | भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंगोभी, फूलगोभी | 3,659,750 |
| 31 | भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी | कद्दू | - |
| 32 | भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | गन्ना | 500,000 |
| 33 | जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर | अरण्ड | 403,218 |
| 34 | जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर | मटर, तोरिया | 21,000 |
| 35 | केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर | ऑर्किड | - |
| 36 | परियोजना समन्वयक (बाजरा), मंदौर (आर ए यू बीकानेर) | बाजरा | 1,056,877 |
| 37 | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी | ज्वार, बाजरा | 1,243,200 |
| 38 | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (पुणे केन्द्र) | चाइना एस्टर | - |
| 39 | एन डी यू ए एवं टी., फरीदाबाद | जौ | - |
| 40 | राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र | अंगूर | 193,455 |
| 41 | राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिकिम | ऑर्किड | 439,337 |
| 42 | मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़ | मूंगफली | 389,222 |
| 43 | प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर | प्याज एवं लहसुन | 564,000 |
| 44 | तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर | तोरिया, सरसों | 86,284 |
| 45 | राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर | बीज मसाले | 260,627 |
| 46 | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना | गेहूं कपास | 516,531 |
| 47 | परियोजना समन्वयक (कपास), सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बटूर | कपास | 2,212,625 |
| 48 | सीएसएयू एवं टी परियोजना समन्वयक (तोरिया), कानपुर | अलसी | 200,000 |
| 49 | परियोजना समन्वयक, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, सेम एवं तिल, जबलपुर | सेम एवं तिल | 142,865 |
| 50 | पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला | चना | 475,000 |
| 51 | क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., इंदौर | गेहूं | 473,134 |
| 52 | क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., करनाल | चावल | 318,005 |
| 53 | क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., कटराई | बंदगोभी, फूलगोभी | 298,133 |
| 54 | राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश | ऑर्किड | - |
| 55 | गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली | गन्ना | 303,737 |
| 56 | गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल | गन्ना | - |
| 57 | गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर | गन्ना | 209,264 |
| 58 | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ | कपास, गेहूं | 1,299,176 |
| 59 | विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, अल्मोड़ा | राजमा, सोयाबीन, मक्का | 252,840 |
| 60 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर | चावल, सूरजमुखी | 678,395 |
| 61 | केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान | अनार | - |
| 62 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | बेर | 214,283 |

| क्र.सं. | डीयूएस केन्द्र कानाम | फसल | 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि |
|---------|---|-------------------|----------------------------------|
| 63 | केन्द्रीय उपोषण बागवानी संस्थान | आम | - |
| 64 | पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं. परिसर, नई दिल्ली | ग्लेडियोलस | - |
| 65 | पुष्पविज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | बागेनवीलिया | 200,000 |
| 66 | शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | घीया | 269,971 |
| 67 | शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | अमरनाथ | 567,778 |
| 68 | पुष्पविज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | गेंदा | 479,377 |
| 69 | वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर | नीलगिरी, कैसुरीना | 523,317 |
| 70 | राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | देवकली | 50,000 |
| 71 | एनआरसीपी, शोलापुर | अनार | 270,634 |
| 72 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर | चमेली | 95,429 |
| 73 | एनबीआरआई, लखनऊ | ग्लेडियोलस | 50,000 |
| 74 | सीआईटीएच, श्रीनगर | आलूबुखारा, आडू | 191,101 |
| 75 | एमपीकेवी, राहुरी | कपास | 1,225,260 |
| 76 | राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे | चाइना एस्टर | - |
| 77 | लेखानियंत्रक, एमपीकेवी, राहुरी | गुलाब | - |
| 78 | भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु | आम | 140,500 |
| 79 | लेखानियंत्रक, एसकेएनएयू, जोबनेर-जयपुर | जौ | - |
| 80 | निदेशक, टीआरए, टोकलई, असम | चाय | 450,000 |
| 81 | निदेशक, यूपीएसआई, कोयम्बटूर | चाय | 100,000 |
| 82 | परियोजना निदेशक, डीटीआर एवं डीसीटीबी, कुर्सियोंग | चाय | - |
| 83 | वेतन एवं लेखा अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, कोल्हापुर | मक्का | 300,000 |
| 84 | लेखानियंत्रक, एमपीयूए एवं टी, उदयपुर | मक्का | 300,000 |
| 85 | लेखानियंत्रक, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद | | 308,599 |
| 86 | केन्द्रीय औषधीय एवं संगंधीय पौधा संस्थान, लखनऊ | औषधीय पौधे | 533,534 |
| 87 | राष्ट्रीय नीबूवर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर | नीबूवर्गीय | - |
| 88 | निदेशक, आईआईएमआर-भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली | मक्का | 1,405,063 |
| 89 | भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, नई दिल्ली | गुलाब, गुलदाउदी | - |
| 90 | केन्द्रीय उष्णकटिबंधी बागवानी संस्थान, श्रीनगर | स्ट्राबेरी | - |
| 91 | निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | तरबूज, खरबूजा | 231,500 |
| 92 | शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | मिर्च | - |
| 93 | एन बी आर आई, लखनऊ | बोगनवीलिया | 50,000 |
| 94 | टोकलई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट, असम | चाय | - |
| कुल | | | 3,91,79,207 |

अनुबंध IV : वर्ष 2015–16 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों का विवरण

वर्ष 2015–16 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों का विवरण

| क्र.सं. | डीयूएस केन्द्र का नाम | फसल | 2015–16 के दौरान जारी (राशि रूपयों में) |
|---------|--|------------------------------|---|
| 1 | आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदरा. बाद (गौण अनाज) | लघु मोटे अनाज | 250,000 |
| 2 | कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर | चावल | - |
| 3 | बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी | परवल | 200,000 |
| 4 | बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी | पान, लता | 274,848 |
| 5 | बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी | याम, तारो | 181,895 |
| 6 | केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर | मूँग, उड़द, लोबिया, अरहर | 426,877 |
| 7 | केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर | नोनी | 300,000 |
| 8 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | आंवला | 173,824 |
| 9 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | बेल | 140,618 |
| 10 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | चिरोंजी, इमली | 331,730 |
| 11 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | जामुन | 177,748 |
| 12 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर | खजूर | - |
| 13 | केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, बीकानेर | अनोला | 229,012 |
| 14 | केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, बीकानेर | जामुन | 135,848 |
| 15 | केन्द्रीय कोशकीट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थ. अन, मैसूर | शहतूत | - |
| 16 | केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम | शकरकंदी, कसावा | - |
| 17 | केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम | याम, तारो | 284,612 |
| 18 | केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर | शकरकंदी, कसावा | - |
| 19 | सीआईएसएच, लखनऊ | बेल | 203,639 |
| 20 | लेखानियंत्रक, एसडीएयू, एसके नागपुर, गुजरात (मुंद्रा) | आडू | - |
| 21 | लेखानियंत्रक, डॉ. बीएसकेकेवी, डपोली | चावल | 450,000 |
| 22 | लेखानियंत्रक,, आईजीकेवी, रायपुर | चावल, (बड़ा होने पर परीक्षण) | - |
| 23 | लेखानियंत्रक, आईजीकेवी, रायपुर | चावल | 635,980 |
| 24 | लेखानियंत्रक, यूएएस, धारवाड़ | चावल | 593,620 |
| 25 | लेखानियंत्रक, यूएएस, धारवाड़ | कुलथी, मोठ, ग्वार, चटरी | 599,000 |
| 26 | लेखानियंत्रक, आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर | जौ | 270,000 |
| 27 | लेखानियंत्रक, यूएचएस, बागलकोट | मोरिंगा ओलिफेरा एल. | 356,000 |

| क्र.सं. | डीयूएस केब्ड का नाम | फसल | 2015-16 के दौरान जारी (राशि रुपयों में) |
|---------|---|--|---|
| 28 | सीआरआरआई, कटक (आनुवंशिक विविधता) | चावल | 850,000 |
| 29 | निदेशक, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, बारापानी | चावल | 553,747 |
| 30 | निदेशक, सीपीसीआरआई | नारियल का पेड़ | 450,000 |
| 31 | निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली | नींबू चकोतरा | 450,000 |
| 32 | निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली | मूली, गाजर | 758,348 |
| 33 | आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली | | - |
| 34 | निदेशक, भा.कृ.अ.प., गोवा | | 450,000 |
| 35 | निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु | - | 5,617,718 |
| 36 | निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु | तरबूज, खरबूजा | 331,500 |
| 37 | निदेशक, एनआरसीएसएस, अजमेर | | 450,000 |
| 38 | निदेशक, काजरी, जोधपुर | कुलथी, मोठ, ग्वार, चटरी | 220,145 |
| 39 | डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, डपोली | जायफल | - |
| 40 | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | गुलनार | 177,623 |
| 41 | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | विलो (सैलिक्स प्रजातियाँ) | 519,295 |
| 42 | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | ऑर्किड | 400,000 |
| 43 | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | सीबकथॉर्न | 500,000 |
| 44 | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | लिलियम प्रजाति, ओरिएंटल, एशियाई, एलए और ओटी संकर | 450,000 |
| 45 | जीन कम्पेइन, नई दिल्ली | | (300,000) |
| 46 | गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर | लघु मोटे अनाज, जई, लो॒ बया | - |
| 47 | हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला | शंकु वृक्ष | - |
| 48 | उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर (बारापानी) | अरवी | 250,000 |
| 49 | आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर | ऐइलेंथस | 450,000 |
| 50 | आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर | सागौन | 1,150,382 |
| 51 | आईआईएसआर, कोझीकोडे | बीज मसाले | - |
| 52 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुष्पविज्ञान संभाग | रजनीगंधा | - |
| 53 | भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी | जई, गिनी घास | - |

| क्र.सं. | डीयूएस केब्ड का नाम | फसल | 2015-16 के दौरान जारी (राशि रुपयों में) |
|------------|---|-------------------|--|
| 54 | जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर | लघु मोटे अनाज | - |
| 55 | राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली | दाना चौलाई | 240,000 |
| 56 | एनबीपीजीआर (क्षेत्रीय केन्द्र) शिमला | चौलाई | - |
| 57 | आरआरसीपी, शोलापुर | काजू | - |
| 58 | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना | कपास, गेहूं | - |
| 59 | वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट | बांस | - |
| 60 | एस.डी. कृषि विश्वविद्यालय | दलहन | - |
| 61 | एसएफआरआई, ईटानगर | ऑर्किड | - |
| 62 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर | नीम, करंज, रतनजोत | - |
| 63 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर | पपीता, शरीफा | 19,241 |
| 64 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर | लघु मोटे अनाज | 200,000 |
| 65 | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके परिसर, बंगलुरु | लघु मोटे अनाज | 835,348 |
| 66 | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | | 277,716 |
| 67 | केरायू, त्रिचुर | | - |
| 68 | एनडीयूए एवं टी, फैजाबाद | | - |
| 69 | क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो | | - |
| 70 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर | | - |
| कुल | | | 2,15,16,314 |

अनुबंध V : वर्ष 2015–16 के दौरान फील्ड जीन बैंकों/जीन बैंकों को जारी की गई राशियों का विवरण

वर्ष 2015–16 के दौरान फील्ड जीन बैंकों/जीन बैंकों को जारी की गई राशियों का विवरण

| क्र.सं. | डीयूएस केन्द्र का नाम | वर्ष 2015-16 के दौरान जारी (राशि रूपये में) |
|------------|---|---|
| 1 | बी ए यू | 69,058 |
| 2 | डॉ. बी एस के के वी, दपोली | 1,358,379 |
| 3 | डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय | 639,356 |
| 4 | एन बी पी जी आर | 805,326 |
| 5 | काजरी | 241,267 |
| कुल | | 31,13,386 |

अनुबंध VI : वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

अनुबंधटप्प: वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

| क्र.सं. | लाभार्थी का नाम | वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि (रु. में) |
|---------|--|---|
| 1 | आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय (अंगारू), रेडडीपल्ली, खम्मम, गरिकापाडु, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विजियानग्रम, वेरंगल | 640,000 |
| 2 | आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात | 160,000 |
| 3 | असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, गुजरात | 1,120,000 |
| 4 | बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (बीसीकेवी) | 240,000 |
| 5 | बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर (बीएयू) | 720,000 |
| 6 | बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएयू) | 560,000 |
| 7 | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल | 240,000 |
| 8 | केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्था, नागपुर | 80,000 |
| 9 | सीईओ, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा | 80,000 |
| 10 | लेखानियंत्रक, बीएसकेकेवी, दपोली | 80,000 |
| 11 | लेखानियंत्रक, च. एसकेके विश्वविद्यालय, ललमपुर (कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, बिलासपुर) | 446,798 |
| 12 | लेखानियंत्रक, एसकेयूएसटी, रजौरी, जम्मू | 560,000 |
| 13 | लेखानियंत्रक, आईजीकेवीवी, रायपुर | 918,772 |
| 14 | लेखानियंत्रक, जेएनकेवीवी, जबलपुर | 760,971 |
| 15 | लेखानियंत्रक, केवीए एवं एफएसयू, बिदर | 80,000 |
| 16 | लेखानियंत्रक, एमपीयूए और टी, उदयपुर | 240,000 |
| 17 | लेखानियंत्रक, एसबीबीपीयूए और टी, मेरठ | 389,389 |
| 18 | लेखानियंत्रक, एसडीएयू, गुजरात | 80,000 |
| 19 | लेखानियंत्रक, शेर-ए-काश्मीर एएसटी विश्वविद्यालय, श्रीनगर | 800,000 |
| 20 | लेखानियंत्रक, टीएनयूवी एवं एएस, चैन्नई | 80,000 |
| 21 | लेखानियंत्रक, यूएएस, रायचुर | 480,000 |
| 22 | लेखानियंत्रक, एसकेआरएयू बीकानेर (अलवर) | 160,000 |
| 23 | सीआरआरआई, कटक | 80,000 |
| 24 | सीएसएयू एवं टी, कानपुर | 800,000 |
| 25 | दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट | 240,000 |
| 26 | निदेशक, होलीक्रॉस वीटीआई, हजारीबाग | 80,000 |
| 27 | निदेशक, गोवा के लिए भाक्.अ.प. अनुसंधान परिसर | 80,000 |
| 28 | निदेशक, काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण, कन्नड़ | 100,000 |
| 29 | निदेशक, काजरी, जोधपुर | 80,000 |
| 30 | निदेशक, सीआईएसएच, लखनऊ | 160,000 |
| 31 | निदेशक, सीआईटीएच, श्रीनगर | 80,000 |

| क्र.सं. | लाभार्थी का नाम | वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि (रु. में) |
|---------|---|---|
| 32 | निदेशक, क्रीड़ा परिसर, हैदराबाद | 73,941 |
| 33 | निदेशक, निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश | 80,000 |
| 34 | निदेशक, भा.कृ.अ.प. का उत्तर पूर्वी पर्वतीय अनुसंधान परिसर, उमरोई, बड़ापानी | 720,000 |
| 35 | निदेशक, आईआईवीआर, वाराणसी | 80,000 |
| 36 | निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियम, मेघालय | 160,000 |
| 37 | निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु | 80,000 |
| 38 | निदेशक, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद | 80,000 |
| 39 | निदेशक अनुसंधान, एसएचआईएटीएस, इलाहाबाद | 320,000 |
| 40 | निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | 80,000 |
| 41 | गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, देहरादून | 480,000 |
| 42 | भा.कृ.अ.प. – आरसीईआर, पटना | 80,000 |
| 43 | आईजीएफआरआई, झांसी | 80,000 |
| 44 | आईआईएसआर, लखनऊ | 80,000 |
| 45 | जेएयू, जूनागढ़ | 320,000 |
| 46 | केरल कृषि विश्वविद्यालय, तिशुर (केरायू), (वेल्लीनिकारा, पालघाट) | 160,000 |
| 47 | एमपीकेवी, राहुरी | 80,000 |
| 48 | नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनडीयूए और टी), फैजाबाद | 480,000 |
| 49 | राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान संस्थान, सिविकम | 160,000 |
| 50 | उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी), भुवनेश्वर | 1,355,000 |
| 51 | पीएयू, लुधियाना | 222,017 |
| 52 | पीडीकेवी, अकोला | 80,000 |
| 53 | प्रधान निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, ताडोंग | 80,000 |
| 54 | परियोजना निदेशक, डीआरआर, हैदराबाद | 127,000 |
| 55 | राजा दिनेश सिंह, केवीके, प्रतापगढ़ | 80,000 |
| 56 | आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर | 710,000 |
| 57 | रामकृष्ण आश्रम सारथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल | 80,000 |
| 58 | आरएयू, पूसा | 320,000 |
| 59 | सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची | 80,000 |
| 60 | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बत्तूर, पेचिपराई, कन्याकुमारी, धारमौरी | 240,000 |
| 61 | यूएएस, भागलकोट | 400,000 |
| 62 | यूएएस, धारवाड, वानिकी महाविद्यालय, सिरसी | 160,000 |
| 63 | यूएएस, जीवीकेवी (हेडोनाहल्ली, कांडेली) | 400,000 |
| 64 | यूबीकेवी, कूच बेरह, पश्चिम बंगाल | 320,000 |
| 65 | यूएएस, धारवाड (सैदपुर फार्म, बीजापुर) | 389,257 |
| 66 | यूयूएच एवं एफ, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड | 160,000 |

| क्र.सं. | लाभार्थी का नाम | वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि (रु. में) |
|---------|--|---|
| 67 | डब्ल्यूबीयूए एवं एफएस, कोलकाता | 80,000 |
| 68 | वाईएसपीयूएच एवं एफ, सोलन (चम्बा) | 399,871 |
| 69 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-I, लुधियाना, पंजाब | 80,000 |
| 70 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-II, कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 80,000 |
| 71 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-III, बड़ापानी, मेघालय | 31,930 |
| 72 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-IV, कानपुर, उत्तर प्रदेश | - |
| 73 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-V, हैदराबाद | 76,694 |
| 74 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-VI, जोधपुर | 400,000 |
| 75 | क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प.-VII, जबलपुर | 74,467 |
| 76 | निदेशक (कृषि), अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामेंग, लोवर सुबानसीरी, गेकू (कोरक), उपर सुबानसि. री | 400,000 |
| 77 | एफईडीएस, हैंगबुंग, सेनापति, मणिपुर | 80,000 |
| 78 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, मिजोरम सरकार | 400,000 |
| 79 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, नागालैंड सरकार, केहिमा, तुएनसांग | 400,000 |
| 80 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, मेघालय सरकार, शिलोंग | 80,000 |
| 81 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, त्रिपुरा सरकार | 80,000 |
| 82 | सरपंच समाज, नई दिल्ली | 80,000 |
| 83 | कल्याण, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल | 80,000 |
| 84 | निदेशक, आईवीआरआई, बरेली | 72,052 |
| 85 | ग्राम नव निर्माण समिति, जयप्रकाशनगर, करिमनगर | 80,000 |
| 86 | दिशक, सीटीआईआई, आंध्र प्रदेश | 80,000 |
| 87 | प्रवारा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, अहमदनगर, पीआईआरइ. एनएसएस | 80,000 |
| 88 | दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | 80,000 |
| 89 | सतपुड़ा शिक्षा सोसायटी, जलगांव जामोद बल्दाना | 80,000 |
| 90 | कृषि विज्ञान केन्द्र लातुर (केवीकेएल) | 80,000 |
| 91 | डॉ. हेडगेवार सेवा समिति, नंदुरबार | 80,000 |
| 92 | शबरी कृषि प्रतिष्ठान, सोलापुर | 70,716 |
| 93 | लेखानियंत्रक, एनएयू गुजरात (केवीके), नवसारी, नर्मदा | 240,000 |
| 94 | ग्राम विकास एवं पर्यावरण केन्द्र, भोपाल (सेहोर) | 80,000 |
| 95 | मराठवाडा शेती सहाय मंडल, औरंगाबाद (जालना) | 80,000 |
| 96 | शरण साधना अमरावती (बदनेरे) (दुर्गापुर) | 80,000 |
| 97 | रजिस्ट्रार, अमेरी विश्वविद्यालय, नोएडा | 80,000 |
| 98 | यूएस बंगलुरु | 350,000 |
| 99 | अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान | 80,000 |

| क्र.सं. | लाभार्थी का नाम | वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की गई राशि (रु. में) |
|---------|--|---|
| 100 | स्वासर्य भारत | 50,000 |
| 101 | निदेशक, टिकाऊ विकास के लिए युवा | 240,000 |
| 102 | निदेशक, एनबीआरआई, लखनऊ | 80,000 |
| 103 | सचिव, भगवत भवित आश्रम | 80,000 |
| 104 | एएफ एंड एओ, सीआईटीएच, श्रीनगर (बारामुला) | 80,000 |
| 105 | अध्यक्ष, एस.के. चौधरी शिक्षा ट्रस्ट, न्यू मधुबनी | 80,000 |
| 106 | महा सचिव, ग्राम निर्माण मंडल, केवीके, नवादा, बिहार | 80,000 |
| 107 | भा.कृ.अ.प. – आईआईएनआर एवं जी, रांची | 80,000 |
| 108 | उपा आयुक्त एवं अध्यक्ष, सुजानी | 80,000 |
| 109 | लेखानियंत्रक, आरएमवीयू, एचओडब्ल्यूआरएएच | 80,000 |
| 110 | अध्यक्ष, सेवा भारती, मिदनापोर, पश्चिम बंगाल | 80,000 |
| 111 | लेखा नियंत्रक, नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा | 80,000 |
| 112 | लेखानियंत्रक, इलाहाबाद कृषि मानद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 80,000 |
| 113 | केवीके | 80,000 |
| 114 | अध्यक्ष, केआरबीएस, शिक्षा सोसायटी, लखनऊ | 80,000 |
| 115 | निदेशक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वेल्फेयर सोसायटी, इलाहाबाद | 80,000 |
| 116 | श्री हनुमथरया एजुकेशन एवं चैरिटेबल सोसायटी, केवीके, कुरनूल | 80,000 |
| 117 | लेखानियंत्रक, डॉ. युषु, वैकटारमनागुडे | 80,000 |
| 118 | लेखानियंत्रक, टी.एस. कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद | 240,000 |
| 119 | युवा क्रियाकलाप, सिकंदराबाद | 80,000 |
| 120 | लेखानियंत्रक, पीवी नरसिम्हा राव टीएस पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद | 80,000 |
| 121 | गोखले एजुकेशन सोसायटी, प्रिन टी.ए. कुलकर्णी विद्यानगर, नाशिक | 80,000 |
| 122 | अध्यक्ष, सुविदे फाउंडेशन, सिंधुदुर्ग | 80,000 |
| 123 | वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परम्भणी | 80,000 |
| 124 | सिंधुदुर्ग जिला कृषि प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग | 80,000 |
| 125 | लेखानियंत्रक, एसकेएनएयू, जोबनेर | 400,000 |
| 126 | लेखानियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर | 240,000 |
| 127 | लेखानियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा | 240,000 |
| 128 | कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, समोदा | 80,000 |
| 129 | रजिस्ट्रार, आईआईएस विश्वविद्यालय | 80,000 |
| 130 | अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस 2016 | 500,000 |
| 131 | सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी | 80,000 |
| 132 | कृषि विज्ञान केन्द्र, नागालैंड विश्वविद्यालय, तुमामी | 80,000 |
| 133 | वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. – केवीके, पठानमथिटा | 80,000 |
| | कुल | 2,79,98,875 |

अनुबंध VII : वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त कृषक किस्मों की सूची

वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त आवेदनों के राज्य वार विवरण

| क्र.सं. | फसलें/राज्य | अखण्डाचल प्रदेश | | बिहार | छत्तीसगढ़ | हिमाचल प्रदेश | जम्मू व कश्मीर | झारखण्ड | कर्नाटक | केरल | मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र | मणिपुर | लाहौल | एजट्टान | तमिल नाडु | उत्तर प्रदेश | परियाम बंगाल | कुल |
|---------|----------------------|-----------------|-------|-------|-----------|---------------|----------------|---------|---------|------|-------------|------------|--------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | | असम | बिहार | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | नीबू | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | खुबानी | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | केला | - | 9 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 4 | जौ | - | - | 3 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 5 | शिमला मिर्च | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6 | करेला | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 19 |
| 7 | उड्ढ | - | - | - | 6 | 2 | - | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 26 |
| 8 | काली मिर्च | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 | लौकी | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 8 |
| 10 | बोगे नवीलिया | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | ब्रह्मी | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | बैंगन | - | - | 7 | 2 | - | - | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 33 | |
| 13 | अरण्ड | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | फूलगोभी | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | चना | - | - | 11 | 1 | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 26 |
| 16 | मिर्च | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 33 |
| 17 | नारियल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 2 | |
| 18 | हल्दी | - | - | 8 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 19 |
| 19 | गुलदाउदी | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | खीरा | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 6 |
| 21 | मेथी | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 22 | खेत मटर | - | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 18 |
| 23 | रागी | - | - | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 19 |
| 24 | कंगनी | 1 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 9 | |
| 25 | लहसुन | . | . | 11 | . | 3 | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 22 | |
| 26 | अदरक | . | . | 6 | 2 | 4 | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | |
| 27 | अंगूर | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 28 | मूँग | . | . | 1 | 4 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 29 | मूँगफली | . | . | 1 | 2 | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 30 | भारतीय जुजेब (बेर) | . | . | 1 | 155 | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 163 | |
| 31 | भारतीय सरसों (सरसों) | . | . | 2 | 3 | 2 | . | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 36 | |
| 32 | ईसबगोल | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | |
| 33 | पटसन | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |

| क्र.सं. | फसलें/राज्य | अलगाचल प्रदेश | असाम | बिहार | छत्तीसगढ़ | हिमाचल प्रदेश | जम्मू व कश्मीर | झारखण्ड | कर्नाटक | केरल | मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र | मणिपुर | गोपालगंड | उत्तराखण्ड | तमில் நாடு | उत्तर प्रदेश | परिचम बंगाल | कुल |
|------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 34 | राजमा | . | . | . | 16 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 35 | मसूर | . | . | 9 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 20 | |
| 36 | अलसी | . | . | 6 | . | 2 | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | |
| 37 | मक्का | . | . | 3 | 2 | 10 | . | 27 | . | . | 7 | 4 | . | . | . | . | 1 | 54 | |
| 38 | आम | . | . | 3 | 88 | 1 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 100 | |
| 39 | पुदीना | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 40 | भिण्डी | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 41 | प्याज | . | . | 3 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 7 | |
| 42 | पपीता | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 43 | बाजरा | . | . | 1 | . | 2 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 44 | अरहर | . | . | 2 | 2 | 1 | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | 33 | |
| 45 | अनार | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 46 | आलू | . | 1 | 1 | . | 2 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 13 | | |
| 47 | कदूदू | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 48 | तोरिया | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| 49 | चावल | 2 | 13 | 24 | 252 | 3 | 2 | 235 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 135 | 670 | |
| 50 | गुलाब | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 51 | कुसुम | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 52 | सेम | . | . | 2 | . | 1 | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 18 | | |
| 53 | छोटी इलायची | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | |
| 54 | ज्वार | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 10 | |
| 55 | सोयाबीन | . | . | 1 | . | 4 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 56 | गन्ना | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 57 | सूरजमुखी | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 58 | टमाटर | . | . | 1 | 3 | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 59 | हल्दी | . | . | 9 | 1 | 9 | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 40 | | |
| 60 | अखरोट | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 61 | गोहू | . | . | 6 | 1 | 3 | . | 4 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | 18 | |
| कुल | | 3 | 23 | 154 | 544 | 105 | 8 | 526 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 219 | 1629 |

अनुबंध VIII : पंजीकरण के अंतर्गत फसलें

पंजीकरण के अंतर्गत फसलों की सूची

| क्र.सं. | फसलें | वैज्ञानिक नाम |
|---------|-------------------|-----------------|
| 1 | Rice | चावल |
| 2 | Bread wheat | चपाती गेहूँ |
| 3 | Maize | मक्का |
| 4 | Sorghum | ज्वार |
| 5 | Pearl millet | बजरा |
| 6 | Chickpea | चना |
| 7 | Mungbean | मूंग |
| 8 | Urdbean | उड्डद |
| 9 | Fieldpea | मटर |
| 10 | kidney bean | राजमा |
| 11 | Lentil | मसूर |
| 12 | Pigeon pea | अरहर |
| 13 | Indian mustard | सरसों |
| 14 | Karan rai | राई |
| 15 | Rapeseed | रेप्सीडध्तोरिया |
| 16 | Gobhi sarson | गोभीसरसों |
| 17 | Groundnut | मूंगफली |
| 18 | Soybean | सोयाबीन |
| 19 | Sunflower | सूरजमुखी |
| 20 | Safflower | कुसुम |
| 21 | Castor | अरंड |
| 22 | Sesame | तिल |
| 23 | Linseed | अलसी |
| 24 | Diploid cotton | द्विगुणित कपास |
| 25 | Diploid cotton | द्विगुणित कपास |
| 26 | Tetraploid cotton | चर्टुगुणित कपास |
| 27 | Tetraploid cotton | चर्टुगुणित कपास |
| 28 | Jute | पटसन |
| 29 | Jute | पटसन |

| क्र.सं. | फसलें | वैज्ञानिक नाम |
|---------|---------------------|---------------------|
| 30 | Sugarcane | गन्ना |
| 31 | Black pepper | काली मिर्च |
| 32 | Small cardamom | छोटी इलाइची |
| 33 | Turmeric | हल्दी |
| 34 | Ginger | अदरक |
| 35 | Tomato | टमाटर |
| 36 | Brinjal | बैंगन |
| 37 | Okra | भिंडी |
| 38 | Cauliflower | फूलगोभी |
| 39 | Cabbage | पत्तागोभी |
| 40 | Potato | आलू |
| 41 | Onion | प्याज |
| 42 | Garlic | लहसुन |
| 43 | Rose | गुलाब |
| 44 | Chrysanthemum | गुलदाउदी |
| 45 | Mango | आम |
| 46 | Duram wheat | झयूरम गेहूँ |
| 47 | Dicoccum wheat | डाइकोकम गेहूँ |
| 48 | Other Triticum sps. | ट्रिटिकम प्रजातियाँ |
| 49 | Isabgol | इसबगोल |
| 50 | Menthol mint | पुदिना |
| 51 | Damask Rose | गुलाब (इत्र) |
| 52 | Periwinkle | सदाबहार |
| 53 | Brahmi | ब्राह्मी |
| 54 | Coconut | नारियल |
| 55 | Orchids | ओर्चिड |
| 56 | Orchids | ओर्चिड |
| 57 | Orchids | ओर्चिड |
| 58 | Pomegranate | अनार |
| 59 | Orchid | ओर्चिड |

| क्र.सं. | फसलें | वैज्ञानिक नाम |
|---------|---------------------|---------------|
| 60 | Orchid | ओर्चिड |
| 61 | Eucalyptus | सफेदा |
| 62 | Eucalyptus | सफेदा |
| 63 | Casurina | जंगली सरु |
| 64 | Casurina | जंगली सरु |
| 65 | Bitter Gourd | करेला |
| 66 | Bottle Gourd | लोकी / घिया |
| 67 | Cucumber | खीरा |
| 68 | Pumpkin | सीताफल |
| 69 | Barley | जौ |
| 70 | Coriander | धनिया |
| 71 | Fenugreek | मेथी |
| 72 | Almond | बादाम |
| 73 | Apple | सेब |
| 74 | Pear | नाशपाती |
| 75 | Apricot | खुबानी |
| 76 | Cherry | चेरी |
| 77 | Walnut | अखरोट |
| 78 | Grapes | अंगूर |
| 79 | Indian jujube (Ber) | बेर |
| 80 | Tea | चाय |
| 81 | Tea | चाय |
| 82 | Tea | चाय |
| 83 | Acid Lime | नीबूं |
| 84 | Mandarin | संतरा |
| 85 | Sweet Orange | मौसमी |
| 86 | Bougainvillea | बैगनविलिया |
| 87 | Banana | केला |
| 88 | Orchid | आर्चिड |
| 89 | Canna | केना |

| क्र.सं. | फसलें | वैज्ञानिक नाम |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 90 | Gladioulus | ग्लेडिओलस |
| 91 | Muskmelon | खरबूजा |
| 92 | Watermelon | तरबूज |
| 93 | Jasmine | चमेली |
| 94 | Tuberose | रजनीगंधा |
| 95 | Papaya | पपीता |
| 96 | China Aster | चीन एस्टर |
| 97 | Peach | आडू |
| 98 | Japanese Plum | जापानी बेर |
| 99 | Strawberry | स्ट्रॉबेरी |
| 100 | Chilli, Bell Pepper and Paprika | मिर्च, षिमला मिर्च, लाल षिमला मिर्च |
| 101 | Finger Millet | रागी |
| 102 | Foxtail Millet | कँगनी |

अनुबंध IX :

वर्ष 2015–16 के दौरान जारी किए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सूची

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किटम की श्रेणी | प्रत्याशी किटम का नाम | फल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 2015 का 91 | नई | एनएससीएच-12 (स्वीट कॉर्न) | मक्का | नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड |
| 2 | 2015 का 92 | नई | विवेक संकुल मक्का 37 | मक्का | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 3 | 2015 का 93 | नई | एनबीबीएच-913 | बाजरा | नवभारत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | 2015 का 94 | नई | 86एम66 | बाजरा | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 5 | 2015 का 95 | विद्यमान (वीसीके) | एमआईएम 002 | मक्का | मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड |
| 6 | 2015 का 96 | नई | डीएचएम 117 | मक्का | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 7 | 2015 का 97 | नई | 86एम 33 | बाजरा | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 8 | 2015 का 98 | विद्यमान (वीसीके) | केएमएल 5163 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 9 | 2015 का 99 | नई | बीपीएम 907 | बाजरा | बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | 2015 का 100 | विद्यमान (वीसीके) | निर्मल बोल्ट (एनएमएल-64) | भारतीय सरसों | निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | 2015 का 101 | नई | केबीएमएस 231 | बाजरा | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 12 | 2015 का 102 | नई | केबीआर 864 | बाजरा | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 13 | 2015 का 103 | नई | पीएमएच 4 | मक्का | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 14 | 2015 का 104 | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण अजय (एचएबीएच-3) | बैंगन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 15 | 2015 का 105 | नई | 86एम86 | बाजरा | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 16 | 2015 का 106 | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण सम्पदा (एचएटीएच-3) | टमाटर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 17 | 2015 का 107 | नई | बायो 50265एच | मक्का | डीसीएम श्रीराम लिमिटेड |
| 18 | 2015 का 108 | नई | बिस्को 4564 (बिस्को एनआर x 7) | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | 2015 का 109 | नई | बिस्को 777 | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | 2015 का 110 | कृषक | सुंदरगढ़-जयसेर-भजना | चावल | टोपोधान नाईक |
| 21 | 2015 का 111 | कृषक | बालनगिर-कदली केदा | चावल | मुरली नाईक |
| 22 | 2015 का 112 | कृषक | बालनगिर-बासपत्री | चावल | सुसांत्रा पात्रा |
| 23 | 2015 का 113 | कृषक | केन्द्रपाड़ा - कलमा | चावल | दुर्गा च बिस्वाल |
| 24 | 2015 का 114 | कृषक | केन्द्रपाड़ा - कलाचम्पा | चावल | सुकांता जेना |
| 25 | 2015 का 115 | विद्यमान (वीसीके) | केएमएल 5165 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 26 | 2015 का 116 | विद्यमान (वीसीके) | केएमएल 5277 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 27 | 2015 का 117 | विद्यमान (वीसीके) | एम 32 | मक्का | जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |
| 28 | 2015 का 118 | नई | आईएच 8006 | मक्का | मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड |
| 29 | 2015 का 119 | विद्यमान (वीसीके) | पीएसवी-2 | ज्वार | आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय |
| 30 | 2015 का 120 | विद्यमान (वीसीके) | वाणी 11/6 (पीकेवी अश्वनी) | ज्वार | डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ |
| 31 | 2015 का 121 | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण लालिमा | टमाटर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 32 | 2015 का 122 | विद्यमान (वीसीके) | एनटीजे 4 (एनजे 2401) | ज्वार | आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय |
| 33 | 2015 का 123 | नई | डीसीएस-107 | अरण्ड | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 34 | 2015 का 124 | कृषक | नौपाड़ा-महाराजी | चावल | सुजान माझी |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किलम की श्रेणी | प्रत्याशी किलम का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 35 | 2015 का 125 | कृषक | बेलापाड़ा— कुसुमा | चावल | गोकुला साहू |
| 36 | 2015 का 126 | कृषक | कोरापुट सापौर | चावल | गोपी सिसा |
| 37 | 2015 का 127 | कृषक | तिहिडी— खादियासोला | चावल | कासीनाथ नायक |
| 38 | 2015 का 128 | कृषक | बोरीगुमा— बादी | चावल | त्रिपाठी मुदुली |
| 39 | 2015 का 129 | नई | केएसएफ-287आर | सूरजमुखी | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 40 | 2015 का 130 | नई | केएसएफ 284आर | सूरजमुखी | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 41 | 2015 का 131 | विद्यमान (वीसीके) | जेकेसीएच 1050 | चतुर्गुणित कपास | जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |
| 42 | 2015 का 132 | कृषक | रेमुना — बीएसएल— सुनाखादी | चावल | हरिहर परिदा |
| 43 | 2015 का 133 | कृषक | कालाहांडी— बीरामणी | चावल | खीरा सागर साहू |
| 44 | 2015 का 134 | कृषक | नयागढ़— गंजमगेडी | चावल | सोमनाथ पाणिग्राही |
| 45 | 2015 का 135 | कृषक | सम्बलपुर— बासाभोग | चावल | अस्विनी नायक |
| 46 | 2015 का 136 | कृषक | कालाहांडी — बादशाह भोग | चावल | हिमांसु मोहन सिंह |
| 47 | 2015 का 137 | कृषक | कालाहांडी —झुलीपोगी | चावल | श्री किशोर च भोई |
| 48 | 2015 का 138 | कृषक | धेनकनाल—रामचन्द्र भोग | चावल | घुरुदु प्रधान एवं अन्य |
| 49 | 2015 का 139 | कृषक | कालाहांडी — सापुरी | चावल | चन्द्रमणी राणा |
| 50 | 2015 का 140 | कृषक | मयूरभंज — अग्निसाल | चावल | सुदर्शन मोहंता |
| 51 | 2015 का 141 | कृषक | गंजम— खांडी— रतनचुड़ी | चावल | भागीरथी बारिका |
| 52 | 2015 का 142 | कृषक | पुरी—रसपंजारी | चावल | लोकनाथ जेना |
| 53 | 2015 का 143 | कृषक | चिटकानु | मक्का | भंदाल पंचायत |
| 54 | 2015 का 144 | कृषक | रात्ती (रेड) मक्का | मक्का | भंदाल पंचायत |
| 55 | 2015 का 145 | कृषक | आच्छी कुकाड़ी | मक्का | भंदाल पंचायत |
| 56 | 2015 का 146 | कृषक | मालन | मक्का | सोम पंचायत |
| 57 | 2015 का 147 | कृषक | साथी | मक्का | सोम पंचायत |
| 58 | 2015 का 148 | विद्यमान (वीसीके) | 2219ए | ज्वार | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 59 | 2015 का 149 | विद्यमान (वीसीके) | जेकेसीएच 99 | चतुर्गुणित कपास | जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |
| 60 | 2015 का 150 | नई | केएमएल 112 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 61 | 2015 का 151 | नई | केएमएल 5263 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 62 | 2015 का 152 | विद्यमान (वीसीके) | जेकेसीएच 1947 | चतुर्गुणित कपास | जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |
| 63 | 2015 का | कृषक | बालनगिर— बासमती | चावल | हरीश चन्द्रा पटेल |
| 64 | 2015 का | कृषक | सम्बलपुर— देसीझुली | चावल | सारथी मिर्धा |
| 65 | 2015 का | कृषक | सम्बलपुर — सोनाकाठी | चावल | सुशांत प्रधान |
| 66 | 2015 का | कृषक | सम्बलपुर— जलझुबी | चावल | संतोष कुमार बेरहा |
| 67 | 2015 का | कृषक | सम्बलपुर— बुदिधान | चावल | टीकेश्वर प्रधान |
| 68 | 2015 का | कृषक | सुब्रणपुर—अकुला | चावल | श्री चारू धराई |
| 69 | 2015 का | कृषक | सुब्रणपुर— जुबराज | चावल | कौसा साहू |
| 70 | 2015 का | कृषक | बारागढ़—लालकैन | चावल | शकुंतला साहू |
| 71 | 2015 का | कृषक | कटक— चम्पेइसियाली | चावल | प्रदीप कुमार राउत |
| 72 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | चैम्पियन— एनपीएच 207 | चावल | नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किरण की श्रेणी | प्रत्याशी किरण का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 73 | 2015 का | नई | कोरल 437 (पीएसी 437) | भारतीय सरसों | एडवांटा इंडिया लिमिटेड |
| 74 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनएम-45 | मक्का | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 75 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बीसीएन 402 | मक्का | बायर बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 76 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | जेके वरुण (जेकेसीएच 555) | चतुर्गुणिक कपास | जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |
| 77 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनएस-444R | ज्चार | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 78 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | कृष्णा क्रांति | भारतीय सरसों | कृष्णा सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 79 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण नवीन | टमाटर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 80 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | नवल (एनवीएल-1) | मूंग | निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 81 | 2015 का | नई | एनपी-412 | चावल | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 82 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | कावेरी राइस-3 | चावल | कावेरी सीडस कंपनी लिमिटेड |
| 83 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | मुक्ता (बीएनआर 14) | चावल | भारत नसरी प्राइवेट लिमिटेड |
| 84 | 2015 का | नई | वीएनआर 8244 | चावल | वीएनआर सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 85 | 2015 का | नई | एनपी -6330 | चावल | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 86 | 2015 का | नई | वीएनआर 8235 | चावल | वीएनआर सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 87 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनएसओ -15 (अंजलि) | सोयाबीन | निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 88 | 2015 का | नई | एनपी-1041 | चावल | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 89 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | वीआरएच 606 | चावल | विभा एग्रोटेक लिमिटेड |
| 90 | 2015 का | कृषक | मयूरभंज – अग्निसार | चावल | चैतन दुङ्ग |
| 91 | 2015 का | कृषक | सम्बलपुर- कलाकृष्णा | चावल | रमाकांत बेहरा |
| 92 | 2015 का | कृषक | क्योंझार – कालाचम्पा | चावल | अनिरुद्ध जेना |
| 93 | 2015 का | कृषक | रायगढ़ा-कालीकाटी | चावल | नीलकंठ गाओलाबिसी |
| 94 | 2015 का | कृषक | मयूरभंज– मलाटा | चावल | बैलोचन बारिक |
| 95 | 2015 का | कृषक | क्योंझार – जंगलीजटा | चावल | आदित्य कुमार राउत |
| 96 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | आरसीएच 118 बीटी | चतुर्गुणिक कपास | रासी सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 97 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | सिग्मा | चतुर्गुणित कपास | नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड |
| 98 | 2015 का | नई | एमआईएचआर-006 | चावल | देवगन एनवी |
| 99 | 2015 का | नई | एनपी -3113-7 | चावल | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 100 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | 30 आर77 | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 101 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बिस्को न्यू 704 (बिस्को 97 गोल्ड) | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 102 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बीएस -2 | भारतीय सरसों | कृष्णा सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 103 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | पीएसी 832 | चावल | एडवांटा इंडिया लिमिटेड |
| 104 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | पीएसी 807 | चावल | एडवांटा इंडिया लिमिटेड |
| 105 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | ग्रेस | चतुर्गुणित कपास | विभा एग्रोटैक लिमिटेड |
| 106 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बिस्को 764 (बिस्को सुपर प्रिंस) | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 107 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | पी 3540 | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 108 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बिस्को 2668 (बिस्को एएए) | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 109 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | जेकेबीएच-550 | बाजरा | जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किलम की श्रेणी | प्रत्याशी किलम का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| 110 | 2015 का | नई | वीबीबीएच 3115 | बाजरा | विभा एग्रोटेक लिमिटेड |
| 111 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बिस्को सूरज-11 (बिस्को शिवा) | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 112 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | बिस्को 74 (बिस्को 740 डिलक्स) | मक्का | बिस्को बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 113 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनबीएच -1188 (बिग बी) | बाजरा | नाथ बायो जीनस (इंडिया) लिमिटेड |
| 114 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | 86 एम01 | बाजरा | पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन |
| 115 | 2015 का | नई | जी 6882644 | चतुर्पुणित कपास | मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड |
| 116 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनबीएच-1134 | बाजरा | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 117 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनबीएच-2223 | बाजरा | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 118 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनबीएच-4455 | बाजरा | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 119 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनबीएच-216 | बाजरा | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 120 | 2015 का | नई | केबीआर 721 | बाजरा | कावेरी सीडस कंपनी लिमिटेड |
| 121 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | ऐश्वर्या (एनसीएच-744) | चतुर्पुणित कपास | निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 122 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | एनबीएच -1717 | बाजरा | नाथ बायो जीनस (इंडिया) लिमिटेड |
| 123 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | गुजरात जूनागढ़ मूगफली-17 (जेएसपी-48) | मूगफली | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 124 | 2015 का | कृषक | फोउडम | चावल | श्री पी. देवकांता |
| 125 | 2015 का | कृषक | बतियासोरा | चावल | पवन रहांग |
| 126 | 2015 का | कृषक | दानागुड़ी | चावल | खिराइजुरी मालिनदासी एस.के.यू.एस. लिमिटेड |
| 127 | 2015 का | कृषक | निमीसाल | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड |
| 128 | 2015 का | कृषक | टीटाबोरा | चावल | यू.ए.ल. खथार |
| 129 | 2015 का | कृषक | नाटा | चावल | डॉ. दबाल देब |
| 130 | 2015 का | कृषक | मुल्लनकायामा (मुल्लनचन्ना) | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 131 | 2015 का | कृषक | वालीचुरी | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 132 | 2015 का | कृषक | ओनावट्टन | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 133 | 2015 का | कृषक | कुरुमोट्टन | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 134 | 2015 का | कृषक | कुंजुने मोट्टा | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 135 | 2015 का | कृषक | माराठोड़ी | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 136 | 2015 का | कृषक | चेनथाडी | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 137 | 2015 का | कृषक | कोडुवेलियन | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 138 | 2015 का | कृषक | थूरुडी | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 139 | 2015 का | कृषक | रामजीरा | चावल | दुष्यंत कुमार सिंह |
| 140 | 2015 का | कृषक | चांगलेई | चावल | श्री पी. देवकांता |
| 141 | 2015 का | कृषक | थोनुरान थोंडी | चावल | पी.वी. सुरेश, सीड केयर बालाबार के लिए |
| 142 | 2015 का | कृषक | चखाओ पोइरेटन (काला मणिपुर चावल) | चावल | श्री पी. देवकांता |
| 143 | 2015 का | कृषक | ताउताभी | चावल | श्री पी. देवकांता |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किस्म की श्रेणी | प्रत्याशी किस्म का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------|---|
| 144 | 2015 का | कृषक | लाल धेपा | चावल | डॉ. देबल देब |
| 145 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण शोभा | बैंगन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 146 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | गुजरात जूनागढ़ मूंगफली-22 | मूंगफली | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 147 | 2015 का | कृषक | बैद दुल्हा | चावल | डॉ. देबल देब |
| 148 | 2015 का | कृषक | कुम्भी फोउ | चावल | श्री पी. देवाकांत |
| 149 | 2015 का | कृषक | मोइरंगफोउ खोकनगांगबी | चावल | श्री पी. देवाकांत |
| 150 | 2015 का | कृषक | औशा बोंकटा | चावल | डॉ. देबल देब |
| 151 | 2015 का | कृषक | गांधा मलाटी | चावल | डॉ. देबल देब |
| 152 | 2015 का | कृषक | बनस्पति | चावल | डॉ. देबल देब |
| 153 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | आरएचआरबीएच -9808 | बाजरा | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ |
| 154 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | एमएयूएस -162 | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 155 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | एमएसीएस 1188 | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 156 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | जेएस 20-29 | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 157 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | जेएस 20-34 | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 158 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | प्रताप सोया Soya 45 (आरकेएस 45) | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 159 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | प्रताप सोया -2 (आरकेएस -18) | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 160 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | आरएयूएस -5 (प्रताप सोया-1). | सोयाबीन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 161 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी प्रगति (वीआरओ-6) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 162 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी विहृती (वीआरओ-5) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 163 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी समृद्धि (वीआरपीएसआर-11) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 164 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी क्रांति (वीआरओ-22) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 165 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी लीला (आईआईवीआर-11) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 166 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी सत्थारी (आईआईवीआर-10) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 167 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | काशी भैरो (डीवीआर-3) | भिण्डी | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 168 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण मुक्ति (सीएचपी-2) | मटर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 169 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | यमुना सफेद-4 (जी-323). | लहसुन | राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन |
| 170 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | एनएचआरडीएफ रैड (एल-28) | प्याज | राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन |
| 171 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | एनएचआरडीएफ रैड 2 (एल 355) | प्याज | राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन |
| 172 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | भीमा राज (बी-780-5-2-2) | प्याज | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 173 | 2015 का | विद्यमान (अधिसूचित) | भोगावती | चावल | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किटम की श्रेणी | प्रत्याशी किटम का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 174 | 2015 का | विद्यमान (वीसीके) | आरएस 627 | ज्वार | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 175 | 2015 का | नई | जवाहर पोप कॉर्न-11 | मक्का | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 176 | 2015 का | नई | 45 एस45 | भारतीय सरसों | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 177 | 2015 का 267 | विद्यमान (अधिसूचित) | फुले राधा | चावल | पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन |
| 178 | 2015 का 268 | विद्यमान (अधिसूचित) | सीओ 4 | चावल | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ |
| 179 | 2015 का 269 | विद्यमान (अधिसूचित) | साबौर अग्रिम (एसबीईसीएफ- 01 / 09) | फूलगोभी | तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय |
| 180 | 2015 का 270 | नई | केएसएफ- 274ए | सूरजमुखी | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 181 | 2015 का 271 | नई | केएसएफ- 272ए | सूरजमुखी | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 182 | 2015 का 272 | नई | केएसएफ- 266ए | सूरजमुखी | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 183 | 2015 का 273 | नई | केएसआर 6178 | ज्वार | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 184 | 2015 का 274 | नई | कावेरी सम्पदा | अरहर | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 185 | 2015 का 275 | विद्यमान (अधिसूचित) | भाग्य (एनटीएच- 301) | टमाटर | नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड |
| 186 | 2015 का 276 | विद्यमान (अधिसूचित) | पीएसी 837 (पीएसी 85037) (आईईटी 19746) | चावल | एडवांटा इंडिया लिमिटेड |
| 187 | 2015 का 277 | विद्यमान (अधिसूचित) | जेकेआरएच 3333 (आईईटी 20759) | चावल | जे.के. एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड |
| 188 | 2015 का 278 | विद्यमान (अधिसूचित) | सीओवीएसएल- 9805 | गन्ना | वसंतदादा सुगर इंस्टीट्यूट |
| 189 | 2015 का 279 | विद्यमान (अधिसूचित) | यूएस 382 (आईईटी 20727) | चावल | सीड वर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 190 | 2015 का 280 | विद्यमान (अधिसूचित) | अनुराग | लौकी | नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड |
| 191 | 2015 का 281 | नई | केएसएफ-079आर | सूरजमुखी | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 192 | 2015 का 282 | नई | केएमएल 5015 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 193 | 2015 का 283 | नई | केपीपी 004 | अरहर | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 194 | 2015 का 284 | विद्यमान (अधिसूचित) | एनबीएच- 180 | भिण्डी | नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड |
| 195 | 2015 का 285 | विद्यमान (अधिसूचित) | केआर-64 | द्विगुणित कपास | मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 196 | 2015 का 286 | कृषक | कटक-नरिंगपुर-मागुरा | चावल | जाम्बेश्वर साहू |
| 197 | 2015 का 287 | कृषक | हलादिरोपा | चावल | टंकाधर माच्छा |
| 198 | 2015 का 288 | कृषक | जयपुर-सीता भोग | चावल | बैकुंठ कांदी |
| 199 | 2015 का 289 | कृषक | केन्द्रपाडा- हलादीगुंडी | चावल | शिबा प्रसाद दास |
| 200 | 2015 का 290 | कृषक | एमबीजे- रसगोबिंदपुर- अहिरमन | चावल | रमाकांत मंडल |
| 201 | 2015 का 291 | कृषक | बालनगिर-बेलपाडा-लक्ष्मीविलाश | चावल | चन्द्रा भानु मेहर |
| 202 | 2015 का 292 | कृषक | एनजीआरएच-भापुर- बैंगनामांजी | चावल | प्रवित्र कु. साहू |
| 203 | 2015 का 293 | कृषक | दुबराज | चावल | लखी पटेल |
| 204 | 2015 का 294 | कृषक | कोरापुट- हलादी सापुरा | चावल | गणेश बदानाईक |
| 205 | 2015 का 295 | कृषक | खरिअर-सपारी | चावल | ठाकुर च. भोई |
| 206 | 2015 का 296 | कृषक | बाली- भजना-जे | चावल | नरसिंह नाईक |
| 207 | 2015 का 297 | कृषक | जयपुर - पिमुडिबासा | चावल | मिनाकेतन सामल |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किरण की श्रेणी | प्रत्याशी किरण का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|----------------|----------------------------------|------|---------------------|
| 208 | 2015 का 298 | कृषक | कुसुमा— के | चावल | लम्बोदर प्रधान |
| 209 | 2015 का 299 | कृषक | गंजम— रतनचुड़ी | चावल | श्री जनार्दन प्रधान |
| 210 | 2015 का 300 | कृषक | के— हुंदर | चावल | बाबाजी नाईक |
| 211 | 2015 का 301 | कृषक | देवलाभोगा— आर | चावल | श्री मुना पात्र |
| 212 | 2015 का 302 | कृषक | ओडिसियाली— एम | चावल | चैतन्य बिन्धानी |
| 213 | 2015 का 303 | कृषक | डीकेएल—ओडापाडा— हरिशंकर | चावल | शिखर राउल |
| 214 | 2015 का 304 | कृषक | पुरी—चैमपेइसियाली | चावल | सचित्रा राउल |
| 215 | 2015 का 305 | कृषक | एमबीजे— पिम्पुडी बासा | चावल | अजित कुमार साहू |
| 216 | 2015 का 306 | कृषक | बालनगिर— मिर्धापाली— काला कृष्णा | चावल | अर्जुन पटेल |
| 217 | 2015 का 307 | कृषक | एमबीजी — जंगलीजटा | चावल | कार्तिक च. सिंह |
| 218 | 2015 का 308 | कृषक | गंजम— भजना नगर — रतनचुड़ी | चावल | संतोष प्रधान |
| 219 | 2015 का 309 | कृषक | बालनगिर — महिपाल | चावल | चमारू भुई |
| 220 | 2015 का 310 | कृषक | बालनगिर — जबाफुल | चावल | खगेश्वर भोई |
| 221 | 2015 का 311 | कृषक | बालनगिर— तुलसीबास | चावल | कुमार मेहर |
| 222 | 2015 का 312 | कृषक | झालकाकेरी — एस | चावल | बिम्बोधर थानापति |
| 223 | 2015 का 313 | कृषक | बालनगिर — अम्पाली— हरिशंकर | चावल | धनामाली पटेली |
| 224 | 2015 का 314 | कृषक | बालनगिर — काला कृष्णा | चावल | गणपति भोई |
| 225 | 2015 का 315 | कृषक | मुग्धी झूली | चावल | चेतननंदा माझी |
| 226 | 2015 का 316 | कृषक | पुरी — रतनचुड़ी | चावल | पंदाब जेना |
| 227 | 2015 का 317 | कृषक | बालनगिर — महिलपाल—बी | चावल | सुदान एडाबारिया |
| 228 | 2015 का 318 | कृषक | पुरी — चम्पा—पी | चावल | अनामा खटुआ |
| 229 | 2015 का 319 | कृषक | डीकेएल— गोंडिया— चम्पेइसियाली | चावल | नाबा बारिक |
| 230 | 2015 का 320 | कृषक | झिटीपीटी —बी | चावल | नारायण नाईक |
| 231 | 2015 का 321 | कृषक | पुरी— देलांग—चम्पेइसियाली | चावल | त्रिनाथ परिदा |
| 232 | 2015 का 322 | कृषक | बीएमजे— पल्लो— पिम्पुडीबास | चावल | हपाना तुदू |
| 233 | 2015 का 323 | कृषक | एमबीजे— कलाचम्पा | चावल | ताराकंठ मोहंता |
| 234 | 2015 का 324 | कृषक | अकुल—एस | चावल | मधु भोई |
| 235 | 2015 का 325 | कृषक | लक्ष्मी—एस | चावल | कुलमणी साहू |
| 236 | 2015 का 326 | कृषक | एसएमबी— बसापतारी | चावल | लीथु खमारी |
| 237 | 2015 का 327 | कृषक | गंजम— सोरोडा— कालाजीरा | चावल | गौराहारी गोउडा |
| 238 | 2015 का 328 | कृषक | नुआपाडा— बोर्डेन— झिली | चावल | सुनाधर बैग |
| 239 | 2015 का 329 | कृषक | उमुरीचुड़ी | चावल | सोनिया नाली |
| 240 | 2015 का 330 | कृषक | भजना — एस | चावल | सोभा चन्द्र माझी |
| 241 | 2015 का 331 | कृषक | रातकरानी | चावल | लक्ष्मण राणा |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किस्म की श्रेणी | प्रत्याशी किस्म का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------|
| 242 | 2015 का 332 | कृषक | डीकेएल – हरिशंकर | चावल | नरेश च. बिस्वाल |
| 243 | 2015 का 333 | कृषक | बीती सुपारी | चावल | गोलाप माझी |
| 244 | 2015 का 334 | कृषक | एनजीआर– भाषुर– चम्पेर्इसियाली | चावल | गंगाधर पात्र |
| 245 | 2015 का 335 | कृषक | नौपाडा– पदमापुर– असन चुड़ी | चावल | चन्द्र सेखर पटेल |
| 246 | 2015 का 336 | कृषक | काकुडीमांजी– पी | चावल | स्वदेशी बिस्वाल |
| 247 | 2015 का 337 | कृषक | कंधामल–बारापाली– रतनचुड़ी | चावल | किशोर चन्द्र प्रधान |
| 248 | 2015 का 338 | कृषक | बालनगिर– काला कृष्णा | चावल | सुरासेन नाईक |
| 249 | 2015 का 339 | कृषक | कालकाटी–के | चावल | झुरु दिरहारी |
| 250 | 2015 का 340 | कृषक | बौद्ध झोलीपुआगी | चावल | बिरांची मेहर |
| 251 | 2015 का 341 | कृषक | काकुडीमांजी–जी | चावल | बेनुधर बारिक |
| 252 | 2015 का 342 | कृषक | के–कपुरा क्रांति | चावल | परमानंद नाईक |
| 253 | 2015 का 343 | कृषक | कुसुमा–बाल | चावल | पुष्पा बागर्ती |
| 254 | 2015 का 344 | कृषक | एनजीआरएच– खांडापाडा– कादिला चम्पा | चावल | रमेश बेहरा |
| 255 | 2015 का 345 | कृषक | डेंगबारी | चावल | वग्रासेन धारूआ |
| 256 | 2015 का 346 | कृषक | बैकानी– डी | चावल | सावित्री साहू |
| 257 | 2015 का 347 | कृषक | सरियन– पी | चावल | सरोज साही |
| 258 | 2015 का 348 | कृषक | बालनगिर– धुबालपाडा– महिपाल | चावल | मधु महामलिक |
| 259 | 2015 का 349 | कृषक | डीकेएल– कलाचम्पा | चावल | भगीरथ महापात्र |
| 260 | 2015 का 350 | कृषक | के–ज़िल्ली | चावल | बहादुर धरूआ |
| 261 | 2015 का 351 | कृषक | सुंदरगढ़ – कारपुरक्रांति | चावल | सुनील संजय टोप्पे |
| 262 | 2015 का 352 | कृषक | कुसुमा | चावल | चन्द्र मणी माझी |
| 263 | 2015 का 353 | कृषक | सर्लभुजुनी | चावल | किशोर कुमार साहू |
| 264 | 2015 का 354 | कृषक | सरियन | चावल | गनानिधि मेहर |
| 265 | 2015 का 355 | कृषक | बालनगिर खलियापाली– महिपाल | चावल | चिथल नाग |
| 266 | 2015 का 356 | कृषक | हुंडार बी | चावल | चितरंजन थानापति |
| 267 | 2015 का 357 | कृषक | एसएमबी– हरिशंकर | चावल | बिनय बेहरा |
| 268 | 2015 का 358 | कृषक | मुतुरा–ठी | चावल | श्रीधर प्र. बेहरा |
| 269 | 2015 का 359 | कृषक | कालकाटी–एस | चावल | गजपति खेती |
| 270 | 2015 का 360 | कृषक | जयपुर– मुगुदी | चावल | रमाकांत साहू |
| 271 | 2015 का 361 | कृषक | बालनगिर– असुर्ला – लुचई | चावल | मधुसूदन साहू |
| 272 | 2015 का 362 | कृषक | बालनगिर – अमापाली – मागुरा | चावल | हरा पटेल |
| 273 | 2015 का 363 | कृषक | बालनगिर – धुंगियामुंडा – महिपाल | चावल | धर्मसिंह माझी |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किरण की श्रेणी | प्रत्याशी किरण का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 274 | 2015 का 364 | कृषक | मलझुली | चावल | तुनू महानंदा |
| 275 | 2015 का 365 | कृषक | एसएमबी – कालाजीरा | चावल | भबानी संकर होता |
| 276 | 2015 का 366 | कृषक | बालनगिर – गेलहेई कांथी | चावल | बिभुति भूषण साई |
| 277 | 2015 का 367 | कृषक | बालनगिर – जुबराज | चावल | कमल लोचन प्रधान |
| 278 | 2015 का 368 | कृषक | दुबाराज – एन | चावल | सालोग्राम साहु |
| 279 | 2015 का 369 | कृषक | एनजीआरएच – चम्पेइसियाली | चावल | हलुरी स्वैन |
| 280 | 2015 का 370 | कृषक | चम्पेइसियाली – सी | चावल | अजय कृ. लेंका |
| 281 | 2015 का 371 | कृषक | सारिया – डी | चावल | अजया बेहरा |
| 282 | 2015 का 372 | कृषक | एनजीआरएच – मयूराकांथा | चावल | बैंकुठ नायक |
| 283 | 2015 का 373 | कृषक | मलकानगिरी – चुड़ी | चावल | लक्ष्मण नायक |
| 284 | 2015 का 374 | कृषक | मुर्गई – जे | चावल | सुरेश बेहरा |
| 285 | 2015 का 375 | कृषक | बालनगिर – संकरी | चावल | बलहारी टांडी |
| 286 | 2015 का 376 | कृषक | सारिया – ए | चावल | चेमारा साहु |
| 287 | 2015 का 377 | कृषक | कुसुमा – टी | चावल | भकता पुता |
| 288 | 2015 का 378 | कृषक | जेएसजी – सापुरी | चावल | रोमनचाला रोहिदास |
| 289 | 2015 का 379 | कृषक | चुड़ी – एम | चावल | पदालम गोउडा |
| 290 | 2015 का 380 | कृषक | एनबीआर – हलादीचुड़ी | चावल | टिकी साहु |
| 291 | 2015 का 381 | कृषक | सारिया – बी | चावल | महेन्द्र पटेल |
| 292 | 2015 का 382 | कृषक | सरियन – बाल | चावल | गबराज पटेल |
| 293 | 2015 का 383 | कृषक | बालनगिर – बैदीपाली – महिपाल | चावल | अजंता प्रधान |
| 294 | 2015 का 384 | कृषक | बालनगिर खालियापाली असमचुड़ी | चावल | जोगेश्वर बारिक |
| 295 | 2015 का 385 | कृषक | झिली | चावल | तरुण कुमार पार्टा |
| 296 | 2016 का 1 | कृषक | टीकीमसूरी – सी | चावल | मेघनादा डोर्स |
| 297 | 2016 का 2 | कृषक | कांधामल कालाजीरा | चावल | मृत्युंजय अमाता |
| 298 | 2016 का 3 | कृषक | बालनगिर – तिलगौज झिल्ली | चावल | पवित्र राणा |
| 299 | 2016 का 4 | कृषक | चम्पासोना | चावल | शत्रुघ्न मल्लिक |
| 300 | 2016 का 5 | कृषक | कांधामल चिन्नामाली | चावल | सुकादेव साहु |
| 301 | 2016 का 6 | कृषक | भुंदी – बी | चावल | घनश्याम दास |
| 302 | 2016 का 7 | कृषक | बादाचम्पा | चावल | बसंता कुमार सामल |
| 303 | 2016 का 8 | कृषक | बालनगिर – हथिसारा – महिपाल | चावल | सुरेन्द्र साहु |
| 304 | 2016 का 9 | कृषक | हल्दीकुंडी – जे | चावल | एस.के. सौफुददीन |
| 305 | 2016 का 10 | कृषक | बालनगिर – कुरेनबहाली – हरिशंकर | चावल | अरछु पुता |
| 306 | 2016 का 11 | विद्यमान (वीसीके) | एनएसएफएल – 605 ए | सूरजमुखी | नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड |
| 307 | 2016 का 12 | नई | केएसआर 6173 | ज्वार | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 308 | 2016 का 13 | विद्यमान (वीसीके) | आरसीएच 377 बीटी | चतुर्गुणित कपास | रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 309 | 2016 का 14 | | केएसएमएस 283 | ज्वार | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किस्म की श्रेणी | प्रत्याशी किस्म का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|---|
| 310 | 2016 का 15 | विद्यमान (अधिसूचित) | सहायदि -2 | चावल | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 311 | 2016 का 16 | विद्यमान (अधिसूचित) | सहायदि -4 | चावल | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 312 | 2016 का 17 | विद्यमान (अधिसूचित) | डीएचएच 543 | चतुर्गुणित कपास | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय |
| 313 | 2016 का 18 | विद्यमान (अधिसूचित) | सहायदि -3 | चावल | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 314 | 2016 का 19 | नई | पीएच 698 | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 315 | 2016 का 20 | कृषक | कोट्टाथोडी | चावल | पी.वी. सुरेश, बीज निगरानी के लिए, मालाबार |
| 316 | 2016 का 21 | कृषक | कायामा | चावल | पी.वी. सुरेश, बीज निगरानी के लिए, मालाबार |
| 317 | 2016 का 22 | कृषक | मन्नूवेलियन | चावल | पी.वी. सुरेश, बीज निगरानी के लिए, मालाबार |
| 318 | 2016 का 23 | कृषक | अदुक्कन | चावल | पी.वी. सुरेश, बीज निगरानी के लिए, मालाबार |
| 319 | 2016 का 24 | कृषक | फोउरेलाम्बी | चावल | श्री पी देवकांता |
| 320 | 2016 का 25 | कृषक | गंधेश्वरी | चावल | डॉ. देवाल देब |
| 321 | 2016 का 26 | कृषक | कांकरी | चावल | डॉ. देवाल देब |
| 322 | 2016 का 27 | कृषक | चंद्रकांता | चावल | डॉ. देवाल देब |
| 323 | 2016 का 28 | कृषक | सर्वांती - साल | चावल | डॉ. देवाल देब |
| 324 | 2016 का 29 | कृषक | बाघ झाप्टा | चावल | डॉ. देवाल देब |
| 325 | 2016 का 30 | कृषक | पेलेला जोन्ना | ज्वार | जैवविधिता प्रबंध समिति |
| 326 | 2016 का 31 | कृषक | दादल (रवि) | ज्वार | इंद्रामल ट्राइबल सीड सेवर ग्रुप |
| 327 | 2016 का 32 | कृषक | वायुनोळ्का जोन्ना | ज्वार | जैवविधिता प्रबंध समिति |
| 328 | 2016 का 33 | नई | पी 3470 | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 329 | 2016 का 34 | नई | पी 352 | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 330 | 2016 का 35 | विद्यमान (वीसीके) | सु-फ्लूम | चतुर्गुणित कपास | मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 331 | 2016 का 36 | विद्यमान (वीसीके) | अनमोल रत्न - 8108 | चतुर्गुणित कपास | मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 332 | 2016 का 37 | नई | 463बी | ज्वार | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 333 | 2016 का 38 | विद्यमान (वीसीके) | निर्भय (एनडब्ल्यू -1) | गेहूं | निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड |
| 334 | 2016 का 39 | नई | पी 3441 | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 335 | 2016 का 40 | नई | 86 एम 40 | बाजरा | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 336 | 2016 का 41 | नई | 86 एम 76 | बाजरा | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 337 | 2016 का 42 | नई | 86 एम 11 | बाजरा | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 338 | 2016 का 43 | नई | पीएचएम 6टी | मक्का | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 339 | 2016 का 44 | विद्यमान (अधिसूचित) | पीबीजी 5 | चना | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 340 | 2016 का 45 | विद्यमान (वीसीके) | एनएसएफएल - 136 आर | सूरजमुखी | नुजीवीडु सीडस लिमिटेड |
| 341 | 2016 का 46 | विद्यमान (वीसीके) | 27पी 52 | चावल | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 342 | 2016 का 47 | विद्यमान (वीसीके) | 27पी 88 | चावल | पॉयनियर ओवरसीस कॉरपोरेशन |
| 343 | 2016 का 48 | नई | विवेक मेज हाइब्रिड 43 | मक्का | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किस्म की श्रेणी | प्रत्याशी किस्म का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 344 | 2016 का 49 | नई | विवेक मेज हाइब्रिड 39 | मक्का | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 345 | 2016 का 50 | विद्यमान (वीसीके) | एफएल 1867 | आलू | पैप्सीको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 346 | 2016 का 51 | नई | एनएमएच – 1242 | मक्का | नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड |
| 347 | 2016 का 52 | नई | अपर्णा (एनएसआरआर 676) | ज्वार | निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 348 | 2016 का 53 | विद्यमान (वीसीके) | जेकेसीएच 226 | चतुर्गुणित कपास | जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड |
| 349 | 2016 का 54 | नई | केएसआर 6310 | ज्वार | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 350 | 2016 का 55 | विद्यमान (वीसीके) | चन्द्रमुखी (एनसीएच- 996) | चतुर्गुणित कपास | निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 351 | 2016 का 56 | विद्यमान (वीसीके) | केएमएल 2168 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 352 | 2016 का 57 | विद्यमान (वीसीके) | केएमएल 2254 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 353 | 2016 का 58 | नई | केएसआर 6313 | ज्वार | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 354 | 2016 का 59 | विद्यमान (वीसीके) | एफएल 2027 | आलू | पैप्सीको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 355 | 2016 का 69 | विद्यमान (वीसीके) | बायो 340-2 | चतुर्गुणित कपास | डीसीएम श्रीराम लिमिटेड |
| 356 | 2016 का 61 | विद्यमान (वीसीके) | अर्का अनूप | राजमा | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 357 | 2016 का 62 | कृषक | मल्कानगिरि- बोदिकाबेरी | चावल | त्रिनाथ गौडा |
| 358 | 2016 का 63 | कृषक | मोरियांगफोउ येंथिक | चावल | श्री पी. देवकांता |
| 359 | 2016 का 64 | कृषक | मेरीचसाल | चावल | लोकमाता रानी रशमोनी मिशन |
| 360 | 2016 का 65 | कृषक | कट्टूद्यानम | चावल | साथानूर उझावर मंड्रोम |
| 361 | 2016 का 66 | कृषक | कल्लुंडई | चावल | सेंथामिझ उझावरमंड्राम |
| 362 | 2016 का 67 | कृषक | तुलईपांजी | चावल | बेसियन समाबय कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड |
| 363 | 2016 का 68 | कृषक | नादना | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 364 | 2016 का 69 | कृषक | धूलिया | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 365 | 2016 का 70 | कृषक | भूतिया | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 366 | 2016 का 71 | कृषक | कोखुरिया | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 367 | 2016 का 72 | कृषक | दुधेश्वर | चावल | लोकमाता रानी रशमोनी मिशन |
| 368 | 2016 का 73 | कृषक | मुगी | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 369 | 2016 का 74 | कृषक | गयाबाली | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 370 | 2016 का 75 | कृषक | मोद्रा | चावल | जनकपुर जनकल्याण समोबय कृषि उन्नय समिति लिमिटेड |
| 371 | 2016 का 76 | कृषक | मयूरकंठा- केर्झ | चावल | धिनकी नायक |
| 372 | 2016 का 77 | कृषक | कांधामल – गेलेझ | चावल | नारायण प्रधानी |
| 373 | 2016 का 78 | कृषक | बालनगिर – हरिशंकर | चावल | टीका पटेल |
| 374 | 2016 का 79 | कृषक | बालनगिर – तुलसीबास- बी | चावल | गिरिधारी पुटा |
| 375 | 2016 का 80 | कृषक | कांधामल कलाकृष्णा | चावल | कनिस्टा नायक |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किस्म की श्रेणी | प्रत्याशी किस्म का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| 376 | 2016 का 81 | कृषक | ढाला श्री –के | चावल | सृजन पटेल |
| 377 | 2016 का 82 | कृषक | रानी सियाली | चावल | लालजी झारकर |
| 378 | 2016 का 83 | कृषक | जयपुर – जंगला जाता | चावल | रामनारायण भद्रा |
| 379 | 2016 का 84 | कृषक | बालनगिर – खालियापल्ली – झिल्ली | चावल | सुरेश पटेल |
| 380 | 2016 का 85 | कृषक | झिल्ली – एस | चावल | प्रकाश कुमार होता |
| 381 | 2016 का 86 | कृषक | पुरी – चम्पा | चावल | लक्ष्मीधर विस्वाल |
| 382 | 2016 का 87 | कृषक | कंसापुरी मझलुझुली | चावल | ललित भोई |
| 383 | 2016 का 88 | कृषक | बालनगिर – झिल्ली | चावल | डोलामणी भोई |
| 384 | 2016 का 89 | कृषक | रायगाडा – बैगनामांजी | चावल | श्री लक्ष्मण बेहरा |
| 385 | 2016 का 90 | कृषक | बालनगिर – झिल्ली – बी | चावल | गोपीनाथ पटेल |
| 386 | 2016 का 91 | कृषक | कालाकाटिकी | चावल | परसुराम बारिक |
| 387 | 2016 का 92 | कृषक | कांधामल – मुगुदी | चावल | सुरेन्द्र पात्रा |
| 388 | 2016 का 93 | कृषक | सुंदरगढ़ – लुचई | चावल | उमाशंकर प्रधान |
| 389 | 2016 का 94 | कृषक | सुंदरगढ़ – गर्गाबहल – भाजना | चावल | जयदेव साहु |
| 390 | 2016 का 95 | कृषक | काला चम्पा –1 | चावल | बलराम परिदा |
| 391 | 2016 का 96 | नई | केएमएल – 5264 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 392 | 2016 का 97 | विद्यमान (अधिसूचित) | फूले समर्थ | प्याज | महात्मा फूले कृषि विद्यमान |
| 393 | 2016 का 98 | विद्यमान (अधिसूचित) | डल्ट्यूएच 1105 | गेहूं | सीसीएस हरियाण कृषि विश्वविद्यालय |
| 394 | 2016 का 99 | विद्यमान (अधिसूचित) | स्वर्ण बैभव | टमाटर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 395 | 2016 का 100 | कृषक | गेलेइकाठी | चावल | विद्याधर थानापति |
| 396 | 2016 का 101 | कृषक | गहमफूल | चावल | जगदीश सिंह |
| 397 | 2016 का 102 | कृषक | हुंडार– डी | चावल | गौतम पौध |
| 398 | 2016 का 103 | कृषक | कादलीकेंदा – डी | चावल | भुवनेश्वर साहु |
| 399 | 2016 का 104 | कृषक | भद्रक – तिहड़ी – पाटिनी | चावल | नारायण पाणीग्राही |
| 400 | 2016 का 105 | कृषक | गेथू – बी | चावल | पतारी सागर |
| 401 | 2016 का 106 | कृषक | कादली केंदा – जी | चावल | कुबेर टांडी |
| 402 | 2016 का 107 | कृषक | एसएमबी – मच्छाकांता | चावल | बिनोदसागर दाश |
| 403 | 2016 का 108 | कृषक | कालाकृष्णा | चावल | संतोष कुमार नैल |
| 404 | 2016 का 109 | कृषक | कांधामल – कैन्झार – चिन्नामाली | चावल | बसु किशोर पात्रा |
| 405 | 2016 का 110 | कृषक | कटक – बरंग– हरिशंकर | चावल | प्रहलाद प्रधान |
| 406 | 2016 का 111 | कृषक | पाटिनी – बी | चावल | राजेन्द्र प्र. दाश |
| 407 | 2016 का 112 | कृषक | बालनगिर – चानुतमल – हरिशंकर | चावल | सहदेव पटेल |
| 408 | 2016 का 113 | नई | एनएसओ – 84 | सोयाबीन | निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 409 | 2016 का 114 | नई | केएमएच – 2446 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 410 | 2016 का 115 | नई | केएमएच – 3712 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |

| क्र.सं. | पंजीकरण सं. | किटम की श्रेणी | प्रत्याशी किटम का नाम | फसल | आवेदक का नाम |
|---------|-------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 411 | 2016 का 116 | नई | केरमएल 5013 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 412 | 2016 का 117 | नई | केरमएल 2276 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 413 | 2016 का 118 | नई | केरमएल 5080 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 414 | 2016 का 119 | नई | केरसएमएस 220 | ज्वार | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 415 | 2016 का 120 | विद्यमान (अधिसूचित) | गुजरात ॲब्लॉग ब्रिंजल-1 (जीओबी- 1) | बैंगन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| 416 | 2016 का 121 | नई | केरमएल 5004 | मक्का | कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड |
| 417 | 2016 का 122 | नई | डीजीआर - 008 | चावल | देवगन एनवी |
| 418 | 2016 का 123 | नई | डीजीआर - 007 | चावल | देवगन एनवी |
| 419 | 2016 का 124 | नई | बायो - 2113 - 2 | चतुर्गुणित कपास | डीसीएम श्रीराम लिमिटेड |

अनुबंध X : संक्षिप्तियां

| | |
|----------------------|--|
| ए आई सी आर पी | अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना |
| बी ए यू | बिरसा कृषि विश्वविद्यालय |
| बी एम सी | जैवविविधता प्रबंध समिति |
| बी सी आई एल | बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड |
| सी ए जी | भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक |
| सी ए आर आई | केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान |
| सी बी डी | जैविक विविधता पर सम्मेलन |
| सी एम डी | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सी एस आई आर | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद |
| सी एच ई एस | केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र |
| सी एस एस आर आई | केन्द्रीय मुदा लवणता अनुसंधान संस्थान |
| डी ए सी | कृषि एवं सहकारिता विभाग |
| डी यू एस | विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व |
| ई बी आर सी | विद्यमान किस्म संस्तुति समिति |
| ईटीएल | आर्थिक गहाई स्तर |
| जी ए टी टी | सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता |
| आई ए आर आई | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान |
| आई सी ए आर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| आई सी एफ आर ई | भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद |
| आई एन डी यू एस | डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली |
| आई पी जी आर आई | बायोवर्सिटी इंटरनेशनल |
| आई टी पी जी आर एफ ए | खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि |
| के ए यू | केरल कृषि विश्वविद्यालय |
| के वी के | कृषि विज्ञान केन्द्र |
| एन ए एस सी | राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र |
| एन जी ओ | गैर-शासकीय संगठन |
| एन ओ आर वी | भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में |
| एन एस ए आई | नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
| एन आर सी पी बी | राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र |
| एन एस आर टी सी | राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र |
| एम एस ई जैड | मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड |
| ओ ई सी डी | आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन |
| पी एस | प्रधान वैज्ञानिक |
| पी डी | परियोजना निदेशक |
| पी जी आर | पादप आनुवंशिक संसाधन |
| पी पी वी एंड एफ आर ए | पौधा किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण |
| पी वी ई | पौधा किस्म परीक्षक |
| पी वी आई एस | पौधा किस्म सूचना प्रणाली |
| पी वी जे | भारतीय पौधा किस्म जरनल |
| आर एंड डी | अनुसंधान एवं विकास |
| आर टी आई | सूचना का अधिकार |
| एस ए ओ | वरिष्ठ लेखा अधिकारी |
| एस ए यू | राज्य कृषि विश्वविद्यालय |
| एस टी ओ | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी |
| टी आर आई पी एस | बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू |
| यू पी ओ वी | पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन |
| वी सी के | सामान्य ज्ञान की किस्म |
| डब्ल्यू टी ओ | विश्व व्यापार संगठन |

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की नई दिल्ली में
11 नवम्बर, 2016 को आयोजित छब्बीसवीं बैठक में स्वीकृत किया गया
(कार्यसूची मद संख्या 5)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने,
नई दिल्ली—110012

100 प्रतियां